खण्ड-473, अंक-2
गुरूवार, 22 माघ, शक संवत् 1931
(11 फरवरी, 2010 ई0)

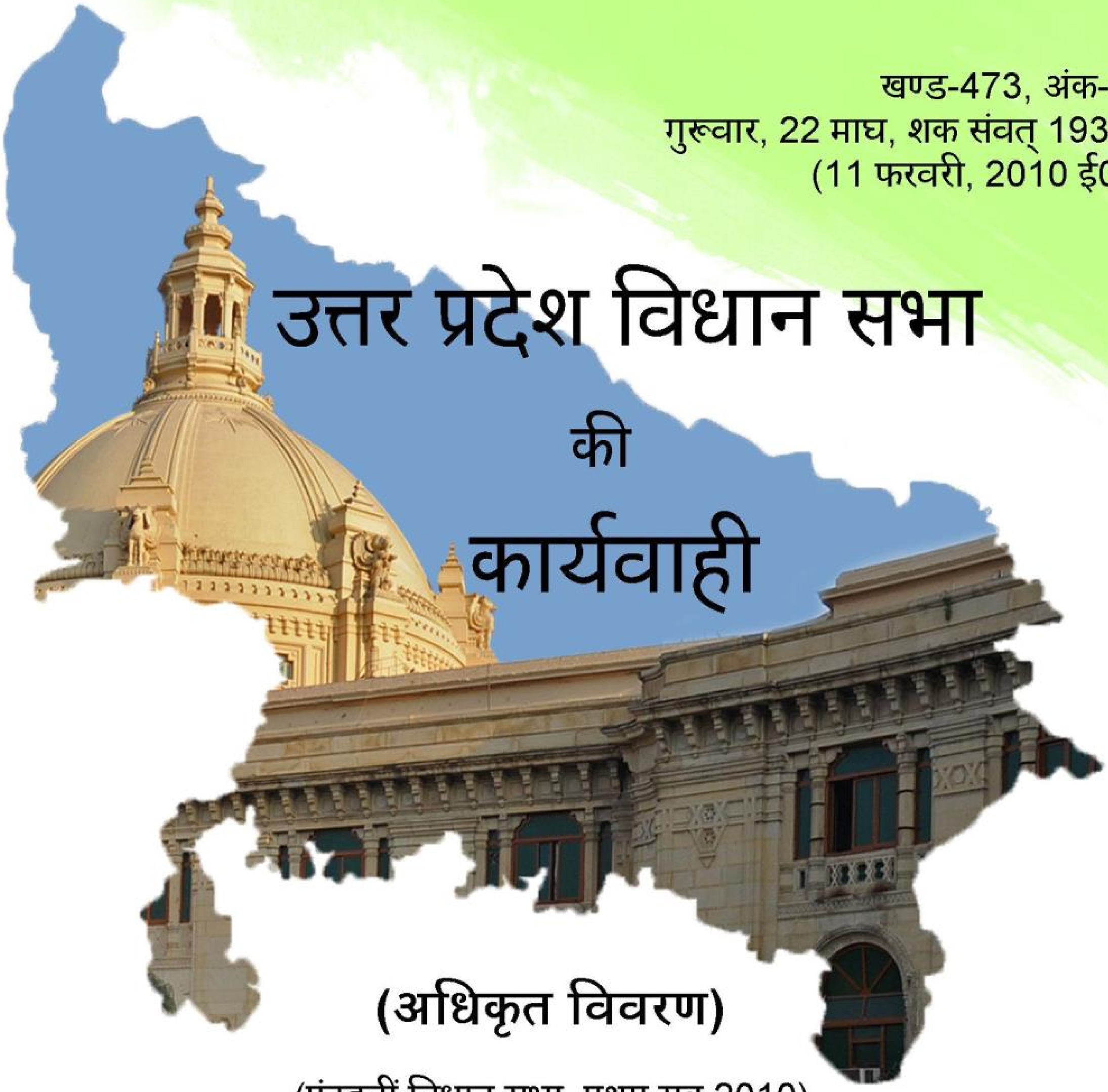

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2010)

खण्ड 473 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2010

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	1–6
–डा0 राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा उनके निजी प्रकरण को सर्वप्रथम सुने जाने का अनुरोध	7
–प्रश्नोत्तर — —	7–108
–विधायक निवास–5 के कमरा नम्बर–17 के बगल में आवंटित अध्यासियों से हो रही कठिनाई की तरफ सदन का ध्यानाकर्षण ...	108–109
–वर्तमान सत्र में बहुत कम अल्पसूचित प्रश्न स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	109–110
–सूचना विभाग की डायरी सदस्यगण को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सदन का ध्यानाकर्षण	110
–दिनांक 15 फरवरी, 2010 की अनुदान मांगों से सम्बन्धित साहित्य आज ही सदस्यगण को उपलब्ध कराने का अनुरोध	110–111
–अर्थ एवं संख्या विभाग द्वारा सांख्यिकी डायरी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पीठ का ध्यानाकर्षण	111
–नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं	111–112
–जनपद लखनऊ के मचलखेड़ा मजरा सरसवां मजरा अर्जुनगंज तहसील सदर के अनुसूचित जाति के लोगों के कब्जे के आधार पर भूमि का पट्टा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	112–113
–उत्तर प्रदेश में सरकारी चिकित्सालयों में फिजियोथेरेपिस्टों की भर्ती के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	113
–इलाहाबाद जनपद के बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) द्वार नियम विरुद्ध आदेश कर सरकारी भूमि को एक व्यक्ति के नाम दर्ज करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	113–114
–जनपद लखनऊ के आवास विकास परिषद द्वारा सेक्टर 22–इन्दिरानगर के भवन संख्या–22/641 में भू–स्वामी को 8 मीटर अतिरिक्त कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	114
–जनपद रायबरेली के शुकुलबाजार वाया इन्हौंना महराजगंज की सड़क को केन्द्रीय सड़क निधि द्वारा आवंटित धनराशि से निर्माण कराये जाने तथा अधिकारियों और ठेकेदारों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	115

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ–संख्या
–जनपद सिद्धार्थनगर की नगर पंचायत उस्का बाजार में फैली गन्दगी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	115–116
–जनपद गोरखपुर के मुण्डेरा बाजार विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों के रात्रि निवास करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	116
–जनपद झांसी गुरुसराय नगर की मुख्य सड़क की दयनीय एवं जर्जर हालत को सुधारने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	116
–उत्तर प्रदेश जिला गन्ना अधिकारी के पद पर प्रोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर विलम्ब किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	117
–जनपद मुजफ्फरनगर में बघरा, चर्थावल बावरी के बीच एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	117
–जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में कतिपय मार्गों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	118
–औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	118
–दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी द्वारा आजमगढ़ में सार्वजनिक रूप से देश एवं प्रदेश सरकारों को आतंकवादी कहे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	119–123
–श्री राज्यपाल के अभिभाषण में अंकित उर्दू, अरबी और फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना के स्थान पर अरबी और फारसी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	123–124
–खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा नवम्बर, 2009 में छापे डालकर भरे गये दवाओं के नमूनों को बिना जांच शुल्क जमा किये कोलकाता सेन्ट्रल लैब भेजने तथा सेन्ट्रल लैब द्वारा बिना जांच किये वापस किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	125
–शासन द्वारा विधान मण्डल विकास निधि के कार्यों से सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं पर रोक लगाये जाने से बाधित विकास कार्यों के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	125–127
–जेल में मा0 सदस्यों को उच्च श्रेणी की सुविधाएं न दिये जाने एवं उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	127
–संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–535 दिनांक 2 मार्च, 2009 (सदन के पटल पर रखी गयी)	128

विषय	पृष्ठ–संख्या
–कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की विज्ञप्ति संख्या–क0नि0–122 दिनांक 19 जनवरी, 2010 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	128
–उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम, लखनऊ के स्थित पत्रक एवं लाभ–हानि खाता, 2006–2007 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	128
–लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–8–2007 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)... ...	128
–श्रम अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–143, दिनांक 4 फरवरी, 2009 (सदन के पटल पर रखी गयी)	128
–उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 (उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	128–129
–नियम–311 की नियम–56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	129–208
–वित्तीय वर्ष 2010–2011 के आय–व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या–94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य), अनुदान संख्या–95–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या–23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना), अनुदान संख्या–24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग), अनुदान संख्या–59–लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) (स्वीकृत)	208–209
–वित्तीय वर्ष 2010–2011 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–46–प्रशासनिक सुधार विभाग (स्वीकृत) ...	209
–वित्तीय वर्ष 2010–2011 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–22–खेल विभाग (स्वीकृत)	210
–वित्तीय वर्ष 2010–2011 के आय–व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या–50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन), अनुदान संख्या–51 राजस्व विभाग (दैवीय विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत), अनुदान संख्या–52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	210–215
–वित्तीय वर्ष 2010–2011 के आय–व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या–5–उद्योग विभाग (खादी और ग्रामोद्योग), अनुदान संख्या–08–उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री), अनुदान संख्या–04–उद्योग विभाग (खानें और खनिज), अनुदान संख्या–18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता), अनुदान संख्या–03–उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन), अनुदान संख्या–06–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) (स्वीकृत)	215–225

विषय	पृष्ठ–संख्या
–उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग विधेयक, 2010 (पारित) ...	225–235
–उत्तर प्रदेश निजी निधिकृत विश्वविद्यालय (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 2010 (पुरः स्थापित)	236
–उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैंगिंग का प्रतिषेध विधेयक, 2010 (पुरःस्थापित)	236
–"यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में निरन्तर घटते भू–गर्भ जल स्तर को दृष्टिगत रखते हुये पेयजल एवं सिंचाई के लिये भू–गर्भ जल संरक्षण की एक कार्य योजना बनाई जाय" विषयक डा0 अनिल चौधरी आदि द्वारा दिनांक 21 अगस्त, 2008 को नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर जारी चर्चा... (जारी)	236
–"यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर प्रभावी नियंत्रण लगाने हेतु रोजगारपरक शिक्षा एवं कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता दी जाय" विषयक श्री जोखू लाल यादव द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर चर्चा .... (जारी)	237
–नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं	237–240
–जनपद सिद्धार्थनगर स्थित बांसी–धानी मार्ग के निर्माण में अधिग्रहीत किसानों की जमीन का मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में श्री ईश्वरचन्द्र शुक्ल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	240–242
–जनपद मिर्जापुर स्थित जलालपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधूरे भवन निर्माण का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य	242–243
–सहारनपुर, मुजफ्फरनगर एवं बागपत जनपद स्थित पूर्वी यमुना नहर में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य ...	243–245
–कानपुर विद्युत सप्लाई को मे0 टोरेण्ट पावर लिमिटेड को दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री संजीव दरियाबादी 'बन्टी' द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य ...	245–246
–जनपद गाजीपुर के ग्राम जलालाबाद (अम्बेडकर ग्राम) में चिकित्सालय बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय कुमार द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य	246–247
–सिंचाई यांत्रिक विभाग द्वारा प्रदेश में अंशकालिक नलकूप चालकों की नियुक्तियों का विनियमितीकरण अवैध रूप से किये जाने के सम्बन्ध में श्री विशम्भर सिंह यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री का वक्तव्य	247–249

विषय	पृष्ठ–संख्या
–राजकीय महाविद्यालय महमूदाबाद, सीतापुर में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर) द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य ...	249–250
–जनपद बदायूं स्थित जिला अस्पतालों में डाक्टरों की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री महेश चन्द्र गुप्ता द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	250
–उन्नाव में समाज कल्याण विभाग द्वारा 2007–2008 एवं 2008–2009 में वृद्धावस्था पेंशन, शादी अनुदान में किये गये करोड़ों रुपये के घोटाले से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री उदयराज द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य ...	250–252
–नत्थियां...	253–272

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पन्द्रहवीं विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 11 फरवरी, 2010 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा–मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य–323

1. अंगद यादव, श्री — आजमगढ़
2. अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
3. अकीलुर्रहमान, श्री — मुरादाबाद
4. अखिलेख कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
5. अजय तोमर, डॉ0 — बागपत
6. अजय पाल सिंह, कुंवर — रायबरेली
7. अजय यादव, श्री — एटा
8. अजय सिंह, श्री — जालौन
9. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
10. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
11. अनिल कुमार अहिरवार, श्री — महोबा
12. अनिल कुमार, श्री — कन्नौज
13. अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
14. अनिल कुमार सिंह यादव, श्री — एटा
15. अनिल चौधरी, डॉ0 — हाथरस (महामायानगर)
16. अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री — पीलीभीत
17. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
18. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
19. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
20. अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
21. अब्दुल वारिस खाँ, श्री — मुजफ्फरनगर
22. अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां, श्री — फैजाबाद
23. अमरमणि त्रिपाठी, श्री — महराजगंज
24. अमरेश कुमार शुक्ल, श्री — बाराबंकी
25. अमेरिका प्रधान, श्री — गाजीपुर
26. अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
27. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
28. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
29. अरविन्द गिरि, श्री — लखीमपुर खीरी
30. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
31. अरशद खान, श्री — पीलीभीत
32. अरूण कुमार यादव, श्री — आजमगढ़
33. अरूणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
34. अलाउद्दीन, श्री — बलरामपुर
35. अलीम, हाजी श्री — बुलन्दशहर
36. अवध पाल सिंह यादव, श्री — एटा
37. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
38. अवधेश वर्मा, श्री — शाहजहाँपुर
39. अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री — महराजगंज
40. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
41. अशोक कंसल, श्री — मुजफ्फरनगर
42. अशोक कुमार दोहरे, श्री — औरैया
43. अशोक कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
44. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
45. आनन्द कुमार उर्फ कलेकटर पाण्डेय, श्री — इलाहाबाद
46. आर0 ए0 उस्मानी, डा0 — लखीमपुर खीरी

47. आर0 के0 चौधरी, श्री — लखनऊ
48. पंडित आर0 के0 शर्मा, श्री — बरेली
49. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — गोण्डा
50. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
51. आसिफ, श्री — हरदोई
52. इकबाल महमूद, श्री — मुरादाबाद
53. ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री — सिद्धार्थनगर
54. उदयभान करवरिया, श्री — इलाहाबाद
55. उदयराज, श्री — उन्नाव
56. उदयलाल मौर्य, श्री — वाराणसी
57. उमेश पाण्डेय, श्री — मऊ
58. ओम प्रकाश सिंह, श्री — मिर्जापुर
59. ओम प्रकाश सिंह (ओ0 पी0 सिंह), श्री — सुल्तानपुर
60. ओमवती देवी, श्रीमती — बिजनौर
61. कमलेश चन्द्र दिवाकर, श्री — कानपुर देहात
62. काजिम अली खाँ उर्फ नवेद मियां नवाब, श्री — रामपुर
63. कालीचरन राजभर, श्री — गाजीपुर
64. काशीराम, श्री — रामपुर
65. कुबेर सिंह, श्री — एटा
66. कुलदीप सिंह गंगवार, श्री — फर्रूखाबाद
67. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री — उन्नाव
68. कृपा शंकर सिंह, श्री — उन्नाव
69. कृष्ण कुमार, श्री — बहराइच
70. कृष्णाराज, श्रीमती — लखीमपुर खीरी
71. के0 के0 सचान, डा0 — जौनपुर
72. केदारनाथ वर्मा, श्री — बलिया
73. कैलाश साहू, श्री — झांसी
74. कैलाश सिंह राजपूत, श्री — कन्नौज
75. कौकब हमीद खां, श्री — बागपत
76. कौशल किशोर, डा0 — लखीमपुर खीरी
77. गजेन्द्र सिंह, श्री — बुलन्दशहर
78. गिरीश चन्द्र, श्री — मुरादाबाद
79. गुटियारी लाल दुबेश, श्री — आगरा
80. गुरू प्रसाद मौर्य, श्री — इलाहाबाद
81. गुलाम मोहम्मद खान, श्री — बहराइच
82. गेंदा लाल चौधरी, श्री — हाथरस (महामायानगर)
83. घूराराम, श्री — बलिया
84. चन्द्रदेव, श्री — आजमगढ़
85. चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री — सुल्तानपुर
86. चन्द्रभद्र सिंह, श्री — सुल्तानपुर
87. चन्द्रवीर सिंह, श्री — मेरठ
88. चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री — सिद्धार्थनगर
89. छत्रपाल सिंह, श्री — बरेली
90. जगदीश नारायण, श्री — जौनपुर
91. जगदीश सोनकर, श्री — जौनपुर
92. जगन प्रसाद गर्ग, श्री — आगरा
93. जगपाल, श्री — सहारनपुर
94. जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री — महराजगंज
95. जमीरउल्ला, श्री — अलीगढ़
96. जयवीर सिंह, श्री — मैनपुरी
97. जयवीर सिंह, ठाकुर — अलीगढ़
98. जावेद अंसारी, श्री — जौनपुर
99. जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री — चन्दौली
100. जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री — बस्ती
101. जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री — फैजाबाद
102. जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री — आगरा
103. जोखू लाल यादव, श्री — इलाहाबाद
104. ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0 — वाराणसी
105. ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री — फर्रूखाबाद
106. त्रिभुवन दत्त, श्री — अम्बेडरकरनगर
107. दद्दू प्रसाद, श्री — चित्रकूट
108. दयाराम, श्री — कौशाम्बी
109. दाउद अहमद, श्री — हरदोई
110. दिनेश प्रसाद, श्री — चित्रकूट

उत्तर प्रदेश विधान सभा

111. दीनानाथ कुशवाहा, श्री देवरिया
112. दीनानाथ पाण्डेय, श्री वाराणसी
113. दीप नारायण सिंह झाँसी
दीपक यादव, श्री
114. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
115. दूधराम, श्री बस्ती
116. धर्मपाल, श्री गाजियाबाद
117. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
118. धर्मराज निषाद, श्री अम्बेडकरनगर
119. धर्म सिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
120. धर्मी रावत, श्रीमती बाराबंकी
121. धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री बरेली
122. धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री बलरामपुर
123. धीरेन्द्र प्रसाद, श्री शाहजहांपुर
124. धू राम लोधी, चौधरी, श्री हमीरपुर
125. नकुल दूबे, श्री लखनऊ
126. नन्द गोपाल गुप्ता इलाहाबाद
'नन्दी', श्री
127. नरेन्द्र सिंह, श्री सीतापुर
128. नारायण सिंह, श्री आगरा
129. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
130. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहाँपुर
131. पंकज कुमार, श्री मुजफ्फरनगर
132. पी0 के0 राय, डा0 कुशीनगर
133. पुरूषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री बाँदा
134. प्रजा पालन, श्री एटा
135. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
136. श्री प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री बदायूं
137. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
138. प्रमोद सिंह, श्री देवरिया
139. प्रवीण पटेल, श्री इलाहाबाद
140. प्रेमलता कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
141. फतेह बहादुर, श्री महराजगंज
142. फरहत हसन, श्री ज्योतिबाफूले नगर
143. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
144. फरीहा बशीर चौधरी देवरिया
(गजाला लारी), श्रीमती
145. फागू, श्री मऊ
146. बलबीर, श्री मुजफ्फरनगर
147. बलराम सिंह सैनी, श्री मुरादाबाद
148. बादशाह सिंह, श्री हमीरपुर
149. बिरजू राम, श्री जौनपुर
150. बृजेश सौरभ, श्री प्रतापगढ़
151. बैजनाथ दूबे, श्री गोण्डा
152. ब्रम्हा शंकर त्रिपाठी, श्री देवरिया
153. भगवती प्रसाद सागर, श्री झाँसी
154. भगवान दास, श्री सन्तकबीर नगर
155. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
156. भगेलू राम, श्री सुल्तानपुर
157. भीमराव अम्बेडकर, इटावा
एडवोकेट, श्री
158. भोला पासवान, श्री आजमगढ़
159. मंजू, श्रीमती बलिया
160. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
161. मदन भैया, श्री बागपत
162. मधुसूदन शर्मा, श्री आगरा
163. मनोज चौधरी, श्री सहारनपुर
164. ममतेश शाक्य, श्री एटा
165. मंयकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
166. महबूब अली, श्री ज्योतिबा फूलेनगर
167. महिपाल सिंह, श्री सहारनपुर
168. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ सीतापुर
झीन बाबू, श्री
169. महेन्द्र सिंह, श्री अलीगढ़
170. महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री इटावा
171. महेश चन्द गुप्ता, श्री बदायूँ
172. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
173. माधव पासवान, श्री गोरखपुर
174. मिथिलेश कटियार, श्रीमती कानपुर देहात
175. मिथिलेश पाल, श्रीमती मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

176. मीता गौतम, कु0 बाराबंकी
177. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
178. मुरलीधर, श्री फतेहपुर
179. मुस्लिम खाँ, श्री बदायूँ
180. मोहम्मद आजम खाँ, श्री रामपुर
181. मोहम्मद इकबाल, श्री बिजनौर
182. मोहम्मद इरशाद खान, श्री लखनऊ
183. मोहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
184. मोहम्मद जलील खान, श्री गोण्डा
185. मोहम्मद जासमीर अंसारी सीतापुर
186. मोहम्मद ताबीश खां, श्री सन्तकबीरनगर
187. मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
188. यशवन्त सिंह, डा0 मुजफ्फरनगर
189. योगराज सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
190. योगेन्द्रसागर, श्री बदायूँ
191. योगेश वर्मा, श्री मेरठ
192. रंगनाथ मिश्र, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
193. रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0 कानपुर देहात
194. रघुराज प्रताप सिंह, 'राजा भइया', कुं0 प्रतापगढ़
195. रतनलाल अहिरवार, श्री झाँसी
196. रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री कुशीनगर
197. रमेश गौतम, श्री गोण्डा
198. रमेश चन्द्र बिन्द, डा0 मिर्जापुर
199. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
200. रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री सहारनपुर
201. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
202. राकेश धर त्रिपाठी, डा0 इलाहाबाद
203. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
204. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
205. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
206. राजदेव सिंह, श्री जौनपुर
207. राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
208. राजपाल सिंह, श्री गाजियाबाद
209. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
210. राजा राम त्यागी, श्री रायबरेली
211. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
212. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
213. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
214. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
215. राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री गोरखपुर
216. राजेश कुमार, श्री लखीमपुर खीरी
217. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
218. राजेश यादव, श्री शाहजहाँपुर
219. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
220. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
221. राधे लाल रावत, श्री उन्नाव
222. राधे श्याम गुप्ता, श्री फतेहपुर
223. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकर नगर
224. राम कुमार तिवारी, पण्डित ललितपुर
225. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
226. राम प्रकाश कुशवाहा, पी0एच0डी0, डॉ0 कानपुर नगर
227. राम प्रकाश, यादव, श्री फिरोजाबाद
228. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
229. राम प्रसाद जायसवाल, श्री देवरिया
230. राम निरंजन आजाद, श्री गोण्डा
231. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
232. राम शिरोमणि शुक्ल, श्री प्रतापगढ़
233. राम सागर अकेला, श्री श्रावस्ती
234. रामसेवक, श्री सुल्तानपुर
235. राम सेवक सिंह पटेल, श्री बदायूँ
236. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
237. रिजवान अहमद खाँ, श्री ज्योतिबाफूले नगर
238. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत

239. लक्ष्मी नारायण, श्री — मथुरा
240 लखीराम नागर, श्री — मेरठ
241. लाल जी यादव, श्री — सिद्धार्थनगर
242. लाल जी वर्मा, श्री — अम्बेडकरनगर
243. वकार अहमद शाह, डा0 — बहराइच
244. वासुदेव सिंह 'बाबा'', श्री — बुलन्दशहर
245. विजय कुमार, श्री — गाजीपुर
246. विजय कुमार उर्फ विजय यादव, श्री — मुरादाबाद
247. विजय पाल सिंह, श्री — बरेली
248. विद्या चौधरी, श्रीमती — आजमगढ़
249. विद्यासागर गुप्त, श्री — लखनऊ
250 विनोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
251. विनोद चतुर्वेदी, श्री — जालौन
252. विनोद सिंह, श्री — सुल्तानपुर
253. विवेक कुमार सिंह, श्री — बांदा
254. विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री — बांदा
255. विशम्भर सिंह यादव, श्री — बांदा
256. विश्वनाथ, श्री — कुशीनगर
257. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री — बुलन्दशहर
258. बृज सिंह उर्फ बृज कुंवरि, श्रीमती — गोण्डा
259. वेदराम भाटी, श्री — बुलन्दशहर
260 शम्भू चौधरी, श्री — कुशीनगर
261. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री — बरेली
262. शहनवाज, श्री — बिजनौर
263. शारदा प्रसाद, श्री — चन्दौली
264. शाहिद मंजूर, श्री — मेरठ
265. शिव गणेश ''लोधी'', श्री — रायबरेली
266. शिव प्रसाद यादव, श्री — इटावा
267. शिवबालक पासी, श्री — रायबरेली
268. शीशराम, श्री — बिजनौर
269. शेख नसीरुद्दीन सिद्दीकी, श्री — फिरोजाबाद
270. शेरबहादुर, श्री — अम्बेडकरनगर
271. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री — जौनपुर
272. श्याम किशोर शुक्ला, श्री — लखनऊ
273. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री — वाराणसी
274. श्याम लाल, श्री — बलरामपुर
275. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री — मथुरा
276. श्री भगवान पाठक, श्री — बलिया
277. संजय कपूर, श्री — रामपुर
278. संजय कुमार त्रिपाठी, श्री — प्रतापगढ़
279. संजीव दरियाबादी 'बन्टी' श्री — कानपुर नगर
280. संदीप अग्रवाल, श्री — मुरादाबाद
281. संध्या, कुमार, — मैनपुरी
282. सतीश महाना, श्री — कानपुर नगर
283. सत्य नारायण जैसल, श्री — सोनभद्र
284. सत्यपाल सिंह, चौ० — अलीगढ़
285. सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री (कैलाश डेरी वाले) — मेरठ
286. सत्यवीर सिह गुर्जर, श्री — गौतमबुद्धनगर
287. सत्येन्द्र सोलंकी, चौ० — बागपत
288. सदल प्रसाद, श्री — गोरखपुर
289. सनातन पाण्डेय, श्री — बलिया
290. सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री — आजमगढ़
291. सलिल विश्नोई, श्री — कानपुर नगर
292. सिद्धार्थ शंकर, डा० — लखनऊ
293. सिनोद कुमार शाक्य, श्री — बदायूँ
294. सिवगतुल्लाह अंसारी, श्री — गाजीपुर
295. सी०एम० प्रसाद, श्री — सोनभद्र
296. सीमा द्विवेदी, श्रीमती — जौनपुर
297. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री — फतेहपुर
298. सुखदेव राजभर, श्री — आजमगढ़
299. सुधीर कुमार श्री — उन्नाव
300. सुन्दर लाल लोधी, श्री — उन्नाव
301. सुन्दर सिंह, श्री — बुलन्दशहर
302. सुभाष, श्री — बलिया
303. सुमन देवी कुशवाहा, श्रीमती — ललितपुर

304. सुभाष पाण्डेय, श्री — जौनपुर
305. सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री — आजमगढ़
306. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री — वाराणसी
307. सुरेश कुमार खन्ना, श्री — शाहजहांपुर
308. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री — लखनऊ
309. सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री — लखनऊ
310. सुरेश तिवारी, श्री — देवरिया
311. सुरेश्वर सिंह, श्री — बहराइच
312. सुल्तान बेग, श्री — बरेली
313. सुशील कुमार, श्री — चन्दौली
314. सूरजपाल ठाकुर, श्री — आगरा
315. सूरज सिंह शाक्य, श्री — एटा
316. सूर्यभान, श्री — मिर्जापुर
317. सैय्यदा शादाब फातिमा श्रीमती, — गाजीपुर
318. सोबरन सिंह, श्री — मैनपुरी
319. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री — कुशीनगर
320. हरगोविन्द भार्गव, डा० — सीतापुर
321. हरपाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
322. हुकुम सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
323. होराम सिंह, श्री — गौतमबुद्धनगर

नोट :– लोक निर्माण, सिंचाई, आबकारी, आवास तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी) एवं भूतत्व एवं खनिकर्म, सहकारिता तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा उनके निजी प्रकरण को सर्वप्रथम सुने जाने का अनुरोध

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, एक निजी विषय आपके संज्ञान में दिया है। कृपया उसको सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, सुन लिया जायेगा।

प्रश्नोत्तर

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न)

प्रदेश में ठण्ड से मृत्यु तथा आपदा राहत निधि की मांग

*1–श्री मदन चौहान–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि क्या सम्प्रति कड़ाके की ठण्ड से गरीब व असहाय लोगों की मृत्यु हो रही है? यदि हां, तो प्रदेश में अब तक कितने व्यक्तियों की ठण्ड से मृत्यु हुई है? सरकार द्वारा इनके परिजनों को सहायता राशि देने हेतु क्या नीति बनाई गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री फागू चौहान)–

जी हां।

प्रदेश में अब तक ठण्ड से 01 व्यक्ति की मृत्यु हुई है।

ओलावृष्टि के पूरक यथा अत्यधिक ठण्ड एवं शीत लहरी से मृत व्यक्ति के आश्रितों/परिवार को आपदा राहत निधि से एक लाख रुपये देने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मदन चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न था कि क्या कड़ाके की ठंड से गरीब, असहाय लोगों की मृत्यु हुई है? उसका उत्तर आया कि जी हाँ, और दूसरे प्रश्न के जवाब में बताया कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। मान्यवर, बड़ा हास्यास्पद जवाब है। जहाँ इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग ठंड से मरे है। ठंड से वह आदमी मरता है, वह जो गरीब हो, असहाय हो, जिसके पास कपड़ा न हो, रोटी न हों मंत्री जी का जवाब आया कि एक आदमी की पूरी सीजन में ठंड से मृत्यु हुई है, वास्तव में मा0 मंत्री जी को जानकारी नहीं मिली या जानबूझकर अनदेखी कर रहे है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, राष्ट्रीय सहारा की एक खबर है कि मरने वालों की संख्या 621 पहुंची। एक पेपर की कंटिग है। इसी तरह से अन्य तमाम समाचार–पत्रों में बहुत कुछ आया कि हजारो लोग ठंड से मर गये, जो मरे वह गरीब थे, कमजोर थे, उनके परिवारीजनों का 1 लाख रुपये की धनराशि दी गयी। पहले तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह जानकारी तथ्यों पर आधारित है? अगर इसकी पुष्टि करना चाहें तो बता दें और दूसरा यह कि क्या गरीब, कमजोर की यही कीमत है कि उसको 1 लाख रुपये मिलेंगे?

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करिये। आप स्वयं ही प्रश्न और उत्तर बना रहे है।

श्री मदन चौहान–

क्या सरकार इस राशि को 5 लाख रुपये और उनके परिजनों को रोजगार देने का काम करेगी?

श्री फागू चौहान–

मान्यवर, सी0आर0एफ0 गाइड लाइन के अनुसार 1 लाख रुपये अनुमन्य है वह दिया जायेगा, इससे ज्यादा अनुमन्य नहीं है।

डा0 पी0 के0 राय–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मात्र इतनी जानकारी मा0 मंत्री जी से चाहता हूं कि प्रायः यहां पर कड़ाके की ठंड से, भूख से, लू से मरने की बातें आया करती है और जब आप इधर रहते हैं तो सवाल उठाते हैं, कि भूख से इतने मर गये, ठंड से इतने मर गये लेकिन जब उधर बैठते है तो कहते है की इस वजह से कोई नही मरता है आपने ठंड से 1 व्यक्ति की मृत्यु होना स्वीकार किया है बाकी अस्वीकार किया है। क्या कृपया यह बतायंगे कि इसकी जानकारी कैसे हो सकेगी कि अमुक व्यक्ति की मौत ठंड की वजह से हुई है या किसी अन्य वजह से हुई है? इसका कोई मानक या आधार आपने बनाया है, यह कृपया सदन को अवगत करा दें।

श्री फागू चौहान–

मान्यवर, जब किसी व्यक्ति की की ठंड से मरने की सूचना मिलती है और उसका क्लेम किया जाता है तो उसका पोस्टमार्टम होता है, डाक्टर साबित करता है कि यह आदमी ठंड से मरा है तभी उसे 1 लाख रुपये अनुमन्य होता है।

डा0 पी0 के0 राय–

मान्यवर, डाक्टर होने के नाते मैं जानता हूं कि सामान्यतः पोस्टमार्टम से पता लगता है। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि उसमें शब्द यह है कि असहाय, गरीब व्यक्ति जो ठंड की वजह से मर गया, उसके पोस्टमार्टम कराने के लिए कि उसकी मौत ठंड से हुई है या नहीं हुई है, कौन से ऐसे आपने मानक निर्धारित किये है कि आपका प्रशासनिक अमला, जिसका कोई नहीं है उसका पोस्टमार्टम कराने का निर्णय लेगा या नहीं लेगा, इसके लिए कोई दिशा–निर्देश या गाइड लाइन बनायी गयी है या नहीं? मरने वाला कैसे क्लेम करेगा?

(कई सदस्यों द्वारा अनुपूरक पूछने के लिए हाथ उठाने पर)

श्री अध्यक्ष–

इतने लोग हाथ उठा रहे हैं जैसे एक ही प्रश्न होना है। 25 लोग हाथ उठा चुके है।

श्री फागू चौहान–

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि प्रश्न जरा फिर से दोहरा दें।

डा0 पी0 के0 राय–

मेरा प्रश्न यह है कि गरीब और असहाय लोगों की कड़ाके की ठंड से मृत्यु हुई है ? आपने स्वीकार किया कि एक मौत ठंड से हुई है और बाकी जितनी मौतों के बारे में भी यह समाचार आये है या जानकारियां जिस भी माध्यम से हासिल हुई है उसके बारे में आपने कहा कि ये मौतें ठंड की वजह से नहीं हुई हैं मेरा प्रश्न पहला यह था कि ठंड से मौत का निर्धारण करने के लिए क्या मानक निर्धारित किये गये है और क्या आपने रास्ते अख्तियार किये हैं, नियम बनाये हैं ?

श्री अध्यक्ष–

उसका तो उत्तर आ गया।

डा0 पी0 के0 राय–

उसका उतर आया कि पोस्टमार्टम जिसका होगा उसके माध्यम से पता चलेगा कि उसकी मौत ठंड से हुई है या नहीं?.....

लेकिन ऐसा व्यक्ति जो गरीब है, कमजोर है, असहाय है जिसका कोई क्लेम करने वाला नहीं है पोस्टमार्टम होना चाहिए यह कहने वाला कोई नहीं है ऐसा व्यक्ति सड़क के किनारे रेलवे स्टेशन पर बस स्टेशन पर अगर ठंड से मर जाता है तो क्या वैसी स्थिति में प्रशासनिक अमले को जिम्मेदारी सौंपी गई है यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी मौत ठंड से हुई है या नहीं उसका पोस्टमार्टम रूटीन में करवाया जाय, या जांच किसी चिकित्सक से कराई जाय ऐसा कोई विभागीय नीति या निर्देश है?

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी सदस्य का कहना है कि जिसकी मौत की कोई सूचना देने वाला नहीं है ऐसी स्थिति में क्या प्रशासन को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह ऐसे लोगों का पोस्टमार्टम कराए या कुछ प्रक्रिया अख्तियार करे ऐसी कोई व्यवस्था है?

श्री फागू चौहान–

मान्यवर, समाचार पत्रों, मीडिया या सरकारी अमले के द्वारा मौत का पता लगता है तो उस स्थिति में जांच की कार्यवाही की जाती है और उसके अनुसार कार्यवाही की जाती है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं, मैं मंत्री जी का भी आभारी हूं मंत्री जी ने कहा कि समाचार पत्रों या अधिकारियों द्वारा सूचित होने पर जांच कराते हैं। यहीं से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। गोरखपुर में 321 मौतों की खबर अखबारों में छपी थी मैंने उनको सूचीबद्ध किया उनके नाम गांव व पता सब कुछ लिखा और 15 पेज की सूची बनाकर 27 जनवरी को मैंने वह सूची मंत्री जी को उपलब्ध करा दी जिसकी डिस्पैच संख्या 464 है। क्या इन 321 मौतों की मंत्री जी जांच करवाकर सुनिश्चित करेंगे कि यह मौंते किन कारण से हुई है। दूसरे क्या मंत्री जी यह जांच करवाएंगे कि शासन ने जो धन भेजा था उस पैसा का क्या हुआ क्योंकि कहीं भी अलाव नहीं जला पैसा लोग खा गए तो क्या मंत्री जी व्यय की पूरी जांच करवाएंगे ?

श्री फागू चौहान–

जहाँ शिकायत मिलेगी वहाँ जांच करा ली जाएगी।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मैंने मंत्री जी को लिखित रूप से 27 तारीख को दिया है इसी सदन में इस पर बहस भी हुई है उसके बावजूद कहना कि शिकायत मिलेगी तो जांच करा ली जाएगी। तो शिकायत मिल चुकी है 27 तारीख को मिल चुकी है।

श्री फागू चौहान–

उसकी मैं जांच करवा रहा हूं। जांच हो रही है। जांच हो जाएगी।

श्री अवधेश प्रसाद–

प्रत्येक साल ठंड होती है, प्रत्येक साल वर्षा होती है, प्रत्येक साल गर्मी होती है। श्रीमन्, आप स्वंय अखबारों में पढ़ते होंगे और चिन्ता भी करते होंगे कि प्रत्येक साल इस प्रदेश में हजारों लोग ठंड से मर जाते है। ठंड से मरने वाले लोग समाज के कमजोर, गरीब और दलित लोग ही ज्यादातर होते है।

श्री अध्यक्ष–

अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्री अवधेश प्रसाद–

मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने अभी बताया कि हम उसी का संज्ञान लेते हैं जिसमें पोस्टमार्टम हुआ हो तो इस साल ठंड से मरने वाले लोगों में कितने लोगों का पोस्टमार्टम कराया गया है। जहां तक मेरी जानकारी है कि ठंड से मरने वालों का कोई पोस्टमार्टम नहीं कराता है। पोस्टमार्टम तब कराता है जब लड़ाई झगड़ा हुआ हो। मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से कि यह जो पोस्टमार्टम कराने का नजरिया है यह बिल्कुल गलत है।

पोस्टर्माटम तो उसी दिन हो गया उसके परिवार का जिस दिन वह ठंड से मर गया। यह नजरिया बदलकर आज सरकार घोषणा करे कि हम ठंड से मरने वालों के लिये यह व्यवस्था करेंगे और श्रीमन् इस वर्ष तो इस तरह की कड़ाके की ठंड पड़ी लेकिन उसके बाद भी कहीं पर कम्बल नहीं दिया गया, अलाव जलाने का काम नहीं किया गया। और यह लीपा–पोती करने का काम कर रहे है। कलेक्टर तो अपने को छिपाने के लिये संज्ञान में सूचना नहीं देते है।

श्री अध्यक्ष–

अनुपूरक करिये, इस तरह से भाषण देंगे तो उसमें कोई अनुपूरक नहीं बनता है।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, भाषण ही सब कुछ है।

श्री अध्यक्ष–

नहीं नहीं भाषण कुछ नहीं है। अनुपूरक करिये। आप जानना क्या चाहते है ?

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, हम यह जानना चाहते हैं कि क्या यह जो आधार बनाया है पोस्टमार्टम का, यह आधार न बना करके अखबारों में जो छपता है उसके आधार पर या जन प्रतिनिधियों की सूचना के आधार पर या उनके द्वारा दिये गये पत्र के आधार पर उसको संज्ञान में ले करके यह सरकार कोई कार्यवाही करेगी? और जो लोग मर चुके हैं उनके परिवार को मुआवजा देने या क्षतिपूर्ति देने की कार्यवाही यह सरकार करेगी कि नहीं? और अब तक कितने पोस्टमार्टम कराये हैं?

श्री अध्यक्ष–

माननीय अवधेश प्रसाद जी, अभी एक उत्तर आया कि एक मरे हैं एक का पोस्टमार्टम कराया है। यह तो स्पष्ट हो गया। (श्री भोला पासवान के बोलने के लिये खड़े होने पर) आप किस लिये खड़े हो गये, मैने तो बुलाया नहीं।

श्री भोला पासवान–

मान्यवर, आज ही की एक घटना है।

श्री अध्यक्ष–

आज की घटना, आज कहां ठंड पड़ रही है। आप बैठिये। माननीय मंत्री जी अवधेश जी यह जानना चाहते हैं कि क्या इस तरह का पोस्टमार्टम का जो सिस्टम बना है कि कोई कम्प्लेंट करेगा या ले जायेगा तब करेंगे। क्या किसी की सूचना पर पोस्टमार्टम कराये जाने की व्यवस्था पर विचार करेंगे ?

श्री फागू चौहान–

मान्यवर, अभी इन्होंने दो बात कही कि कम्बल और अलाव मैं कहना चाहता हूँ कि अलाव जलाये गये। अबकी बार अत्यधिक सर्दी होने के कारण बहिन कुमारी मायावती जी के आदेशानुसार जहां गत वर्ष 6 करोड़ 45 लाख रुपये अलाव जलाने के लिये और कम्बल खरीदने के लिये दिया गया था। इस साल वित्तीय वर्ष 2009–2010 में 16 करोड़ 26 लाख रुपये दिया गया है जो कि पिछले साल से 9 करोड़ 82 लाख रुपया अधिक था।

श्री अध्यक्ष–

चलिये, अवधेश प्रसाद जी का उत्तर आ गया। उस्मानी साहब कहिये।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मंत्री जी लीपा पोती कर रहे है। बड़ा भ्रष्टाचार हुआ हैं कम्बल नहीं बंटा है, अलाव नहीं जला है। इससे ज्यादा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है? माननीय मंत्री जी से गलत बयानी के कारण मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता हूं।

(अवधेश प्रसाद ने अपने दल के अधिकांश सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

श्री अध्यक्ष–

मदन चौहान जी, आप अनुपूरक करिये।

श्री मदन चौहान--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहता हूं कि यह जो एक आदमी को बता रहे है कि ठंड से मृत्यु हुई है तो मान्यवर, वह कहां का निवासी था, क्या उसका पोस्टमार्टम किया गया, उसको जो राहत राशि दी गई वह चेक से दी गई या कैश दी गई? उसके नाम पते की जानकारी होगी, बता दें।

श्री फागू चौहान--

मान्यवर, मेरे पास जिलाधिकारी की रिपोर्ट है। वह सुल्तानपुर का रहने वाला था। 10 तारीख को उसकी मृत्यु हुई और 11 तारीख को चेक दे दिया गया। मेरे पास जिलाधिकारी की रिपोर्ट है, कहिये तो मैं पढ़कर सुना दूं।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के गांवों/शहरों में तालाबों से अवैध कब्जे हटाये जाने की नीति

*1--श्री विशम्भर प्रसाद निषाद--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के गांवों/शहरों में तालाबों पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कोई नई नीति बनायी है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान--

उच्चतम न्यायालय द्वारा हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी में पारित आदेश दिनांक 25-7-2001 के अनुपालन में प्रदेश में स्थित सार्वजनिक तालाबों से अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-3135/1-2-01-राज0-2 दिनांक 08-10-2001 तथा शासनादेश संख्या 996/1-2-2003 दिनांक 02-7-2003 निर्गत कर तालाबों से अवैध कब्जे हटाये जाने हेतु समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश भेजे गये हैं। शासनादेश संख्या 467/1-2-2007-रा0-2 दिनांक 03-2007 द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तालावों के रख-रखाव के लिये एक जनपद स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है जो तालाबों, पोखरों, झीलों आदि के संबंध में किये जा रहे समस्त कार्यों का अनुश्रवण करती है।

उक्त के अतिरिक्त तालाबों पर हुये अतिक्रमण को हटाये जाने की समीक्षा हेतु शासनादेश संख्या-1622/1-2-2007-रा-2 दिनांक 31-10-2007 द्वारा एक समिति का निम्नवत् गठन किया गया है :-

1-अध्यक्ष, राजस्व परिषद-अध्यक्ष

2-प्रमुख सचिव, राजस्व-सदस्य

3-प्रमुख सचिव, पर्यावरण-सदस्य

प्रश्न नहीं उठता।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद--

मान्यवर, मेरा सीधा-साधा प्रश्न था--क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के गांवों/शहरों में तालाबों पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कोई

नई नीति बनाई है? मान्यवर, इन्होंने न तो 'हाँ' में उत्तर दिया और न ही 'ना' में उत्तर दिया। सुप्रीम कोर्ट का, एक न्यायालय का मामला है उसका हवाला दे दिया। दूसरी बात मान्यवर, एक शासनादेश जारी किया गया, उसको माननीय मंत्री जी ने बता दिया लेकिन हम लोगों को जो उत्तर मिला है, दूसरे पैरा में आपके पास भी उत्तर होगा देख लें कि शासनादेश संख्या 467/1-2-2007-रा0-2, दिनांक , इसके बाद दिनांक गायब कर दिया गया बिना दिनांक के शासनादेश जारी कर दिया गया ऐसा उत्तर अधिकारियों द्वारा दे दिया जाता है, माननीय मंत्री जी दस्तखत कर देते है और यहां छप जाता है एक तो इसमें सुधार करना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने तो अपने उत्तर को पढ़ लिया, हम जानना चाहते है कि सरकार ने क्या नई नीति बनाई है दूसरी बात मान्यवर, नगरों महानगरों चाहे आपका लखनऊ हो, चाहे नोएडा हो, चाहे गाजियाबाद हो, हमने फतेहपुर और बांदा के सवाल पिछली बार लगाए थे, तमाम महानगरों में तालाबों का अतिक्रमण हो रहा है, जलवायु पर प्रभाव पड़ रहा है...

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न पूछिए।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

प्रश्न पूछ रहे है मान्यवर, प्रदेश में वित्तीय वर्ष में तालाबों के अतिक्रमण के कितने मामले सामने आए है उसमें क्या कार्यवाही हुई है कितने मामलों में अतिक्रमण हटाया गया, कितने मामले न्यायालय में विचाराधीन है ?

श्री फागू चौहान–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में 9 लाख 15 हजार 403 तालाब, पोखरे दर्ज है। जिनमें से अवैध कब्जे एक लाख 42 हजार 263 थे जिनका क्षेत्रफल 20 हजार 76 हेक्टेयर है। तालाब और पोखरों की संख्या जो अवैध हटाए गए है उनकी संख्या 70 हजार 823 है जिसका क्षेत्रफल 16 हजार 176 हेक्टेयर है। तालाब पोखरों जिन पर अवैध कब्जे नहीं हटाए गए हैं वह संख्या 71 हजार 440 है जिनका क्षेत्रफल 7 हजार 900 हेक्टेयर है।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

माननीय मंत्री जी ने क्षेत्रफल बता दिया। यह बता दिया कि इतनी संख्या है वह बता दी। उसमें क्या कार्यवाही की गई कितने मामले न्यायालय में लम्बित है और कब तक निस्तारित कर दिए जाएंगे। इसके बारे में सूचना नहीं बताये।

श्री अध्यक्ष–

निषाद जी, मंत्री जी ने संख्या बता दी। इतने लोगों को बेदखल कर दिया गया इतने पर कार्यवाही चल रही है। अब न्यायालय में कितने-कितने मुकदमें कहां है अब इसकी सूचना आप चाह रहे है ? पूरे प्रदेश की सूचना मांग रहे है। मंत्री जी ने बता दिया, स्पेस्फिक बता दिया कि इतने तालाब है इतने पर अतिक्रमण है, इतने अतिक्रमण हटा दिये, इतने अतिक्रमण लम्बित पड़े है, प्रक्रिया जारी है इतना तो बता दिया, अब बस हो गया।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

दूसरा प्रश्न एक और पूछ ले, इन्होंने एक समिति का गठन किया है उसमें अध्यक्ष, राजस्व परिषद है प्रमुख सचिव, राजस्व सदस्य है, प्रमुख सचिव पर्यावरण सदस्य है, जब से ये समिति गठित हुई है 31-10-2007 से कितनी समिति की बैठकें हुई है .....

हम पूछ रहे है, पूरा नहीं पूछ रहे है।

श्री अध्यक्ष–

यह उसी समीक्षा की रिपोर्ट बतायें है कि इतने तालाब है, यह उसी समिति की समीक्षा की रिपोर्ट है, अलग से कोई नहीं दे रहे है।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मायन्वर, इन्होने शुरू से बता दिया, हम केवल 31.10.2007 से चाह रहे है ।

श्री अध्यक्ष–

यह तो और अच्छी बात है, और आगे बढ़ के बता दिया ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, कितनी समिति की बैठकें हुई है, यह बता दें ?

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी, समिति की बैठकों का अगर संज्ञान हो तो वह बता दें। यह जो कमेटी गठित हुई है, जिसके अध्यक्ष, राजस्व परिषद के अध्यक्ष हैं।

श्री फागू चौहान–

मान्यवर, उसकी बैठकें दि0 11.02.2008, दि0 26.05.2008 और अभी लेटेस्ट जो बैठक हुई है, वह दि0 11.01.2010 को हुई है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय प्रश्न गांवों के साथ–साथ शहरों का विषय भी हैं क्योंकि मैं बिल्कुल शहरी क्षेत्र से निर्वाचित होकर आता हूँ इसलिए मै एक अनुपूरक आपके माध्यम से करना चाहता हूँ । मान्यवर, वाराणसी एक पौराणिक और धार्मिक नगरी है, वहाँ बहुत से तालाब, पोखरे, कुण्ड आदि विभिन्न समय पर निर्माण किए गए और कालान्तर में उन पर अवैध कब्जा, उनको पाट करके बेचने आदि का कारोबार किया जा रहा है तो मैं आपके माध्यम से यह आश्वासन चाहता हूँ कि क्या मा0 मंत्री जी वाराणसी के जो पौराणिक, धार्मिक तालाब, कुण्ड आदि है, जिनका अपना महत्व है जिन पर माफियाओं ने या अवैध कारोबारियों ने कब्जा कर लिया है, प्लाटिंग करके बेचने का काम कर रहे हैं क्या उनको आपकी नीति और सुप्रीम कोर्ट और मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए अवैध कब्जे से मुक्त कराने हेतु आप प्रशासन को निर्देश देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी, जो सार्वजनिक पोखर हैं, जो सरकार की सम्पत्ति है, उस पर अगर कहीं अवैध कब्जे हुए हैं जो आपके संज्ञान में अगर लायेंगे तो उनको हटवाने का काम करेंगे?

श्री फागू चौहान–

मान्वर, इसके लिए कार्यवाही करायेंगे।

श्री सतीश महाना –

मान्यवर मै आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानकारी करना चाहता हूँ कि यह जो अवैध कब्जे लोगों ने किए हैं, मेरा विनम्र निवेदन है , मान्यवर जो शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत आदरणीय श्यामदेव राय चौधरी जी ने पूछा , इसमें शहरी क्षेत्र के जो तालाब थे, मा0 मंत्री जी, चूँकि शहरी क्षेत्र में जिसको जी0एस0 लैण्ड कहते हैं क्योकि तालाब अधिकांशत: ग्राम समाज की भूमि के ऊपर होते हैं, जो प्राधिकरणों में चले गए और विकास प्राधिकरण उसका मालिक हो गया तो अवैध कब्जों के बारें में जो मा0 श्यामदेव राय चौधरी जी ने पूछा, यह एक विषय है, लेकिन विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में जो तालाब आ गए, विकास प्राधिकरण क्या उन तालाबों को मेन्टेन कर रहे हैं और कहीं ऐसा तो नही है कि अवैध कब्जों को वैध बनाकर उन तालाबों को ढककर उन पर कालोनी बनाकर बेच रहे हों, यह दो बातें मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

यह कहाँ से है, विकास प्राधिकरण क्या कर रहा है

श्री सतीश महाना –

मान्यवर यह नीतिगत प्रश्न है ।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, अलग से प्रश्न लगाकर पूछ लेगें और उसका उत्तर दे दिया जायेगा।

*2-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

[दिनांक 10-2-2010 के तारांकित प्रश्न संख्या-8 द्वारा उत्तरित।]

रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की मांग

*3–श्री मदन चौहान–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में रबी की फसल हेतु डी०ए०पी० उर्वरक की किल्लत को दूर कर कृषकों को पर्याप्त मात्रा में डी०ए०पी० खाद उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने कौन–कौन से कदम उठाये हैं? यदि नहीं तो क्यों ?

कृषि मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण)–

रसायनिक उर्वरकों की उपलब्धता हेतु प्रदेश शासन पूरी तरह भारत सरकार पर आश्रित रहती है। प्रदेश शासन निरन्तर भारत सरकार से सम्पर्क में रहकर एवं पत्रों तथा व्यक्तिगत सम्पर्क के माध्यम से अनुश्रवण करते हुये यथा संभव रसायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का प्रयास किया। प्रमुख सचिव , कृषि, कृषि उत्पादन आयुक्त, मुख्य सचिव के अतिरिक्त मेरे द्वारा भी भारत सरकार से अनुरोध किया गया । उपरोक्त के अतिरिक्त मा० मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी मा० प्रधान मंत्री जी से रसायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रदेश सरकार द्वारा उर्वरक वितरण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कर कृषकों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराये जाने को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारियों के नेतृत्व में प्रदेश के उर्वरक प्रतिष्ठानों पर नवम्बर, 2009 तथा जनवरी , 2010 में गोपनीय छापे डाले गये। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन के स्तंर से भी दिनांक 10 से 17 नवम्बर, 2009 तक प्रदेश के समस्त जनपदों में मुख्यालय से वरिष्ठ अधिकारियों को भेज कर उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण की जांच करायी गयी।

कृषकों को ससमय उर्वरकों की उपलब्धता हेतु प्रदेश शासन द्वारा फास्फेटिक उर्वरकों की प्री–पोजिशनिंग विगत वर्षो से नोडल एजेन्सी पी०सी०एफ०के माध्यम से की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मदन चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने प्रदेश में रवी की फसल हेतु डी०ए०पी० उर्वरक की किल्लत को दूर करने के लिए जो उत्तर दिया है उसमें यह माना गया है कि वास्तव में वितरण व्यवस्था मे बहुत बड़ी धांधली हुयी तभी उस धांधली को देखते हुए दो टीम गठित की गयी, जिलाधिकारी के नेतृत्व में और दूसरी कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन के नेतृत्व में । मान्यवर, मैं यह चाहूँगा कि जहाँ भारत सरकार दो हजार रूपये की सब्सिडी दे रही है और वहीं डी०ए०पी० 471 का मिलना चाहिए लेकिन वह बाजार में बहुत हाई रेट का मिलता है । सरकारी व्यवस्था पर नहीं मिल पाता है। तो मान्यवर, इन दोनो टीमों ने जब छापे मारे तो कुछ लोग पकड़े गये होंगे तो मैं जानना चाहता हूँ कि सहकारी समितियों पर जो छापे पड़े उनमें कितने लोग पकड़े गये , कितनों के विरूद्ध कार्रवाई हुयी और कितने गिरफ्तार हुए। उसी तरह से निजी क्षेत्र में जो वितरण व्यवस्था थी उसमें कितने छापे लगे, कितने पकड़े गये, कितनों के विरूद्ध कार्रवाई हुयी और कितने गिरफ्तार हुए। यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

माननीय अध्यक्ष जी, कुल छापे पड़े 41 हजार 147, जिसमें उर्वरक विक्रय प्रमाण–पत्र निरस्त हुए 489, एफ०आई०आर० हुयीं 162, जेल भेजे गये 110, जहाँ तक माननीय सदस्य ने पूछा है कि सहकारिता क्षेत्र में कितने, सहकारिता क्षेत्र में 19 जिलों में महामाया नगर, कांशीराम नगर, इलाहाबाद, फर्रूखाबाद, महाराजगंज, श्रावस्ती, हमीरपुर, बरेली, जौनपुर, मुजफ्फरनगर, एटा,मैनपुरी, प्रतापगढ़, गोरखपुर, जालौन, चित्रकूट, हमीरपुर, बदायूँ, मऊ। 19 जिलों में सहकारिता में गड़बड़ी मिली, जिसकी सारी रिपोर्ट कृषि विभाग के द्वारा सहकारिता विभाग को भेज दी गयी है। उन पर कार्यवाही हो रही है ।

श्री मदन चौहान–

मान्यवर, पूरा जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष–

पूरा जवाब तो दे दिया है, कितने छापे पड़े उसका ब्रेकअप भी उन्होने दे दिया है ।

चौधरी सत्येंद्र सोलंकी–

आप मूल प्रश्नकर्ता है, बाद में आपको अभी अवसर मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी , मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, चौहान साहब की तो छापों की समस्या है, खाद कम मिल रही है। हमारे यहां जनपद मेरठ और बागपत में खाद तो मिल रही है लेकिन कम मिल रही है। तो मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि जनपद मेरठ और बागपत के किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको खाद दिलाने का काम करेंगे ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

जितना वहां का लक्ष्य था उतनी खाद भेजी गयी है अगर वहां कमी है तो आज ही दिखवा लिया जाएगा तत्काल खाद भिजवा दी जाएगी ।

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि नेपाल की सीमा पर पड़ने वाले जनपद सिद्धार्थ नगर , महाराजगंज, श्रावस्ती में 10 किमी० के अंदर तक किसानों को खाद नही मिलती है। उन्हें थानाध्यक्षों के माध्यम से मिलता है और यह कहते हैं कि जो किसान ले जाते हैं । वह नेपाल ले जाते हैं। तो मै माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि उन लाखों किसानों को खाद की सुविधा दिलाने के लिए क्या व्यवस्था है ? और दूसरा यह कि जब नेपाल के बार्डर पर एस०एस०बी० और पुलिस लगी हुयी है तो उन किसानों को खाद ले जाने से क्यों रोका जाता है? सीमा के पार कोई ले जाये तो रोका जाये। इसके लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

माननीय अध्यक्ष जी , एक तरफ तो माननीय सदस्य कहते हैं कि वहां खाद के स्टोर खोले जायें , दूसरी तरफ माननीय ओझा जी कहते कि वहां ब्लैक होती हैं इसलिए जो खुले है 10 किमी० के बीच में, जहां रोक लगी हुयी है वह भी बंद कर दिये जायें तो पहले यही माननीय सदस्य और उन जिलों के लोग तय कर लें, ये जैसा कहेंगे, हम बैठ के फैसला कर लेंगे।

(जनार्दन प्रसाद ओझा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

ओझा जी, हमने आपका नाम अनुपूरक के लिये नहीं लिया था । वैसे क्या मसला है बतायें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, यह सर्वविदित तथ्य है कि बड़े पैमाने पर खाद की तस्करी हो रही है, लेकिन शुक्ला जी ने जो कहा है, वह एक बोरा किसानों की बात कही है, जो उसी सीमा क्षेत्र में रहते हैं, हमारे देश मे रहते हैं अपने गांव से, इस गांव से उस गांव में ले जाने में पुलिस हस्तक्षेप कर रही है। तस्करी की बात मैने कही वह बिल्कुल सही है, आज भी मै उस पर कायम हूँ। आपकी सरकार उस बड़े पैमाने पर हो रही खाद की तस्करी को रोकने में विफल

रही है , ट्रक का ट्रक ही नहीं वैगन का वैगन इधर से उधर चले जा रहे हैं । अभी 2000 बोरा तो आपने पकड़वाया है, इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि किसानों का अहित न हो, जो इस देश और प्रदेश के रहने वाले किसान हैं, उनका अहित न हो और तस्करी पर अंकुश लगाया जाये, ये मेरा आशय है ।

श्री अध्यक्ष–

सुझाव आपका सही है।

(श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला के बीच में खड़े होने पर)

डा०पी०के०राय–

मेरा नाम बुला लिया है।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, उत्तर तो आ गया है शुक्ला जी अब क्या चाहते हैं? माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है कि इस तरह का कहीं कोई व्यवधान नहीं होगा, जहां आप अपने सीमा गांव के अन्दर कर रहे हैं।

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला–

मान्यवर हम स्टोर खोलने के लिये तो नहीं कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि उन किसानों को खाद नहीं मिली है, आज भी कह रहें है कि खाद नहीं मिली है, हम स्टोर खोलने के लिये तो नही कह रहे हैं, उन किसानों को खाद कैसे मिलेगी, बस ?

डा० पी०के० राय–

माननीय अध्यक्ष जी , मै आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ हालांकि यह बात सही है कि डी०ए०पी० के लिये आपको भारत सरकार पर आश्रित रहना पड़ता है और डी0ए0पी0 इम्पोर्ट होकर आती है। लेकिन मांग और अंतर, मांग और उपलब्धता, भारत सरकार से आपकी जो मांग है और जो उपलब्धता है, उसमें कितने का अंतर है, यह एक पहला प्रश्न है और दूसरा मान्यवर, यह है कि जो हम लोग बिहार या नेपाल से सीमावर्ती इलाकों से आते हैं, उन लोगों की चिन्ता जरूर है। एक तरफ आपका कहना सही है मान्यवर, माननीय मंत्री जी कि एक बोरा और आधा बोरा ले जाने वाले किसान ऐसे हैं और सीमायें भी ऐसी लगी हुयी है कि आवश्यकता भी है। लेकिन उसकी आड़ में जो बड़े तस्करी कर रहे हैं और खाद को ले जा रहे हैं और आपके प्रदेश के किसानों को खाद भेजने के बाद भी गुणवत्तापरक खाद उचित मूल्य पर नहीं मिल रही है। तो क्या उन इलाकों के लिये कोई विशेष कार्ययोजना आपके विभाग के द्वारा बनायी जायेगी, जिससे कि आपके उत्तर प्रदेश के किसानों को, जिनके लिये आप खाद भेज रहे हैं, उनको खाद मिल सके और हकीकत में जो तस्कर हैं, उनकी तस्करी पर रोक लग सके। यह मैं जानना चाहता हूँ ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

माननीय अध्यक्ष जी, मैने जैसा आपके माध्यम से अनुरोध किया था कि समय-समय पर छापे डाले जाते हैं, मैं पहले भी माननीय सदन में बता चुका हूं कि हमारे उच्चाधिकारियों के द्वारा वहां के जो सीमावर्ती इलाके है, वहां के कमिश्नर, वहां के जिलाधिकारी, वहां के

एस0एस0पी0 और डी0आई0जी0 इन सबके साथ मीटिंग करके उस पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिये कई बार विचार–विमर्श कर चुके हैं। यदि ऐसी कोई स्पेसिफिक जगह हों 1, 2, 3 तो उनके बारे में आप बता दें, निश्चित रूप से उस पर पूर्णरूपेण रोक लगाने का काम किया जायेगा।

डॉ0 पी0 के0 राय–

तमकुहीराज तहसील, कृपया नोट कर लें। काफी लंबा इसका एरिया बिहार से लगा हुआ है, इसको कृपया दिखवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

तमकुहीराज तहसील नोट कर लें।

श्री दीपनारायण सिंह दीपक यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक छोटा सा सवाल जानना चाहता हूँ कि अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट में डी0ए0पी0 की कीमत बढ़ी है, जिसके कारण देश की तमाम संस्थाओं ने डी0ए0पी0 खरीदना बन्द कर दिया है। कृभको एक बहुत बड़ी संस्था है, जो अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट से डी0ए0पी0 खरीद कर के देश में सप्लाई किया करती थी। इधर विगत कुछ वर्षों में, उस संस्था ने डी0ए0पी0 की अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत बढ़ने के कारण खाद खरीदना बन्द कर दिया है, जिसके कारण पूरे देश में डी0ए0पी0 की कमी है। मान्यवर, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार जो सब्सिडी और कीमत के बीच में अन्तर है, उत्तर प्रदेश के किसानों को खाद उपलब्ध कराने के लिये, क्या सीधे अपनी को–आपरेटिव संस्थाओं के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट से देश की सरकार के साथ मिलकर खाद खरीदने का प्रबन्ध करेगी ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

मान्यवर, यह अधिकार तो भारत सरकार का है।

श्री दीप नारायण सिंह दीपक यादव–

माननीय अध्यक्ष, बिल्कुल सीधा सा सवाल है।

श्री अध्यक्ष–

यह सब परचेजिंग सिस्टम भारत सरकार द्वारा निर्धारित है, उनकी गाइड लाइन है, उससे हट कर कहां मा0 मंत्री जी जायेंगे ? चलिये आपका एक सुझाव आया है, ठीक है।

श्री दीप नारायण सिंह दीपक यादव–

भारत सरकार अगर खाद कम खरीद रही है, तो कहां ज्यादा संस्थाओं के पास आ रहा है, आपके पास नेफेड संस्था है या अन्य संस्थाएं है, उस नुकसान की भरपाई कर के प्रदेश की सरकार, प्रदेश के किसानों के लिये खाद खरीदने का काम करेगी।

श्री अध्यक्ष–

जैसे इसको कृभको या अन्य समितियां खरीदती थी, यह अलग से आप व्यवस्था चाहते है कि सहकारिता खरीदेगा या इग्नो खरीदेगा, इस तरह का निर्णय यह कैसे लेंगे, यह भारत सरकार का मसला है। चलिये आपने एक सुझाव दिया, ठीक है।

श्री कुबेर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, भविष्य में जो कमी की बात चल रही है उसको पूरा करने के लिये, क्या सरकार इस आगामी बजट में, ?

डा0 पी0 के0 राय–

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है। वहां पीछे एक मा0 मंत्री जी, गहरी निन्द्रा में सो रहे है या कहीं ऐसा न हो कि उनकी तबीयत खराब हो गई हो चूंकि उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई है, इसलिये आपका ध्यान आकृष्ट करना पड़ा।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, वह प्रश्न की गम्भीरता पर है, वह प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुये ऐसा किया है। वह बड़े अच्छे किसान है।

(सत्ता पक्ष से आवाज आई कि वह प्रश्न में खो गये है।)

श्री कुबेर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जो डी0ए0पी0 की कमी की बात आ रही है, क्या सरकार इस आगामी समय में डी0ए0पी0 की कमी की पूर्ति करने के लिये इस बजट में समय से दो महीने पहले भण्डारण की व्यवस्था, मय सूद के, जो दो महीने का ब्याज लगेगा, उसमें करेगी या नहीं, उस पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न समझ गये मा0 मंत्री जी ?

(सदन में उपस्थित सारे सदस्यगण हँसने लगे।)

श्री कुबेर सिंह–

क्या सरकार आने वाले समय में, मतलब डी0ए0पी0 आवश्यकता के समय से दो महीने पहले भण्डारण की इस बजट में मय ब्याज सहित बजट की व्यवस्था करेगी ? जो जनहित का मामला है, समय से सब लोगों को खाद मिल जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न आपका सही है।

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से, चूंकि माननीय कुबेर सिंह जी को किसानों की चिन्ता बहुत रहती है, किसानों के नेता है, मुझसे भी मिलते रहते हैं, समस्याओं के सम्बन्ध में। मैं यह बताना चाहता हूं, माननीय सदन को, 30 सितम्बर तक हमको हमेशा करीब सोलह, सत्रह लाख मीट्रिक टन डी0ए0पी0 मिला करती थी और एन0पी0 को मिला के। इसीलिये इसको देखते हुये कल ही भारत सरकार से एक समझौता हुआ है कि अब हमको 30 सितम्बर, 2010 तक साढ़े सोलह लाख टन डी0ए0पी0 और एन0पी0 का मिल जायेगा, इसके लिये बजट में अलग से 75 करोड़ रुपये की सहकारिता बजट में व्यवस्था कर दी गई है।

श्री आरिफ अनवर हाशमी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मा0 कृषि मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि देवी पाटन मण्डल के चार जिले गोण्डा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच, इसमें डी0ए0पी0 की बहुत कम मात्रा में खाद पहुंची और यूरिया की भी बहुत भारी किल्लत है, जिससे यहां के किसान बहुत परेशान है। क्या मंत्री जी यूरिया की मांग के अनुसार उपलब्धता सुनिश्चित करायेंगे ? सीधा सा सवाल है।

श्री अध्यक्ष–

अभी तक डी0ए0पी0 रहा, अब यूरिया को बताये।

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

मान्यवर, यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, अलग–अलग जिलों की बात कही है, जैसा माननीय सदस्य ने कहा यदि इस तरह की बात है तो मैं आज ही इसको दिखवा लेता हूं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, अब मैं अगला प्रश्न लेता हूं।

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू किये जाने की मांग

*4–डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 30 अक्टूबर, 2009 तक किन–किन औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में किन–किन कारणों से पंचम वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं की गयी हैं ? क्या शासन ने इस सन्दर्भ में कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां तो उसका विवरण क्या है ?

श्री लाल जी वर्मा–

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) की आर्थिक स्थिति तत्समय सुदृढ़ न होने के कारण गीडा में पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू नहीं की गयी।

जी हाँ।

निगमों के कर्मियों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार नये वेतनमान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में गोपन अनुभाग–1 के पत्रांक–4/2/44/98–सी0एक्स0–(1), दिनांक 2 फरवरी, 1999 द्वारा निर्गत आदेश में अंकित व्यवस्थानुसार किसी निगम की आर्थिक स्थिति एवं अपने श्रोतों से कर्मियों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार नये वेतनमान देने की क्षमता के आधार पर निर्णय लिये जाने का प्राविधान है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, 1–1–2006 से छठे वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू है। इसी तरह से 1–1–1996 से पंचम वेतन आयोग का लाभ कर्मचारियों को मिल रहा है। मान्यवर, प्रश्न उन दुर्भाग्यशाली कर्मचारियों के बारे में है जो इस समय वर्ष 2010 में भी 1–1–86 के वेतनमान से

अपनी तनख्वाह पा रहे है। इसलिये हम सब इस प्रश्न का महत्व समझ सकते है। मान्यवर, आप प्रश्न और उसका उत्तर देख लें। प्रश्न था कि क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 30 अक्टूबर, 2009 तक किन–किन औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में किन–किन कारणों से पंचम वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं की गयी। उत्तर है, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) की आर्थिक स्थिति तत्समय सुदृढ़ न होने के कारण गीडा में पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू नहीं की गयी। आगे 2 फरवरी, 1999 के शासनादेश का हवाला दिया गया है। मान्यवर, मेरा प्रश्न गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों से सम्बन्धित है जो प्राधिकरण पूर्वी उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है। मान्यवर, ऐसी क्या परिस्थितियां थी जिस कारण गीडा के कर्मचारियों को यह लाभ नहीं मिल पा रहा है। मान्यवर, इस प्राधिकरण में आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होने के क्या कारण थे ? वर्ष 1986 से लेकर अब तक गीडा की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उनके कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग का लाभ नहीं मिल सका है। दूसरे, क्या यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या विभाग को इस सम्बन्ध में गीडा प्रशासन और गोरखपुर के मण्डलायुक्त के द्वारा तमाम पत्र भेजे गये हैं 30 अक्टूबर, 2009 तक ? मेरे पास इसकी निश्चित सूचना है कि वर्ष 2006 से इस सम्बन्ध में पत्र आना शुरू हो गये है शासन में कि इनको लाभ दिया जाये। यह बताने का कष्ट करें कि उनके द्वारा कितने पत्र और अनुस्मारक इस सम्बन्ध में आपको भेजे गये हैं और किन कारणों से सरकार ने इन पत्रों पर समुचित संस्तुति होने के बावजूद कार्यवाही न करते हुये, इनके कर्मचारियों को अब तक लाभ नहीं दिया है ?

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, जो प्रश्न है गीडा के सम्बन्ध में, उस समय जब पंचम वेतन आयोग देने का निर्णय हो रहा था इसकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण आयोग की रिपोर्ट इसमें लागू नहीं हो पायी थी। मान्यवर, वर्तमान में गीडा की आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में पत्र आ गया है। गीडा की स्थिति वर्तमान में लाभप्रद होने के कारण समस्त व्यय–भार वहन करने के आश्वासन पर उनका पत्र आया है जो शासन के निर्णय के लिये विचाराधीन है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, 2006 से 2009 तक गीडा प्रशासन के द्वारा और वहां के मण्डलायुक्त द्वारा उत्तर प्रदेश शासन को इस बात का पत्र लिखे जाते रहे हैं कि वहां के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये पंचम वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जायें। मैं जानना चाहता हूं कि उनके द्वारा आपको कब–कब पत्र लिखे गये हैं ?

श्री अध्यक्ष–

आपने कर्मचारियों के हित के लिये प्रश्न लगाये है। अभी मंत्री जी ने बताया कि गीडा की संस्तुति आ गयी है कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो गयी है और अब उनके कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग का लाभ देने पर विचार हो रहा है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी बस एक सवाल, 2006 से अगर गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारी इस पत्र को शासन में भेज रहे हैं कि उन्हें पंचम वेतन आयोग की

सिफारिशें लागू कर दी जाय और यहां तक लिख रहे हैं कि पंचम वेतन आयोग की सिफारिशें लागू न होने के नाते कर्मचारी हतोत्साहित हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं अर्थात पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास प्रभावित हो रहा है तो कौन से वह अधिकारी है पंचम तल के औद्योगिक विकास में जिन्हें स्पष्ट आग्रह और सुदृढ़ी के बावजूद इन पिछले 4 सालों से उनका जो स्वाभाविक हक है उसको दबा करके बैठे हैं ? तो क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इन पत्रों की अवज्ञा करके उनको अब तक पंचम वेतन की सुविधाएं न देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, कार्यवाही का कहां सवाल है अभी विचाराधीन है। मान्यवर, विचार करके यथाशीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, जब पत्र 2006 में आ गया कि हां पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार स्वीकृति दे दी जाय और हम इन्हें दे दे कर्मचारियों को तो यह चौथा साल है 2010, तो क्या जिम्मेवारी नहीं बनती ? आज अगर यह प्रश्न न पूछा होता तो शायद यह भी उत्तर न आता कि विचाराधीन है इसलिये यह सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और इसके लिये आप निर्देशित करें कि उत्तर दें ये, आखिर क्यों छिपा रहे हैं ? उन कर्मचारियों का हक 4 साल तक केवल एक या दो अधिकारियों के नकारात्मक कार्यवाही के कारण नहीं मिला वह उससे वंचित रहे, उस आर्थिक लास के नुकसान की क्षति उठाये इसकी जिम्मेदारी नहीं बनती ? इसलिये यह उत्तर आना चाहिए मान्यवर, केवल विचाराधीन यह आज क्यों कह रहे है, यह प्रश्न न होता तो यह और साल लटका रहता। इसलिये मान्यवर, यह उत्तर जरूर दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष–

अभी माननीय मंत्री जी, जो यह पत्र आये हैं तो क्या यह पंचम वेतन आयोग की सुविधा लागू करने के सम्बन्ध में है कि लागू कर दिया जाय यह सिफारिश की गयी है, अगर इस तरह का पत्र संज्ञान में हो तो बता दें।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मैने पहले ही बता दिया कि इस समय गीडा की स्थिति वर्तमान में लाभप्रद होने और उनके द्वारा समस्त व्यय भार स्वयं वहन करने के आश्वासन पर प्रकरण शासन में विचाराधीन है। मान्यवर, यह प्रकरण आया है और यह प्रकरण विचाराधीन है। मान्यवर, दूसरी बात गीडा के सम्बन्ध में पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू किये जाने के सम्बन्ध में वेतन समिति के 12वें प्रतिवेदन के प्रस्तर–8 के बिन्दु–3 में यह उल्लेख किया गया था कि गीडा में स्वीकृत अधिकांश पद रिक्त हैं। प्राधिकरण के कार्यकलाप स्थापना के लगभग 10 वर्ष पूरे होने पर भी अभी अपनी प्रारम्भिक अवस्था में ही है। इस दशा में प्राधिकरण की विकास योजना जिसमें 20 वर्ष की अवधि में 10 हजार एकड़ भूमि का अधिग्रहण तथा उसे विकसित किया जाना अपेक्षित था, की पूर्ति सम्भव नहीं दिखाई पड़ती है। प्राधिकरण की दीर्घकालीन कार्ययोजना/कारपोरेट प्लान नहीं है। अधिसूचित क्षेत्र औद्योगिक/आवासीय भूखण्डों/भवनों की मांग के सन्दर्भ में कोई मांग विश्लेषण भी नहीं किया गया है। प्राधिकरण के कार्यकलापों

की धीमी गति/नगण्य उपलब्धि को देखते हुये प्राधिकरण के अधिकांश निर्माण/अनुरक्षण/उद्यान सम्बन्धी कार्य, जलापूर्ति तथा जलोत्सारण आदि कार्यों का निजीकरण किया जाय। यह पांचवें वेतन आयोग की सिफारिश थी। अब चूंकि इस समय वर्तमान में इनका पत्र जब आ गया है तो उसके आधार पर विचाराधीन है और मैने पहले ही बता दिया कि यथाशीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न बहुत साफ था। यह सारे पत्र मैं लेकर आया हूँ इन 9 पत्रों को मैं अपने हाथ में लेकर आया हूं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को प्रेषित कर दे रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि इन 9 पत्रों में यह स्पष्ट संस्तुति होने के बावजूद कि उन्हें पंचम वेतन आयोग की संस्तुति लागू की जाय और यह लिखे जाने के बावजूद कि न लागू होने के नाते कर्मचारी हतोत्साहित हो रहे हैं तो जिन अधिकारियों ने इन पत्रों को दबाने या इस पर कार्रवाई न करने का निर्णय लिया उनके विरुद्ध क्या यह शासन कार्यवाही करेगा ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय अग्रवाल साहब, एक इनका व्यू था कि आर्थिक स्थिति जब उनकी सुदृढ़ होगी तब हम पंचम वेतन पर विचार करेंगे। तो क्या उन पत्रों में लिखा गया है कि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ है पंचम वेतन लागू किया जाय, उल्लेख है उन पत्रों में ?

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

अध्यक्ष महोदय, मैं उन पत्रों को लेकर आया हूँ।

श्री अध्यक्ष–

उन पत्रों में उल्लेख है।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

जी, अध्यक्ष महोदय, टोटल उल्लेख है। यहां तक उल्लेख है कि क्या इसकी आय है क्या इसका व्यय है कितने साल से यह लाभ में चल रहा है। 5–5 साल से गीडा लाभ में चल रही है इसके बावजूद, ये सारे पत्र है। मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन यह सारे पत्र हैं। चूंकि विषय यहां तक गया, इसलिये कह रहा हूँ।

जब इस प्रश्न को मैने लगाया तो यह प्रश्न गोरखपुर इंडस्ट्रियल एथारिटी में भेजा गया वहां से 23 जनवरी, 2010 को जवाब आया और औद्योगिक विकास विभाग के अधिकारियों ने उस जवाब तक को बदल दिया। मैं उस जवाब को अब पढ़ लेना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। जो यह प्रश्न लगाया गया, वह प्रश्न गीडा में भेजा गया।

श्री लाल जी वर्मा–

यह कौन सा तरीका है। कहां से क्या जवाब आया जवाब हमें देना है और हम जो जवाब दे रहे है, अगर उसमें हम कोई अनुचित बात या गलत सूचना दे रहे हैं तो उसमें नियमों के अनुसार कुछ हो सकता है। अब कहां से क्या जवाब आया। मान्यवर, माननीय मंत्री जी अनुमोदन करते है उसके आधार पर जवाब दिया जाता है।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

माननीय मंत्री जी दोषी अधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका अगर दोष उजागर किया जा रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है ?

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, कोई अधिकारी दोषी नहीं है। जब शासन के विचाराधीन है तो अधिकारी कहां से दोषी हो गया और मान्यवर, पांचवां वेतन आयोग का रिपोर्ट लागू करना या न लागू करना यह शासन का अधिकार क्षेत्र है। इसमें अधिकारी कहां से दोषी हो गया।

श्री अध्यक्ष–

अभी तो पत्र में आया है कि स्थिति सुदृढ़ है, अभी तत्काल नया पत्र आया है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इसमें कोई नाराजगी वाली बात नहीं है न टेम्पर लूज करने की बात है। दो भागों में मेरा प्रश्न है। एक तो प्रश्न वर्ष 2006 से पत्र लिखने का है। पंचम वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने का भी है। उसके बाद दूसरा वेतन आयोग भी आ गया। सवाल यह है कि 2006 से वह प्राधिकरण बराबर यह कह रहा है कि हम लाभ की स्थिति में है और उनको दिया नहीं जा रहा है। उत्तर आपके सामने आ गया कि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि उनको दिया जाय। इसलिये सवाल तो उठता है कि जब 2006 से लगातार पत्रों के माध्यम से सूचित किया जा रहा है, पत्रों प्रतिलिपि हमारे पास में है तब तो कम से कम यह आना चाहिये कि क्यों 2006 से लेकर अब तक उसको लम्बित रखा गया। इसी के साथ दूसरा, भाग जो मेरे प्रश्न का है। आप मूल प्रश्न पर ध्यान दें। मूल प्रश्न में है कि किन–किन औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में, तो यह पूरे प्रदेश का सवाल है यह एक का नहीं है। तो गीडा के अलावा कौन–कौन ऐसे औद्योगिक विकास प्राधिकरण है जिनमें यह लागू नहीं हुआ और जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है या जिनमें लागू हो गया है यह बता दीजिये ?

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, औद्योगिक विकास विभाग के अन्तर्गत नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सीडा, लीडा, बीडा एवं यमुना एक्सप्रेस–वे आदि प्राधिकरण है। लीडा प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त प्राधिकरण एक नवगठित प्राधिकरण है तथा लीडा में अभी तक सीधी भर्ती नहीं की गयी है। मान्यवर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सीडा एवं बीडा में पंचम वेतन आयोग की सिफारिशें लागू है। यमुना एक्सप्रेस–वे में कोई भी नियमित कर्मचारी नहीं है, अतः इस प्राधिकरण में पंचम वेतनमान का कोई प्रकरण नहीं है। उत्तर आ गया मान्यवर।

हरियाणा व उत्तर प्रदेश के सीमा विवाद को समाप्त करने की योजना

*5–डा0 अजय तोमर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा व उत्तर प्रदेश की सीमा विवाद को समाप्त करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जी हाँ।

हरियाणा व उ0 प्र0 राज्यों के बीच यमुना नदी के प्रवाह में समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद के निस्तारण हेतु भारत सरकार द्वारा स्थापित दीक्षित एवार्ड के द्वारा वर्ष 1974–75 में यमुना की गहरी धारा ही इन दोनों प्रदेशों की

स्थायी सीमा घोषित की गई थी। उक्त एवार्ड की संस्तुतियों के आधार पर भारत सरकार द्वारा हरियाणा एवं उ0प्र0 (अल्ट्रेशन आफ बाउण्ड्रीज) एक्ट–1979 अधिनियमित किया गया था। जो दिनांक 15–09–83 से लागू हुआ है। दीक्षित एवार्ड के अन्तर्गत प्राप्त हुई हस्तान्तरित भूमि का सीमांकन सर्वे टीम द्वारा संबंधित जनपदों में आवश्यकतानुसार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 अजय तोमर–

मान्यवर, इतने संवेदनशील विषय पर जहां दो प्रदेशों का मामला हो और झगड़ा 1975–76 से उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों के बीच यमुना नदी के हाथर और बांगर क्षेत्र के बंटवारे को लेकर हो। दीक्षित एवार्ड की घोषणा भी एक्ट, 1979 में कर दी गयी हो। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, अलीगढ़, मथुरा, पूरा का पूरा क्षेत्र ज्वलन्त समस्या से ग्रसित है। मान्यवर, हजारों किसान परेशान है। इसः अधिनियम, 1979 के लिये उत्तर में आया है कि लागू हुआ था इसके अनुसार संबंधित जनपदों में आवश्यकतानुसार कार्य चल रहा है इसकी कोई समय सीमा निर्धारित करेंगे कि उस दिन के बाद दोनों प्रदेश की सीमायें पूर्णतः निर्धारित होकर कोई झगड़े की स्थिति नहीं रहेगी मान्यवर, दूसरा मुझे इसमें यह कहना है कि उत्तर प्रदेश की सीमा के किसानों के मुकदमें हरियाणा की हाईकोर्ट चण्डीगढ़ में कितने चल रहे हैं ? उन पर उत्तर प्रदेश सरकार अपने स्तर से क्या कर रही है ? उत्तर प्रदेश के किसानों पर हरियाणा के किसान पुलिस के साथ मिलकर लगातार हमले कर रहे हैं क्या मा0 मंत्री जी प्रदेश के किसानों की रक्षा के लिये कोई विशेष सुरक्षा बल का गठन करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्य, आप स्पेसिफिक अनुपूरक कीजिये कि हम यह जानना चाहते हैं ?

डॉ0 अजय तोमर–

मान्यवर, मेरा पहला प्रश्न यह है कि सीमा निश्चित करने के लिये क्या कोई समय सीमा निर्धारित की जायेगी ? दूसरा यह है कि उत्तर प्रदेश के 10 जनपदों के मुकदमें जो चण्डीगढ़ हाईकोर्ट में चल रहे हैं, क्या प्रदेश सरकार इन जनपदों के राजस्व अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाकर सारी समस्याओं को एक जगह संकलित कर उन मुकदमों को निस्तारित कराने का काम करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्य का प्रश्न है कि जो सीमा निर्धारण का विषय चल रहा है क्या उसके लिये कोई समय–सीमा निश्चित कर देंगे कि इतने समय में यह निर्धारित हो जायेगा, पहले इसका उत्तर दे दें। दूसरा अजय तोमर जी आप समझ लें कि मा0 उच्च न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है, न्यायालय को सुनना है और आप कह रहे हैं कि अधिकारी जुट करके जल्दी मुकदमा निस्तारित करा देंगे या नहीं करा देंगे ? इसके लिये आखिर क्या टीम बनेगी, मा0 उच्च न्यायालय के लिये क्या टीम बनेगी ?

श्री फागू चौहान–

मान्यवर, वह गोली चलने के मुकदमें हैं।

श्री अध्यक्ष–

हां, मा0 मंत्री जी बतायें कि क्या कोई समय–सीमा निर्धारित कर देंगे ?

श्री फागू चौहान–

मान्यवर, यह विषय उत्तर प्रदेश सरकार और हरियाणा सरकार के बीच का है। हम इसके लिये रिमाइन्डर भेजते हैं लेकिन मान्यवर, समय–सीमा निश्चित नहीं की जा सकती है क्योंकि यह दो प्रान्तों के बीच का विषय है।

श्री कौकब हमीद खां–

मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि 33 साल का अर्सा गुजर गया और सरकार ने अब तक निर्धारित नहीं किया कि सीमा कहां होनी है तो क्या सरकार का विचार निस्तारण करने का है वह इसका निस्तारण करेगी या ऐसे ही चलने देगी ?

श्री लाल जी वर्मा (बैठे हुये)–

आप भी तो मंत्री रहे हैं।

श्री कौकब हमीद खां–

यह तो बड़ा मसला है कि आप मंत्री रह लिये आपने नहीं किया है इसलिये हम भी नहीं करेंगे तो खड़े होकर यही कह दो कि हम नहीं करेंगे। सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपने नहीं किया इसलिये हम भी नहीं करेंगे। हम तो आप से यह पूछ रहे हैं कि क्या इस सरकार का यह इरादा है कि 33 सालों के बीच का जो अर्सा गुजर गया उसके अन्दर के मुकदमें यह सरकार खत्म करेगी ? मान्यवर, यह झगड़ा मुकदमों का नहीं है बल्कि यह झगड़ा इस बात का है कि इनकी मीटिंगें नहीं हो पाती हैं।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी ने बताया कि अभी जल्दी निपटारा नहीं हो पायेगा।

श्री फागू चौहान–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार इस बारे में प्रयासरत है अभी हमारे चीफ सेक्रेटरी ने 16–4–2009 को मीटिंग बुलायी थी और अपने अधिकारियों से कहा है कि आप हरियाणा सरकार से सम्पर्क करके मीटिंगों का समय निश्चित करा करके शीघ्र से शीघ्र इस मामले को निस्तारित करायें।

श्री कौकब हमीद खां–

मान्यवर, चीफ सेक्रेटरी ने अपने अधिकारियों की मीटिंग बुलायी है, दोनों प्रान्तों के अधिकारियों के बीच कब मीटिंग होगी यह आप तय करो। आप अपने अधिकारियों को बुलायेंगे तो इससे क्या तय होगा ?

श्री अध्यक्ष–

अपने अधिकारियों को भेजेंगे तभी तो हो पायेगा। पहले अपने अधिकारियों से बात करेंगे तभी तो उनसे बात करेंगे।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह विवाद मामूली नहीं है और भरसक प्रयास भी किया गया है इसके समाधान करने का। प्रयास का परिणाम यह था कि दीक्षित आयोग बना, अवार्ड आया, अवार्ड के अनुरूप अधिनियम बन गया। अब सवाल वहां रोजाना बदलने का है क्योंकि यह बात सही है कि जबसे यह बांध बना है, उसके बाद से यमुना का कटाव उधर शुरू हुआ। जमीन उत्तर प्रदेश की है लेकिन यमुना उधर चली गयी है और उधर जाने के बाद जमीन भी उधर चली गयी तो जब जमीन उधर चली गयी तो उसी की दिक्कत सबसे ज्यादा है कि वह कब्जा कर लेते हैं। हावी है तो केवल आवश्यकता इस बात की है कि हमारा प्रशासनिक तंत्र, स्थानीय प्रशासन जो हमारा है वह भी उतना ही गम्भीर हो जाये, जितना हरियाणा वाले गम्भीर है। वे मान्यवर अपनी पुलिस लेकर के, अपनी बन्दूक लेकर के सीधा हमला करते है, आ करके और उनके लेखपाल की उसकी कोई औकात रहती नहीं है, इसलिये चीफ सेक्रेटरी से हमने खुद बात की थी कि यह विवाद हुआ है। मेरा सारा विधान सभा क्षेत्र मान्यवर, इससे ग्रसित है। दो बार बात हुयी थी, उन्होंने कार्यवाही भी की और केवल उसका समाधान यह है कि अगर मंत्री जी कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाये मेरठ मण्डल के आयुक्त और सहारनपुर मण्डल के आयुक्त, दो कमिश्नरी पड़ती है इसमें, अलीगढ़ और आगरा यहां भी यह विवाद है मान्यवर, अगर उस स्तर के अधिकारियों पर यह जिम्मेदारी दी जायें कि आप बैठकर के एक बार इसका निस्तारण कर दें। अपने आप को संतुष्ट कर लें कि हमारी सीमा यहां तक है। हमारे अधिकारी भी अपनी संतुष्टि कर लें कि हमारी सीमा यहां तक है। एक बार यह संतुष्टि हो जायेगी तो फिर हम सक्षम हो जायेंगे उस सीमा की रक्षा करने के लिये, लेकिन जब अपने आप ही विवाद में रहते है। हम ही सोचते रहेंगे कि सर्वे चलेगा। सर्वे जब चलेगा तब चलेगा। सर्वे तुम्हारे पास में सजरा हमारे पास में खसरा नम्बर हमारे पास में है, तो यह तय कर लें डिमारकेशन हो जाये कि यहां तक हमारी सीमा है, उसकी रक्षा हो जायेगी यहां तक की। यह मैं चाहूंगा 4 मण्डल पड़ते है। चार मण्डल के आयुक्तों को आप निर्देशित कर दें, और निर्देशित करने के बाद में समयबद्ध कर दें महीने में दो महीने में, तीन महीनें में आप इस काम को करके दिखाये, वरना गेहूँ की फसल पकने वाली है, मान्यवर। अप्रैल के महीने में फिर वहाँ पर गोलियां चलेगी, चारों जगह गोलियां चलेंगी और फिर मुकदमें कायम होंगे। परेशान तो हमारे किसान ही होते हैं। हम तो यही करेंगे फिर फोन करना शुरू करेंगे हम यहां से, वरना एक बार मान्यवर, मैं अब समय नहीं लेना चाहता एक बार यह विवाद हुआ और उत्तर प्रदेश सरकार ने मजबूती का कदम उठाया पी0ए0सी0 अपनी लगा दी जाकर के। दो साल तक हरियाणा के लोग वहां पर आये नहीं। अब पता नहीं क्या लचर व्यवस्था होगी ? कहने के बावजूद भी नहीं जाते हैं। यह हमारी इच्छाशक्ति की बात है। इच्छाशक्ति दिखा कर के एक बार इसका रेखांकन करा दें और रेखांकन कराने के बाद में आयुक्त की जिम्मेदारी कर दें अगर आपके क्षेत्र में अतिक्रमण होता है तो आपकी जिम्मेदारी होगी, इससे समाधान हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी संज्ञान लें इस सुझाव का, यह हमारे प्रदेश का मामला है। इस पर अब संज्ञान लें और विचार करें, इससे ज्यादा कुछ बनता नहीं। माननीय हुकुम सिंह जी ने पीठ को दिया है, संज्ञान लेने के लिये इस पर विचार कर लीजिये।

डॉ0 अजय तोमर–

मान्यवर, मैं मूल प्रश्न करता हूँ, इसी से सम्बन्धित आपके अतारांकित प्रश्न–135 में जवाब आया है। मैं उदाहरण के रूप में बागपत जनपद को लेना चाहता हूँ, जो जवाब में है। अभी माननीय हुकुम सिंह जी ने कहा था, खसरा–सजरा है, नक्शा है। मान्यवर, दुर्भाग्य की बात है कि पिछले ढाई साल से जबसे मैं विधायक बना हूं, तीसरी बार यह प्रश्न लगाया है। बागपत जिले के बदरसा, टाण्डा, सबका, ससौली, मण्डी, जागस, जागौत, मिरौना, कत्थामऊ का नक्शा है ही नहीं और आज यह मंत्री जी ने अतारांकित प्रश्न–135 में स्वीकार किया है। जब हमारे पास खादर क्षेत्र के नक्शे नहीं हैं तो हम इस विवाद को सुलझाने का काम कैसे करेंगे ? मैं केवल यह जानना चाहता हूँ कि जो बात मैं नक्शे के सम्बन्ध में पिछले 3 वर्ष से लगातार उठा रहा हूँ, उसमें जो दोषी हैं, उनको दण्डित करने का काम कर दिया जाए और अभी जो माननीय हुकुम सिंह जी ने कहा है कि गेहूँ की फसल पकने वाली है, इसके लिये प्रदेश में पी0ए0सी0 लगे, विशेष सुरक्षा बल लगे, यह व्यवस्था कर दी जाए और नक्शे के लिये जो प्रश्न संख्या–135 के अतारांकित प्रश्न में है, उसका जवाब दिलाने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

डा0 साहब, जवाब तो मंत्री जी देंगे। अभी माननीय हुकुम सिंह जी ने कहा, मैंने उसे भी देखा और गम्भीरता से लिया। एक सुझाव उन्होंने दे दिया, सीमा विवाद के सन्दर्भ में, जहां हमारे प्रदेश का हरियाणा से विवाद है। यह सुझाव उन्होंने दिया। अनुपूरक नहीं बल्कि उन्होंने मदद की है सरकार की कि आप इस बिन्दु पर बैठक बुला लें, बात कर लें, जितने मण्डलायुक्त हों, उनको बुला करके बात कर लें। मैंने भी कह दिया है माननीय मंत्री जी को, मैंने कहा है कि इनके सुझाव को संज्ञान में ले लें। अजय साहब, अब इसमें सब आ गया है, पुलिस, पी0ए0सी0, जितना हुकुम सिंह जी ने सुझाव दिया है।

डॉ० अजय तोमर–

मान्यवर, नक्शे ही उपलब्ध नहीं हैं जनपद में, नक्शे उपलब्ध करवा दें, उनकी वजह से किसानों की खसरा, खतौनी नहीं बन पा रही है।

श्री अध्यक्ष–

यह सुझाव है, अनुपूरक के रूप में नहीं हैं, आपने भी बात रखी, मा0 हुकुम सिंह जी ने भी सुझाव दिया, इसकी गम्भीरता को देखते हुये कह दिया गया है। अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

तहसील मीरगंज, जनपद बरेली के किसान मित्रों को मानदेय उपलब्ध कराने से संबंधित शिकायती–पत्र

1–श्री सुल्तान बेग–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बरेली की तहसील मीरगंज के किसान मित्रों का मानदेय उपलब्ध कराने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र

---

* नोट :–तारांकित प्रश्न संख्या–5 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

सं0–सी0एम0/वि0को0/एम–210395/2009, दिनांक 12–10–09 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

जी हां।

किसान मित्रों के मानदेय दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

2–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

3–श्री सुन्दर लाल लोधी–

[दूसरे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न सं0–146 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद–सीतापुर के उद्यान विभाग के फार्म/पौधशाला को अन्यत्र स्थापित किये जाने की मांग

4–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महमूदाबाद, जनपद–सीतापुर के उद्यान विभाग के फार्म/पौधशाला शत्रु, सम्पत्ति की जमीन पर था, जो अब समाप्त कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या तहसील में किसी दूसरे स्थान पर उक्त पौधशाला स्थापित की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान मंत्री (श्री नरायन सिंह)–

जी हां।

जनपद सीतापुर में महमूदाबाद की पौधशाला समाप्त हो जाने के बाद भी नौ पौधशालायें उद्यान विभाग के पास हैं। अतः तहसील महमूदाबाद में किसी दूसरे स्थान पर उक्त फार्म/पौधशाला की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

मेसर्स एस0एस0 कोल्ड स्टोर, महमूदाबाद, सीतापुर द्वारा भवन निर्माण में सरकारी चकमार्गों पर कब्जा करने की जांच

5–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेसर्स एस0एस0 कोल्ड स्टोर, महमूदाबाद, सीतापुर द्वारा सरकारी चकमार्ग पर कब्जा करके कोल्ड स्टोर की सीमा के अन्तर्गत मिला लिया गया है ? यदि हां, तो जनहित में उक्त चक मार्ग को खाली कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जी हां। मेसर्स एस0एस0 कोल्ड स्टोर, महमूदाबाद द्वारा कोल्ड स्टोर के भवन का निर्माण गाटा संख्या 752 व 750 पर किया गया। निर्माण के दौरान उक्त गाटाओं के मध्य चकमार्ग गाटा संख्या 751 को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। इस चकमार्ग को बदल कर अराजी संख्या 750 में किया गया। यद्यपि यह विनियम आदेश निरस्त कर दिया गया है। छोड़ा गया चकमार्ग मौके पर खुला है एवं आवागमन के लिये चालू है। इस निरस्त विनियम आदेश के विरुद्ध मेसर्स एस0एस0 कोल्ड स्टोर के द्वारा न्यायालय, अपर आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ में निगरानी संख्या 484/0506 अन्तर्गत धारा 333 जेड0 ए0 ऐक्ट योजित की गयी है।

न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

जीवित महिला श्रीमती सायरा बानो, ग्राम लगुधा परगना भूड़, जनपद लखीमपुर को राजस्व अभिलेखों में मृतक दिखाकर जमीन किसी अन्य के नाम दर्ज किये जाने सम्बन्धी शिकायती–पत्र

6–श्री अनिल कुमार सिंह यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक चकबन्दी अधिकारी, लखीमपुर खीरी द्वारा ग्राम लगुधा, परगना भूड़ तहसील गोला में वाद संख्या 452, 453, 454 दिनांक 30–2–06 अन्तर्गत धारा 9 द्वारा जीवित महिला श्रीमती सायरा बानो बेवा छोटे ग्राम लगुधा परगना भूड़ तहसील गोला, जनपद–लखीमपुर खीरी को राजस्व अभिलेखों में मृतक दिखाकर उसकी जमीन किसी अन्य के नाम दर्ज की गई है ? क्या इस सम्बन्ध में श्रीमती सायरा बानो बेवा छोटे का शिकायती–पत्र दिनांक 15–10–07 मा0 मुख्य मंत्री, मा0 राजस्व मंत्री, प्रमुख सचिव, राजस्व तथा चकबन्दी आयुक्त को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जी हां। प्रश्नगत वाद में दिनांक 30–02–06 को आदेश पारित नहीं किया गया है बल्कि दिनांक 03–02–06 को आदेश पारित किया गया। तस्दीक खतौनी के समय सायरा बानो बेवा छोटे खां को मृतक बताया गया। धारा 9 के समय आपत्ति न आने तथा निर्विवाद होने के कारण सायरा बानो बेवा छोटे खां का नाम निरस्त करते हुये इमरान खां व अंसार खां, फखरे आलम व इकरार अहमद पुत्रगण छोटे खां का नाम बतौर वारिस दर्ज किया गया है।

जी हां।

श्रीमती सायरा बानो बेवा छोटे खां का शिकायती पत्र दिनांक 15–10–07 को चकबन्दी निदेशालय के पत्र संख्या–122/प0सा0–28/09, दिनांक 17–08–09 द्वारा बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी खीरी को कार्यवाही हेतु भेजा गया।

प्रश्नगत प्रकरण में यह संज्ञान में आने पर कि सायरा बानो बेवा छोटे खां जीवित है, सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा बंदोबस्त अधिकारी चकबन्दी को आख्या प्रेषित की गई।

बंदोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा उक्त आख्या को अपील मान कर आदेश दिनांक 11–02–08 द्वारा सहायक चकबन्दी अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 03–02–06 में आंशिक संशोधन किया गया। खाता संख्या–29 में छोटे खां (मृतक) के स्थान पर अंसार अहमद, फखरे आलम, इमरान खां व इकरार अहमद के साथ–साथ सायरा बानो बेवा छोटे खां का नाम भी बतौर वारिस दर्ज किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ, तहसील मलिहाबाद के ग्राम बहेलिया की ग्राम समाज/जलाशय के रूप में अंकित भूमि में हेराफेरी की जांच

7–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2009 के प्रथम गुरुवार अतारांकित प्रश्न सं0–49 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप जिलाधिकारी, मलिहाबाद, लखनऊ के आदेश दिनांक 3–11–2007 पर राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी के सम्बन्ध में मु0अ0सं0–96/2008 धारा 420, 467, 468, 471 भा0दं0सं0 थाना मलिहाबाद में अंकित प्रकरण पर दोषियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

थाना मलिहाबाद द्वारा अपराध की विवेचना पूर्ण कर ली गई है विवेचना में दोषी पाये गये व्यक्तियों कामता प्रसाद तथा राजा राम पुत्र माधौ प्रसाद निवासीगण ग्राम बहेलिया, थाना मलिहाबाद के विरुद्ध न्यायालय में आरोप–पत्र संख्या ए–225, दिनांक 23–10–2008 मा0 न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के विकास खण्डों में भूगर्भ जल स्तर के नियंत्रण हेतु किसानों को सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

8–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के विकास खण्डों में भू-गर्भ जल स्तर के नियंत्रण हेतु क्या सरकार किसानों को निःशुल्क/अनुदानित मूल्य पर सिंचाई हेतु स्प्रिंकलर व ड्रिप इरिगेशन संयंत्र देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के विकास खण्डों में भूगर्भ जल स्तर के नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा किसानों को निःशुल्क सिंचाई हेतु स्प्रिंकलर सेट व ड्रिप इरीगेशन संयंत्र उपलब्ध कराने हेतु कृषि विभाग का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तिलहन, दलहन एवं मक्का की खेती के प्रोत्साहन हेतु आईसोपॉम योजना के अन्तर्गत कृषकों को स्प्रिंकलर सेट अनुदानित मूल्य पर पूरे प्रदेश में उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिस पर मूल्य का 50 प्रतिशत, अधिकतम रु0 7,500/–प्रति हेक्टेयर, अनुदान अनुमन्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्थापित भारी उद्योग के कारखाने

9—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2007—08, 2008—09 तथा जुलाई, 09 तक कितने भारी उद्योग के कारखाने कहां—कहां स्थापित किये गये ? इन कारखानों में अब तक कितने लोगों को रोजगार मिला ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)—

वर्ष 2007—08

बिजनौर 3, फतेहपुर 1, गौतमबुद्ध नगर 10, गाजियाबाद 2, गोरखपुर 3, हमीरपुर 1, हरदोई 1, ज्योतिबाफुले नगर 1, कानपुर 1, मथुरा 2, मेरठ 1, मुरादाबाद 1, रामपुर 1, सहारनपुर 1, शाहजहांपुर 1, सीतापुर 1, उन्नाव 1, **योग—32**

वर्ष 2008—09

गौतमबुद्ध नगर 3, गाजियाबाद 3, गोरखपुर 1, कुशीनगर 1, मेरठ 4, मिर्जापुर 1, सहारनपुर 1, **योग—14**

वर्ष 2009—10 (माह जुलाई, 09 तक)

गौतमबुद्ध नगर 1, लखनऊ 1, **योग—2**

वर्ष 2007—08

बिजनौर 111, फतेहपुर 180, गौतमबुद्ध नगर 2588, गाजियाबाद 132, गोरखपुर 448, हमीरपुर 545, हरदोई 28, ज्योतिबाफुले नगर 10, कानपुर 326, मथुरा 380, मेरठ 532, मुरादाबाद 97, रामपुर 1370, सहारनपुर 1550, शाहजहांपुर 725, सीतापुर 200, उन्नाव 500, **योग—9722**

गौतमबुद्ध नगर 589, गाजियाबाद 265, गोरखपुर 550, कुशीनगर 30, मेरठ 1341, मिर्जापुर 30, सहारनपुर 250, **योग—3055**

वर्ष 2009—10 (माह जुलाई, 09 तक)

गौतमबुद्ध नगर 64, लखनऊ 5940, **योग—6004**

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद, बिसवां, लहरपुर, सीतापुर में बाढ़ से प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री

10—श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद—सीतापुर की तहसील महमूदाबाद, बिसवां, लहरपुर, सीतापुर में अक्टूबर, 2009 में आयी बाढ़ के बाद तात्कालिक जीवन निर्वाह हेतु

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जरूरतमन्द परिवारों, जिनके पास समुचित खाद्य सामग्री नहीं है या समुचित खाद्य सामग्री आपदा से नष्ट हो गयी है, को प्रति वयस्क रू० 20/– व अवयरक रू० 15/– प्रति दिवस अधिकतम 15 दिन की अवधि के लिए कुल कितनी धनराशि वितरित की गयी है व कितने परिवारों को इसका लाभ दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद, बिसवां, लहरपुर, सीतापुर में अक्टूबर, 2009 में आयी बाढ़ से प्रभावित हुये कुल 1,51,311 परिवारों को भारत सरकार द्वारा, निर्धारित आपदा राहत निधि की गाइडलाइन्स के अनुसार रू० 2,07,34,475 की राहत सामग्री का वितरण किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर में बाढ़ से प्रभावित परिवारों को सामग्री वितरित किये जाने की जानकारी

11–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में अक्टूबर, 2009 में आयी भीषण बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं? यदि हां, तो जिन लोगों के घर बह गये हैं, क्षतिग्रस्त हो गये हैं या एक सप्ताह से अधिक जलमग्न हो गये हैं, ऐसे लोगों को रू० 1000/– प्रति परिवार कपड़ों के लिए व रु० 1000/– प्रति परिवार, बर्तन/घरेलू सामग्री हेतु दिये जाने का प्राविधान किया गया था ? यदि हां, तो वितरित की गयी धनराशि कितनी है व कितने परिवारों को इसका लाभ दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री फागू चौहान–

जी हाँ।

जी हाँ।

जनपद–सीतापुर की तहसील महमूदाबाद, बिसवां, लहरपुर में माह अक्टूबर, 2009 में आयी बाढ़ से प्रभावित हुये कुल 1,51,311 परिवारों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित आपदा राहत निधि की गाइडलाइन्स के अनुसार रु० 2,07,34,475 की राहत सामग्री का वितरण किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–फिरोजाबाद में वन विभाग व चारागाह के लिये आरक्षित भूमि का पट्टे पर दिये जाने की जांच

12–चौ० सत्येन्द्र सोलंकी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–फिरोजाबाद की तहसील जसराना के मौजा मिलावट, मजरा नगला किशुन सिंह में गाटा सं० 1019 व गाटा संख्या 1025 वन विभाग व चारागाह के लिए आरक्षित है? यदि हाँ तो क्या यह सही है कि उक्त जमीन पर लोगों के पट्टे कर दिये गये हैं? यदि हाँ, तो सरकार वन विभाग व चारागाह की जमीन के

पट्टों को निरस्त करते हुए पट्टा करने वाले अधिकारियों एवं अन्य दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी? यदि नही, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जी नहीं। तहसील जसराना के मौजा मिलावली मजरा नगला किशनसिंह के जोत चकबन्दी आकार पत्र–45 एवं जोत चकबन्दी आकार पत्र–41 के अनुसार खाता संख्या 518 में ऊसर के रूप में गाटा संख्या 1019स क्षे0 अर्थात 6.026 हे० एवं गाटा संख्या 1025 क्षे0 7.44 एकड़ अर्थात 2.910 हे0 अंकित है।

चूँकि बन्दोबस्ती जोत चकबन्दी आकार पत्र में उक्त गाटा संख्यायें आरक्षित श्रेणी (वन विभाग/चारागाह) में नहीं थी, अतः पट्टे किया जाना अनियमित नहीं है एवं आवश्कतानुसार चारागाह एवं वन विभाग के लिये भूमि आरक्षित की गयी है।

चूँकि उपरोक्त भूमि आरक्षित श्रेणी की नहीं थी, अतः इस आधार पर पट्टे निरस्त करने एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करना अपेक्षित नहीं है।

ग्राम समाज की जमीन पर किये जा रहे अवैध निर्माण रोकने के सम्बन्ध में पत्र

13–चौ० सत्येन्द्र सोलंकी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम आसरे वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष रालोद का पत्रांक–10446/रालोद/09, दिनांक 13–10–09, जो अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ०प्र० को पृष्ठांकित है और जो श्री होतीलाल पुत्र स्व० रामानन्द नि० नगला किशुन सिंह मौजा नगला धीर तह०–जसराना, फिरोजाबाद द्वारा गाटा सं०–2660 ग्राम समाज की जमीन पर किये जा रहे अवैध निर्माण रोकने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जी हाँ। श्री राम आसरे वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, रालोद का पत्र दिनांक 13.10.2009 अध्यक्ष, राजस्व परिषद के माध्यम से जिलाधिकारी, फिरोजाबाद को प्राप्त हुआ था। प्रकरण की जांच करायी गयी। जाँच में पाया गया ग्राम नगला धीर के गाटा संख्या 2660 में एक दीवाल लगी हुयी है जिसको ग्रामवासीगण द्वारा मायावती पत्नी हाकिम सिंह के द्वारा बनवाया गया बताया गया। मायावती पत्नी हाकिम सिंह, श्री शिशुपाल सिंह पुत्र होतीलाल की चाची हैं तथा होतीलाल पुत्र स्व० रामानन्द के भाई हाकिम सिंह की पत्नी हैं तथा यह सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। मायावती पत्नी हाकिम सिंह के द्वारा सिविल पिटीशन संख्या 48051/2005 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित की गयी है, जिसमें शिकायतकर्ता मुलायम सिंह पुत्र नवाब सिंह विपक्षी हैं। रिट याचिका में उच्च न्यायालय ने दिनांक 11.07.2005 को याची को गाटा संख्या 2660 से अग्रिम आदेशों तक बेदखल न किये जाने का आदेश दिया है। दीवाल गाटा संख्या 2660 में ही लगी है जिसमें मायावती का क्षेत्रफल 0.121 हे० पर उपरोक्त विवाद चल रहा है तथा मायावती के पुत्र कौशलेन्द्र सिंह आदि का भी गाटा संख्या 2660 में

0.121 हे० भूमि है न्यायालय के आदेश के समादर में कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में कुपोषण से बच्चों को बचाने की योजना

14–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाचार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में कुपोषण से बच्चों को बचाने के लिये क्या सरकार कोई कार्य योजना बना रही है, यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

समाज कल्याण, अनुसूचित एवं जनजाति कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार तथा कृषि विपणन मंत्री (श्री इन्द्रजीत सरोज)–

जी हाँ।

वर्तमान में जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में 04 बाल विकास परियोजनाएं क्रमशः पट्टी, आसपुर, देवसरा, मगरौरा एवं बाबा बेलखरनाथ धाम संचालित है।

इन परियोजनाओं के अन्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 06 माह से 03 वर्ष के सामान्य बच्चों को 125 ग्राम प्रति लाभार्थी प्रतिदिन की दर से वीनिंग फूड तथा 03 से 06 वर्ष तक के आयु के बच्चों को हॉट कुक्ड फूड तथा मार्निंग स्नैक दिया जाता है। चिकित्सीय परामर्श प्राप्त कर कुपोषित बच्चों को पोषाहार की अतिरिक्त मात्रा दी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

गौंड एवं धुरिया नामक जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किये जाने हेतु सर्वे

15–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा जुलाई, 2007 में प्रदेश के 57 जिलों में गौड़ एवं धुरिया नामक जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किये जाने हेतु जनगणना एवं सर्वे कराया गया है ? यदि हां, तो जनपद–प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में किन–किन ग्रामों में इनकी कितनी–कितनी जनसंख्या है,? क्या सरकार उक्त रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में सूर्यमुखी एवं आंवला की खेती को प्रोत्साहन देने हेतु योजना

16–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र पट्टी में सूर्यमुखी एवं आंवला की खेती को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री नारायन सिंह–

जी हाँ।

विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत विकास खण्ड–मंगरौरा एवं पट्टी में राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना संचालित है।

राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजनान्तर्गत वर्ष 2009–10 में नवीन उद्यान रोपण कार्यक्रम में आँवला उद्यान रोपण हेतु लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम रु० 22,500/– प्रति हेक्टेयर तीन वर्षों में प्रथम वर्ष रु० 11,250/– (50 प्रतिशत), द्वितीय वर्ष रु० 4,500/– (20 प्रतिशत) एवं तृतीय वर्ष में रु० 6,750/– (30 प्रतिशत) मिशन अंश के रूप में लाभार्थियों को दिये जाने की व्यवस्था है। सूर्यमुखी की खेती के प्रोत्साहन हेतु उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उ०प्र० द्वारा कोई योजना कार्यान्वित नहीं है।

नये शीतगृहों एवं पुराने शीत गृहों के विस्तार हेतु सब्सिडी दिये जाने की नीति

17–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नये शीतगृहों एवं पुराने शीतगृहों के विस्तार पर सरकार द्वारा सब्सिडी दिये जाने की नीति क्या है ? क्या वर्ष 2008 से दिनांक 30–6–09 तक लम्बित जनपद–प्रतापगढ़ के सभी आवेदकों को सब्सिडी राशि उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन सिंह–

1–राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजनान्तर्गत शीतगृहों के विस्तार हेतु प्रति इकाई लागत धनराशि रु० 200 लाख (5000 मिट्रिक टन क्षमता अथवा उससे अधिक) का 25 प्रतिशत अधिकतम धनराशि रु० 50 लाख की क्रेडिट लिंक्ड बैक एण्डेड सब्सिडी भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों की अनुसार देय है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत अवधि में कुल चार आवेदकों से प्रार्थना–पत्र प्राप्त हुए जिसमें से एक आवेदक मेसर्स प्रताप कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस फैक्ट्री, सोनावाँ, चिलबिला, प्रतापगढ़ को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान की प्रथम किश्त हस्तगत करा दी गयी है। शेष तीन आवेदकों

की औपचारिकतायें पूर्ण न होने के कारण इनका प्रकरण भारत सरकार को अग्रसारित नहीं किया गया।

ग्राम सलाहपुर में तालाबों एवं भूमि पर अवैध कब्जा धारकों के विरूद्ध कार्यवाही

18–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पट्टी तहसील के ग्राम सलाहपुर में ऐसे कुल कितने तालाब, चारागाह, रिजर्व लैण्ड राजस्व विभाग में दर्ज हैं, जिन पर अतिक्रमण कर मकान बना लिया गया है ? क्या सरकार ऐसे तालाबों एवं भूमि पर अवैध कब्जा धारकों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

ग्राम सलाहपर में तालाब, चारागाह रिजर्व लैण्ड जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, उनमें से गाटा संख्या–985 तालाब खाते की भूमि है, पर आवासीय भवन व आबादी के रूप में कब्जा है, जिसके सम्बन्ध में वाद दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है।

अवैध कब्जा धारकों के विरूद्ध मा० न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

फूल उत्पादन से प्रतिवर्ष राजस्व की प्राप्ति

19–श्री आरिफ अनवर हाशमी–

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फूल उत्पादन से राज्य सरकार को प्रतिवर्ष कितने राजस्व की प्रप्ति होती है ? क्या सरकार फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन सिंह

उत्तर प्रदेश की विनियमित मण्डी समितियों द्वारा सभी प्रकार के फूलों पर देय मण्डी शुल्क व विकास सेस का राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, उ०प्र० से प्राप्त राजस्व विवरण निम्नवत् है :–

कृषि वर्ष 2006–07	रु० 1.39 लाख
कृषि वर्ष 2007–08	रु० 1.68 लाख
कृषि वर्ष 2008–09	रु० 2.09 लाख
कृषि वर्ष 2009–10	रु० 0.84 लाख

(जुलाई 2009 से दिसम्बर, 2009 तक)

जी हाँ।

फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना, सघन क्षेत्रों में व्यावसायिक औद्यानिक विकास योजना, कृषि विविधीकरण परियोजना तथा अनुसूचित

जाति/अनुसूचित जनजाति कृषक प्रक्षेत्रों पर औद्यानिक विकास योजना में फूलों की खेती के कार्यक्रमों हेतु अनुदान दिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड रेहरा बाजार के अन्तर्गत ग्राम नेवादा में आंगनबाड़ी केन्द्र पर अनधिकृत कब्जा को खाली कराने की मांग

20–श्री आरिफ अनवर हाशमी–

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड रेहरा बाजार, जनपद–बलरामपुर के ग्राम नेवादा की आंगनबाड़ी केन्द्र को उसी गांव के दबंग व्यक्ति तौकीर, जहीर सईद द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा करके आंगनबाड़ी भवन को अपने मकान के बाउन्ड्रीवाल में मिला लिया गया है ? क्या सरकार इनके विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराते हुए आंगनबाड़ी केन्द्र को कब्जे से खाली करायेगी ? यदि हां? तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

जी नहीं।

जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड रेहरा बाजार के अन्तर्गत ग्राम नेवादा के आंगनबाड़ी केन्द्र भवन पर वर्तमान समय में किसी का कब्जा नहीं है। पूर्व में आंगनवाड़ी भवन से मिला कर तौकीर आदि द्वारा बाउन्ड्रीवाल बनायी गयी थी और संज्ञान में आने पर बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा आपत्ति की गयी परिणामस्वरूप तौकीर आदि द्वारा बाउन्ड्रीवाल हटा लिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर की तहसील उतरौला के राजस्व निरीक्षण क्षेत्र रेहरा बाजार एवं सादुल्लानगर में लेखपालों का स्थानान्तरण

21–श्री आरिफ अनवार हाशमी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बलरामपुर, तहसील उतरौला के राजस्व निरीक्षण क्षेत्र, रेहरा बाजार एवं सादुल्लानगर में विगत तीन या उससे अधिक वर्षों से एक ही हल्का क्षेत्र पर कितने लेखपाल तैनात है ? क्या शासन की स्थानान्तरण नीति के अनुसार इन लेखपालों का स्थानान्तरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जनपद बलरामपुर की तहसील–उतरौला के राजस्व निरीक्षक क्षेत्र रेहरा बाजार एवं सादुल्लानगर में विगत तीन या उससे अधिक वर्षों से क्रमशः 04 व 10 लेखपाल तैनात थे।

उक्त लेखपालों का स्थानान्तरण उपजिलाधिकारी, उतरौला के आदेश दिनांक 28–07–2009 द्वारा किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

कृषि उत्पादन मण्डी समिति, उतरौला, जनपद बलरामपुर का विभिन्न मदों से प्राप्त आय

22–श्री आरिफ अनवर हाशमी–

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि उत्पादन मण्डी समिति, उतरौला, जनपद बलरामपुर में मण्डी परिषद् को विगत दो वर्षों में कुल कितनी आय किन–किन मदों से हुई है ? उक्त मण्डी परिषद् में कुल कितने कर्मचारी नियुक्त हैं ? क्या सरकार उतरौला मण्डल समिति का भवन बनाकर जनता को सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

कृषि उत्पादन मण्डी समिति, उतरौला, जनपद–बलरामपुर की विगत दो वर्षों में विभिन्न मदों से आय निम्नानुसार हुई है :–

मद	आय (लाख रुपयों में)	
	कृषि वर्ष 2007–2008	कृषि वर्ष 2008–2009
मण्डी शुल्क	58.67	82.21
विकास सेस	14.67	20.50
लाईसेन्स शुल्क	0.50	0.53
प्रपत्र आदि की बिक्री	0.07	0.11
विनियोजित धन पर ब्याज	0.75	1.39
अन्य	1.29	1.55
कुल आय	75.95	106.29

कुल–06

जी हाँ।

नवीन मण्डी स्थल निर्माण हेतु भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ है। अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने पर भवन का निर्माण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री संतोष श्रीवास्तव, उप निदेशक, निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के विरूद्ध शिकायती पत्र

23–चौ० सत्येन्द्र सोलंकी–

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री संतोष श्रीवास्तव, उप निदेशक, निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्यवाही विषयक मा० शब्बीर सदस्य विधान सभा का पत्र दिनांक 23–5–07 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां ? तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

जी हाँ।

मा० सदस्य विधान सभा के उक्त पत्र में मुख्यरूप से श्री संतोष श्रीवास्तव, उप निदेशक, निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के विरूद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत न करके श्री बलविन्दर कुमार, तत्कालीन प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के विरूद्ध भ्रष्टाचार तथा उनके द्वारा श्री संतोष श्रीवास्तव, उप निदेशक, निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार एवं अन्य कर्मचारियों का किये गये समायोजन के संबंध में शिकायत की गयी थी।

मा० शब्बीर सदस्य विधान सभा का पत्र दिनांक 18–07–07, 06–03–08 एवं 19–07–08 प्राप्त हुआ जिसमें मा० शब्बीर सदस्य विधान सभा द्वारा अवगत कराया गया कि मा० मुख्यमंत्री जी को प्रेषित पत्र जिसके पैड की संख्या क–3/167076 है और जिसमें तत्कालीन प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग (श्री बलविन्दर कुमार) के विरूद्ध शिकायत की गयी है, के संबंध में किसी विभागीय व्यक्ति द्वारा उनके पैड पर जल्दीबाजी में उन्हें गुमराह कर उनसे हस्ताक्षर करा लिया गया है। शिकायत पूरी तरह बेबुनियाद व असत्य है। अतः उनके पत्र दिनांक 23.05.07 पर कोई कार्यवाही न की जाय।

प्रश्न नहीं उठता।

वृद्धावस्था पेंशन में बढोत्तरी की मांग

24–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन, मंहगाई को देखते हुए बहुत कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोत्तरी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

जी नहीं।

वर्ष 2007 में शासनादेश सं० 791/26–2–07–100(7)/06टी०सी०–1, दिनांक 13.08.2007 द्वारा प्रदेश में संचालित वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत वृद्धावस्था/किसान पेंशन की दर रु० 150/– प्रति लाभार्थी प्रतिमाह को बढ़ाकर रु० 300/– प्रति लाभार्थी प्रतिमाह किया गया है। इसलिये अभी वृद्धावस्था पेंशन राशि में बढ़ोत्तरी विचारणीय नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सिद्धार्थनगर में नये उद्योगों की स्थापना हेतु योजना

25–श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर जो उद्योग शून्य जनपद है, में नये उद्योगों की स्थापना हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं तो क्यों ?

सुश्री मायावती

जी हाँ।

जनपद सिद्धार्थनगर सहित औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े पूर्वी उत्तर प्रदेश के 29 जिलों में नये उद्योगों की स्थापना हेतु नीति, योजना व दिशा निर्देश जारी किए गये है जो निम्नवत् है :–

- औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति–2004
- उ०प्र० विशेष आर्थिक परिक्षेत्र संशोधित नीति–2007
- औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना
- सार्वजनिक निजी सहभागिता
- सिद्धार्थनगर में 2144 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित है तथा चालू वित्तीय वर्ष में माह दिसम्बर तक 148 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित हुए हैं।
- प्रदेश में संचालित निवेश प्रोत्साहन योजना जिसमें सिद्धार्थनगर भी सम्मिलित है के लिए विशेष छूट का प्राविधान है।
- प्रश्न नहीं उठता।

यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा दलितों से अर्जित की गयी भूमि

26–श्री उदयभान करवरिया

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आपसी समझौते के आधार पर किसानों से भूमि क्रय की जा रही है ? क्या उपरोक्त प्राधिकरण को शासन की अनुमति के बिना दलितों की जमीन खरीदने की छूट दी गयी है ? यदि हां, तो अब तक उपरोक्त प्राधिकरण ने कुल कितने हेक्टेयर जमीन दलितों से खरीदी है तथा दलित कास्तकारों की संख्या किया है?

सुश्री मायावती–

जी हाँ।

यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम–1976 के अन्तर्गत किया गया है तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र को शासन द्वारा औद्योगिक नगरी घोषित किया जा चुका है। उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम–1976 व भूमि अध्याप्ति अधिनियम, 1894 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्राधिकरण को अपने अधिसूचित क्षेत्र में भूमि अर्जन करने एवं विकास कार्य करने का अधिकार प्राप्त है तथा प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अपनी 23वीं बोर्ड बैठक में समझौते के आधार पर भूमि क्रय करने का निर्णय लिया है।

परियोजना हेतु अर्जित की गई भूमि के मध्य पड़ रही तथा अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता के दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा काश्तकारों से सीधे समझौते के आधार पर भूमि क्रय की गई है, जिसमें अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भी भूमि सम्मिलित है तथा जिसका अर्जन/क्रय किया जाना परियोजना की पूर्णता के लिए अपरिहार्य है।

अब तक कुल 89.7591 हे० भूमि अनुसूचित जाति के लोगों से क्रय की गई है तथा अनूसूचित जाति के काश्तकारों की कुल संख्या 334 है।

प्रदेश के कारागारों में निरूद्ध बन्दियों के लिये भोजन पर व्यय की जाने वाली धनराशि

27–श्री राजाराम त्यागी

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के कारागारों में निरूद्ध बंदियों के भोजन पर व्यय की जाने वाली धनराशि वर्ष 1950 से पूर्व के मानकों के आधार पर निर्धारित है ? कारागार में निरुद्ध प्रति कैदी को एक दिन में दिये जाने वाले भोजन की मात्रा एवं उस पर आने वाले व्यय क्या है ? क्या सरकार बढ़ती हुई मंहगाई को देखते हुए कैदियों के भोजन की दरें संशोधित करेगी ? यदि हां? तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं।

प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध बन्दियों के लिए उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल में निर्धारित प्राविधानों एवं शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों में भोजन पर व्यय की जाने वाली धनराशि निर्धारित नहीं है। बन्दियों की भोजन सामग्री की मात्रा/मानक निर्धारित है, जिसका विवरण संलग्न† है। वास्तविक व्यय के अनुसार भोजन हेतु धनराशि उपलब्ध करायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार

उपर्युक्तानुसार।

जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील बांसी में श्री परमात्मा प्रसाद को आवंटित आवासीय जमीन का कब्जा दिये जाने संबंधी पत्र

28–श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का माननीय मुख्य मंत्री को सम्बोधित–पत्र दिनांक 3–9–09 जो जनपद–सिद्धार्थनगर की तहसील बांसी के ग्राम बसन्तपुर में श्री परमात्मा प्रसाद को आवंटित आवासीय जमीन का कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जी हाँ। श्री परमात्मा प्रसाद का आवंटित भूमि पर पूर्व से कब्जा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में उप मण्डी की स्थापना की मांग

29–श्री संजय कपूर–

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद–रामपुर की तहसील विलासपुर के अन्तर्गत आने वाली टाउन एरिया केमरी में कृषकों को उसकी उपज का

---

† देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 253-254 पर।

सही मूल्य दिलाने के लिये उप मण्डी की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

जी हाँ।

उप मण्डी स्थल निर्माण हेतु भूमि का चयन हो गया है भूमि अधिग्रहण कार्यवाही प्रारम्भ है। अधिग्रहण कार्यवाही पूर्ण होने पर उप मण्डी स्थल का निर्माण कराया जायेगा।

प्रश्न हीं नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम अमड़ेरी परगना खेड़ा बझेड़ा में आवंटियों को नियम विरूद्ध कब्जा दिलाये जाने की कार्यवाही

30–श्री राजेश यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की ग्राम सभा अमड़ेरी परगना खेड़ा बझेड़ा तहसील तिलहर के आवासीय पट्टेदारों को गाटा सं० 514,515 के स्थान पर गाटा संख्या 510 में नियम विरुद्ध कब्जा दिलाया गया है ? यदि हां, तो सरकार इसके दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जी नहीं। ग्राम अमड़ेरी परगना खेड़ावझेड़ा, तहसील तिलहर में गाटा संख्या 515 में 12 आवंटियों तथा गाटा संख्या 513 में दो आवंटियों को आवास हेतु दिनांक 09.06.2008 को आवंटन किया गया तथा दिनांक 14.07.2008 को कब्जा दिलाया गया। गाटा संख्या 514 में कोई आवंटन नहीं किया गया। गाटा संख्या 510 में कोई कब्जा व दखल किसी आवंटी को नहीं दिलाया गया है।

वर्तमान में न्यायालय सिविल जज सी०डी० शाहजहांपुर के न्यायालय में इससे सम्बन्धित वाद विचाराधीन है। इस वाद में न्यायालय द्वारा दिनांक 19–09–2009 को यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये है।

प्रदेश में आलू का उत्पादन

31–श्री आरिफ अनवर हाशमी–

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2007–08 की तुलना में वर्ष 2008–09 में प्रदेश में कुल कितना आलू उत्पादन किया गया ? क्या यह सत्य है कि वर्तमान समय में आलू रु० 5/– से बढ़कर 15/– रुपया किलो तक बाजार में बिक रहा है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण है ? क्या सरकार बढ़ रही आलू की कीमतों को नियंत्रित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन सिंह–

प्रदेश में वर्ष 2007–08 में 110.95 मि० टन की तुलना में वर्ष 2008–09 में 108.09 लाख मि० टन आलू का उत्पादन हुआ।

जी नहीं।

वर्तमान में आलू रु० 5/– से रु० 7/– प्रति किलों की दर से फुटकर बिक रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में आलू की कीमतों को देखते हुए इसकी आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा एवं बलरामपुर में आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण करने हेतु पैक्स फेड को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किये जाने की जानकारी

32–श्री आरिफ अनवर हाशमी

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा एवं बलरामपुर में आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण करने हेतु पैक्स फेड को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि कार्यदायी संस्था द्वारा स्वयं काम न कराकर अन्य से भवन निर्माण का कार्य कराया जा रहा है ? क्या सरकार इस प्रकरण की जांच कराकर दोषियों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

(1) जनपद गोण्डा में मल्टीसेक्टोरल योजना संचालित न होने के कारण आंगनवाडी केन्द्र के निर्माण हेतु पैक्स फेड संस्था नामित नहीं है।

(2) जनपद बलरामपुर हेतु नामित पैक्सफेड कार्यदायी संस्था द्वारा स्वयं निर्माण न कराकर अन्य से निर्माण कार्य कराये जाने की जांच हेतु अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग द्वारा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को नामित किया गया है।

उपरोक्त के आधार पर यथास्थिति आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नही उठता।

धान की बुआई से प्रदेश के कृषकों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने की व्यवस्था

33–श्री आरिफ अनवर हाशमी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि धान की बुआई से पूर्ण प्रदेश के किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गयी है, यदि हां, तो किस–किस प्रकार के उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

प्रत्येक वर्ष रबी एवं खरीफ के पूर्व भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय तथा उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में जोनल काफ्रेंस का आयोजन किया जाता है

जिसमें प्रदेश के रबी एवं खरीफ के उर्वरक वितरण के लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। खरीफ 2010 हेतु आयोजित जोनल कांफ्रेस में प्रदेश शासन द्वारा खरीफ 2010 के लिए यूरिया डी०ए०पी०, एन०पी०के० एवं एम०ओ०पी० उर्वरकों की मांग भारत सरकार को भेजा जा चुका है।

रसायनिक उर्वरकों की उपलब्धता हेतु प्रदेश शासन पूरी तरह सरकार पर आश्रित है। प्रदेश शासन निरन्तर भारत सरकार से सम्पर्क में रह कर एवं पत्रों तथा व्यक्तिगत सम्पर्क के माध्यम से अनुश्रवण करते हुए यथासम्भव रसायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु प्रयासरत है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर में लेखपालों के स्थानान्तरण की मांग

34–श्री आरिफ अनवर हाशमी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–गोण्डा की तहसील मनकापुर में एक ही स्थान पर विगत तीन या अधिक वर्षों से कुल कितने लेखपाल नियुक्त है ? क्या शासन की स्थानान्तरण नीति के अनुसार तीन वर्ष से अधिक समय से तैनात लेखपालों का तहसील से बाहर स्थानान्तरण किया जायेगा ? यदि हां? तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

इस जनपद की तहसील मनकापुर में एक ही स्थान पर तीन या अधिक वर्षों से कार्यरत लेखपालों की कुल संख्या 58 है।

स्थानान्तरण नीति के अनुसार लेखपाल किसी एक क्षेत्र पर 03 वर्ष तथा तहसील में 10 वर्ष तैनात रह सकते है। इस नीति के दृष्टिगत उन्हीं लेखपालों को जो 10 वर्ष से अधिक अवधि से तहसील मनकापुर में कार्यरत है को दूसरी तहसील में स्थानान्तरित किया जायेगा तथा 03 वर्ष से अधिक एक क्षेत्र में तैनात लेखपालों को दूसरे क्षेत्र में स्थानान्तरित किया जाएगा।

स्थानान्तरण किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधवा पेंशन बढ़ाये जाने की मांग

35–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विधवाओं को दी जाने वाली विधवा पेंशन की राशि महंगाई को देखते हुए कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे बढ़ाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं। वर्ष 2007–08 में पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिलाओं को देय पेंशन रु० 160/– से बढ़ाकर रु० 300/– प्रति लाभार्थी किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

गोंड, कहार, धुरिया, प्रजापति जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने की मांग

36–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गोड, कहार, धुरिया, प्रजापति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा कोई शासनादेश जारी किया गया है ? यदि हां, तो प्रतापगढ़ की किन–किन तहसीलों में गोंड, कहार, धुरिया तथा नायक को अनु० जाति का प्रमाण–पत्र जारी किया जा रहा है तथा उसका विवरण क्या है ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उप जिलाधिकारी पट्टी द्वारा ग्राम अतरसण्ड में विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों को दिया गया भूमि का पट्टा

37–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप जिलाधिकारी, पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 16–7–2005 से 31–12–07 के मध्य ग्राम अतरसण्ड में विभिन्न श्रेणी के किन–किन लोगों को भूमि का पट्टा दिया गया है ? क्या सरकार उक्त पट्टे की पात्रता का स्थलीय सत्यापन सक्षम अधिकारी से कराकर सत्यापन प्रमाण–पत्र की सूची उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

उप जिलाधिकारी पट्टी द्वारा दिनांक 16–07–05 से 03–12–07 के मध्य ग्राम अतरसण्ड में मत्स्य पालन हेतु अनुसूचित जाति के 07, पिछड़ी जाति के 03, सामान्य जाति के 01 कुल 11 व्यक्तियों को तथा कृषि हेतु अनुसूचित जाति के 61, पिछड़ी जाति के 35 व अन्य जाति के 10 कुल 106 व्यक्तियों को भूमि का पट्टा दिया गया है।

जी हां। सक्षम अधिकारी से पात्रता सत्यापन के उपरान्त ही उक्त आंवटन किये गये हैं। आवंटियों की सूची संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† दखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 255-259 पर।

गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान

38—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मंहगाई को देखते हुए गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान की राशि 30,000/— करने पर सरकार विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री इन्द्रजीत सरोज—

जी नहीं।

अनुदान राशि मात्र सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से है। अतः सहायता राशि के रूप में उपयुक्त है।

39—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह—

[दिनांक 8-2-2010 के अतारांकित प्रश्न संख्या—164 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में दलहनी एवं तिलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ाये जाने हेतु संचालित योजनायें

40—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह—

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में दलहन, तिलहन फसलों का उत्पादन निरन्तर गिर रहा है? यदि हां, तो क्या इनका उत्पादन बढ़ाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी लक्ष्मी नारायण—

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रदेश में दलहनी एवं तिलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2009-10 के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनायें संचालित है :—

1. आईसोपॉम योजना के अन्तर्गत दलहन एवं तिलहन उत्पादन कार्यक्रम।
2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत 19 जिलों में दलहन उत्पादन कार्यक्रम।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत में पशु चिकित्सालय बामनौली, जिवाना गुलियान तथा कमाला में पशु चिकित्सक की तैनाती

41—चौ० सत्येन्द्र सोलंकी—

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बागपत में पशु चिकित्सालय, बामनौली, जिवाना गुलियान तथा कमाला में मानक के अनुसार पशु चिकित्सक व अन्य स्टाफ की तैनाती कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन एवं दुग्ध विकास राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री अवधपाल सिंह यादव)–

जनपद के पशुचिकित्सालय बामनौली, जिवाना, गुलियान व कमाला नवनिर्मित पशुचिकित्सालय है। इन पशुचिकित्सालयों पर पशुचिकित्सक एवं अन्य स्टाफ के पदों को सृजन न होने के कारण तैनाती नहीं की गयी हैं।

इन पशुचिकित्सालयों पर पशुचिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, बागपत द्वारा सप्ताह में 02 दिन समीप के पशुचिकित्साधिकारी की ड्यूटी लगायी गयी है।

श्री चन्द्रपन मल्लाह तहसील मधुबन जनपद मऊ की भूमि पर कब्जा दिलाने के संबंध में पत्र

42–चौ० सत्येन्द्र सोलंकी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 14-2-08, जो श्री चन्द्रपत मल्लाह, पुत्र स्व० श्री प्रसाद, नि०–सरफौरा, तह०–मधुवन, जनपद–मऊ की भूमि पर मा० न्यायालय के आदेशानुसार कब्जा दिलाने के सम्बन्ध में है, प्रमुख सचिव, राजस्व, उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या मा० न्यायालय के आदेशानुसार भू-स्वामी को कब्जा दिला दिया गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो कब तक कब्जा दिला दिया जायेगा?

श्री फागू चौहान–

जी हाँ।

जी नहीं।

विवादित भूखण्ड का स्वत्व (टाइटिल) विवादित है जिसके सम्बन्ध में वाद उप-जिलाधिकारी, मधुवन के न्यायालय में विचाराधीन है। वर्तमान अभिलेखों में चन्द्रपत विवादित भू–खण्ड का अभिलिखित खातेदार नहीं है अतः कब्जा दिया जाना सम्भव नहीं है।

प्रदेश में खाद्यान्न के मूल्य निर्धारण की नीति

43–श्री जोखू लाल यादव–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि प्रदेश में उत्पादित खाद्यान्न के मूल्य निर्धारण की क्या नीति है एवं मूल्य निर्धारण में प्रदेश सरकार की क्या भूमिका है? क्या सरकार किसानों द्वारा उत्पादित अनाजों का लाभकारी मूल्य दिलाने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

44–चौधरी लक्ष्मी नारायण–

प्रदेश के किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा कृषि मंत्री की अध्यक्षता में मूल्य परामर्शदात्री परिषद का गठन किया गया है। उक्त परिषद द्वारा प्रदेश स्तर पर फसलों के उत्पादन में आने वाली लागत आदि का सम्यक अध्ययन कर प्रमुख खाद्यान्नों के सहायक मूल्यों की संस्तुतियां कृषि लागत और मूल्य

आयोग, भारत सरकार को प्रेषित की जाती हैं। आयोग की संस्तुतियों के आधार पर भारत सरकार द्वारा उत्पादित खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है।

मूल्य परामर्शदात्री परिषद की संस्तुति कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को समय से भेजी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के ग्राम पंचायत अम्बरपुर में एक ही परिवार के लोगों को पट्टा दिये जाने संबंधी वाद पर निर्णय

44–श्री राम विशुन आजाद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अम्बरपुर के भू-अभिलेख खाता सं० 298 (सीलिंग) में आवंटियों के रास्ते हेतु छोड़ी गयी भूमि 7.80 एकड़ में रास्ता और शेष भूमि पर पेड़ लगे हैं ? यदि हां, तो क्या राजस्व कर्मियों द्वारा बिना आवंटन किये एक ही परिवार के लोगों को पट्टा कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या उ०प्र० अधिकतम उत्तम जोत सीमा आरोपण अधिनियम की धारा 33/39 के अन्तर्गत उप जिलाधिकारी, मनकापुर के न्यायालय में मामला 98-99 से लम्बित है? यदि हां, तो उस पर निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री फागू चौहान–

जी हां। सीलिंग खाता संख्या 298 का क्षेत्रफल 7.92 एकड़ है, जिसमें रास्ता व पेड़ है।

जी नहीं । इस सीलिंग खाते पर 04 व्यक्तियों के नाम फर्जी रूप से दर्ज हैं।

जी नहीं। धारा 33/39 भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत फर्जी इन्द्राजों के निरस्तीकरण का वाद उपजिलाधिकारी, मनकापुर के न्यायालय से स्थानान्तरित होकर उपजिलाधिकारी, कर्नेलगंज के न्यायालय में लम्बित है।

उक्त वाद सक्षम न्यायालय मे निर्णयाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में महामाया गरीब बालिका आर्शीवाद योजना के अन्तर्गत बी०पी०एल० परिवारों मे बालिकाओं का जन्म

45–श्री राम विशुन आजाद–

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा में महामाया गरीब बालिका आर्शीवाद योजना के अन्तर्गत 15 जनवरी, 2009 के बाद से बी०पी०एल० पात्र परिवारों में कितनी बालिकाओं ने जन्म लिया है? विभिन्न तहसीलों में कितने पात्र बी०पी०एल० परिवारों में जन्मी बालिकाओं को उक्त योजना का लाभ दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

जनपद गोण्डा में महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के अन्तर्गत दिनांक 31.12.2009 तक बी०पी०एल० परिवारों में कुल 1123 पात्र बालिकाओं का जन्म हुआ है।

जनपद की समस्त तहसीलों में दिनांक 15.01.2010 तक कुल 965 पात्र बालिकाओं को लाभन्वित किया जा चुका है। शेष पात्र बालिकाओं को लाभान्वित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा की क्षेत्र पंचायत मनकापुर, वजीरगंज, नवाबगंज में महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र

46–श्री राम विशुन आजाद–

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के क्षेत्र पंचायत मनकापुर वजीरगंज, नवाबगंज में महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के अन्तर्गत कितने सी०डी०पी०ओ० द्वारा कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं? पात्र बी०पी०एल० परिवारों में जन्मी बालिकाओं का सर्वेक्षण किया गया? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि अब तक कितने पात्र परिवारों को लाभ दिया गया है ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त योजना का प्रचार-प्रसार नहीं कराये जाने के कारण पात्र व्यक्तियों को अभी तक लाभ नहीं मिल पाया है? यदि हां, तो क्या सरकार उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

जनपद गोण्डा की क्षेत्र पंचायत मनकापुर में 65, वजीरगंज में 49 एवं नवाबगंज में 45 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

जी हां।

दिनांक 15.01.10 तक कुल 159 पात्र बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है।

योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जा रहा है एवं पात्र बालिकाओं को लाभान्वित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील–बांसी के ग्राम पंचायत बसंतपुर में भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवास स्थल का आवंटन

47–श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील–बांसी के ग्राम पंचायत बसंतपुर में भूमि प्रबन्धक समिति ने अपनी बैठक दि0 31–3–94 को प्रस्ताव पारित करके पात्र व्यक्तियों को आवास हेतु भूमि आवंटित की है तथा उक्त आवासीय पट्टे की स्वीकृति दि0 4–12–95 को उप जिलाधिकारी, बांसी द्वारा की गयी है ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि अभी तक गरीबों को भूमि पर कब्जा नहीं मिल पाया है ? यदि हां, तो कब तक कब्जा दिला दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जी हाँ। भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम पंचायत बसंतपुर ने अपने प्रस्ताव दिनांक 31–03–1994 द्वारा आवास स्थल का आवंटन कुल 18 व्यक्तियों को किया है, जिसकी स्वीकृति उपजिलाधिकारी, बांसी द्वारा दिनांक 4–12–1995 को दी गयी है। सर्वश्री व्यास जी पुत्र जयशंकर, ओम प्रकाश पुत्र तेजनाथ, पिंगलल प्रसाद पुत्र सुक्खू एवं परमात्मा पुत्र जग प्रसाद का मौके पर कब्जा है । शेष 14 आवंटियों को आवंटित भूमि स्थल खाली है किन्तु आवंटी कब्जा नहीं कर रहे है । कब्जा देने हेतु दिनांक 31–01–2010 को ग्राम में सूचना दी गयी, किन्तु दिनांक 02–02–2010 को उक्त आवंटी मौके पर उपस्थित नही हुये ।

ग्राम–मैनहवां, तहसील फरेन्दा, जनपद महाराजगंज में हुई चकबन्दी में श्री गंगा राम की भूमि की पैमाइश चकबन्दी कार्यकर्ता द्वारा छूट जाने के संबंध में पत्र

48–श्री लाल जी यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम–मैनहवां, तप्पा, लेहड़ा, परगना हवेली, तहसील–फरेन्दा, जनपद–महराजगंज में हुई चकबन्दी में गंगाराम पुत्र श्री कोदई के आराजी नं0 484, रकबा–0.686 हे0 भूमि की पैमाइश, चकबन्दी कार्यकर्ता द्वारा छूट जाने के कारण पुनः पैमाइश कराये जाने हेतु मा0 राजस्व मंत्री को प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–237/14–10–2009 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जी नहीं ।

परिवादी द्वारा पैमाइश के संबंध में दिनांक 16–11–09 को उपजिलाधिकारी, फरेन्दा महराजगंज को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था । चूँकि ग्राम मैनहवां का धारा–52(1) का प्रकाशन दिनांक 11–07–09 को हो चुका है । अतः तहसील एवं चकबन्दी स्टाक की संयुक्त टीम द्वारा परिवादी की उपस्थिति में दिनांक 25–11–09 को पुनः चक की पैमाइश कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम कटौली परगना व तहसील मलिहाबाद में धारा –9 ए0(2) में अंकित दायर वाद में दिये गये निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराने की मांग

49–श्री लाल जी यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि न्यायालय चकबन्दी अधिकारी, गोसाईगंज, कैम्प कार्यालय, मलिहाबाद, लखनऊ ग्राम कटौली परगना व तहसील मलिहाबाद धारा–9 ए0 (2) में अंकित दायर वाद सं0–1350/91–92/सी0ओ0 द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 09–01–1993 का अनुपालन सुनिश्चित करा दिया गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसके उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जी हां । प्रश्नगत वाद में पारित निर्णय दिनांक 09–01–1993 का न होकर दिनांक 08–01–1993 का है ।

दिनांक 02–02–1993 को अनुपालन करा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फसलों में प्रचुर मात्रा में कीटनाशक एवं उर्वरकों के प्रयोग से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव की रोकथाम हेतु योजना

50–श्री जोखू लाल यादव–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फसलों की पैदावार बढ़ाने हेतु प्रचुर मात्रा में कीटनाशकों एवं उर्वरकों के प्रयोग के कारण स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके प्रयोग पर रोकथाम हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बागपत के ग्राम गोगनौली में पशु चिकित्सालय खोले जाने के मांग

51–चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बागपत के ग्राम गोगनौली में पशु चिकित्सालय खोले जाने पर सरकार विचार करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव–

जी नहीं ।

ग्राम गोगनौली जनपद–'बागपत से पशु चिकित्सालय–दोघट 07 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है । विभागीय मानक के अनुसार पशुचिकित्सालय के लिए 15,000 पशु एवं दूसरे पशु चिकित्सालय से 09 कि0मी0 की दूरी होनी चाहिए । अतः ग्राम गोगनौली में पशु चिकित्सालय की स्थापना मानक के अन्तर्गत नहीं है।

पशु मांस के निर्यात पर रोक लगाने की मांग

52–चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार पशु मांस के निर्यात पर रोक लगाने पर विचार करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव–

जी नहीं ।

पशु मांस के निर्यात का कार्य केन्द्र/भारत सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार के कार्य क्षेत्र में नहीं है।

जनपद आगरा में रबी सीजन हेतु डी०ए०पी० व यूरिया खाद्य का कोटा

53–डा० राजेन्द्र सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में सहकारी समितियों को चालू रबी सीजन हेतु कृषकों के आवंटन के लिये कितनी डी०ए०पी० व यूरिया खाद्य का कोटा दिया गया है? अभी तक कितने प्रतिशत डी0ए0पी0 व यूरिया खाद्य सहकारी संस्थाओं द्वारा जनपद आगरा में वितरित किया जा चुका है? क्या यह मांग के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार मांग के अनुसार जनपद में खाद्य उपलब्ध करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

जनपद आगरा में रबी 2009–10 हेतु 63,000 मी०टन यूरिया एवं 27,000 मी० टन डी०ए०पी० उर्वरक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें से 24,800 मी. यूरिया एवं 17,310 डी०ए०पी० की मात्रा सहकारिता विभाग के लिए इंगित किया गया था तथा शेष 38,200 मी. यूरिया एवं 9,890 मी० टन डी०ए०पी० अन्य स्रोतों से वितरित किया जाना लक्षित था। भारत सरकार द्वारा उर्वरकों का आवंटन एवं मूवमेंट सप्लाई प्लान तय किया जाता है।

जनपद आगरा में रबी में दिनांक 13 जनवरी, 2010 तक यूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरकों की कुल उपलब्धता एवं वितरण की स्थिति निम्न प्रकार है:

(मात्रा मी०टन में)

क्रम० संख्या	उर्वरक का नाम	उपलब्धता (13.01.2010 तक)	वितरण (13.01.2010 तक)
1	2	3	4
1	यूरिया	57,587	50,203
2	डी०ए०पी०+एन०पी०के० (फास्फेटिक)	22,878	21,597

उपरोक्त में से सहकारिता विभाग में उपलब्धता एवं वितरण की स्थिति निम्न प्रकार है:

(मात्रा मी०टन में)

क्रम० संख्या	उर्वरक का नाम	उपलब्धता (13.01.2010 तक)	वितरण (13.01.2010 तक)
1	यूरिया	19,212	13,713
2	(फास्फेटिक)	10,627	10,132

जनपद आगरा में दिनांक 13 जनवरी, 2110 तक वितरित उर्वरकों में 27 प्रतिशत यूरिया एवं 47 प्रतिशत फास्फेटिक उर्वरक सहकारी क्षेत्र द्वारा वितरित की जा चुकी है

कृषकों को मांग के अनुरूप उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश सरकार निरन्तर प्रयासरत है।

रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता हेतु प्रदेश शासन पूरी तरह भारत सरकार पर आश्रित है। प्रदेश शासन निरन्तर भारत सरकार से सम्पर्क में रहकर एवं पत्रों तथा व्यक्तिगत सम्पर्क के माध्यम से अनुश्रवण करते हुये यथासंभव रासायनिक उर्वरको की उपलब्धता सुनिश्चित कराता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में उद्यान विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया आलू का बीज

54–डा० राजेन्द्र सिंह–

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में उद्यान विभाग द्वारा वर्ष 2008-09 व वर्ष 2009-10 में किसानों को उचित दर पर कितने क्विन्टल आलू का बीज मुहैया कराया गया? क्या मांग के अनुरूप सरकार द्वारा किसानों को बीज उपलब्ध कराया जा सका? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण सिंह–

जनपद आगरा में कृषकों के मध्य वितरण हेतु वर्ष 2008-09 में 2938 कुन्टल एवं वर्ष 2009-10 में 6656 कुन्तल आलू बीज मुहैया कराया गया है।

जी नहीं।

भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये ब्रीडर आलू बीज से विभागीय राजकीय प्रक्षेत्रों पर आधारित श्रेणी का आलू बीज उत्पादित किया जाता है, जो सीमित मात्रा में होता है। जिसका वितरण पूरे प्रदेश में माँग एवं उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

जनपद गोण्डा में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय का उच्चीकरण कर भवन निर्माण

55–श्री राम विशुन आजाद–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा में राजकीय आश्रम पद्धति गोण्डा का उच्चीकरण कर उसके भवन निर्माण हेतु किस वर्ष में कितना धन स्वीकृत हुआ था? क्या सरकार को जानकारी है कि समाज कल्याण निर्माण निगम, गोण्डा द्वारा निर्धारित समय पर भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया था? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार विलम्ब के दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुये उक्त भवन का निर्माण करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, गोण्डा का उच्चीकरण कर उसके भवन निर्माण हेतु वर्षवार निम्नवत् धनराशि स्वीकृत की गई है:

क्रम-संख्या	वर्ष	स्वीकृत धनराशि (लाख रू० में)
1	2002-03	102.62
2	2004-05	194.72
3	2007-08	61.97
	योग	359.31

निर्धारित समय सीमा तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ।

कार्य स्थल पर विद्यमान पुराने जीर्ण-शीर्ण भवन को तोड़ने व मलवा निस्तारण आदि में समय लगने तथा फ्रेम स्ट्रैक्चर भवन प्रस्तावित होने के पश्चात कार्य का स्वरूप परिवर्तित होने के कारण पुनरीक्षित आगणन के अनुसार धनराशि स्वीकृत करा.ये जाने के कारण निर्धारित समय के अंतर्गत कार्य पूर्ण नहीं हो सका है।

वर्णित स्थिति में विलम्ब के लिए कोई दोषी नहीं है। भवन निर्माण के आदेश पहले से ही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों की मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि

56–श्री राम विशुन आजाद–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा में वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 में अनु० जाति छात्रावास की मरम्मत हेतु कितना-कितना धन आवंटित किया गया? क्या सरकार को जानकारी है कि समाज कल्याण निर्माण निगम, गोण्डा द्वारा जो निर्माण कार्य कराया गया है, उसकी गुणवत्ता मानक के अनुसार नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करवाकर कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

जनपद गोण्डा के 03 राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों की मरम्मत हेतु वर्ष 2008-09 में कुल रू० 70.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है।

वर्ष 2007-08 एवं 2009-10 में मरम्मत हेतु कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के बेलखर नाथ धाम, भीखपुरा, देवसरा ब्लाक में कृषि एवं आवासीय पट्टों का आवंटन

57–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–प्रतापगढ़ के बेलखर नाथ धाम, भीखपुरा, देवसरा ब्लाक में वर्ष 2006–07 तथा 2007–08 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित

जनजाति, पिछड़ी जाति एवं सामान्य जाति में कितने–कितने व्यक्तियों की पात्रता के आधार पर कृषि एवं आवासीय पट्टों का आवंटन किया गया है? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त ब्लाकों में कितने पात्र व्यक्ति/परिवार पट्टों के आवंटन से वंचित रह गये हैं?

श्री फागू चौहान–

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक बेलखरनाथ धाम में वर्ष 2006–07 में कृषि भूमि का कोई पट्टा नहीं हुआ है। ब्लाक बेलखरनाथ धाम में आवास हेतु वर्ष 2006–07 में अनुसूचित जाति के 04 सामान्य जाति के 04 व्यक्तियों का पट्टा हुआ है तथा वर्ष 2007–08 कृषि में अनुसूचित जाति के, 16 सामान्य जाति के 01 व्यक्ति का तथा आवास हेतु अनुसूचित जाति के 11 व्यक्तियों का पट्टा हुआ है।

ब्लाक आसपुर देवसरा में वर्ष 2006–07 में कृषि हेतु किसी को पट्टा नहीं हुआ है। आवास हेतु अनुसूचित जाति के 15 तथा सामान्य जाति के 06 व्यक्तियों को पट्टा हुआ है। वर्ष 2007–08 के कृषि हेतु अनुसूचित जाति के 30 सामान्य जाति के 02 व्यक्तियों को एवं आवास हेतु अनुसूचित जाति के 36 व्यक्तियों को पट्टा हुआ है। सामान्य जाति को कोई पट्टा नहीं हुआ है। भीखपुरा नाम का कोई विकास खण्ड नहीं है।

इस प्रकार की कोई सूची उपलब्ध नहीं है।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा आसपुर देवसरा, सण्डवा चन्दिका के अन्तर्गत तालाबों के दिये गये पट्टे

58–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा, आसपुर देवसरा, सण्डवा चन्दिका ब्लाक के अन्तर्गत कितने तालाब आते हैं व उन तालाबों के पट्टे किन–किन समुदाय के लोगों को दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री फागू चौहान–

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा में 1373, आसपुर देवसरा ब्लाक में 1259 एवं सण्डवा चन्दिका ब्लाक में 641 तालाब राजस्व अभिलेखों में अंकित हैं।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा में कुल 71 पट्टे मत्स्य पालन के हुए हैं, जिनमें मछुआ समुदाय को 10 पट्टे, अनुसूचित जाति को 48 पट्टे तथा अन्य जाति को 13 पट्टे हुए हैं।

विकास खण्ड आसपुर देवसरा में कुल 60 पट्टे मत्स्य पालन के हुए हैं, जिनमें मछुआ समुदाय को 11 पट्टे, अनुसूचित जाति को 30 पट्टे तथा अन्य जाति को 19 पट्टे हुए हैं।

विकास खण्ड सण्डवा चन्दिका में कुल 44 मत्स्य पालन के पट्टे हुए हैं जिनमें मछुआ समुदाय को 05 पट्टे हुए हैं जिनमें मछुआ समुदाय को 05 पट्टे, अनुसूचित जाति को 35 पट्टे तथा सामान्य जाति के 04 व्यक्तियों के पट्टे हुए हैं। कतिपय तालाबों के रकबे 0.5 एकड़ से कम होने तथा पानी न रहने के कारण पट्टे नहीं हुए हैं।

प्रदेश में आलू की पैदावार बढ़ाने हेतु कार्य योजना

59—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह—

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आलू की पैदावार को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्य योजना बनायी गयी है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्ष 2009 में सरकार का आलू का उत्पादन का लक्ष्य क्या था तथा वर्ष 2008 के सापेक्ष कितना आलू पैदा हुआ?

श्री नारायन सिंह—

प्रदेश में आलू की पैदावार को बढ़ावा देने के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ०प्र० द्वारा प्रत्येक वर्ष गुणवत्ता पूर्ण आधारित श्रेणी का आलू बीज अग्रेतर श्रेणी में बीजोत्पादन हेतु कृषकों को उपलब्ध कराया जाता है।

प्रदेश में कृषकों को विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आधारित श्रेणी के आलू बीज से अग्रेतर श्रेणी में आलू बीज उत्पादन हेतु राज्य औद्यानिक मिशन योजना के जनपदों में रु० 25000 प्रति हेक्टर की दर से आलू बीज उत्पादन पर अनुदान की सुविधा अनुमन्य है।

वर्ष 2008—09 में प्रदेश में आलू उत्पादन का 125.42 लाख मिट्रिक टन लक्ष्य था जिसके सापेक्ष 108.09 लाख मिट्रिक टन आलू का उत्पादन हुआ है।

प्रदेश में वर्ष 2007—08 में 110.95 लाख मिट्रिक टन आलू का उत्पादन हुआ है।

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र में मिनी स्टेडियम की मांग

60—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह—

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद—प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र में खेलों को प्रोत्साहित करने हेतु मिनी स्टेडियम बनाने की कोई योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?

खेलकूद एवं युवा कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अयोध्या प्रसाद पाल—

जी नहीं।

युवा कल्याण विभाग के आय—व्ययक में नये ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण हेतु समुचित धनराशि की व्यवस्था न होने के कारण निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में व्यक्तियों को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ दिया जाना

61—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद—प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में कितने व्यक्तियों को जुलाई, 2007 से 30 जून, 2009 तक राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ दिया गया है व कितने आवेदन—पत्र अभी भी लम्बित है तथा इनके लम्बित होने के क्या कारण हैं?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में कुल 259 व्यक्तियों को जुलाई, 2007 से 30 जून 2009 तक राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ दिया गया है। योजनान्तर्गत पात्र कोई भी आवेदन पत्र लम्बित नहीं है।

प्रदेश में तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं कानूनगो के रिक्त पद

62–श्री आरिफ अनवर हाशमी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं कानूनगो के कुल कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर भर्ती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

प्रदेश में तहसीलदारों के 58, नायब तहसीलदार के 435 एवं कानूनगो (राजस्व निरीक्षक) के 1103 पद रिक्त है।

जी हाँ।

(क) तहसीलदार के रिक्त पद वर्तमान चयन वर्ष 2009–10 में भरे जाने प्रस्तावित है।

(ख) नायब तहसीलदार के रिक्त पदों पर चयन हेतु चयन वर्ष 2008–09 तक का अभियाचन राजस्व परिषद के पत्र दिनांक 26–07–07, 17–06–08, 16–01–09 द्वारा लोक सेवा आयोग उ0प्र0 इलाहाबाद को भेज दिया गया है।

(ग) कानूनगो संवर्ग में 768 रिक्त पदों पर चयन हो चुका है, अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। शेष पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

उप निदेशक के पद पर प्रोन्नति

63–श्री राम विशुन आजाद–

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उप निदेशक के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय चयन समिति की दिनांक 16–11–2007 को की गई संस्तुतियों को निरस्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? तत्कालीन विभागीय चयन समिति द्वारा तत्समय कितने पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारियों को उप निदेशक के पद पर पदोन्नति हेतु संस्तुति की गई थी ? क्या उप निदेशक के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही पुनः विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अवधेश कुमार वर्मा–

उप निदेशक के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 16–11–2007 को आहूत विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में चयन समिति द्वारा 02 जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारियों श्री मनीष कुमार एवं श्री मुकेशपाल सिंह को उप निदेशक के पद पर प्रोन्नति हेतु संस्तुत किया गया। विभागीय प्रोन्नति समिति की उक्त संस्तुति के क्रम में उक्त दोनों जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारियों को उप निदेशक के पद पर प्रोन्नत किया जा चुका है।

विभागीय चयन समिति ने सामान्य वर्ग के 01 अधिकारी श्री अनुकूल प्रकाश जो मुख्यालय पर विशेष कार्याधिकारी (निःसंवर्गीय) के पद पर कार्यरत है, को भी उप निदेशक के पद पर प्रोन्नति हेतु संस्तुति करते हुये यह संस्तुति की कि श्री अनुकूल प्रकाश को उप निदेशक के पद पर पदोन्नति किये जाने से पूर्व कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27-8-2003 में वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत उप निदेशक के स्वीकृत/सृजित 07 पदों में से 01 रिक्त पद जो पूर्व में आस्थगित रख कर वेतनमान रु0 8000-275-13500 में अस्थायी रूप से विशेष कार्याधिकारी का 01 निःसंवर्गीय पद सृजित किया गया है को कार्मिक/वित्त विभाग की सहमति से समाप्त करके एवं उप निदेशक के आस्थगित उक्त 01 पद को पुर्नजीवित करने के उपरान्त, इनके सम्बन्ध में पृथक से कार्यवाही की जायें।

विभागीय प्रोन्नति समिति की उक्त संस्तुति के क्रम में उप निदेशक के 01 आस्थगित पद को पुर्नजीवित किये जाने के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग की सहमति मांगी गयी थी। कार्मिक विभाग द्वारा उप निदेशक के आस्थगित 01 पद को पुर्नजीवित करने पर सहमति नहीं दी है।

अतः वर्तमान में पदोन्नति की कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

जनपद मथुरा में समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अन्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिये छात्रावास

64-श्री पूरन प्रकाश-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मथुरा के समाज कल्याण विभाग में कुल कितने अनुसूचित जाति एवं अन्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिये छात्रावास हैं? क्या यह सही है कि जनपद-मथुरा में छात्राओं के छात्रावास पर सी0आई0आर0पी0एफ0 द्वारा अवैध कब्जा करने पर पिछले वर्ष अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं विमुक्त जाति की संयुक्त समिति ने स्थल निरीक्षण के उपरान्त उसे मथुरा जिला प्रशासन द्वारा खाली कराने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो क्या उक्त छात्रावास को अवैध कब्जे से मुक्त करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जनपद मथुरा में समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अन्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिये कुल 05 छात्रावास है।

जी हां।

जी हां।

सी0आर0पी0एफ0 को अन्य उपयुक्त भवन नहीं मिल पाया है।

इलाहाबाद मण्डल में पशुपालन विभाग के उप निदेशक कार्यालय में भू-माफियाओं द्वारा कब्जा हटाने की मांग

65-श्री जोखू लाल यादव-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद मण्डल में पशुपालन विभाग के उप निदेशक कार्यालय जो 12 कस्तूरबा गांधी मार्ग, इलाहाबाद में स्थापित है पर भू-माफियाओं

द्वारा कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव–

जी हां।

प्रश्नगत भवन को दि0 19–07–02 को अराजक तत्वों द्वारा कब्जा एवं क्षतिग्रस्त किया जा रहा था जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट तत्कालीन उप निदेशक डा0 ए0सी0 श्रीवास्तव द्वारा थाना कर्नलगंज, इलाहाबाद को दी गयी। प्रभारी निरीक्षक थाना कर्नलगंज द्वारा दि0 20–07–02 को मु0अ0सं0–62307020382 दर्ज किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा में कृषि/आवासीय पट्टों का आवंटन

66–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–प्रतापगढ़ के मंगरौरा ब्लाक में वर्ष 2006–07 तथा 2007–08 में कुल कितने व्यक्तियों को पात्रता के आधार पर कृषि/आवासीय पट्टों का आवंटन किया गया ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि पात्रता का सत्यापन प्रमाण–पत्र अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व द्वारा हस्ताक्षरित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा में वर्ष 2006–07 में कृषि में 01, आवास में 60 तथा वर्ष 2007–08 में कृषि में 154 व आवास में 147 व्यक्तियों को पात्रता के आधार पर पट्टा आवंटन किया गया है।

जी नहीं। सक्षम अधिकारी उप जिलाधिकारी होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी एवं सदर में कृषि एवं आवासीय पट्टों का आवंटन

67–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–प्रतापगढ़ की पट्टी तहसील एवं सदर तहसील में वर्ष 2006–07 तथा 2007–08 में कितने व्यक्तियों को पात्रता के आधार पर कृषि एवं आवासीय पट्टों का आवंटन किया गया है ? क्या उनकी पात्रता का सत्यापन प्रमाण–पत्र अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व एवं मुख्य राजस्व अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

तहसील पट्टी में वर्ष 2006–07 में कृषि में 26 तथा आवास में 179 व्यक्तियों को एवं 2007–08 में कृषि में 282 एवं आवास में 264 व्यक्तियों को पात्रता के आधार पर पट्टे आवंटित किये गये हैं।

तहसील सदर में वर्ष 2006–07 में कृषि में 95 तथा आवास में 115 व्यक्तियों को एवं वर्ष 2007–08 में कृषि में 141 एवं आवास में 161 व्यक्तियों को पात्रता के आधार पर पट्टे आवंटित किये गये हैं।

जी नहीं। सक्षम अधिकारी उप जिलाधिकारी होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

68–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

[दिनांक 09–2–2010 के अतारांकित प्रश्न सं0–88 द्वारा उत्तरित]

इलाहाबाद के प्रत्येक जनपद में लेखपालों स्थानान्तरण की नीति

69–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मंडल के प्रत्येक जनपद में कितने लेखपाल अपनी गृह तहसील में तैनात हैं ? क्या उक्त तैनाती प्रदेश की स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत है ? यदि नहीं, तो क्या इनका स्थानान्तरण किसी अन्य तहसील में किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

इलाहाबाद मण्डल के जनपद कौशाम्बी में 94 लेखपाल, जनपद–इलाहाबाद में 310 लेखपाल, जनपद–फतेहपुर में 187 लेखपाल एवं जनपद–प्रतापगढ़ में 223 लेखपाल अपनी गृह तहसील में तैनात हैं।

लेखपालों की स्थानान्तरण नीति के अनुसार लेखपालों को गृह तहसील में तैनाती पर प्रतिबंध नहीं है। उन्हें साधारणतया अपने गृह स्थान के विकास खण्ड में तैनात नहीं किया जाता।

एक तहसील में 10 वर्ष तैनाती के बाद लेखपालों को अन्य तहसील में स्थानान्तरित किए जाने के निर्देश हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में खाद्य एवं कीटनाशक का आवंटन

70–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2009–10 के बुआई सत्र में प्रतापगढ़ जनपद को प्रत्येक किस्म की कौन–कौन खाद्य एवं कीट नाशक आवंटित किये गये हैं? क्या यह मात्रा मांग के अनुरूप है? यदि नहीं, तो मांग के अनुरूप खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

जनपद प्रतापगढ़ को वर्ष 2009–10 में रबी में यूरिया, फास्फेटिक एवं पोटाश उर्वरकों के लक्ष्य, उपलब्धता एवं वितरण की दिनांक 13.01.2010 तक की स्थिति इस प्रकार है :–

रबी, 2009–10 (मात्रा मी०टन में)

क्र०-सं०	उर्वरक	लक्ष्य रबी 2009–10	लक्ष्य (15.01.10 तक)	उपलब्धता (13.01.10 तक)	वितरण (13.01.10 तक)
1	यूरिया	42000	26280	19711	17150
2	डी0ए0पी0+ एन0पी0के0 (फास्फेटिक)	22500	19475	20667	1800
3	एम0ओ0पी	2000	1680	2010	2000

कृषि रक्षा के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 में कार्बन्डाजिम 50 प्रतिशत, डब्लू0पी0, स्रुट्प्टोमाइसीन सल्फेट 90 प्रतिशत+टट्रासाइक्लीन हाइड्रो क्लोराइड 10 प्रतिशत, थीरम 75 प्रतिशत, डब्लू0एस0, ट्राइकोडरमा बिरडी 01 प्रतिशत, डब्लू0पी0, एनीलोफास 30 प्रतिशत, ई0सी0, ब्यूटाक्लोर 50 प्रतिशत, ई0सी0, पेण्डीमेथिलीन 30 प्रतिशत, ई0सी0, ग्लाइफोसेट 41 प्रतिशत एस0एल0, घुलनशील गंधक 80 प्रतिशत डब्लू0पी0, ब्यूवेरिया बैसियाना 1.15 प्रतिशत डब्लू0पी0, कार्बोफ्यूरान 3 जी, फेनवरलेट 0.4 प्रतिशत डी0पी0, मोक्रोटोफास 36 प्रतिशत एस0एल0, फास्फामिडान 40 प्रतिशत एस0 एल0 एवं 2.4–डी सोडियम साल्ट 80 प्रतिशत डब्लू0पी0 का आवंटन किया गया।

जी हाँ।

रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता हेतु प्रदेश शासन पूरी तरह भारत सरकार पर आश्रित है। प्रदेश शासन निरन्तर भारत सरकार से सम्पर्क में रहकर एवं पत्रों तथा व्यक्तिगत सम्पर्क के माध्यम से अनुश्रवण करते हुए यथासम्भव रसायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु प्रयासरत है।

जनपद संतकबीरनगर की तहसील–मेंहदावल के ग्राम मंगौरा एवं चकेहरा की चकबन्दी कराने की मांग

71–चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–संतकबीरनगर की तहसील–मेंहदावल के ग्राम–मंगौरा एवं ग्राम चकेहरा की चकबन्दी विगत 40 वर्षों से नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों की चकबन्दी करायेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जनपद–संतकबीरनगर की तहसील मेंहदावल के ग्राम मंगौरा में प्रथम चक्र की चकबंदी वर्ष 1971–72 में हो चुकी है।

ग्राम चकेहरा नाम का कोई राजस्व ग्राम तहसील मेंहदावल में नहीं है बल्कि ग्राम कचेहरा राजस्व ग्राम तहसील मेंहदावल में स्थित है जिसकी प्रथम चक्र की चकबंदी वर्ष 1977–78 में हो चुकी है।

उक्त ग्रामों में द्वितीय चक्र की चकबन्दी कराये जाने के संबंध में संबंधित ग्राम सभा एवं जिलाधिकारी स्तर से सुसंगत प्रस्ताव के साथ चकबंदी आयुक्त की संस्तुति/प्रस्ताव प्राप्त होने की स्थिति में विचारोपरान्त चकबंदी आयुक्त को उक्त ग्रामों की चकबन्दी कराये जाने के संबंध में कार्यवाही हेतु अनुमति दिया जाना सम्भावित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में चकबन्दी अधिकारी/सहायक जिला चकबन्दी अधिकारी के रिक्त पद

72–श्री आरिफ अनवर हाशमी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चकबन्दी अधिकारी, सहायक जिला चकबन्दी अधिकारी के कुल कितने पद रिक्त हैं। क्या सरकार इन रिक्त पदों पर भर्ती करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

प्रदेश में चकबन्दी अधिकारी के 20 पद रिक्त हैं। विभाग में सहायक जिला चकबन्दी अधिकारी का कोई पद सृजित नहीं है, बल्कि सहायक चकबन्दी अधिकारी का पद सृजित है, जिसके 300 पद रिक्त हैं।

जी हाँ।

चकबन्दी अधिकारी के रिक्त पदों पर पदोन्नति सहायक चकबन्दी अधिकारी पद से की जाती है। सहायक चकबन्दी अधिकारी संवर्ग की वरिष्ठता सूची मा० उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–6015/एस०एस०/05 में पारित आदेश दिनांक 24.9.05 के द्वारा स्थगित कर दी गयी थी जिसको अपास्त कराने हेतु विभाग द्वारा प्रतिशपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। बाद में मा० उच्च न्यायालय के निर्णय/आदेश दिनांक 29.09.08 द्वारा उक्त वरिष्ठता सूची को खण्डित कर नई वरिष्ठता सूची तैयार करने के निर्देश दिये गये। इस आदेश के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच में स्पेशल अपील संख्या–625/09 रवीन्द्र नाथ पाण्डेय बनाम राज्य व अन्य प्रस्तुत की गयी, जिसमें दिनांक 05.11.08 को पारित आदेश के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय का उपरोक्त आदेश दिनांक 29.09.08 को स्थगित कर दिया गया है, साथ ही प्रश्नगत वरिष्ठता सूची को प्रभाव न देने के भी निर्देश दिये गये हैं। ऐसी स्थिति में पोषक संवर्ग की वरिष्ठता सूची मा0 उच्च न्यायालय में न्यायिक प्रक्रियाधीन होने के कारण चकबन्दी अधिकारी के रिक्त पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है।

सहायक चकबन्दी अधिकारी के 50 प्रतिशत पद चकबंदीकर्ता/आयतकर्ता में से पदोन्नति द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत पद उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं। सीधी भर्ती के रिक्त 234 पदों को भरने हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग को

अधियाचन भेजे जा चुके हैं। पदोन्नति के रिक्त 66 पदों को भरने की कार्यवाही प्रचलित थी, परन्तु पोषक संवर्ग चकबंदीकर्ता/आयतकर्ता की वरिष्ठता सूची रिट याचिका संख्या–977/एस0एस0/09 खुदा बख्श बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.02.09 द्वारा स्थगित कर दी गयी है, जिसे अपास्त कराने हेतु विभाग द्वारा प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जा चुका है। प्रकरण अभी मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इस कारण पदोन्नति की कार्यवाही नहीं की जा रही है। मा0 उच्च न्यायालय का निर्णय हो जाने पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद भरे जा सकेंगे तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्थापित पशु चिकित्सालय

73–श्री आरिफ अनवर हाशमी–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान समय में कुल कितने पशु चिकित्सालय हैं? क्या पशु पालकों को अस्पताल में निःशुल्क दवाओं की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव–

दिसम्बर, 2009 तक प्रदेश में कुल 2200 पशु चिकित्सालय स्थापित हैं।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पशु चिकित्सालय में डाक्टरों के रिक्त पदों को भरने की मांग

74–श्री आरिफ अनवर हाशमी–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पशु चिकित्सालय में डाक्टरों के कुल कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार पशुओं के इलाज एवं बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने हेतु डाक्टरों के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अवधपाल सिंह यादव–

प्रदेश में 694 पशु चिकित्साधिकारियों के पद रिक्त हैं।

जी हाँ।

चयन वर्ष 2009–10 तक रिक्त पदों के सापेक्ष चयन हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है। लोक सेवा आयोग से चयन के पश्चात् रिक्त पदों पर तैनाती की जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

डा० रामेश्वर सिंह को मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का पदभार दिये जाने का प्रकरण

75–श्री जोखू लाल यादव–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा० रामेश्वर सिंह पशु चिकित्साधिकारी, सदर इलाहाबाद, डा0 दिवाकर मिश्र, मुख्य तकनीकी अधिकारी से वरिष्ठ हैं? यदि नहीं, तो डा0 रामेश्वर सिंह को मुख्य चिकित्साधिकारी का पदभार दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री अवध पाल सिंह यादव–

जी नहीं।

डा० दिवाकर मिश्रा द्वारा मुख्य तकनीकी अधिकारी (कुक्कुट), फूलपुर, इलाहाबाद के अतिरिक्त उपनिदेशक, इलाहाबाद मण्डल के सामान्य कार्यों को भी देखा जा रहा है। ऐसी स्थिति में कार्यवाहक उपनिदेशक, पशुपालन विभाग, इलाहाबाद मण्डल द्वारा डा0 रामेश्वर सिंह को अपने कार्य के अतिरिक्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, इलाहाबाद का पदभार दिया गया है।

जनपद महराजगंज के ग्राम धोतिहवा टोला हनुमान गढ़िया, विकास खण्ड लक्ष्मीपुर के श्री भोला को आवंटित पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाये जाने की मांग

76–श्री अमरमणि त्रिपाठी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद में महराजगंज की तहसील–नौतनवां की ग्राम सभा–धोतिहवा टोला हनुमान गढ़िया वि0ख0 लक्ष्मीपुर के भोला पुत्र मिठाई के नाम से गाटा सं0 283–क्षेत्रफल 0.008 हे0 भूमि आवासीय पट्टे के रूप में 24.02.1993 को भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा दिया गया था, जिस पर आज तक कब्जा नहीं दिया गया, बल्कि उक्त पट्टे की भूमि पर बनायी गयी दीवाल व सामान ग्राम प्रधान व भू–माफियाओं द्वारा फेंक दिया गया है ? क्या सरकार उक्त आवंटी को पट्टे का कब्जा दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

भोला पुत्र मिठाई ग्राम धोतिहवा टोला हनुमान गढ़िया विकास खण्ड लक्ष्मीपुर को गाटा संख्या–283 रकबा 0.008 हे0 भूमि को आवासीय पट्टा दिनांक 28.2.1993 को स्वीकृत किया गया था। पट्टे की उक्त भूमि पर आवंटी का कब्जा है। ग्राम प्रधान अथवा भू–माफियाओं द्वारा सामान फेंकने या बेदखल करने की कार्यवाही नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम बहेलिया, जनपद लखनऊ के खाता खतौनी–130 में जलाशय का स्वरूप परिवर्तन व बैनामा/दाखिल खारिज के संबंध में जानकारी

77–चौ0 रवीन्द्र प्रताप–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–लखनऊ के ग्राम बहेलिया में सन् 1383 फसली खतौनी की खाता खतौनी क्रम संख्या 130 जलाशय खाता खतौनी क्रम संख्या–25 में अंकित गाटा संख्या 9/1,42/2,64, 108/2, 105, 109 सरजू देवी प्यारे पुत्र बिहारी अनुसूचित जाति के नाम पर अंकित है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि राजस्व अभिलेखों में खतौनी क्रम संख्या 130 का स्वरूप परिवर्तन करके अपने नाम अंकित कर खाता खतौनी क्रम संख्या–25 में अंकित भूमि को बिना जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति के बैनामा/दाखिल खारिज करा लिया है ? क्या सरकार अवैध रूप से जलाशय का स्वरूप परिवर्तन व

बैनामे को निरस्त कराकर जमींदारी विनाश अधिनियम–1950 की धारा 166 के अन्तर्गत समस्त भूमि ग्राम सभा में अंकित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री फागू चौहान–

ग्राम बहेलिया, परगना व तहसील मलिहाबाद, जनपद लखनऊ की खतौनी 1383–1388 फ0 की खाता संख्या 130 पर गाटा संख्या 56, 172, 200 व 251 जलाशय के रूप में तथा खाता संख्या 25 पर गाटा संख्या 9/1, 42/2, 64, 108/2, 109 कुल 05 गाटे ही सरजू देवी प्यारे, पुत्रगण बिहारी ग्रामवासी के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है, जो अनुसूचित जाति के हैं। गाटा संख्या 105 सरजू आदि के नाम उक्त खाता 25 में अंकित नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता। क्योंकि जलाशय के रूप में अंकित भूमि के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–बलरामपुर में कारागार भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कराने की मांग

78–श्री आरिफ अनवर हाशमी–

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद–बलरामपुर में कारागार भवन का निर्माण कराया जा रहा है ? यदि हां, तो उसकी लागत क्या है तथा किस निर्माण एजेन्सी द्वारा निर्माण कराया जा रहा है ? उक्त कारागार के भवन का निर्माण कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ?

सुश्री मायावती–

जी हाँ।

जनपद बलरामपुर में जिला कारागार के निर्माण की मूल लागत रु० 1558.43 लाख है। उक्त कारागार का निर्माण उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा कराया जा रहा है।

कारागार का निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश में बन्द पड़े कोल्ड स्टोरेज को चालू किये जाने की मांग

79–श्री आरिफ अनवर हाशमी–

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने कोल्ड स्टोरेज वर्तमान में चालू हालत में हैं और कितने बन्द पड़े हैं? क्या सरकार बन्द पड़े कोल्ड स्टोरेज को पुनः चालू करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह–

प्रदेश में वर्तमान में 1382 कोल्ड स्टोरेज चालू हैं एवं 289 कोल्ड स्टोरेज बंद हैं।

प्रदेश में बन्द पड़े कोल्ड स्टोरेजों में से, जो कोल्ड स्टोरेज चालू हो सकते हैं, उन्हें चालू कराने हेतु यथोचित कार्यवाही करने के लिए प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी/ जनपदीय

लाइसेंसिग अधिकारी (शीतगृह) को शासनादेश संख्या–3178/58–2009–100(2)/2001, दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 एवं शासनादेश सं0–210/58–2010–100(2)/2001 दिनांक 15 जनवरी, 2010 द्वारा आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का क्रियान्वयन

80–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इंन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू है ? यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत जनपद–प्रतापगढ़ में कितने लाभार्थियों को पेंशन दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

जी हाँ।

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत जनपद–प्रतापगढ़ में 62912 लाभार्थियों को पेंशन दी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में विधवाओं को स्वीकृत पेंशन

81–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–प्रतापगढ़ में 31 मार्च, 2009 तक कितनी विधवाओं को पेंशन स्वीकृत की गयी है ? वर्ष 2009–10 में कितनी नयी विधवा पेंशन स्वीकृत किये जाने का लक्ष्य है ? लक्ष्य के सापेक्ष कितने पात्रों का अब तक चयन किया जा चुका है ?

सुश्री मायावती–

जनपद प्रतापगढ़ में 31 मार्च, 2009 तक कुल 25634 विधवाओं को पेंशन स्वीकृत की गयी है।

समस्त पात्र नवीन लाभार्थियों को स्वीकृत किये जाने का लक्ष्य है।

1528 पात्र महिलाओं के आवेदन–पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसके लिये अतिरिक्त लक्ष्य/धनावंटन की कार्यवाही विचाराधीन है।

जनपद प्रतापगढ़ में दस्तावेजों में तालाबों या पोखरों को अपने मूल स्वरूप में लाये जाने की मांग

82–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृपा करेंगे कि जनपद–प्रतापगढ़ में 01 जुलाई, 1952 में पोखरें/तालाब दस्तावेजों/(खतरा/खतौनी) में दर्ज थे, वे क्या अब मौके पर नहीं है ? क्या मा0 उच्चतम न्यायालय के 25 जुलाई, 2001 के निर्णय के अनुसार 1952 को आधार वर्ष मानकर तालाबों या पोखरों को अपने मूल स्वरूप में लाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जनपद प्रतापगढ़ में 01 जुलाई 1952 में जो तालाब/पोखरे दस्तावेजों में दर्ज थे वे अभी भी मौके पर हैं, किन्तु उनमें से 49.608 हे0 क्षेत्रफल पर स्थायी निर्माण करके स्थल आबादी हो गयी है तथा 1482.673 हे0 रकबा चकबन्दी के कारण कम हो गया है।

सन् 1952 को आधार वर्ष माने जाने का उल्लेख मा० उच्चतम न्यायालय के प्रश्नगत निर्णय में नहीं है। उक्त निर्णय में पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से तालाबों के संरक्षण के निर्देश है जिसके अनुरूप तालाबों से अतिक्रमण हटाने तथा तालाबों को गहरा करके उनके स्वरूप को बचाए रखने की कार्यवाही की जाती है।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में मिनी स्टेडियम की योजना

83–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में वर्ष 2007–08 से दि0 31–7–2009 तक जिला योजना में मिनी स्टेडियम हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत हुई थी। क्या सरकार बतायेगी कि क्या स्थल स्वीकृत कर कार्य शुरू किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अयोध्या प्रसाद पाल–

जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र–पट्टी में स्टेडियम निर्माण हेतु वर्ष 2007–08 से 31.07.2009 तक जिला योजना में कोई बजट प्राविधान नहीं किया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

युवा कल्याण विभाग के बजट में नये ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण हेतु समुचित धनराशि की व्यवस्था न होने के कारण ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रदेश में बी०टेक०बी०सी०ए०वी०आई० में प्रवेश हेतु एन०आर०ई० कोटा

84–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बी०टेक०बी०सी०ए०वी०आई० में प्रवेश हेतु एन०आर०ई० कोटा कितने प्रतिशत निर्धारित है एवं सरकार को इसके सापेक्ष कितनी विदेशी मुद्रा चालू सत्र में अर्जित हुई है? क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि एन०आर०ई० के अभ्यर्थी न मिलने की दशा में उनके स्थान पर किन छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा तथा इसके लिए सरकार ने क्या नीति बनाई है ? क्या प्रबन्ध तंत्र को अपने स्तर से प्रवेश का अधिकार प्राप्त है ? यदि नहीं, तो क्यों?

व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री सदल प्रसाद)–

शासन द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी अभियंत्रण संस्थाओं में बी०टेक०पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 05 प्रतिशत एन०आर०ई० कोटा एवं निजी क्षेत्र में स्थापित अभियंत्रण/व्यावसायिक संस्थाओं में 15 प्रतिशत एन०आर०ई०/ मैनेजमेंट कोटा निर्धारित है एन०आर०ई० कोटे में प्रवेशित छात्रों से लिया जाने वाला शुल्क संबंधित संस्था द्वारा सीधे लिया जाता है संबंधित संस्थाओं में जमा होने वाले शिक्षण शुल्क के रूप में विदेशी मुद्रा के समतुल्य धनराशि भी जमा कराई जाती है । उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार चालू सत्र 2009–10 में एन०आर०ई० कोटे के छात्रों से कुल रु0 4,02,55,780.00की धनराशि भारतीय मुद्रा में प्राप्त हुई है।

बी०सी०ए०वी०आई० पाठ्यक्रम व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित नही होता है ।

शासन द्वारा वित्तपोषित संस्थाओं की 05 प्रतिशत एन०आर०ई० कोटा में प्रवेश दिये जाने के पश्चात् यदि कतिपय, सीटें रिक्त रहती है तो उक्त रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु एन०आर०ई० के अभ्यर्थी न मिलने की दशा में उनके स्थान पर प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से आन लाइन काउन्सिलिंग द्वारा मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जाने की व्यवस्था है जबकि निजी संस्थाओं में एन०आर०ई० कोटे के सापेक्ष अभ्यर्थी न मिलने से रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु शासनादेश संख्या 669/सोलह–1–2007–1(15)–2006, दिनांक 26 फरवरी 2008 में मापदण्ड एवं प्रक्रिया निर्धारित किया गया है जिसका प्रसारण प्रवेश परीक्षा हेतु निर्गत ब्रोशर के अंतर्गत रहता है।

जी हां। उपरोक्त शासनादेश के अनुसार।

प्रश्न नही उठता।

प्रदेश में महिला कल्याण के अन्तर्गत नयी परियोजना केन्द्र खोलने का विचार

85–चौ० सत्येन्द्र सोलंकी–

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में महिला कल्याण के अन्तर्गत नयी परियोजना केन्द्र खोलने का विचार कर रही है? यदि हां, तो उक्त केन्द्र कब तक स्थापित कर दिये जायेंगे ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रतिकर निर्धारण हेतु लम्बित मामलों में अभिनिर्णय की तिथि से कार्यवाही लागू की जाने की मांग

86–श्री सुन्दर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 05 नवंबर, 2001 को सम्पन्न बैठक में यह निर्णीत हुआ था कि प्रतिकर निर्धारण हेतु लम्बित मामले (पेंडिंग केसेज) में अभिनिर्णय की तिथि के तहत निस्तारित किये जायें और शेष नये मामलों में करार किये जाने की तिथि के 15 दिन के भीतर 100 प्रतिशत भुगतान प्रतिकर की तिथि को आधार बनाकर निस्तारित किये जायें, करार के 15 दिन के भीतर भुगतान न होने की स्थिति में भू–अध्यापित अधिनियम में दिये गये प्राविधानों के अनुसार ब्याज भी देय होगा? यदि हां, तो क्या उक्त उच्चस्तरीय निर्णय प्रदेश के जनपदों में विभिन्न योजनाओं हेतु अधिग्रहीत भूमि पर भी लागू की जा रही है? यदि हां, तो कब से ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

प्रश्नगत विषय पर तत्कालीन राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में बैठक दिनांक 05 नवम्बर 2001 को न होकर दिनांक 08 नवंबर 2001 सम्पन्न हुई थी । दिनांक 08 नवम्बर, 2001 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में शासनादेश सं० 25 भा०स०/1–13–2001–20(160)/2001–रा०–13 दिनांक 27 नवम्बर 2001 भी जारी किया गया जिसमें यह व्यवस्था दी गयी कि प्रश्नगत प्रकरण में लम्बित मामलों में (पेंडिंग केसेज) में अभिनिर्णय की तिथि के आधार पर प्रतिकर निर्धारण की कार्यवाही की जाए तथा आगे नये मामलों में करार के आधार पर 15 दिनों के भीतर 100 प्रतिशत भुगतान करने की तिथि के आधार पर निस्तारित किये जाएं अन्यथा 15 दिनों के बाद भुगतान करने पर भू–अर्जन अधिनियम में दी गयी व्यवस्था के अनुसार ब्याज भी देय होगा।

जी नहीं।

प्रश्न नही उठता।

क्योंकि उक्त शासनादेश दिनांक 27 नवंबर 2001 को मा० मंत्रि–परिषद की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में शासनादेश सं० कै०स०–06/1–13–07–20(160) /2000–रा०–13 दिनांक 27 नवंबर 2007 द्वारा निर्गमन की तिथि से प्रभाव शून्य घोषित करते हुए निरस्त कर दिया गया है।

जनपद गोण्डा के तहसील तरबगंज, करनैलगंज के अन्तर्गत बाढ़ पीड़ित परिवारों को सहायता

87–श्री राम विशुन आजाद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के तहसील तरबगंज, करनैलगंज के अन्तर्गत कितने गांव बाढ़ से इस वर्ष प्रभावित हुये एवं उनमें कितने परिवारों की

जन क्षति, मवेशी क्षति, फसल क्षति एवं आवास क्षति हुई है ? सरकार द्वारा पीड़ित परिवारों को क्या–क्या सहायता दी गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जी हां।

जनपद गोण्डा के तहसील तरबगंज, के 50 गाँव तथा तहसील करनैलगंज 10 गाँव कुल 60 गाँव बाढ़ से प्रभावित हुये । तहसील तरबगंज के 9 एवं करनैलगंज में 4 कुल 13 जन हानि हुई। तहसील तरबगंज में मवेशी क्षति शून्य है तथा तहसील करनैलगंज 2 मवेशी क्षति हुई है। तहसील तरबगंज में फसल क्षति 50 प्रतिशत से कम तथा तहसील करनैलगंज में 43 कृषकों की फसल क्षति 50 प्रतिशत से अधिक हुई है एवं 53 कृषक भूमि कटान से प्रभावित हुये हैं। तहसील तरबगंज के 311 तथा करनैलगंज के 483 आवासीय मकानों की क्षति हुई हैं ।

आपदा राहत निधि से दी गयी व्यवस्थानुसार मृतक परिवारों के आश्रितों को प्रत्येक मृतक एक लाख की दर से 13 लाख रूपये की सहायता वितरित की गयी । 2 मवेशियों की क्षति पर रु0 20,000/– भुगतान पशु स्वामियों को किया गया।

आवासीय क्षति पर तहसील तरबगंज के 90 तथा तहसील करनैलगंज के क्षतिग्रस्त झोपड़ियों की नदी में कटान के कारण रु0 184000/– का वितरण किया गया। तहसील तरबगंज के 311 आवासीय मकानों की क्षति पर रु0 6,52,500/– तहसील करनैलगंज के 483 आवासीय मकानों की क्षति पर रु0 7,55,500/– एवं 43 कृषकों की फसल क्षति पर कृषि निवेश अनुदान मद मे रु0 29,668/– तथा भूमि कटान से प्रभावित 53 कृषकों को रु0 7,46,715/– वितरित किया गया । बाढ़ अवधि के दौरान प्रभावित 16180 व्यक्तियों में रु0 3,52,588/–का खाद्यान व अन्य राहत सामग्री का वितरण किया गया ।

प्रश्न नही उठता ।

तहसील तरबगंज, जनपद गोण्डा के अभिलेखागार में जलाये गये अभिलेखों का विवरण

88–श्री राम विशुन आजाद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के तहसील तरबगंज, के अभिलेखागार में राजस्व अधिकारियों की लापरवाही से कितने गॉवों के अभिलेख जलकर राख हो गये है?क्या सरकार उक्त प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नही, तो क्यों?

श्री फागू चौहान–

तहसील तरबगंज के अभिलेखागार सहित रजिस्ट्रार कानूनगो कार्यालय के जलाये गये अभिलेखों का विवरण निम्नवत् है:-

1–षटवार्षिक खतौनी वर्ष 1391–96 दो जिल्द ग्राम–बरौली

2–प०क०–23 आदेश सम्बन्धी गार्ड फाईल

3–आयुक्त, अपर आयुक्त के आदेश की अंकन सम्बन्धी गार्ड फाईल

4–खतौनी संबंधी पत्रावली जो करेक्शन हेतु लेखपालों को तहसीलदारों के आदेश से प्राप्त करायी जाती थी ।

5–पत्रावली आदान प्रदान रजिस्टर

6–कृषि आवास, वृक्षारोपण, मत्स्यपालन 122 बी 4 एफ, 123(1) 123(2), कुम्हारी कला की क्रमश:39,29,10,38,11,3,1,1इस प्रकार कुल 132 आवंटन पत्रावलियाँ ।

इस संबंध मे रजिस्ट्रार कानूनगो श्री गिरीश चन्द्र सोनकर व परम दत्त द्वारा स्थानीय थाना तरबगंज, गोण्डा में दिनांक 13 सितम्बर 2009 की प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज करायी जा चुकी है । पुलिस द्वारा की गयी व्यापक जांच से आशुलिपिक श्री सजीवन लाल यादव व प्रभारी राजस्व निरीक्षक श्री नन्द कुमार तिवारी सहित हरी राम व कालिका प्रसाद दोषी पाये गये, जिनके विरुद्ध अपराध संख्या 291/2009 अन्तर्गत धारा 457/380/411/120बी–आई०पी०सी०, व धारा 3/4 लोक सम्पत्ति निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रतापगढ़ के पट्टी स्थित आई०टी०आई० के भवन तथा हास्टल की दशा सुधारने हेतु योजना

89–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रतापगढ़ के पट्टी स्थित आई०टी०आई० के भवन तथा हास्टल की रंगाई पुताई कई वर्षों से नहीं हुई है? क्या शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ की भी कमी है एवं ट्रेनीज के लिए शिक्षण काम में प्रयुक्त होने वाली सामग्री भी पर्याप्त नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रतापगढ़ के पट्टी आई०टी०आई० की दशा सुधारने हेतु कोई समयबद्ध कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सदल प्रसाद–

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पट्टी प्रतापगढ़ का नया भवन निर्मित होकर प्राप्त हुआ है। आई०टी०आई० में हास्टल के प्राविधान नहीं है ।

जी नहीं।

अनुदेशक के 08 पद में से 05 पद भरे हुए हैं एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ के सभी पद भरे हुए हैं। शिक्षण काम में प्रयुक्त होने वाली सामग्री उपलब्ध हैं।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पट्टी प्रतापगढ़ का चयन केन्द्र सरकार द्वारा संचालित पब्लिक प्राईवेट पार्टनर योजना के अन्तर्गत उच्चीकरण हेतु किया गया है जिसके

अन्तर्गत संस्थान विकास योजना विकसित की गयी है तथा भारत सरकार से रुपया 2.5 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण संस्था को प्राप्त हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

नये शीतगृह बनाने एवं पुराने शीत गृहों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु सब्सिडी राशि

90—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह—

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नये शीत गृह बनाने एवं पुराने शीत गृहों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु वर्तमान में कितने प्रतिशत सब्सिडी दिये जाने का प्राविधान हैं? क्या आलू सहित अन्य खाद्य वस्तुओं के सुरक्षित भण्डारण हेतु बनाये गये पुराने शीत गृहों के अतिरिक्त कक्ष निर्माण के सापेक्ष देय सब्सिडी जनपद प्रतापगढ़ को प्रदान कर दी गयी है? यदि हाँ, तो सब्सिडी हेतु प्रस्ताव निदेशालय एवं शासन का किन—किन शीत गृहों को प्राप्त हुआ है? क्या ब्याज सहित अनुमन्य सब्सिडी राशि सरकार शीत गृहों को उपलब्ध करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नरायन सिंह—

राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजनान्तर्गत शीत गृहों की स्थापना एवं पुराने शीतगृहों के अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु प्रति इकाई लागत धनराशि रु0 200 लाख (5000 मिट्रिक टन क्षमता अथवा उससे अधिक) के लिए 25 प्रतिशत, अधिकतम धनराशि रु0 50 लाख का अनुदान क्रेडिट लिंक्ड बैंक एण्डेड सब्सिडी के रूप में भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार देय है ।

जी नही।

पुराने शीत गृहों के अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुद्रणालय ऐशबाग लखनऊ में तैनात कर्मचारियों द्वारा गोपनीय दस्तावेजों की छपाई की गोपनीयता भंग किये जाने विषयक शिकायती—पत्र

91—श्री लाल जी यादव—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ में तैनात कर्मचारियों द्वारा गोपनीय दस्तावेजों की छपाई की गोपनीयता भंग किये जाने विषयक संलग्नक

सहित प्रश्नकर्ता का शिकायती–पत्र दिनांक 9 जून, 2009 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र की गम्भीरता को देखते हुये दोषियों को चिन्हित कर दण्डित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर की तहसील आलापुर के ग्राम सभा हरदिहा जलाल के अन्तर्गत तालाबों के पट्टे

92–चौ० सत्येन्द्र सोलंकी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर के ग्राम सभा हरदिहा जलाल के अन्तर्गत कितने तालाब हैं ? उन तालाबों के पट्टे किन–किन समुदाय के लोगों को दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जनपद अम्बेडकर नगर की तहसील आलापुर के ग्राम सभा हरदिहा जलाल के अन्तर्गत 4 राजस्व ग्राम उमरी जलाल हरदिहा, अशरफपुर व केशरपुर है । राजस्व ग्राम अशरफपुर व हरदिहा में कोई तालाब राजस्व अभिलेख में अंकित नहीं है । ग्राम केशरपुर में 4 तालाब/0.440 हे0 व ग्राम उमरी जलाल में 12 तालाब/2.601 हे0 कुल 16 तालाब/3.041 हे0 अभिलेख में अंकित हैं ।

तालाब मत्स्य पालन योग्य न होने की स्थिति में किसी भी तालाब का पट्टा किसी भी व्यक्ति या समुदाय के लोगों को नहीं किया गया है।

कोई भी तालाब मत्स्य पालन योग्य नहीं है।

पशुपालन विभाग के निदेशक, उप निदेशक, संयुक्त निदेशक, अपर निदेशक के पदों पर आरक्षित पदों की जानकारी

93–श्री जोखू लाल यादव–

क्या पशु धन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पशुपालन विभाग के उप निदेशक, संयुक्त निदेशक, अपर निदेशक एवं निदेशक के पद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो किस शासनादेश के अन्तर्गत वर्तमान में उपरोक्त सभी पदों पर एक ही वर्ग (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित) के ही अधिकारी पदस्थ हैं?

श्री अवधपाल सिंह यादव–

निदेशक का पद एकल होने के कारण अनारक्षित है । उप निदेशक, संयुक्त निदेशक एवं अपर निदेशक के पदों पर नियमानुसार आरक्षण अनुमन्य है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव में रबी फसल हेतु डी0ए0पी0 खाद्य का आवंटन

94–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–उन्नाव में वर्ष 2009 की रबी फसल हेतु कितनी डी0ए0पी0 खाद्य का आवंटन किया गया है ? क्या यह भी सही है कि कृषकों को पर्याप्त खाद्य नहीं मिल पाने के कारण गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है ? क्या सरकार द्वारा इसके निराकरण हेतु कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

जनपद उन्नाव में रबी फसल 2009–10 हेतु दिनांक 13 जनवरी, 2010 तक 16,473 मी0टन डी0ए0पी0 उपलब्ध करायी गयी ।

जी नहीं । डी0ए0पी0 की कमी की समस्या राष्ट्रव्यापी रही एवं भारत सरकार ने इसके स्थान पर अन्य फास्फेटिक उर्वरक एन0पी0के0 उपलब्ध कराया । जनपद उन्नाव हेतु रबी 2009–10 में डी0ए0पी0 व अन्य फास्फेटिक उर्वरकों की उपलब्धता की स्थिति दिनांक 13 जनवरी, 2010 तक इस प्रकार है :

(मात्रा मी0 टन में)

उर्वरक का नाम	लक्ष्य (15.01.10 तक)	उपलब्धता (13.01.10 तक)	वितरण (13.01.10 तक)	उपलब्धता प्रतिशत
डी0ए0पी0	19,090	16,473	14,681	86
एन0पी0के0	830	6,000	5,746	723
योग (फास्फेटिक)	19,920	22,473	20,427	113

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि फास्फेटिक उर्वरकों की जनपद उन्नाव में उपलब्धता सन्तोषजनक रही।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वृद्धा पेंशन की आयु सीमा घटाने की मांग

95–श्री जोखू लाल यादव–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि व्यक्ति की वर्तमान औसत आयु को देखते हुये वृद्धा पेंशन की आयु सीमा 60 वर्ष घटाकर 55 वर्ष करने पर क्या सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त आशय का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

जी नहीं। जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान औसत आयु को देखते हुये 60 वर्ष की आयु उचित है।

जनपद गोण्डा में शादी अनुदान हेतु अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों के आवेदन–पत्र

96–श्री राम विशुन आजाद–

क्या सामाज कल्याण मंत्री बताने के कृपा करेंगे कि जनपद–गोण्डा में वर्ष 2007–08 व 2009–10 में शादी–विवाह अनुदान हेतु अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों के कितने आवेदन–पत्र 31 अक्टूबर, 2009 तक प्राप्त हुये एवं कितने पात्र व्यक्तियों को उक्त वर्षों में शादी विवाह अनुदान दिया गया ? शेष आवेदन–पत्रों पर कब तक विचार किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

जनपद गोण्डा में शादी अनुदान हेतु वर्ष 2007–08 में जांचोपरान्त 613 आवेदन पत्र पात्र पाये गये और उक्त सभी को शादी हेतु अनुदान स्वीकृत कर दिया गया है। शादी अनुदान हेतु वर्ष 2009–10 में 31 अक्टूबर, 2009 तक जांचोपरान्त 342 आवेदन पत्र पात्र पाये गये और उक्त सभी को अनुदान स्वीकृत कर दिया गया है।

सभी पात्र पाये गये आवेदकों को अनुदान स्वीकृत कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

सीजनल संग्रह अमीनों की नियमित नियुक्ति का फैसला

97–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीजनल संग्रह अमीनों की नियमित नियुक्ति का फैसला वर्ष 2002 व 2003 में लिया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त फैसले पर अमल हो गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नही, तो कब तक अमल हो जायेगा ?

श्री फागू चौहान–

उ0 प्र0 संग्रह अमीनों की सेवा नियमावली 1974 (यथा संशोधित 2004 तक) के अन्तर्गत संग्रह अमीन के 35 प्रतिशत पदों को सामयिक संग्रह अमीनों से भरे जाने की व्यवस्था पूर्व से ही है।

संगत सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जाती है।

नियमित नियुक्ति की कार्यवाही एक सतत् प्रक्रिया है। इस सम्बन्ध में तिथि नियत नहीं की जा सकती है।

जनपद बरेली के ग्राम मुहीउद्दीनपुर में खलिहान की भूमि पर जबरन अवैध निर्माण करने संबंधी शिकायती–पत्र

98–श्री सुल्तान बेग–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली, तहसील बहेड़ी के ग्राम मुहीउद्दीनपुर में खलिहान की भूमि गाटा सं0 225 पर जबरन अवैध कब्जा करके अवैध निर्माण करने सम्बन्धी प्रश्न कर्ता का मुख्यमंत्री को प्रेषित शिकायती पत्र सं0 सी0एम0/वि0को/एम–210398/2009, दिनांक 12–10–2009 उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराकर अवैध निर्माण हटायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जी नहीं। संदर्भित–पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय से जिलाधिकारी, बरेली को सीधे प्राप्त हुआ।

ग्राम मुहीउद्दीनपुर, परगना कावर, ब्लाक शेरगढ़ तहसील बहेड़ी जनपद बरेली स्थित गाटा संख्या 225 रकबा 0.260 हे0 राजस्व अभिलेखों मे खलिहान दर्ज है। उक्त खलिहान पर अवैध कब्जेदारों सतेन्द्र सिंह आदि द्वारा पक्का मकान बनाकर कब्जा करने के संबंध में बेदखली– कार्यवाही के अन्तर्गत न्यायालय, तहसीलदार बहेड़ी में वाद संख्या 9/2009–10, ग्राम सभा बनाम सतेन्द्र सिंह, 10/2009–10 ग्राम सभा बनाम वीरेन्द्र सिंह, 11/2009–10 ग्राम समाज बनाम निशान सिंह, 12/2009–10 ग्राम समाज बनाम नरेन्द्र सिंह, 13/2009–10 ग्राम सभा बनाम बीर सिंह, 14/2009–10 ग्राम सभा बनाम राजवीर सिंह, 15/2009–10 ग्राम समाज बनाम रन सिंह, 16/2009–10 ग्राम सभा बनाम प्रेमपाल सिंह अन्तर्गत धारा 122बी उ0 प्र0 ज0 वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, विचाराधीन है। प्रश्नगत वादों में न्यायालय से अन्तिम आदेश पारित होने के उपरान्त ही नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

जनपद बरेली, ग्राम पण्डेरा के पट्टेदारों को तालाबों पर किये गये दबंग लोगों के अवैध कब्जे हटाने संबंधी पत्र

99–श्री सुल्तान बेग

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील जनपद बरेली, तहसील बहेडी के ग्राम पण्डेरा के पट्टेदारों के तालाबों पर किये गये दबंग लोगों के अवैध कब्जे हटाने सम्बन्धी प्रश्न कर्ता का मुख्य मंत्री को प्रेषित शिकायती–पत्र सं० सी०एम०/वि०को/एम–210882/2009, दिनांक 20–10–2009 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री फागू चौहान–

जी हां। जांचोपरान्त कार्यवाही करते हुए पट्टेदार बुद्धसेन पुत्र श्री नत्थू लाल को तालाब गाटा सं० 285 रकबा 0.948 हे० एवं पट्टेदार रमेश पुत्र बुद्धसेन को तालाब गाटा संख्या 197 रकबा 0.506 हे0 पर कब्जा दिलाया गया। अन्य तालाबों पर पाये गये अवैध कब्जे के सम्बन्ध में निम्न कार्यवाही की गई:–

ग्राम पण्डेरा की तालाब भूमि के गाटा संख्या 88 रकबा 0.506 हे०, गाटा संख्या 89 रकबा 0.114 हे०, गाटा संख्या 100 रकबा 0.202 हे०, गाटा संख्या 101 रकबा 0.164 हे०, गाटा संख्या 103 रकबा 0.113 हे० कुल योग पांच किता रकबा 1.089 हे० पर मा० सदस्य विधान सभा श्री सुल्तान बेग पुत्र पर श्री हाजी दूल्हा बेग निवासी पण्डेरा, तहसील बहेड़ी, जिला बरेली का ही अवैध कब्जा है इस संबंध में सार्वजनिक सम्पत्ति का निजी उपयोग करके राज्य सरकार को क्षति पहुँचाये जाने के संबंध में मा० विधायक के विरुद्ध थाना शेरगढ़ में अपराध संख्या 59/10 अन्तर्गत धारा 447, 448 भा० दं० सं० के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया है तथा जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 122–बी के अन्तर्गत वाद तहसीलदार (न्यायिक) बहेड़ी के न्यायालय में लम्बित है।

100–डा० राजेन्द्र सिंह–

[दिनांक 09–2–2010 के अतारांकित प्रश्न संख्या–86 द्वारा उत्तरित]

जनपद रायबरेली में स्थापित कृषि रक्षा इकाई व राजकीय कृषि बीज भण्डार

101–श्री राजाराम त्यागी

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली में कितने कृषि रक्षा इकाई व राजकीय कृषि बीज भण्डार स्थापित हैं ? इनमें से बछरावां विधान सभा में कितने हैं, एवं कहां–कहां स्थापित हैं? क्या इन केन्द्रों पर किसानों को मुफ्त बीज या दवायें दिये जाने की योजना रहती है? यदि हां, तो वर्ष 2008–09 तथा 2009–10 में अक्टूबर, 2009 तक किन–किन किसानों को इस सुविधा का लाभ दिया गया ? क्या सरकार इसका विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि हां? तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

जनपद रायबरेली में 19 कृषि रक्षा इकाई है, तथा 19 राजकीय कृषि बीज भण्डार स्थापित है।

बछरावां विधान सभा क्षेत्र में तीन कृषि रक्षा इकाइयां एवं तीन राजकीय कृषि बीज भण्डार है जो बछरावां, शिवगढ़ एवं महराजगंज में स्थापित हैं।

राज्य पोषित योजना के अन्तर्गत चयनित कृषकों को केवल प्रदर्शन हेतु निःशुल्क बायोपेस्टीसाइड्स/ बायोएजेन्ट्स दिये जाने का प्राविधान है। किसानों को निःशुल्क बीज दिये जाने की कोई योजना नहीं है।

वर्ष 2008–09 में बछरावां में 290 कृषकों, शिवगढ़ में 174 कृषकों तथा महराजगंज में 259 कुल 723 कृषकों को निःशुल्क बायोपेस्टीसाइड्स/बायोएजेन्ट्स देकर लाभान्वित किया गया।

वर्ष 2009–10 में उक्त तीनों विकास खण्डों में कृषि रक्षा रसायन का कोई वितरण नहीं किया गया है।

लाभान्वित कृषकों को विवरण मा० अध्यक्ष के कार्यालय कक्ष में अवलोकित की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ में गरीब कन्याओं के विवाह हेतु स्वीकृत धनराशि

102–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2008–09 में जनपद मेरठ में गरीब कन्याओं के विवाह में सहायता हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी तथा कितनी धनराशि का उपयोग हुआ? क्या कुछ धनराशि समाज कल्याण विभाग को वापस की गयी ? यदि हां, तो इसका कारण क्या था? क्या यह सही है कि पात्र गरीब कन्याओं के लिये फार्म भी उपलब्ध नहीं थे?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

वित्तीय वर्ष 2008–09 में जनपद मेरठ में अनुसूचित जाति/सामान्य जाति के गरीब व्यक्तियों को पुत्रियों की शादी तथा उनके परिजनों के इलाज योजना में कुल रु० 2,49,66,000/– की धनराशि स्वीकृत की गयी, जिसके सापेक्ष गरीब कन्याओं के विवाह में रु० 1,84,30,000/– की धनराशि का उपयोग हुआ।

रु० 60,69,000/– की धनराशि विभाग को समर्पित की गई।

प्राप्त समस्त पात्र आवेदन पत्रों पर सहायता राशि स्वीकृत कर दिये जाने के पश्चात धनराशि बच जाने के कारण।

जी नहीं। योजनान्तर्गत आवेदन पत्र (प्रारूप) सभी के लिए सुलभ और उपलब्ध थे।

103–श्री मदन चौहान–

[दिनांक 08-2-2010 के अतारांकित प्रश्न संख्या-170 द्वारा उत्तरित]

जनपद बरेली, ब्लाक मीरगंज के ग्राम सल्था–पल्था में सार्वजनिक रास्ते को जबरन अवैध रूप से बन्द करने संबंधी शिकायती–पत्र

104–श्री सुल्तान बेग–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली तहसील के ब्लाक मीरगंज के ग्राम सल्था–पल्था में सार्वजनिक रास्ते को जबरन अवैध रूप से बन्द करने सम्बन्धी प्रश्न कर्ता का मुख्य मंत्री को प्रेषित पत्र सं० सी०एम०/वि०को/एम०–210392/2009, दिनांक 12–10–09 उन्हें प्राप्त हुआ हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जी नहीं। संदर्भित पत्र कार्यालय मुख्य मंत्री में प्राप्त हुआ था जिसे महानिदेशक पुलिस, उ०प्र० को भेजा गया था।

ग्राम सल्था–पल्था में सार्वजनिक रास्ते को जबरन अवैध रूप से बन्द करने सम्बन्धी श्री नवीं अहमद, अब्दुल रहमान निवासीगण ग्राम सल्था–पल्था का जिलाधिकारी बरेली को सम्बोधित प्रार्थना–पत्र प्राप्त हुआ था जिसके संबंध में नायब तहसीलदार, मीरगंज से जॉच करायी गयी थी। स्थल पर पैमाइश की गयी जिसके अनुसार विपक्षी रामगुलाम द्वारा दीवार अपनी भूमि में बनी पायी गयी थी शजरे में कोई रास्ता नहीं है। ऐसी स्थिति में विपक्षी की दीवार हटवाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया है। जांच में शिकायत निराधार पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर तहसील सिकन्दराराऊ में सूखे से प्रभावित किसानों को राहत धनराशि

105–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर तहसील सिकन्दराराऊ में वर्ष 2009 में सूखे से कितने एकड़ भूमि एवं कितने किसान प्रभावित हुए तथा सरकार द्वारा सूखे से प्रभावित किसानों को राहत दिलाये जाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी इस हेतु कितनी धनराशि की व्यवस्था की गयी है ?

श्री फागू चौहान

जनपद की तहसील सिकन्दराराऊ में वर्ष 2009 में सूखा से 6042 एकड़ भूमि तथा 10,623 किसान प्रभावित हुये हैं।

शासनादेश सं०–1791/1–11–09–26(जी)/2009 दिनांक 25 जुलाई, 2009 द्वारा सूखा प्रभावित जनपद महामायानगर (हाथरस) के किसानों को मुख्य राजस्व देयों (भू–राजस्व एवं सिंचाई) की वसूली को दिनांक 31.03.2010 तक स्थगित रखने तथा कृषकों के विरुद्ध

उत्पीड़नात्मक कार्यवाही न किये जाने एवं लघु तथा सीमांत कृषकों की सूखे के कारण 50 प्रतिशत या उससे अधिक फसल क्षति होने के कारण कृषि निवेश अनुदान वितरित करने, टैंकरों से पेयजल आपूर्ति नये हैण्ड पम्पों की स्थापना रिबोर आवश्यकतानुसार सामुदायिक रसोई की व्यवस्था, अनाज की व्यवस्था, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, पशु राहत कैम्प की व्यवस्था, चारा की व्यवस्था, पशुओं के पीने की व्यवस्था टीकाकरण की व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये हैं।

सूखा से प्रभावित किसानों को रु० 85,00,000/– की धनराशि वितरित की जा चुकी है।

जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर ब्लाक में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण इंस्टीट्यूट खोलने पर विचार

106–श्री मदन चौहान–

क्या व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद, ब्लाक गढ़मुक्तेश्वर में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण इंस्टीट्यूट खोलने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सदल प्रसाद–

वर्ष 2006 में जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर ब्लाक में एक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत किया जा चुका है परन्तु भवन के अभाव में प्रशिक्षण कार्य जनपद गाजियाबाद के एक अन्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में संचालित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ में वृद्धावस्था पेंशन हेतु जारी की गयी धनराशि

107–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ में वित्तीय वर्ष 2008–09 में वृद्धावस्था पेंशन हेतु कितनी धनराशि जारी की गयी ? क्या समस्त धनराशि का उपयोग कर लिया गया है ? इससे कितने वृद्धों को पेंशन दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

जनपद मेरठ में वित्तीय वर्ष 2008–09 में वृद्धावस्था पेंशन हेतु रु० 1281.431 लाख धनराशि आवंटित की गयी।

उपरोक्त आवंटित धनराशि में से रु० 1173.744 लाख की धनराशि जनपद स्तर पर व्यय की गयी है तथा शेष रु० 107.687 लाख की धनराशि जनपद द्वारा समर्पित की गयी।

रु० 1173.744 लाख के सापेक्ष 36571 पेंशनरों को पेंशन दी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ में गरीब कन्या विवाह हेतु स्वीकृत प्रस्ताव

108–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2008–09 में जनपद मेरठ में गरीब कन्या विवाह के कुल कितने प्रस्ताव स्वीकृत हुए तथा उसमें से कितनी कन्यायें अनुसूचित जाति एवं सवर्ण जाति की थीं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त धनराशि को

क्षेत्रीय विधायकों से बटवाने की नियमों में व्यवस्था है ? यदि हां, तो उक्त वर्ष में धनराशि के चेकों के वितरण हेतु किस विधायक को बुलाया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

वित्तीय वर्ष 2008–09 में जनपद मेरठ में गरीब कन्या विवाह के कुल 1843 प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें 1673 कन्यायें अनुसूचित जाति की एवं 170 कन्यायें सामान्य जाति की थीं।

प्रश्नगत सहायता राशि का भुगतान, लाभार्थी का खाता बैंक में खुलवा कर संबंधित बैंक शाखा के पक्ष में कोषागार से चेक तैयार कराकर लाभार्थी के खाते में सीधे स्थानान्तरित किये जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर तहसील में सरकारी खादर क्षेत्र की भूमि पर भू–माफियों का अवैध कब्जा खाली कराने की मांग

109–श्री मदन चौहान–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर तहसील में सरकारी खादी भूमि पर भू–माफिया का अवैध कब्जा है ? यदि हां, तो कितनी एकड़ भूमि अवैध कब्जे में है ? क्या सरकार उक्त अवैध कब्जे को खाली करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर की तहसील खादर क्षेत्र के ग्राम नया बॉस, गढ़ावली रहरवा, किरावली, शंकरटीला व पूठ के खादर की ग्राम सभा भूमि को खेती हेतु नीलामी के माध्यम से उठा दी गयी है। ज्योतिबाफूलेनगर के जिले से सीमा विवाद के कारण तहसील गढ़मुक्तेश्वर के खादर क्षेत्र में अभिलेख क्रियायें चल रही हैं जिसके कारण भूमि पर अवैध कब्जे का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधवा पेंशन हेतु स्वीकृत धनराशि

110–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ को वित्तीय वर्ष 2008–09 में विधवा पेंशन हेतु कितनी धनराशि जारी की गयी ? इसमें कितनी विधवाओं को पेंशन दी गयी ? क्या समस्त धनराशि का उपयोग हो गया था ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

सुश्री मायावती–

वर्ष 2008–09 में पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन के लिये लक्ष्य 13994 हेतु रु० 5,03,78,400/– की धनराशि आवंटित की गयी, जिसके सापेक्ष 4,52,72,000/– की धनराशि वितरित की गयी।

वितरित धनराशि से 13274 लाभार्थियों को पेंशन दी गयी।

जी नहीं।

क्वीज लाभार्थियों की उपलब्धता न होने के कारण अवशेष धनराशि समर्पित कर दी गयी।

प्रदेश के लघु कृषक व सीमान्त कृषकों के दुधारू पशुओं के मरने पर सहायता राशि देने की योजना

111–श्री मदन चौहान–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के लघु कृषक व सीमान्त कृषकों के दुधारू पशुओं के मरने पर सहायता राशि देने हेतु कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में फसलों का उत्पादन बढ़ाने हेतु खरीफ एवं रबी में प्रमाणित बीजों एव कृषि यंत्रों को रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराने की मांग

112–श्री मदन चौहान–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में फसलों का उत्पादन बढ़ाने हेतु खाद, बीज, दवा कृषि यंत्र आदि को रियायती मूल्यों पर उपलब्ध कराने हेतु सरकार कोई योजना तैयार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

जी नहीं।

कृषको को खाद सस्ते मूल्य पर उपलब्ध हो, इस निमित्त भारत सरकार द्वारा उर्वरक निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं को सीधे अनुदान देते हुए विक्रय मूल्य निर्धारित किया जाता है।

प्रदेश में फसलों का उत्पादन बढ़ाने हेतु खरीफ एवं रबी में विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीजों को कृषकों को रियायती मूल्यों पर उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा योजना संचालित है।

विभिन्न परिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण की योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत इकोफ्रैण्डली कृषि रक्षा रसायन व कृषि रक्षा यंत्र रियायती दामों पर कृषकों को उपलब्ध है।

विभिन्न श्रेणी के कृषकों को भिन्न–भिन्न कृषि यंत्रों पर मैक्रोमोड एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजनान्तर्गत अनुदान की सुविधा अनुमन्य है।

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय गोण्डा में अध्ययनरत छात्रों को प्राप्त सुविधायें

113–श्री राम विशुन आजाद–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय गोण्डा में अध्ययनरत छात्रों को शासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सभी सुविधायें प्राप्त नहीं हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों

श्री इन्द्रजीत सरोज–

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, गोण्डा में अध्ययनरत छात्रों को शासन द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सभी सुविधायें प्राप्त हो रही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उ०प्र० लखनऊ में सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी के अवशेष देयकों का भुगतान

114–चौ० रवीन्द्र प्रताप–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र० लखनऊ के कौन–कौन अधिकारी/कर्मचारी माह अप्रैल, 2008 से सितम्बर, 2008 के मध्य सेवानिवृत्त हुए थे ? क्या उनके सेवानिवृत्त संबंधी लाभ, जैसे सामूहिक बीमा की धनराशि, जी०पी०एफ०, ग्रेच्युटी आदि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो अभी तक देयकों का भुगतान न किए जाने के संबंध में कौन–कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है? क्या जिम्मेदार अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुये भुगतान सुनिश्चित कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

माह अप्रैल, 2008 से सितमबर, 2008 के मध्य एक मात्र कर्मचारी कु० जयश्री, क्षेत्रीय अन्वेषक सेवानिवृत्त हुई हैं।

1–जी०पी०एफ० एवं सामूहिक बीमा का भुगतान कर दिया गया है।

2–ग्रेच्युटी का भुगतान, कु० जयश्री द्वारा अधिक वेतन भुगतान से संबंधित दायर रिट याचिका संख्या–1569(एस०एस0)/2003 के सन्दर्भ में अवरूद्ध है।

प्रकरण में कोई अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है।

उक्त के दृष्टिगत अनुशासनिक कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है। देयकों के भुगतान के संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सिद्धार्थनगर में मण्डी परिषद द्वारा कराये गये कार्य

115–श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल–

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थ नगर में वर्ष 2008–09 में मण्डी परिषद् द्वारा कौन–कौन कार्य कराये गये हैं तथा प्रत्येक कार्य पर कितनी–कितनी धनराशि व्यय की गयी है ? क्या सभी कार्य पूर्ण करा लिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

जी हाँ। वर्ष 2008–09 में जनपद सिद्धार्थनगर में 05 नग सम्पर्क मार्ग एवं 01 नग मण्डी कार्य कुल 06 कार्य स्वीकृत हुए जिन पर कुल रु० 137.73 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

जी नहीं। 06 कार्यों में से 05 कार्य पूर्ण करा लिये गये हैं तथा 01 कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के अन्तर्गत जनपद गोण्डा में गरीब बालिकाओं को लाभ दिये जाने की जानकारी

116–श्री राम विशुन आजाद–

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 में अक्टूबर, 2009 तक कितनी गरीब बालिकाओं की योजना का लाभ दिया गया है ? क्या चयन प्रक्रिया में ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों के चयन हेतु बी०पी०एल० सूची 2002 को आधार मानकर चयन किया गया है ? यदि हां, तो बी०पी०एल० सूची, 2002 में जिन गरीब बालिकाओं का नाम नहीं है, उनको उक्त योजना का लाभ किस आधार पर दिया जायेगा ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

महामाया गरीब बालिका आर्शीवाद योजना के अन्तर्गत जनपद गोण्डा में वर्ष 2009–10 में अक्टूबर, 2009 तक कुल 615 पात्र बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है।

जी हाँ।

शासनादेश संख्या 215/60–2–09–2/1(62)/08टी०सी०, दिनांक 18.01.10 द्वारा योजनान्तर्गत लाभार्थियों के मानक/अर्हता के सम्बन्ध में संशोधित आदेश निर्गत किये गये हैं, जिनके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जहाँ बी०पी०एल० सूची के आधार पर योजना का लाभ दिया जा रहा है वहां ऐसी बालिकाओं को भी योजना का लाभ दिये जाने की व्यवस्था की गयी है, जिनके दादा–दादी/परदादा–परदादी का नाम बी०पी०एल० सूची में है।

ग्राम कलुवापुर, परगना व तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर के अन्तर्गत श्री नजमुल हसन आदि द्वारा अवैध कब्जा करने विषयक–पत्र

117–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद के ग्राम बहरौली, मजरा कलुआपुर, विकास खण्ड महमूदाबाद में महमूदाबाद–सिधौली रोड पर उक्त गांव के नजमुल हसन आदि द्वारा अवैध कब्जा करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र, दिनांक 12–11–09 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जी हाँ।

ग्राम कलुवापुर, परगना व तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर के अन्तर्गत गाटा संख्या 172 रकबा 0.051 हे० अभिलेखों में बंजर दर्ज है। इस आराजी में आम तुकमी 4 पेड़ हरे–भरे पुराने हैं, जो मौजूद हैं। यह आराजी सड़क के किनारे खन्ती के रूप में मौजूद है तथा इसका अधिकांश क्षेत्रफल सड़क सीमा के अन्तर्गत आता है। इस पर किसी व्यक्ति विशेष का कब्जा नहीं है, जो मौके पर खाली पड़ी है।

प्रदेश में उर्वरक की अनियमित बिक्री

118–श्री मदन चौहान–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी हे कि प्रदेश में मिलावटी खाद, उर्वरक बीज आदि की बिक्री खुले आम की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इसकी रोकथाम हेतु कोई उपाय किये गये हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

प्रदेश में उर्वरक की अनियमित बिक्री की कतिपय शिकायतें शासन के संज्ञान में आयी हैं।

जी हाँ।

खरीफ में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 2956/12–2–2009–एफ, 33/2008, दिनांक 16 जुलाई, 09 द्वारा प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को 15 दिन का विशेष जांच अभियान चलाने के निर्देश दिये गये। इसी प्रकार रबी में मुख्य सचिव द्वारा शासनादेश सं० 4885/12–2–2009–एफ. 33/2008, दिनांक 12.10.09 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को विशेष जांच अभियान चलाने के निर्देश दिये गये। कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन के स्तर से भी दिनांक 10 से 17 नवम्बर, 2009 तक प्रदेश के समस्त जनपदों में मुख्यालय से अधिकारियों को भेजकर जांच करायी गयी। मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारियों के नेतृत्व में जनवरी माह में प्रदेश के उर्वरक प्रतिष्ठानों पर छापे डाले गये।

इस प्रकार प्रदेश में मिलावटी उर्वरकों के विक्रय की सम्भावना को समाप्त किये जाने एवं कृषकों को निर्धारित मानक के उर्वरक उपलबध कराये जाने के मन्तव्य से जनपदों में जिलाधिकारियों के समग्र निर्देशन में उर्वरक प्रवर्तन की कार्यवाही संचालित है। वर्ष 2009–10 में 31 जनवरी, 2010 तक निम्नवत् कार्यवाही की गयी है :

क्रम सं०	मद	2009–10 (31.01.2010 तक)
1	आयोजित छापे	34,075
2	ग्रहित उर्वरक नमूने	10,234
3	पाये गये अमानक नमूने	544
4	कृत दण्डात्मक कार्यवाही	
क	उर्वरक विक्रय प्रमाण–पत्र निरस्त	420
ख	उर्वरक व्यवसाईयों के विरुद्ध एफ०आई०आर०	121
ग	जेल भेजे गये उर्वरक व्यवसायी	78

बीज अधिनियम, 1966, बीज नियम, 1968 व बीज नियंत्रण आदेश, 1983 के अन्तर्गत बीजों के नमूनें ग्रहीत कर उसका परीक्षण कराया जाता है। अधोमानक पाये जाने पर संबंधित उत्पादक संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। प्रक्रिया के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 में कुल 4,837 बीज के नमूनें संग्रहीत किये गये, जिनके परीक्षण से कोई असामान्य परिणाम प्राप्त नहीं हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी में डी0ए0पी0 खाद की काला बाजारी रोकने की मांग

119–श्री आलोक कुमार शाक्य–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जनपद मैनपुरी में वर्तमान में डी0 ए0 पी0 खाद की कालाबाजारी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे रोकने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी उर्वरकों की कालाबाजारी पर रोक लगाने हेतु प्रदेश शासन कटिबद्ध है। शासन द्वारा जिलाधिकारियों को उर्वरक वितरण व्यवस्था पर कड़ी निगाह रखने हेतु निर्देश दिये गये है। मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार माह जुलाई, 2009 तथा अक्टूबर, 2009 में समस्त जिलाधिकारियों द्वारा विशेष जांच अभियान चलाया गया। इसी प्रकार रबी सीजन में कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा माह नवम्बर, 2009 में प्रदेश के समस्त जनपदों में मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजकर उर्वरकों की उपलब्धता, निर्धारित दर पर बिक्री एवं जमाखोरी आदि की जांच करायी गयी। जनवरी, 2010 में भी मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारियों के नेतृत्व में प्रदेश में उर्वरक प्रतिष्ठानों पर गोपनीय छापे डाले गये।

जनपद मैनपुरी में दिनांक 01 अप्रैल, 2009 से 31 दिसम्बर, 2009 तक 495 उर्वरक विक्री केन्द्रों पर छापे डालकर कुल 112 नमूनें संग्रहीत किये गये एवं 03 एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर–खीरी में बाढ़ और कटान से बचाव हेतु राहत कार्य

120–श्री अरविन्द गिरि–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर–खीरी में विगत 5 वर्षों में बाढ़ और कटान से कितना नुकसान हुआ एवं उक्त अवधि में बाढ़ से बचाव एवं राहत कार्य पर जिला प्रशासन द्वारा कितना धन व्यय किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जनपद लखीमपुर खीरी में विगत 5 वर्षों में बाढ़ और कटान से कुल रु० 1,38,93,98,618.00 की क्षति हुयी है। उक्त अवधि में बाढ़ से बचाव एवं राहत कार्य पर रु० 39,51,91,185.00 की राहत सहायता बाढ़ प्रभावितों में वितरित की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर–खीरी में नदियों की कटान से प्रभावित कृषकों को भूमि का मुआवजा

121–श्री अरविन्द गिरि–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर–खीरी में विगत 5 वर्षों के अन्दर कितनी कृषि भूमि शारदा, सुहेली एवं मुहाना नदी में कटकर समा गयी ? क्या प्रभावित कृषकों को उनकी भूमि का मुआवजा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जनपद खीरी में विगत 5 वर्षों में शारदा, सुहेली एवं मुहाना नदी में 1487.258 हेक्टेयर भूमि कट कर समा गयी।

प्रभावित कृषकों में रु० 4,11,70,795.00 का कृषि निवेश अनुदान वितरित किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी निवासी श्री भगौती सिंह, ग्राम मानपुर मकोहिया की गाटा सं० 484 पर जबरन चकरोड जोतकर अतिक्रमण को हटाने विषयक–पत्र की जांच

122–श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी निवासी श्री भगौती सिंह, ग्राम–सरसा मजरे मानपुर मकोहिया, तह० रामसनेही घाट की गाटा सं० 484 के गाटा संख्या 512 तथा 522, 523, 524 के मध्य प्रधान द्वारा जबरन चकरोड जोतकर अतिक्रमण को हटाने के सम्बन्ध मे तत्कालीन मा० सभापति सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह का पत्रांक 681/आ०स०/08, दिनांक 07–01–09 प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, राजस्व विभाग को संलग्नक सहित प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जी नहीं। प्रश्नगत प्रकरण संज्ञान में आने पर जिलाधिकारी बाराबंकी से जांच कराई गई। प्राप्त आख्यानुसार विषयगत मामले के ग्राम मानपुर मकोहिया तहसील रामसनेहीघाट की गाटा संख्या 484/0.034 हे० चकरोड दर्ज है। जो मौके पर खाली है। गाटा संख्या 512/0.294 हे०, 522/0.152 हे०, 523/0.152 हे०, 524/0.152 हे० क्रमशः शिव शंकर आदि तेज नारायण सिंह, गजोधर सिंह, सन्तबख्श सिंह का संक्रमणीय भूमिधर गाटा है। इन गाटाओं के मध्य कोई भी चकरोड़ नहीं है। गाटा संख्या 524 के दक्षिण दिशा में गाटा संख्या 479/0.067 हे० चकमार्ग है जो स्थल पर खाली पड़ा है तथा आवागमन जारी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में निर्बल वर्ग के व्यक्तियों को अनुदान दिये जाने में घपला की जांच

123–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में निर्बल वर्ग के व्यक्तियों द्वारा विभिन्न शासकीय अनुदान योजनाओं में लगाये जाने वाले आय प्रमाण–पत्रों के लेखपाल/कानूनगो द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में 19600/– रुपये वार्षिक व नगर क्षेत्र में 24,000/– रुपये वार्षिक आय की रिपोर्ट लगाये जाने के बावजूद भी तहसील के अधिकारियों द्वारा 24,000/– रुपये वार्षिक से ऊपर के आय प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने विषयक के सम्बन्ध में मा० मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र, दिनांक 12–11–2009, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जी हाँ।

जांच करायी गयी, किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी की ग्राम सभा मदाफरपुर में आरक्षित भूमि, तालाब, चारागाह, कृषि योग्य भूमि का विवरण

124–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी की ग्राम सभा मदाफूरपुर में कुल आरक्षित भूमि, तालाब, चारागाह, कृषि योग्य भूमि का विवरण क्या है ? वर्तमान में उक्त ग्राम सभा में कितने लोगों को पट्टा स्वीकृत किया गया है और कितने लोग अवैध रूप से काबिज हैं ? क्या अवैध कब्जे के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के ग्राम मदाफरपुर में आरक्षित भूमि के कुल 81 गाटे राजस्व अभिलेखों में अंकित हैं। जिसमें 12 गाटे तालाब व 6 गाटे चारागाह के हैं। कृषि योग्य भूमि में कुल 71 गाटे अभिलेखों में दर्ज हैं।

वर्तमान में मछुआ समुदाय के 01 व्यक्ति को मत्स्य पालन का पट्टा हुआ है। ग्राम सभा की भूमि पर अवैध रूप से 06 व्यक्तियों का कब्जा है।

अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध तहसीलदार (न्यायिक) पट्टी के न्यायालय में बेदखली एवं क्षतिपूर्ति वसूली के सम्बन्ध में ज0वि0अधि0 की धारा–122वी के अन्तर्गत वाद चल रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला समाज कल्याण अधिकारी, कार्यालय लखनऊ में कार्यरत कर्मचारी एवं स्थानान्तरण की मांग

125–चौ० सत्येन्द्र सोलंकी–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय लखनऊ में 5 वर्ष या उससे अधिक समय से कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत उन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय लखनऊ में 05 वर्ष या उससे अधिक समय से 09 कर्मचारी कार्यरत हैं।

सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति संबंधी शासनादेश सं०-1/3/96-का-4-2009, दिनांक 06 जून, 2009 में स्थानान्तरण सत्र 2009-10 में किसी भी संवर्ग में किसी भी श्रेणी के कार्मिकों का स्थानान्तरण नहीं किया जाना है।

प्रश्न नहीं उठता।

स्थानान्तरण नीति 2009-10 के अनुसार स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं है।

परेड रामलीला मैदान, कानपुर नगर में अग्नि काण्ड की घटना की जांच

126-चौ० सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 30 मई, 2009 को परेड राम लीला मैदान, कानपुर नगर में हुए अग्निकाण्ड में लगभग डेढ़ सौ दुकानें जल कर राख हो गयी थीं ? क्या पीडितों द्वारा जिलाधिकारी को क्षतिपूर्ति हेतु निवदेन किया गया है ? यदि हां, तो पीड़ितों को अब तक कोई राहत दी गयी है ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

प्राप्त सूचनानुसार 80 दुकानें जली हैं।

जी हाँ।

दिनांक 30-05-09 को परेड रामलीला मैदान, कानपुर नगर में अग्नि काण्ड की घटना की जांच जिलाधिकारी स्तर से करायी गयी। उक्त घटना किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं की गयी अपितु किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा नशे की हालत में सिगरेट अथवा बीड़ी जैसी जलती हुई वस्तु, मोमिया/तिरपाल की दुकान में फेंक देने के कारण हुई थी। इस प्रकार उक्त घटना भारत सरकार द्वारा जारी सी0आर0एफ0 गाइडलाइन्स के अनुसार दैवी आपदा के अन्तर्गत नहीं आती है। अतएव पीड़ितों को आपदा राहत निधि से कोई सहायता नहीं दी गई है।

प्रश्नगत घटना चूँकि दैवी आपदा के अर्न्तगत नहीं आती है इसलिये आपदा राहत निधि से किसी पीड़ित को आर्थिक सहायता नहीं दी जा सकती है।

जनपद सीतापुर की तहसील मुरादाबाद में बाढ़ एवं बादल फटने से फसलों को हुयी क्षति से क्षतिपूर्ति भुगतान की मांग

127-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र, महमूदाबाद के अन्तर्गत वर्ष 2009 में अत्यधिक वृष्टि व बाढ़ के कारण उत्तरी क्षेत्र ब्लाक के रामपुर मथुरा की समस्त फसलें पूर्णतः नष्ट हो गई हैं तथा अधिकांशतः मकान भी गिर गये हैं? यदि हां, तो किसानों को क्षतिपूर्ति दिये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र, दिनांक 12-11-09 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो प्रभावित किसानों को कब तक क्षतिपूर्ति दे दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में वर्ष 2009 में बाढ़ एवं बादल फटने के कारण उत्तरी क्षेत्र ब्लाक रामपुर मथुरा की समस्त फसले नष्ट नहीं हुई है। 50 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त हुई फसलों व मकानों का सर्वेक्षण करा लिया गया है।

जी हॉं।

50 प्रतिशत या इससे अधिक फसल क्षति से प्रभावित कृषकों को कृषि निवेश अनुदान का वितरण 15 दिन के अन्दर कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के अन्तर्गत भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण

128–श्री जोखू लाल यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के अन्तर्गत एक काश्तकार कितनी जमीन अपने नाम रख सकता है? क्या सरकार मानक के प्रतिकूल जमीन रखने वालों की जांच कराकर उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

किसी खातेदार द्वारा रखी जाने वाली भूमि को अधिकतम सीमा का निर्धारण उ०प्र० जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अन्तर्गत नहीं किया जाता है। भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण उ०प्र० अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960 के अन्तर्गत किया जाता है जिसके अनुसार कोई खातेदार सिंचित अर्थो में 7.30 हे० से 13.30 हे० भूमि रख सकता है जो उसके परिवार के सदस्यों की संख्या पर निर्भर करता है। अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत असिंचित बाग भूमि व ऊसर भूमि के साथ सिंचित भूमि का अनुपात प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में अलग–अलग है। यह भी उल्लेखनीय है कि उ०प्र० जमींदारी उन्मूलन अधिनियम की धारा 154(1) में विहित 12.5 एकड़ की सीमा केवल भूमि के हस्तान्तरणों के बारे में है।

उ०प्र० अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960 के अन्तर्गत कार्यवाही की प्रक्रिया सतत् रूप से चलती रहती है। सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत सीमा से अधिक भूमि रखने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। इसी प्रकार उ०प्र० जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 154 (1) का उल्लंघन करके किये गये अन्तरणों के संबंध में धारा 166–167 को कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

तहसील दिवस कराये जाने का उद्देश्य

129–श्री राजाराम त्यागी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की तहसीलों में तहसील दिवस कराये जाने का उद्देश्य क्या है ? क्या आयोजित किये जाने वाले तहसील दिवसों में स्थानीय

विधायकों या ब्लाक प्रमुखों को भाग लेने की मनाही है? यदि नहीं, तो क्या तहसील दिवसों में स्थानीय विधायकों को आमंत्रित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

तहसील दिवसों का उद्देश्य जन समस्याओं का त्वरित, समयबद्ध एवं न्यायोचित निस्तारण किया जाना हैं।

जी नहीं।

मा० विधायक स्वेच्छा और अपनी सुविधा से तहसील दिवसों में भाग ले सकते हैं।

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद स्थित एस०एस० कोल्ड स्टोरेज इण्डिया प्रा०लि० द्वारा चक मार्ग पर अवैध कब्जा किये जाने विषयक शिकायती–पत्र की जांच

130–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र, महमूदाबाद स्थित एस०एस० कोल्ड स्टोरेज इण्डिया प्रा०लि० महमूदाबाद, सीतापुर वर्तमान में नाम कुबेर जी कोल्ड स्टोर है, द्वारा चक मार्ग पर अवैध कब्जा किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 28-10-09 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, सीतापुर द्वारा दिनांक 24-04-06 को चार लाख क्षतिपूर्ति जमा कर चक रोड खाली करने के आदेश दिये गये थे? यदि हां, तो क्या उक्त चक रोड को अवैध कब्जे से मुक्त करा दिया गया है ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जी हाँ।

जी नहीं। न्यायालय तहसीलदार महमूदाबाद में इस संबंध में जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122बी के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया गया जिसमें दिनांक 24-04-2006 को चार लाख रुपये क्षतिपूर्ति की नोटिस जारी की गयी थी जो विचाराधीन है।

जी नहीं। ग्राम सिहारूखेडा में स्थित आराजी संख्या 750 रकबा 1.592 हे० आराजी संख्या 752 रकबा 0.746 हे० एस०एस० कोल्ड स्टोरेज के नाम अंकित है। उक्त दोनों गाटे के मध्य चकमार्ग संख्या 751 भूचित्र के आधार पर स्थित था जिसे एस०एस० कोल्ड स्टोरेज द्वारा कोल्ड स्टोरेज बनाये जाने के फलस्वरूप भवन में शामिल कर लिया गया। एस०एस० कोल्ड स्टोरेज के तत्कालीन प्रबन्धक श्री श्याम सुन्दर के आवेदन पत्र पर चकमार्ग संख्या 751 रकबा 0.040 को तत्कालीन उप जिलाअधिकारी द्वारा चकमार्ग के खाते से एस०एस० कोल्डस्टोरेज प्रबन्ध निदेशक श्री श्याम सुन्दर के नाम अंकित करते हुए कोल्डस्टोरेज की गाटा संख्या 750 में से रकबा 0.048 हे० को एस०एस० कोल्ड स्टोरेज लि० सुभाष नगर प्रबन्ध निदेशक का नाम खारिज करते हुए पश्चिम तरफ चक मार्ग अंकित होने संबन्धी आदेश दिनांक 27-08-2001 को पारित किये गये यद्यपि यह आदेश उप जिलाअधिकारी महमूदाबाद द्वारा निरस्त कर दिया गया है, परन्तु तब से आज तक इस स्थान पर चक मार्ग चल रहा है। उक्त निरस्तीकरण आदेश के

विरुद्ध एस०एस० कोल्ड स्टोरेज द्वारा निगरानी संख्या 484/05–06 अंतर्गत धारा 333 ज०वि०अधिनियम अर्न्तगत अपर आयुक्त लखनऊ मण्डल, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जो विचाराधीन है, जिसमें यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया है। निगरानी वाद में आगामी तिथि 19-02-2010 नियत है। तबादला आदेश निरस्त होने के बाद जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 122बी० नियम 115सी० के अंतर्गत वाद तहसीलदार न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो विचाराधीन है।

प्रदेश की पिछड़ी जाति की पुत्रियों की शादी हेतु दी जाने वाली अर्थिक सहायता

131–श्री आलोक कुमार शाक्य–

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की पिछड़ी जाति की पुत्रियों की शादी हेतु दी जाने वाली आर्थिक सहायता बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश कुमार वर्मा–

जी नहीं।

राजकोषीय प्रबन्धन नीति के अनुसार पिछड़ी जाति की पुत्रियों की शादी हेत दी जाने वाली आर्थिक सहायता वर्तमान में बढ़ाया जाना सम्भव नहीं है।

प्रदेश में मुख्य सेविकाओं का अन्यत्र स्थानान्तरण

132–श्री जोखू लाल यादव–

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मुख्य सेविका का स्थानान्तरण उसी के गृह-विकास खण्ड में किये जाने का प्राविधान है ? यदि नही, तो क्या मंत्री जी को जानकारी है कि बाल विकास परियोजना मछली शहर एवं जौनपुर में गृह-ब्लाक में मुख्य सेविका श्रीमती बीनू सिंह की 12 वर्षो से तथा सेविका श्रीमती हीरामनी की लगभग 11 वर्षो से तैनाती है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उक्त मुख्य सेविकाओं का अन्यत्र स्थानान्तरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

जी नहीं।

बाल विकास परियोजना मछली शहर जनपद जौनपुर में गृह ब्लाक में श्रीमती बीनू सिंह, मुख्य सेविका दिनांक 20–9–05 से कार्यरत है। श्रीमती हीरामनी, मुख्य सेविका वाल विकास परियोजना मछली शहर जौनपुर में दिनांक 21–11–98 से कार्यरत है, परन्तु इनका गृह जनपद गाजीपुर है।

दोषी अधिकारी को भविष्य के लिए सचेत करते हुए श्रीमती बीनू सिंह, मुख्य सेविका का गृह ब्लाक से अन्य ब्लाक में स्थानान्तरण कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती जयदेवी पत्नी फतेह सिंह, ग्राम उदयपुर, ब्लाक किशनी जनपद मैनपुरी को वृद्धावस्था पेंशन की मांग

133–श्री आलोक कुमार शाक्य–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी में जयदेवी पत्नी में फतेह सिंह ग्रा० उदयपुर ब्लाक किशनी को सितम्बर, 2009 में वृद्धावस्था पेंशन दी गयी थी जो वर्तमान में रोक दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर वृद्धावस्था पेंशन देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

श्रीमती जगदेवी पत्नी फतेह सिंह ग्राम उदयपुर ब्लाक किशनी जनपद–मैनपुरी को वर्ष 2009–10 में प्रथम छमाही पेंशन किश्त की धनराशि रु0 1880/– माह सितम्बर, 2009 में इनके क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक में खुले खाता संख्या–4110 में भेजी गयी है तथा द्वितीय छमाही की किश्त भी लाभार्थी के उपरोक्त खाते में भेज दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के ग्राम लोपन मलकपुर में खेल स्टेडियम बनाने पर विचार

134–डॉ0 अजय तोमर–

क्या युवा कल्याण मंत्री को जानकारी है कि जनपद बागपत के ग्राम लोपन मलकपुर से राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के लगभग एक दर्जन कुश्ती के खिलाड़ी हुये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांव में खेल स्टेडियम बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अयोध्या प्रसाद बाल–

जी हाँ।

जी नहीं।

जिलाधिकारी, बागपत द्वारा विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित भूमि निर्धारित मानक 03 एकड़ से काफी कम है तथा नये ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण हेतु विभाग के आय–व्ययक में समुचित धनराशि की व्यवस्था न होने के कारण ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण सम्भव नहीं है।

जनपद बागपत के सृजित किये जाने से पूर्व के राजस्व अभिलेख प्राप्त होने की जानकारी

135–डॉ0 अजय तोमर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के सृजित किये जाने से पूर्व के राजस्व अभिलेख तत्कालीन जनपद मेरठ से नवसृजित जनपद बागपत को प्राप्त हो गये हैं ? यदि हां, तो सम्पूर्ण राजस्व अभिलेख जनपद बागपत को कब प्राप्त हुए हैं ? यदि नहीं, तो कब तक प्राप्त हो जाएंगे ?

श्री फागू चौहान–

जनपद बागपत के सृजन के पश्चात जनपद बागपत से संबंधित राजस्व अभिलेख 09.08.2000 को जनपद मेरठ द्वारा जनपद बागपत को उपलब्ध करा दिये गये है जिसमें

जनपद बागपत के सीमावर्ती 11 ग्रामों के बन्दोवस्त वाह साहब को बागर व खादर की जिल्दे मय शिजरा उपलब्ध कराना अंकित है इन ग्रामों के बांगर क्षेत्र की जिल्द व शिजरा उपलब्ध है तथा खादर क्षेत्र की जिल्दे उपलब्ध है किन्तु इन ग्रामों के खादर क्षेत्रों के सिजरे उपलब्ध नहीं है।

जनपद मेरठ से जनपद बागपत को राजस्व अभिलेखों की वाद पत्रावलियां दिनांक 25.07.2000 को तथा पटवार फण्ड से संबंधित अभिलेख दिनांक 09.08.2000 को बागपत को उपलब्ध करा दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली में रबी की फसल की बुवाई हेतु डी0ए0पी0 एवं एन0पी0के0 उर्वरकों की उपलब्धता

136—श्री छत्रपाल सिंह—

क्या कृषि मंत्री जी को जानकारी है कि जनपद बरेली मे रबी की फसलों की बुवाई में डी0ए0पी0एन0पी0 के रासायनिक खादों की आवश्यकतानुरूप आपूर्ति न होने के कारण किसानों को खाद ब्लैक में खरीदनी पड़ रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार खाद की काला बाजारी पर अंकुश लगाते हुए मांग के अनुरूप किसानों को खाद उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण—

जी नहीं। जनपद बरेली में रबी में दिनांक 13 जनवरी, 2010 तक डी0ए0पी0 एवं एन0पी0के0 उर्वरकों की उपलब्धता की स्थिति निम्न प्रकार है।

(मात्रा लाख मी0 टन में)

क्रम संख्या	उर्वरक का नाम	लक्ष्य (15.01.10 तक)	उपलब्धता (13.01.10 तक)	विवरण (13.01.10 तक)
1	डी0ए0पी0	15,560	17,745	16,092
2	एन0पी0के0	14,500	11,230	10,008
	योग (फास्फेटिक)	30,060	28,975	26,100

इस प्रकार जनपद बरेली में फास्फेटिक उर्वरकों की उपलब्धता लक्ष्य के सापेक्ष 96 प्रतिशत सुनिश्चित की गयी।

रसायनिक उर्वरकों की उपलब्धता हेतु प्रदेश शासन पूरी तरह भारत सरकार पर आश्रित है। प्रदेश शासन निरन्तर भारत सरकार से सम्पर्क में रहकर एवं पत्रों तथा व्यक्तिगत सम्पर्क के माध्यम से अनुश्रवण करते हुये यथासंभव रसायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु प्रयासरत है।

जहाँ तक खाद की कालाबाजारी का संदर्भ है, प्रदेश शासन उर्वरकों की कालाबाजारी पर रोक लगाने हेतु कटिबद्ध है।

जनपद बरेली में अब तक प्रर्वतन की कार्यवाही के दौरान आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत 04 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है एवं 01 व्यापारी को जेल भेजा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर में खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अन्तर्गत स्वीकृत विभिन्न योजनायें

137–डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में वर्ष 2007–08, 2008–09 तथा 2009–10 में खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत स्वीकृत विभिन्न योजनाओं में कितनी लागत, से क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे तथा निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष क्या–क्या कार्य कराये गये है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण–

जनपद गोरखपुर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08 में रबी गेहूं वर्ष 2008–09 में खरीफ एवं रबी तथा वर्ष 2009–10 में खरीफ एवं रबी हेतु विभिन्न कार्यमदों में अनुमोदित लागत के सापेक्ष निर्धारित किये गये लक्ष्य तथा उक्तानुसार निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कराये गये कार्यों का विवरण संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत में लगाये गये फलदार पेड़

138–डॉ0 अजय तोमर–

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बागपत में वर्ष 2007–08, 2008–09 व 2009–10 में अब तक वर्षवार कौन–कौन से कितने फलदान पेड़ लगाये गये हैं ? इनमें से वर्ष 2007–2008 व वर्ष 2008–09 में लगाये गये पेड़ों के सापेक्ष कितने पेड़ अब तक जीवित हैं ? क्या लगाये गये पेड़ों व जीवित पेड़ों का अनुपात शासन के मानकों के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन सिंह

जी हां। जनपद बागपत में पौधरोपण के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 में आम–2000, अमरूद–13850, वर्ष 2008–09 में आम–2200, अमरूद–11080 व आंवला–5000 तथा वर्ष 2009–10 में आम–4000, अमरूद–13778 एवं आंवला के 2000 पेड़ लगाये गये हैं।

वर्ष 2007–08 में कुल रोपित 15850 पेड़ों के सापेक्ष 11095 पेड़ तथा वर्ष 2008–09 में 18280 रोपित पेड़ों के सापेक्ष 127 6 पेड़ जीवित हैं।

योजना के अनुसार प्रथम वर्ष 70–75 प्रतिशत तथा द्वितीय वर्ष 90 प्रतिशत के मानक निर्धारित है। वर्ष 2007–08 व वर्ष 2008–09 में लगाये गये पेड़ों की जीवितता लगभग 70 प्रतिशत है।

उक्त वर्षों में 70 प्रतिशत पेड़ जीवित पाये गये, क्योंकि वर्ष 2008–09 में भयंकर सूखा पड़ने के कारण पर्याप्त वर्षा के अभाव में पेड़ों की क्षति हुई।

---

† (देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 260-261 पर)

जनपद बागपत में मण्डी परिषद् अथवा मण्डी समिति द्वारा मार्गों का निर्माण कार्य

139–डॉ0 अजय तोमर–

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपद में कौन–कौन से मार्ग मण्डी परिषद् अथवा मण्डी समिति द्वारा वर्ष 2007–08, 2008–09 एवं 2009–10 में स्वीकृत हैं ? क्या इन सभी मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो शेष मार्गों का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

वर्ष 2008–09 में मण्डी परिषद् द्वारा जनपद बागपत में 01 नग नवीन सम्पर्क मार्ग "कर्मअलीपुर गढ़ी से विलोचपुरा" एवं 02 नग मरम्मत हेतु सम्पर्क मार्ग "टटीरी अग्रवाल मण्डी के पश्चिम से बापू चीनी मिल तक एवं दयोढ़ी से खामपुर" स्वीकृत किये गये।

जी हाँ।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता

जनपद उन्नाव के औद्योगिक विकास क्षेत्र लीडा विकसित किये जाने की योजना

140–श्री राजाराम त्यागी–

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के करीब 60 कि0मी0 क्षेत्र में औद्योगिक विकास क्षेत्र लीडा विकसित किये जाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो इस योजना की अधिसूचना कब जारी की गई ? उक्त योजना में उन्नाव जनपद में किसानों की कितनी भूमि अधिग्रहीत की गयी है ? क्या सरकार जमीन देने वाले प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी, बाजार रेट पर मुआवजा एवं 25 प्रतिशत जमीन किसानों को अपने उपयोग के लिए छोड़ी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हाँ।

इस योजना के संबंध में शासन की अधिसूचना सं0–1193/77–4–2005–193 भा/04 टी0सी0, दिनांक 28–7–05 एवं सं0–1642/77–4–08–35भा/06, दिनांक 07–01–09 जारी की गई है।

उन्नाव जनपद के अधिसूचित ग्रामों में अभी किसानों की कोई भूमि अधिग्रहीत नहीं की गई है।

लीडा की पुनर्वास नीति जो उ0 प्र0 शासन द्वारा अंगीकृत, भारत सरकार की पुनर्वास नीति 2004 तथा ग्रेटर नोएडा की पुनर्वास नीति पर आधारित है, में अनुमन्य लाभ प्रभावित किसान/ परिवारों को दिये जायेंगे। अर्जित की जा रही भूमि के प्रतिकर का निर्धारण यथा सम्भव कराकर नियमावली के अन्तर्गत आपसी समझौते के आधार पर किये जाने का प्रयास किया जाता है।

जौनपुर स्थित गोविन्द बल्लभ पन्त डिग्री कालेज, प्रतापगंज में अनुसूचित जाति के छात्रों को क्षतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति की धनराशि की जांच

141—श्री लाल जी यादव—

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर, स्थित गोविन्द बल्लभ पन्त डिग्री कालेज, प्रतापगंज, जनपद जौनपुर में अनुसूचित जाति के छात्रों की क्षतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति की धनराशि की जांच वर्ष 1987 से कराये जाने हेतु निदेशक, समाज कल्याण का अर्द्धशासकीय पत्र सं0—43/स0क0/शिक्षा/निदे0/2002, दिनांक 16—09—2002 जिला समाज कल्याण अधिकारी, जौनपुर को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उक्त पत्र में सम्बन्धित महाविद्यालय के विरुद्ध अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति/क्षतिपूर्ति गबन की जांच वर्ष 1987 से 1997 तक कराये जाने हेतु निर्देश दिया गया था ? यदि हां, तो क्या तत्काल जांच रिपोर्ट का जो विवरण उपलब्ध कराया गया वह केवल वर्ष 1996—1997 से सम्बन्धित है ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्ष 1987—1997 की अवधि में छात्रवृत्ति के वितरण में की गयी अनियमितता की जांच कराकर कार्यवाही सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज—

निदेशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश का अर्द्धशासकीय पत्र संख्या—43/स0क0/शिक्षा/वै0स0 निदे0/2002 जिसकी तिथि 16—09—2002 नहीं, बल्कि दिनांक 16—4—2002 है जिला समाज कल्याण अधिकारी जौनपुर को प्राप्त हुआ था। उक्त पत्र द्वारा जनपद जौनपुर स्थित गोविन्द बल्लभ पन्त डिग्री कालेज प्रतापगंज, जनपद जौनपुर के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के निर्देश दिये गये थे।

उपरोक्त पत्र में संबंधित महाविद्यालय के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के ही निर्देश हैं, न कि जांच कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

जांच रिपोर्ट का जो विवरण उपलब्ध कराया गया था, वह वर्ष 1996—97 से वर्ष 2000—01 तक का है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा दोषियों के विरुद्ध धारा 409 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या—65—200 थाना सिकरारा जिला जौनपुर में पंजीकृत करा दिया गया है।

जांच रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीकृत कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

झांसी व चित्रकूट मण्डलों में असिंचित भूमि एवं मेड़बन्धी हेतु अवशेष क्षेत्रफल की सूचना

142—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड के झांसी मण्डल एवं चित्रकूट मण्डल में कुल कितने एकड़ भूमि असिंचित है तथा कितने एकड़ भूमि में जल संचयन मेड़बन्दी

करायी जानी शेष है ? क्या भूमि संरक्षण इकाइयों द्वारा कराये गये कार्यों की भारी पैमाने पर अनियमितताओं की शिकायतें तहसील दिवसों एवं जिलाधिकारियों के माध्यम से प्राप्त हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार गुणवत्ता सुधार हेतु कोई ठोस नीति तैयार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण–

झांसी व चित्रकूट मण्डलों में असिंचित भूमि एवं मेड़बन्धी हेतु अवशेष क्षेत्रफल की सूचना निम्नवत् है :–

क्र० सं०	मण्डल	कुल असिंचित क्षेत्रफल (एकड़ में)	जलसंचयन मेड़बंधी हेतु अवशेष क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	झांसी	9,15,305	9,71,385
2	चित्रकूट	15,39,277	11,65,410
	योग	24,54,582 (9,81,792 हे०)	21,36,795 (8,54,718 हे०)

कार्यों की भारी पैमाने अनियमितता से संबंधित कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

गुणवत्ता सुधार हेतु मार्ग निर्देश जारी किये गये हैं। अगस्त, 2009 में भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रम हेतु एक तकनीकी मार्गदर्शिका प्रकाशित करके वितरित की गयी है।

अन्य कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेन्द्र सिंह एवं श्री सतवंत सिंह द्वारा भूमि हड़प लेने की जनपद पीलीभीत के तहसीलदार (सदर) द्वारा की गयी जांच

143–श्री सुखलाल–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद पीलीभीत के तहसीलदार (सदर) द्वारा की गयी जांच पत्रांक संख्या 6071/टंकक–09, दिनांक 3–2–09 जो जिलाधिकारी पीलीभीत को प्रेषित की गयी थी ? क्या उस रिपोर्ट में शासन की 24 एकड़ 6 डि0 भूमि को सुरेन्द्र सिंह एवं उसके सगे भाई सतवंत सिंह द्वारा हड़प लेने का उल्लेख करते हुए जिलाधिकारी, पीलीभीत ने ए0डी0एम0 (वित राजस्व) को अपेक्षित कार्यवाही के लिये आदेशित किया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जी हाँ।

जी हाँ।

तत्कालीन अपर जिलाधिकारी, (वित्त एवं राजस्व) द्वारा दिनांक 02–04–09 को डी0जी0सी0 (राजस्व) पीलीभीत से विधि सम्मत राय मांगी गयी। डी0जी0सी0 की आख्या दिनांक 06–07–09 सहित पत्रावली सीलिंग कार्यालय में दिनांक 08–07–09 को प्राप्त हुई।

तत्क्रम में तत्कालीन अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) ने तत्कालीन जिलाधिकारी के समक्ष अपनी आख्या दिनांक 31-07-2009 प्रस्तुत की। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-61635/09 अजीज अहमद बनाम जिलाधिकारी पीलीभीत व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17-11-09 की सत्यापित प्रति जिलाधिकारी को इस आशय से प्राप्त हुई कि तत्काल याची का प्रतिवेदन दो माह के अन्दर निस्तारित कर दें। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17-11-09 के अनुपालन में याची श्री अजीज अहमद द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 17-03-09 का निस्तारण दिनांक 11-12-09 को जिलाधिकारी पीलीभीत द्वारा कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन द्वारा निराश्रित विधवा महिलाओं को दी गयी पेंशन

144-श्री राजाराम त्यागी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उ0प्र0 सरकार द्वारा निराश्रित विधवा महिलाओं को पेंशन दी जाती है ? यदि हां, तो जनपद रायबरेली में कितनी निराश्रित विधवाओं को पेंशन दी जा रही है ? 25 अक्टूबर, 2009 तक पेंशन हेतु कुल कितनी विधवाओं ने आवेदन किया तथा कितनी विधवाओं को पेंशन दी गई है ? शेष विधवाओं को कब तक पेंशन दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हाँ।

21530 को।

25 अक्टूबर, 2009 तक कुल 2495 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इन्हें अभी पेन्शन नहीं दी गयी है।

पात्र पाये जाने पर 31.03.2010 तक पेंशन दे दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली की सभी तहसीलों के पट्टे धारकों को संक्रमणीय घोषित करने में निर्धारित समय सीमा का पालन न किये जाने की जांच

145-श्री राजाराम त्यागी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली में कितने ऐसे पट्टे धारक हैं जिनका अक्टूबर, 2009 तक संक्रमणीय भूमिधर घोषित नहीं किया गया है ? पट्टे धारकों को संक्रमणीय घोषित किये जाने के नियम व समय-सीमा क्या है। क्या जनपद रायबरेली की सभी तहसीलों में पट्टे धारकों को संक्रमणीय घोषित करने में राजस्व अधिकारी/कर्मचारी निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं कर रहे हैं यदि हां, तो कितने कृषक/पट्टे धारक ऐसे हैं जो अक्टूबर, 2009 तक संक्रमणीय घोषित नहीं किये गये ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

अक्टूबर, 2009 तक प्रकाश में आये अर्ह सभी प्रकरणों में पट्टा धारकों को संक्रमणीय भूमिधर घोषित किया गया है।

जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा (3) (ख) के अन्तर्गत समय सीमा 10 वर्ष प्राविधानित है।

संक्रमणीय भूमिधर घोषित करने में समय सीमा का पालन किया गया है।

ऐसा कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं है जिसे अर्हता के आधार पर अक्टूबर, 2009 तक संक्रमणीय भूमिधर घोषित न किया गया हो।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद, तहसील फूलपुर में तैनात लेखपाल श्री कमला प्रसाद पाण्डेय के विरुद्ध आपराधिक एवं वित्तीय घोटालों के पंजीकृत अभियोग

146–श्री सुरेश चन्द्र तिवारी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद की तहसील फूलपुर में वर्तमान में तैनात लेखपाल श्री कमला प्रसाद पाण्डेय के विरुद्ध थाना करछना, मेजा व कर्नलगंज में कुल कितने आपराधित एवं वित्तीय घोटालों के अभियोग पंजीकृत हैं ? क्या यह सत्य है कि तहसीलदार मेजा, जनपद इलाहाबाद के द्वारा थाना मेजा में अपराध संख्या 201/2008 धारा 409 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराया था ? यदि हां, तो उक्त पंजीकृत अभियोग के तहत विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? क्या सरकार उपर्युक्त लेखपाल के विरुद्ध राज्य कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली के तहत कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

श्री कमला प्रसाद पाण्डेय, लेखपाल तहसील–फूलपुर जनपद इलाहाबाद के विरुद्ध जनपद के थाना करछना में 4, थाना मेजा में 10 थाना बहरिया में 1 व थाना कर्नलगंज में 1 कुल 16 अभियोग पंजीकृत है।

जी हाँ।

यह अभियोग सरकारी धनराशि रुपया 3,05,455.00 के दुरुपयोग के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया गया था। दुरुपयोग की गई धनराशि की वसूली सितम्बर, 2009 से रु0 3000.00 प्रतिमाह की दर से किश्तों में की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

विभागीय कार्यवाही की जा चुकी है और दिनांक 3–5–2008 को पारित किये गये दण्डादेश के अनुसार श्री कमला प्रसाद पाण्डेय को मूलवेतन पर प्रत्यावर्तित करने, इस आशय की निन्दा प्रविष्टि अंकित करने तथा दुरुपयोग की गई धनराशि की वसूली के आदेश दिये गये है तथा इनके विरुद्ध आपराधिक वाद पंजीकृत कराने के निर्देश दिये गये है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर तहसील आलापुर की ग्राम सभा, हरदिहा जलाल में तालाबों के पट्टे

147–चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी–

147–क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर की तहसील आलापुर की ग्राम सभा, हरदिहा जलाल में कुल 18 तालाबों का क्षेत्रफल 3041 हेक्टेयर है ? यदि हां, तो उक्त तालाबों का पट्टा कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जी नहीं। वास्तविक स्थिति यह है कि जनपद अम्बेडकर नगर की तहसील आलापुर के ग्राम सभा हरदिहा जलाल के अन्तर्गत 04 राजस्व ग्राम उमरी जलाल, हरदिहा, अशरफपुर व केशरपुर है। राजस्व ग्राम अशरफपुर व हरदिहा में कोई तालाब राजस्व अभिलेख में अंकित नहीं है। ग्राम केशरपुर में 04 तालाब/0.440 हे0 व ग्राम उमरी जलाल में 12 तालाब/2.601 हे0 कुल 16 तालाब/3.041 हे0 अभिलेख में अंकित है।

ग्राम सभा हरदिहा जलाल के अन्तर्गत कोई भी तालाब मत्स्य पालन पट्टा योग्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कन्नौज, ग्राम रामपुर की आबादी से लगी हुयी ग्राम समाज की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा हटाने की मांग

148–श्री लाल जी यादव–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद–कन्नौज, तहसील–तिर्वा की ग्राम पंचायत–बिनौरा के ग्राम–रामपुर की आबादी से लगी हुई ग्राम समाज की भूमि पर कतिपय लोगों द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर आंशिक निर्माण कर लिया गया है ? यदि हां, तो ग्राम समाज की उक्त भूमि अवैध कब्जे से कब तक मुक्त करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

ग्राम पंचायत बिनौरा रामपुर, परगना व तहसील तिर्वा, जनपद कन्नौज के ग्राम रामपुर की आबादी से लगे हुये ग्राम समाज के गाटा संख्या 802 क्षेत्रफल 0.053 हे0 व गाटा संख्या 807 क्षेत्रफल 0.117 हे0 राजस्व अभिलेखों में नवीन परती के रूप में दर्ज है। गाटा संख्या 807 क्षेत्रफल 0.117 हे0 में पंचायत भवन बना हुआ है तथा इस पर कोई अवैध कब्जा नहीं है। गाटा संख्या 802 क्षेत्रफल 0.053 हे0 पर विश्राम सिंह पुत्र गंगाराम निवासी रामपुर मौजा विनौरारामपुर द्वारा अवैध रूप से अस्थायी तौर पर फूस झोपड़ी व गुमटी रखकर कब्जा कर लिया गया था जिसे नायब तहसीलदार, तिर्वा के समक्ष ग्राम प्रधान व अन्य ग्रामवासियों की उपस्थिति में अतिक्रमण हटा दिया गया है एवं भूमि ग्राम प्रधान के सुपुर्द कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर में खाद कारखाने को पुनः प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

149–डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या 4 सितम्बर, 2009 तथा 10 सितम्बर, 2009 को, केन्द्र सरकार के सचिव श्री अतुल चतुर्वेदी ने गोरखपुर में खाद कारखाने को पुनः प्रारम्भ किये जाने के सन्दर्भ में, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश को पत्र लिखा है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? प्रदेश सरकार ने इस सन्दर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

यह पत्र गोरखपुर खाद कारखाने के पुनर्वासन से सम्बन्धित है। उक्त पत्र में भारत सरकार द्वारा मुख्य रूप से गोरखपुर खाद कारखाने के विरुद्ध नगर निगम, गोरखपुर तथा विद्युत विभाग को देय बकाया धनराशि की छूट देने का एवं पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का अनुरोध राज्य सरकार से किया गया है।

भारत सरकार के उक्त पत्र पर सिंचाई विभाग का अभिमत मांगा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत गोरखपुर जनपद में कराये गये कार्य

150–डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008–09 तथा 2009–10 में गोरखपुर जनपद में कितनी लागत से क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये एवं इनके सापेक्ष इस योजना में क्या–क्या कार्य सम्पन्न कराये गये है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण–

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत गोरखपुर जनपद में वर्ष 2008–09 में रु0 385.21 लाख की धनराशि की लागत के सापेक्ष रु0 307.51 लाख से कृषि एवं सम्वर्गीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कराये गये तथा वर्ष 2009–10 में रु0 210.10 लाख की धनराशि के विरुद्ध अब तक रु0 84.47 लाख के कार्य कराये गये हैं। वर्षवार स्वीकृत व कराये गये कार्यों का विवरण संलग्न[1] है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सूखाग्रस्त घोषित जनपदों में पशु चिकित्सा/टीकाकरण निःशुल्क करने के आदेश

151–चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सूखाग्रस्त घोषित जनपदों में पशु चिकित्सा/टीकाकरण निःशुल्क करने के आदेश शासन द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारियों को दिये

---

[1] (देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 262-264 पर)

गये थे ? यदि हां, तो क्या हरदोई जनपद सूखाग्रस्त घोषित होने के बाद भी वहां निःशुल्क पशु चिकित्सा टीकाकरण का लाभ अभी तक नहीं दिया है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराकर कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव–

जी हां।

जी हां।

जिलाधिकारी हरदोई से आख्या मांगी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

152–डॉ0 अनिल चौधरी–

[दूसरे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न सं0–141 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद

153–डॉ0 अजय तोमर–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सा अधिकारी के कितने पद रिक्त हैं ? उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव–

प्रदेश में 694 पशु चिकित्साधिकारियों के पद रिक्त हैं।

चयन वर्ष 2009–10 तक रिक्त पदों के सापेक्ष चयन हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है। लोक सेवा आयोग से चयन के पश्चात् रिक्त पदों पर तैनाती की जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा, तहसील एत्मादपुर के अन्तर्गत विवादित भूखण्ड की जानकारी

154–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा, तहसील एत्मादपुर थाना एत्माद्दौला के अन्तर्गत विवादित भूखण्ड संख्या 4372 व 4373 पुरानी व 1509 और 1510 वर्तमान सम्पूर्ण रूप में कुर्क है ? यदि हां, तो किसकी सुपुर्दगी में है ?

श्री फागू चौहान–

तहसील एत्मादपुर थाना–एत्माद्दौला के अन्तर्गत मौजा नारायण के गाटा संख्या–1509 का जुज रकबा तथा 1510 का सम्पूर्ण रकबा कुर्क शुदा भूमि है।

उक्त भूखण्ड थाना कोतवाली, हींगमण्डी, आगरा की सुपुर्दगी में है।

प्रदेश में उर्वरकों की उपलब्धता

155–श्री मदन चौहान–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रबी की बुआई हेतु प्रदेश में खाद व बीज की कमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार मांग के अनुरूप खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण–

जी नहीं। सामान्य रूप से यूरिया की उपलब्धता सन्तोषजनक रही। डी0ए0पी0 की कमी की समस्या राष्ट्रव्यापी रही एवं भारत सरकार ने इसके स्थान पर अन्य फास्फेटिक उर्वरक एन0पी0के0 उपलब्ध कराया। दिनांक 13 जनवरी, 2010 तक प्रदेश में उर्वरकों की उपलब्धता की स्थिति निम्न प्रकार रही :

(मात्रा लाख मी0 टन में)

क्र0-सं0	उर्वरक का नाम	लक्ष्य (15.01.10 तक)	उपलब्धता (13.01.10 तक)	वितरण (13.01.10 तक)
1	यूरिया	18.78	17.95	15.37
2	डी0ए0पी0एन0पी0के0 (फास्फेटिक)	13.25	14.29	12.44
3	एम0ओ0पी0	1.25	1.80	1.35

रबी की बुआई हेतु प्रदेश में बीजों की कोई कमी नहीं रही है।

प्रदेश में कृषकों को उनकी मांग के अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराने के लिये प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। भारत सरकार के निरन्तर सम्पर्क में रहते हुये उर्वरकों की उपलब्धता मांग के अनुरूप सुनिश्चित कराया जाता है। रसायनिक उर्वरकों की उपलब्धता हेतु प्रदेश शासन पूरी तरह भारत सरकार पर आश्रित है। प्रदेश शासन निरन्तर भारत सरकार से सम्पर्क में रह कर एवं पत्रों तथा व्यक्तिगत सम्पर्क के माध्यम से अनुश्रवण करते हुये यथासम्भव रसायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु प्रयासरत है।

प्रश्न नहीं उठता।

156–श्री मदन चौहान–

[दिनांक 08–2–2010 के अतारांकित प्रश्न संख्या–172 द्वारा उत्तरित]

खाद, बीज तथा उर्वरक की कालाबाजारी रोकने हेतु नीति

157–श्री मदन चौहान–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खाद, बीज तथा उर्वरक की कालाबाजारी रोकने हेतु सरकार द्वारा कोई नीति बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

जी हां।

उर्वरकों की कालाबाजारी पर रोक लगाने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाये गये है। शासन द्वारा जिलाधिकारियों को उर्वरक वितरण व्यवस्था पर कड़ी निगाह रखने हेतु निर्देश दिये गये है। खरीफ में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 2956/12–2–2009–एफ0–33/2008, दिनांक 16–07–09 द्वारा प्रदेश के समस्त

जिलाधिकारियों को 15 दिन का विशेष जांच अभियान चलाने के निर्देश दिये गये। इसी प्रकार रबी में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0–4885/12–2–2009–एफ–33/2008, दिनांक 12.10.09 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को विशेष जांच अभियान चलाने के निर्देश दिये गये। कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन के स्तर से दिनांक 10 से 17 नवम्बर, 2009 तक प्रदेश के समस्त जनपदों में मुख्यालय से अधिकारियों को भेजकर जांच करायी गयी। जनवरी, 2010 में भी मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारियों के नेतृत्व में प्रदेश में उर्वरक प्रतिष्ठानों पर छापे डाले गये।

बीजों की कालाबाजारी रोकने हेतु बीज अधिनियम, 1966, बीज नियम, 1968 एवं बीज नियंत्रण आदेश, 1983 प्रभावी है।

प्रश्न नहीं उठता।

कृषि विकास के लिये ठोस–योजना

158–श्री मदन चौहान–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार ने कृषि विकास के लिये कोई ठोस योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है तथा कृषि विकास दर में उक्त योजना से कितनी बढ़ोत्तरी हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण–

जी हां।

प्रदेश में कृषि विकास हेतु प्रतिवर्ष वार्षिक कार्ययोजना तैयार की जाती है। कार्ययोजना में गत वर्ष की उपलब्धियों के आधार पर आगामी वर्ष हेतु भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश की कृषि विकास दर 2.10 प्रतिशत थी एवं 11वीं पंचवर्षीय योजना हेतु 5.1 प्रतिशत कृषि विकास दर निर्धारित की गई, जिसके सापेक्ष प्रथम वर्ष 2007–08 में कृषि विकास दर 3.8 प्रतिशत तथा वर्ष 2008–09 में 4.2 प्रतिशत अनुमानित है। वर्ष 2009–10 हेतु वार्षिक कार्ययोजना का संक्षिप्त विवरण संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत में साफ्ट्वेयर टेक्नालॉजी पार्क की स्थापना की मांग

159–डॉ0 अजय तोमर–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद बागपत में साफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क/इलेक्ट्रानिक सिटी की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसे कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सूचना प्रौद्योगिकी नीति–2004 के अन्तर्गत जनपद बागपत में साफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क की स्थापना संस्तुत/सम्मिलित नहीं है।

---

† (देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 265-266 पर)

जनपद रायबरेली हेतु उपलब्ध करायी गयी डी0ए0पी0 उर्वरक

160—श्री राजाराम त्यागी—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2008—09 में रायबरेली जनपद हेतु केन्द्र सरकार ने कितनी डी0ए0पी0 उर्वरक भेजी और किन—किन केन्द्रों पर उसका वितरण किया गया ? क्या जनपद के अतिरिक्त भी उसका वितरण किया गया ? यदि हां, तो स्थानीय प्रशासन पर कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण—

केन्द्र सरकार द्वारा जनपद रायबरेली हेतु वर्ष 2008—09 में खरीफ एवं रबी में कुल 29,430 मी0टन डी0ए0पी0 उर्वरक उपलब्ध करायी गयी। उपलब्ध मात्रा में से डी0ए0पी0 उर्वरक का वितरण 183 सहकारी समितियों/सहकारी संघ, 08 पी0सी0एफ0 कृषक सेवा केन्द्र, 02 एग्रो सेन्टर, 02 इफ्को सेन्टर, 07 कृषि वानिकी समितियों, 20 आई0एफ0एफ0डी0सी0 केन्द्र/आधुनिक मोटर परिवहन सहकारी समितियों तथा निजी क्षेत्र के अन्तर्गत 04 हरियाली किसान बाजार केन्द्र, 09 खुशहाली कृषि केन्द्र तथा 547 निजी विक्रेताओं के द्वारा किया गया।

उक्त विवरण मा0 अध्यक्ष के कार्यालय कक्ष में अवलोकित किया जा सकता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर में मूसलाधार बारिश व बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकान

161—श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 7 अक्टूबर, 2009 को मूसलाधार बारिश व बाढ़ से जनपद सीतापुर में पूर्ण रूप से कुल कितने मकान गिर गये हैं ? क्या गिरे हुये मकान मालिकों जो बी0पी0एल0 की श्रेणी में आते हैं, को इन्दिरा आवास के अन्तर्गत आवास दिये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान—

जनपद सीतापुर से 7 अक्टूबर, 2009 की रात में मूसलाधार वर्षा एवं बाढ़ से पूर्ण रूप से कोई मकान क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गौतमबुद्धनगर, नोएडा एवं दिल्ली के बीच बने डी0एन0डी0 फ्लाई ओवर से टोल टैक्स की वसूली

162—श्री मदन चौहान—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनपद—गौतमबुद्ध नगर, नोएडा व दिल्ली के बीच बने डी0एन0डी0 फ्लाई ओवर से कब तक टोल टैक्स की वसूली की जायेगी ?

सुश्री मायावती–

मै0 नोएडा टोल ब्रिज कम्पनी लि0 के साथ निष्पादित कन्सेशन एग्रीमेंट दिनांक 12–11–1997 की धारा 2.3 के अनुसार पुल के प्रारम्भ होने की तिथि 07–02–2001 से 30 वर्ष तक अथवा पुल की परियोजना लागत में 20 प्रतिशत का लाभ सम्मिलित करते हुये समस्त धनराशि की प्राप्ति तक टोल टैक्स प्राप्त किया जायेगा। कन्सेशन एग्रीमेंट की धारा 2.4 के अनुसार धनराशि के पूर्ण भुगतान न होने की स्थिति में पूर्ण भुगतान होने तक उक्त अवधि को प्रत्येक 02 वर्ष के लिये बढ़ाये जाने का प्राविधान है। धारा 2.5 के अनुसार यदि पूर्ण भुगतान 30 वर्ष से पूर्व में चुकता हो जाता है तो यह अवधि तब तक मानी जायेगी।

ग्राम मुहीउद्दीनपुर, तहसील बहेड़ी जिला बरेली में खलिहान की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने विषयक शिकायती–पत्र

163–श्री सुल्तान बेग–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम–209098/09, दिनांक 24–9–2009 जो जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी, ब्लाक शेरगढ़ में ग्राम पंचायत मुहीउद्दीनपुर में कुछ असामाजिक तत्वों अथवा भू–माफियाओं द्वारा खलिहान की भूमि गाटा संख्या–225 पर जबरन अवैध कब्जा किये जाने विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जी हां।

ग्राम मुहीउद्दीनपुर, परगना कांवर, तहसील बहेड़ी जिला बरेली में स्थित गाटा सं0 225 रकबा 0.260 है0 अभिलेखों में खलिहान दर्ज है जिस पर अवैध कब्जेदारों सत्येन्द्र सिंह आदि द्वारा पक्के मकान बना कर अवैध रूप से कब्जा करने के सम्बन्ध में बेदखली की कार्यवाही धारा 122बी जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत तहसीलदार बहेड़ी के न्यायालय में वाद संख्या 9/2009–10 ग्राम सभा बनाम सतेन्द्र सिंह, 10/2009–10 ग्राम समाज बनाम वीरेन्द्र सिंह, 11/2009–10 ग्राम समाज बनाम निर्मान सिंह, 12/2009–10 ग्राम समाज बनाम नरेन्द्र सिंह, 13/2009–10 ग्राम सभा बनाम बीर सिंह, 14/2009–10 ग्राम सभा बनाम राजवीर सिंह, 15/2009–10 ग्राम समाज बनाम रन सिंह, 16/2009–10 ग्राम सभा बनाम प्रेमपाल सिंह विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधायक निवास–5 के कमरा नम्बर–17 के बगल में आवंटित अध्यासियों से हो रही कठिनाई की तरफ सदन का ध्यानाकर्षण

* डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैने आपसे बताया था कि मेरी निजी सुरक्षा का विषय है। अध्यक्ष महोदय, मैं 2002 से इस सदन में आता हूँ। हम लोग गोरखपुर में भी जो औपचारिक सुरक्षा मिलती है, उसको भी नहीं लेते, खुलेआम घूमते हैं क्योंकि कभी महसूस नहीं किया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन कल रात को पहली बार इन 8 सालों के इतिहास में, रात को 9.00 बजे हमारे दरवाजे पर शराब से धुत व्यक्ति, तिमंजिले पर रहता हूं, विधायक निवास–5, कमरा नं0–17 में। शराब से धुत व्यक्ति मेरे कमरे पर आता है और पच्चीसों बार घंटी बजाता है। मेरे कहने के बावजूद कि कोई यहां नहीं रहता, वह लगातार अपशब्दों का प्रयोग करता रहता है, चिल्लाता रहता है। उसके बाद मैं नीचे कार्यालय में फोन करता हूं, कार्यालय से दो कर्मचारी ऊपर आते है, उसको पकड़ करके ले जाते है और वह व्यक्ति उसके बाद उसी विधायक निवास में एक दूसरे कमरे में चला जाता है। मैं यह प्रश्न कि डा0 अग्रवाल को सुरक्षा दी जाए इसलिये नहीं ला रहा हूं, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, हम लोग इसका अहसास ही नहीं करते। प्रश्न का विषय दूसरा है। विधायक निवास–5, विधायकों के निवास के लिये बनाया गया है। मा0 सदन से जानना चाहूंगा और अध्यक्ष महोदय, आपको इस विषय में हम लोगों को संरक्षण देना होगा कि विधायक निवास–5 में आखिर कौन है वह लोग जो उनके कमरों में रह रहे हैं ? उनके हर कमरों में रहने वाले जो आवंटित लोग है, उनकी सूची क्या है ? दूसरे, अगर जिन लोगों को आवंटित है, वह वहां रहते ही नहीं है और उनके स्थान पर कोई और वहां स्थायी रूप से रहता है तो क्या सरकार या विधायक निवास के अधिकारियों ने उसको अपने संज्ञान में लेते हुए, रहने वाले लोगों की सूची का विवरण बनाते हुये, सुरक्षा कारणों से सम्भवतः यह जरूरी है कि क्या दर्ज किया है कि उन निवासों में वस्तुतः रहेंगे जिनको आवंटित है। कुछ विधायक भी उनमें से एक है, कुछ विधायक नहीं भी है। कौन है वे लोग जो उनके स्थान पर रह रहे हैं ? तीसरी चीज, विधायक निवास की सुरक्षा की बात मैं कर रहा हूँ, सामूहिक सुरक्षा की नहीं। मैने आज तक वहां सुरक्षा देते किसी को पाया नहीं है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि विधायक निवासों की सुरक्षा की सरकार ने क्या व्यवस्था की है ? जिन्हें आवंटित है, क्योंकि कुछ लोग वहां व्यवसाय भी कर रहे है, किन्हें आवंटित है, क्या उनके स्थान पर कुछ लोग स्थायी रूप से रह रहे है, कौन है वे लोग, उनकी सूची क्या है और सुरक्षा की व्यवस्था क्या की गयी है ?

संसदीय कार्य वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है, उसकी गम्भीरता को देखते हुये इसको दिखवा लिया जायेगा और निश्चित रूप से जो कार्यवाही आवश्यक होगी सुरक्षा की दृष्टि से विधायक निवास की, वह की जायेगी।

वर्तमान सत्र में बहुत कम अल्पसूचित प्रश्न स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली का नियम 29, उप नियम (1) देखने की कृपा करें, जिसमें यह है कि जब कोई सदस्य अल्पसूचित प्रश्न पूछना चाहे तो वह सत्र आहूत हो जाने के बाद ऐसे प्रश्नों की लिखित सूचना न्यूनतम 3 दिन पूर्व दे सकेंगे। मान्यवर, जबसे यह सत्र आहूत होने की नोटीफिकेशन हुई उसके बाद से

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बहुत से मा0 सदस्यों ने प्रश्नों की अविलम्बनीयता तथा लोकमहत्व को देखते हुये अल्पसूचित प्रश्न दिये। लेकिन अध्यक्ष महोदय, कल भी अल्पसूचित प्रश्न नहीं था, आज भी एक भी प्रश्न नहीं था और आप देखेंगे कि अब तक जितनी सिटिंग्स हुई हैं उसमें बहुत ही कम संख्या में, कभी 1 या कभी 2 अल्पसूचित प्रश्न आये है। तो क्या मा0 मंत्रीगण को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न को कोई फोबिया हो गया है कि वह स्वीकार ही नहीं कर रहे है। हम इस पर आपकी व्यवस्था चाहते है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का क्रम निर्धारण करना हमारे अधिकार क्षेत्र में है कि कौन सा प्रश्न अल्पसूचित होगा, कौन सा तारांकित, अतारांकित होगा। लेकिन तब भी अल्पसूचित प्रश्नों की संख्या जो कम होती जा रही है, नहीं आ रही है तो हम इसको दिखवा लेंगे।

सूचना विभाग की डायरी सदस्यगण को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सदन का ध्यानाकर्षण

*श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से जानना चाहता हूं कि सूचना विभाग की एक सूचना डायरेक्ट्री छपती थी उसमें सारे प्रदेश के अधिकारियों के नम्बर रहते थे। पक्ष विपक्ष सभी सदस्यों का भी उसमें नम्बर रहता था। अधिकारियों का नम्बर होने की वजह से जो समस्याएं होती है उस सम्बन्ध में अधिकारियों से बात करके उनका निस्तारण करवाने में सुविधा मिलती थी। यह सत्र खत्म होने को है लेकिन अभी तक सूचना विभाग की डायरी नहीं छपी। पहले दस–दस डायरियां मिलती थी। वर्तमान सरकार में सदस्यों को हैण्ड पम्प भी नहीं दिये जा रहे हैं उसी तरह से क्या डायरियां भी सरकार नहीं देना चाहती है ? सरकार अधिकारियों का नम्बर छिपाना चाहती है नहीं बताना चाहती है।

श्री अध्यक्ष–

इसमें कौन सी व्यवस्था है। चलिये आपने सरकार के संज्ञान में डाल दिया है कुछ किया जायेगा।

दिनांक 15 फरवरी, 2010 को अनुदान मांगों से सम्बन्धित साहित्य आज ही सदस्यगण को उपलब्ध कराने का अनुरोध

*डा0 पी0 के0 राय–

मान्यवर, मैं जो विषय उठाना चाहता हूं वह महत्वपूर्ण है मैंने कल भी यह विषय आपके संज्ञान में लाया था। आज से मदवार अनुदानों की मांगों पर चर्चा शुरू हो गयी है। नियम यह है कि जिस विभाग की मद ली जानी है उसका बजट साहित्य कम से कम दो दिन पहले मिल जाना चाहिए। कल भी मैंने अध्यक्ष जी आपका ध्यान आकृष्ट किया था आपकी पीठ से निर्देश भी दिए गए थे आज की तारीख में बैग के साथ हम लोगों को सिंचाई विभाग व गन्ना विभाग का साहित्य बैग के साथ प्राप्त हुआ है। आज से सदन उठ जाएगा फिर हम

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

15 तारीख को 11 बजे मिलेंगे तो 15 तारीख को जो अनुदान माँगे ली जानी है उनका साहित्य पिजन होल में उपलब्ध नहीं है। यह बहुत गम्भीर विषय है। अनुदानवार चर्चा कराने में कहीं न कहीं सत्तापक्ष इन्ट्रेस्टेट नहीं है या रूचि नहीं है। कही ऐसा तो नहीं कि एक साथ सभी मदों को पास करना चाहते हैं। मेरा अनुरोध है कि समय से बजट साहित्य सदस्यों को उपलब्ध कराया जाय।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी बजट साहित्य समय पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर दें।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, निश्चित रूप से करेंगे।

अर्थ एवं संख्या विभाग द्वारा प्रकाशित सांख्यिकी डायरी उपलब्ध कराये जाने के संबंध में पीठ का ध्यानाकर्षण

*श्री अनूप सण्डा–

माननीय अध्यक्ष महोदय जिस तरह से विशम्भर निषाद ने सूचना डायरी की बात कही उसी तरह से बजट सत्र के पहले सांख्यिकी डायरियाँ मिल जाती थी जो अर्थ एवं संख्या विभाग द्वारा छापी जाती थी उस डायरी में प्रदेश के बारे में तमाम आंकड़े मिल जाते थे जिस कारण बजट सत्र में चर्चा करने में आसानी हो जाती थी। सत्र समाप्त होने को है लेकिन अभी तक वह डायरी हम लोगों को उपलब्ध नहीं कराई गई है।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)–

इसको दिखवा लेंगे।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 11 फरवरी, 2010 को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 14 सूचनाएं प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गईः–

पहली सूचना श्री आनन्द कुमार पाण्डेय की जनपद लखनऊ के ग्राम मचलखेड़ा मजरा सरसवाँ पोस्ट अर्जुनगंज तहसील सदर के अनुसूचित जाति के लोगों को कब्जे के आधार पर भूमि का पट्टा दिये जाने के सम्बन्ध में है,

दूसरी सूचना श्रीमती सीमा द्विवेदी की उ0प्र0 में सरकारी चिकित्सालयों में फिजियोथैरेपिस्ट चिकित्सकों की भर्ती के सम्बन्ध में है,

तीसरी सूचना श्री सुधीर कुमार की इलाहाबाद जनपद के बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) द्वारा नियम विरुद्ध आदेश कर सरकारी भूमि को एक व्यक्ति के नाम दर्ज करने के सम्बन्ध में है,

चौथी सूचना श्री सुल्तान बेग की जनपद लखनऊ के आवास विकास परिषद् द्वारा सेक्टर 22 इन्दिरानगर के भवन संख्या 22/641 में भू–स्वामी को 8 मीटर अतिरिक्त कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पाँचवीं सूचना श्रीमती मिथिलेश पाल की।

(मा0 सदस्या के अनुपस्थित होने पर)

छठी सूचना श्री राजाराम त्यागी की जनपद रायबरेली के शुकुल बाजार वाया इन्हौना महराजगंज की सड़क को केन्द्रीय सड़क निधि द्वारा आवंटित धनराशि से निर्माण कराये जाने तथा अधिकारियों और ठेकेदारों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जाँच कराने के सम्बन्ध में है,

सातवीं सूचना श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल की जनपद सिद्धार्थनगर के नगर पंचायत उस्का बाजार में फैली गंदगी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री माधव पासवान की जनपद गोरखपुर के मुण्डेरा बाजार विधान सभा के अन्तर्गत बने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों के रात्रि निवास न करने के संबंध में है। नवीं सूचना श्री अमरमणि त्रिपाठी की, (माननीय सदस्य अनुपस्थित थे) दसवीं सूचना श्री दीप नारायण सिंह की जनपद झाँसी के गुरसराय नगर की मुख्य सड़क की दयनीय एवं जर्जर हालत को सुधारने के संबंध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री विश्वनाथ की उत्तर प्रदेश में जिला गन्ना अधिकारी के पद पर प्रोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर विलम्ब किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। बारहवीं सूचना श्री पंकज मलिक की जनपद मुज्जफ्फरनगर में बघरा, चर्थावल बावरी के बीच एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना श्री मदन चौहान की जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में कतिपय मार्गों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। जिन माननीय सदस्य की सूचना अस्वीकार की गयी वह है चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी। श्रीमती मिथिलेश पाल जी अनुपस्थित हैं उनके स्थान पर चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी जी की सूचना नहीं ली जा सकती क्योंकि इन्होंने फिर रिपीट कर दी है इस सप्ताह में।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद लखनऊ के ग्राम मचलखेड़ा, मजरा सरसवां अर्जुनगंज तहसील सदर के अनुसूचित जाति के लोगों को कब्जे के आधार पर भूमि का पट्टा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय–

[महोदय, अवगत कराना है कि जि0–लखनऊ के ग्राम मचल खेड़ा, मजरा–सरसवों, पो0– अर्जुनगंज, तह0–सदर लखनऊ के राम लखन, मेहेलाल, पुत्रगण–स्व0 राम औतार, दिनेश, गनेश पुत्रगण राम लखन आदि लोग अनु0 जा0 (पासी) के निवासीगण हैं। यह लोग गॉव की बंजर भूमि पर लगभग 55 वर्षों से अधिक समय से काबिज हैं। उक्त भूमि को खेती योग्य बनाकर खेती आदि का कार्य करते रहे हैं। ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम के अन्य लोगों के पट्टे कर दिये गये हैं परन्तु उपरोक्त अनुसूचित जाति के लोगों को कब्जे के आधार पर भी पट्टे नहीं किये गये है। इन लोगों ने कब्जे के आधार पर कई बार भूमि का पट्टा किये जाने का अनुरोध किया है लेकिन दबंग लोगों की मिली भगत होने के कारण ग्राम प्रधान एवं सरकारी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त अनुसूचित जाति के लोगों को कब्जे के आधार पर उक्त भूमि का पट्टा नहीं किया गया। जिससे उपरोक्त अनुसूचित जाति के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। उन लोगों के पास इसके अलावा और कोई भूमि नहीं है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की तथा उपरोक्त अनुसूचित जाति के लोगों को भूमि का पट्टा दिये जाने की मांग करता हूँ।]

उत्तर प्रदेश में सरकारी चिकित्सालयों में फिजियोथेरेपिस्टों की भर्ती के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सीमा द्विवेदी–

[फिजियोथेरेपी चिकित्सा की एक ऐसी विधा है जिसमें बिजली, पानी, ऊष्मा व व्यायाम के माध्यम से कई बीमारियों को ठीक किया जाता है। वर्तमान में उ0प्र0 शासन एवं स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ से सम्बद्ध कई संस्थान इस विधा में 2 वर्ष 3 माह का डिप्लोमा कोर्स संचालित कर रहे हैं तथा इसकी अच्छी खासी फीस भी ली जाती है। इन संस्थानों से हजारों छात्र–छात्राएं डिप्लोमा प्राप्त कर रहे हैं तथा रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं।

मान्यवर तमाम जिला चिकित्सालयों में फिजियोथेरेपिस्टों की आवश्यकता है। जिला चिकित्सालयों में फिजियोथेरेपिस्ट के पद सृजित हैं लेकिन नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। इस बात की भी चर्चा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी फिजियोथेरेपिस्टों की नियुक्ति की जा सकती है। परन्तु सरकार न तो भर्ती कर रही है न ही इस संबंध में अपनी नीति स्पष्ट कर रही है। इस अनिर्णय की स्थिति में कई डिप्लोमाधारी अपनी आयु की अर्हता भी पूरी नहीं कर पाएंगे अर्थात न्यूनतम आवश्यक आयु सीमा पार कर जाएंगे।

इन परिस्थितियों में इस संबंध में नीति स्पष्ट करते हुए फिजियोथेरेपिस्टों के पद पर सरकार द्वारा भर्ती प्रारम्भ किया जाना आवश्यक है।

अविलंबनीय लोक महत्व के इस प्रकरण पर सरकार से वक्तव्य दिलाये जाने की मांग करती हूँ।]

इलाहाबाद जनपद के बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) द्वारा नियम विरुद्ध आदेश कर सरकारी भूमि को एक व्यक्ति के नाम दर्ज करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुधीर कुमार–

[इलाहाबाद जनपद के तत्कालीन बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) द्वारा अपील संख्या–2204 धारा 11(1) के फैसले द्वारा नियम विरुद्ध ढंग से आदेश कर सरकारी भूमि को श्रीमती गीता सिंह पत्नी हितेन्द्र सिंह के नाम दर्ज करने के सम्बन्ध में।

---

* [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद इलाहाबाद के ग्राम देव घाट परगना खैरागढ़ तहसील पुरांव के खतौनी सन् 1381–1383 फसली में गाटा संख्या–

1916 मि०/8-0-0	1692/2–15–0	1517/–01–0–0
1835/7–16-0	1753/2–12–0	1763/2–11–0
1828/10–0-0	1643/0–10–0	1663/01–17–0
1731/03–09-0	1498/21–10–0	1835/16–12–0
1718/03–17-0	1916 मि0/08–0–0	1478/1/06–17–0
1111/2–12-0	कुल रकबा–	99–18–00 बीघा

जो बंजर, सीलिंग आदि दर्ज है।

इस समस्त भूमि को बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी इलाहाबाद ने अपील संख्या–2204 धारा 11(1) तारीख फैसला 07–05–2002 द्वारा गीता सिंह पत्नी हितेन्द्र सिंह के नाम संक्रमणीय भूमिधरी अधियमित रूप से दर्ज कराने का आदेश दिया था। उक्त अवैधानिक आदेश से राज्य सरकार को भारी क्षति पहुँचाई गई है। किसी एक खातेदार के नाम इतनी भूमि दर्ज किया जाना नियम विरुद्ध है। उक्त प्रकरण की जांच तथा अवैधानिक आदेश पारित करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही आवश्यक है।]

मान्यवर,

अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रकरण पर सरकार से वक्तव्य दिलाये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद लखनऊ के आवास विकास परिषद द्वारा सेक्टर 22 इन्दिरा नगर के भवन संख्या 22/641 में भू–स्वामी को 8 मीटर अतिरिक्त कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सुल्तान बेग–

[मान्यवर, मैं सदन का ध्यान एक गम्भीर विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। आवास विकास परिषद द्वारा बनायी गयी कालोनी में सेक्टर 22 इन्दिरा नगर लखनऊ में भवन सं0–22/641 से लगी 8 मीटर अतिरिक्त भूमि का कब्जा अभी तक भू–स्वामी को नहीं दिया गया है जबकि आवास विकास परिषद की कालोनी में इस मकान से होकर कोई रास्ता नहीं जाता है तथा आवास विकास परिषद के अधिशासी अभियन्ता ने एक पत्र भी लिखा है जिसमें यह कहा है कि भवन सं0–22/641 से लगी 8 मीटर अतिरिक्त भूमि के पास से कोई भी सड़क का निर्माण कार्य नहीं किया जाना है अतः मकान से लगी 8 मीटर अतिरिक्त भूमि आवंटी को आवंटित की जाती है। कई वर्ष बीत जाने पर भी आवास विकास परिषद द्वारा अभी तक उक्त 8 मीटर भूमि पर कब्जा नहीं दिया गया है। जिससे विभाग के प्रति लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है।

अतः जनहित में इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद रायबरेली के शुकुल बाजार वाया इन्हौंना महराजगंज की सड़क को केन्द्रीय सड़क निधि द्वारा आवंटित धनराशि से निर्माण कराये जाने तथा अधिकारियों और ठेकेदारों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजाराम त्यागी–

[मैं सदन का ध्यान जनपद रायबरेली से शुकुलबाजार वाया इन्हौना, महराजगंज की सड़क का कराये गये निर्माण की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। उक्त सड़क के निर्माण हेतु वर्ष 2007 में सी0आर0एफ0 (केन्द्रीय सड़क निधि) द्वारा धनराशि आवंटित की गयी थी, जिसके द्वारा उक्त मार्ग का निर्माण कराया जाना था, किन्तु विभाग द्वारा अभी तक पूरी सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है। जो निर्माण कराया गया है वह निम्नकोटि का हैं। कि0 मीटर सं0–7, 8, 9 एवं 10 का निर्माण उक्त आवंटित धनराशि से ही होना था किन्तु अभी तक नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में प्रतिनिधियों द्वारा कई बार प्रदर्शन/धरना भी दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी अधिकारियों एवं ठेकेदारों से मिलकर आवंटित धनराशि में गोलमाल किया जा रहा है।

अतः इस लोकमहत्व एवं जनहित के सुनिश्चित विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुये तत्काल केन्द्रीय सड़क निधि द्वारा आवंटित धनराशि से उक्त सड़क का निर्माण कराये जाने तथा अधिकारियों एवं ठेकेदारों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार/गोलमाल की जांच कराकर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद सिद्धार्थनगर के नगर पंचायत उस्का बाजार में फैली गन्दगी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल–

[मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद सिद्धार्थनगर के नगर पंचायत उस्का बाजार में गन्दगी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। जनपद सिद्धार्थनगर के उस्का बाजार में इस समय गन्दगी और कूड़े का अम्बार लगा हुआ है। नगर पंचायत में कोई सफाई कर्मी न होने के कारण उक्त समस्या बहुत ही गम्भीर है। वहां की नालियाँ गन्दगी से बजबजा रही है, सभी वार्डो में सड़कों की सफाई नहीं हो रही है। सड़कों की सफाई न होने के कारण वहां के लोगों को निकलना दूभर हो गया है वहां की नालियों में इतनी ज्यादा गन्दगी और कूड़ा भरा हुआ है कि बीमारियां फैलने की आशंका उत्पन्न हो गयी है। सड़कों पर आने जाने वाले लोग नाक पर कपड़ा रखकर आ जा रहे हैं। नगर पचांयत में कोई भी कर्मी उपलब्ध नहीं होने से नगर पंचायत की सफाई व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गयी है। सफाई न होने के कारण क्षेत्रीय नागरिकों में काफी असंतोष एवं रोष व्याप्त है। जनहित को ध्यान में रखते हुये नगर पंचायत उस्का बाजार की सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किये जाने की आवश्यकता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद गोरखपुर के मुण्डेरा बाजार विधान सभा के अन्तर्गत बने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों के रात्रि निवास न करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री माधव पासवान–

[विधान सभा मुण्डेरा बाजार जनपद गोरखपुर में निम्न स्थानों पर बने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सक रात्रि निवास नहीं करते है जिससे लोगों को आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सा की सुविधा नहीं मिल पाती है–**नरही, विशुनपुरा, राज जगदीशपुर, ब्रह्मपुर, कुई, करमहां, चौरी चौरा** आदि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कोई चिकित्सक रात्रि में नहीं रहता है जिसके कारण गरीब जनता को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की मुख्यालय से लगभग 50 से 60 कि0मी0 की दूरी है। गरीब जनता रात्रि में तबियत खराब होने पर या तो रात्रि बीतने का इंतजार करती है या फिर कभी–कभी उपचार के अभाव में उनकी असामयिक मौत भी हो जाती है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि बार–बार मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा मौखिक एवं लिखित रूप से मुख्य चिकित्साधिकारी को सूचित किया जा चुका है किन्तु उसके बाद भी चिकित्सक रात्रि निवास नहीं करते है। ऐसी स्थिति में लोगों में चिन्ता एवं रोष है–जनहित में उपरोक्त चिकित्सालयों में रात्रि में चिकित्सकों का निवास करना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद झांसी के गुरसरांय नगर की मुख्य सड़क की दयनीय एवं जर्जर हालत को सुधारने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दीप नारायण सिंह दीपक यादव–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गरौठा जनपद झांसी के अन्तर्गत गुरसरांय कस्बे में एरच चुंगी से लेकर खेर इण्टर कालेज की ओर लगभग 3 कि0मी0 सड़क विगत कई वर्षों से जर्जर हालत में है जिस पर वाहनों का चलना दूभर हो गया है। जिससे आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं। उक्त सड़क उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सीमाओं को जोड़ती है। लोक निर्माण विभाग झांसी द्वारा उक्त सड़क का आगणन बनाकर शासन को उपलब्ध करा दिया गया है। इसके बावजूद भी उक्त सड़क का निर्माण कार्य अभी तक नहीं स्वीकृत हुआ है। जिसके क्षेत्रीय जनता को काफी परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। इस सड़क के बन जाने से हजारों लोगों को आवागमन की सुविधा हो जायेगी और आवागमन सुचारू रूप से चलने लगेगा। यह सड़क का निर्माण कार्य अत्यंत आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय को सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये शीघ्र उक्त सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश जिला गन्ना अधिकारी के पद पर प्रोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर विलम्ब किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विश्वनाथ–

[मान्यवर आपको अवगत कराना है कि जिला गन्ना अधिकारी के कुल स्वीकृत 57 पद खाली हैं जिनमें सीधी भर्ती से 28 को होना चाहिए। प्रोन्नत से भरे जाने वाले पद पर 29 को होना चाहिये जिनमें सामान्य पद 13 हैं जो खाली हैं और आरक्षित पद 6 हैं यह भी खाली है, प्रोन्नत के पद अरसे से लम्बित हैं, प्रोन्नत रोके जाने से और इन पदों पर भर्ती न किये जाने से गन्ना विभाग के सीनियर सी0डी0आई0 जिला गन्ना अधिकारी पद से वंचित हैं। इन प्रोन्नतियों को न किये जाने से गन्ना विकास और गन्ना विभाग का कार्य वाधित है। गन्ना किसानों को और गन्ना विभाग को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इससे जनहित की हानि हो रही है और गन्ना किसानों एवं विभाग को भारी क्षति हो रही है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये विलम्बहीन प्रोन्नत किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मुजफ्फरनगर में बघरा, चर्थावल बावरी के बीच एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पंकज कुमार–

[जनपद मुजफ्फरनगर में ज्यादातर आबादी किसानों, मजदूरों एवं गरीब तपके के लोगों की है–जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का अत्यधिक अभाव है और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बद से बदतर है। एक भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है जिससे आवश्यकता पड़ने पर लोगों को समुचित चिकित्सा सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाती है। बघरा, चरथावल, बाबरी के बीच में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र यदि स्थापित कर दिया जाय तो लोगों को चिकित्सा की सुविधा सुलभ हो सकती है। जनपद के नागरिकों के लिये कांधला, चरथावल, थाना भवन, ऊन में भी 60–60 शैया वाला अस्पताल होना चाहिये ताकि लोगों की आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सा की सुविधा मिल सके। जिला अस्पताल में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है जो दवाइयां गरीबों के लिये मरीजों के लिये आती है उसे बाजार में बेंच दिया जाता है यहां तक की जो फिनायल आता है उसे भी बाजार में बेंच दिया जाता है। जब आम आदमी कोई दुर्घटना होने पर अस्पताल में जाता है तो उसे प्राथमिकता चिकित्सा देने के पूर्व एफ0आई0आर0 दर्ज कराने की बात कहकर टाला जाता है जिससे कई बार लोगों को जान से हाथ धोना पड़ता है–पोस्ट मार्टम भी सुविधा शुल्क देकर कराना पड़ता है। इससे लोगों में चिन्ता एवं रोष व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में कतिपय मार्गों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मदन चौहान–

[मान्यवर, गढ़मुक्तेश्वर मुख्यालय से 100 कि0मी0 दूर अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है। कई मार्गों की जनता आवागमन की भारी समस्या को देखते हुये तत्काल सड़क निर्माण की आवश्यकता है जो निम्न है।

1–ग्राम हरिनाथपुर कोटा प्याऊ से बागड़पुर ग्राम वाली सड़क तिराहे तक लगभग 1500 मी0।

2–ग्राम मुदाफरा पुराने रास्ते से पीर की तरफ होते हुये दिशोरी ग्राम वाली सड़क तक लगभग 3 कि0मी0।

मान्यवर, जनता व किसानों की समस्या को दृष्टिगत रखते हुये। यह सूचना अत्यन्त महत्वपूर्ण व अविलम्बनीय है। मैं आपके निर्देशों के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ ।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 11 फरवरी, 2010 को नियम–300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 5 सूचनायें प्राप्त हुयी :–पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी एवं श्री हुकुम सिंह जी की दिनांक 9 फरवरी, 2010 को जामा मस्जिद दिल्ली के शाही इमाम श्री अब्दुल्ला बुखारी द्वारा आजमगढ़ में सार्वजनिक रूप से देश एवं प्रदेश की सरकारों को आतंकवादी कहे जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में वर्णित उर्दू, अरबी और फारसी विश्वविद्यालय के स्थान पर सिर्फ अरबी और फारसी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की माह नवम्बर, 2009 में खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा छापे डालकर भरे गये दवाओं के नमूनों को कोलकाता स्थित सेन्ट्रल लैब भेजने, किन्तु जांच शुल्क जमा न करने के कारण लैब द्वारा नमूने बिना जांच किये वापस किये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री अनूप सण्डा की शासन द्वारा विधान मण्डल विकास निधि के कार्यों से संबंधित कार्यदायी संस्थाओं पर रोक लगाये जाने से बाधित विकास कार्यों के सम्बन्ध में है पांचवीं सूचना श्री अमरमणि त्रिपाठी की जेल में माननीय सदस्य को उच्च श्रेणी की सुविधायें न दिये जाने एवं उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में है।

---

* नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं दिया।

दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी द्वारा आजमगढ़ में सार्वजनिक रूप से देश एवं प्रदेश सरकारों को आतंकवादी कहे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

* श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक संवैधानिक प्रश्न आपके माध्यम से इस सदन में औचित्य के रूप में उठाना चाहता हूं। मान्यवर भारत के संविधान का अनुच्छेद–15 धर्म, जाति, लिंग इन सभी में बराबरी का अधिकार सभी को देता है। मान्यवर, इसकी संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल–19 की संरचना इस उद्देश्य से की है कि किसी के बोलने पर पाबन्दी न हो और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहे। मान्यवर, वहीं इसी बात को ध्यान में रखते हुये आर्टिकल–25 में धर्म का मान्यवर प्रचार प्रसार, धर्म की अभिव्यक्ति और धर्म को मानने की भी स्वतंत्रता है। मान्यवर, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं हैं। पर भारत में संघीय प्रणाली लागू है, संघीय प्रणाली के तहत मान्यवर, भारत में एक निर्वाचित लोक सभा होती है और प्रदेश में एक निर्वाचित विधान सभा होती है। मान्यवर, जो निर्वाचित लोक सभा होती है उसमें बहुमत के आधार पर सरकार का गठन होता है और जिस सरकार को बहुमत मिल जाता है मान्यवर, वह सरकार बनाती है। केन्द्र के रूप में मान्यवर, आर्टिकल 74 के तहत मान्यवर, राष्ट्रपति जी जिसका बहुमत होता है यह वह सन्तुष्ट होते हैं कि इसका बहुमत है उसे मान्यवर, प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं और फिर प्रधानमंत्री की राय से, उनके मश्विरे से, उनकी सिफारिश पर एक मंत्रि–परिषद् का गठन होता है। मान्यवर, यही प्रक्रिया उत्तर प्रदेश या किसी प्रदेश की है जहां जिसका बहुमत होता है महामहिम राज्यपाल उसको सरकार बनाने के लिये आमंत्रित करते हैं और मान्यवर आर्टिकल–164 के अन्तर्गत एक मुख्यमंत्री नियुक्त करने का अधिकार महामहिम श्री राज्यपाल को होता है और उसी की संस्तुति पर मान्यवर, मंत्रि–परिषद् का गठन होता है। इस प्रकार मान्यवर, बहुत की जो सरकारें होती हैं या बहुमत मिलाजुलाकर जो सरकारें बनती है वह सरकारें केन्द्र और प्रदेश सरकार में पदारूढ़ होती है। और वह इस देश का प्रतिबिंब होती है। देश की नीति निर्धारक होती है दूसरे देश, जब उस देश से बात करना चाहते हैं तो सरकार के माध्यम से बात करते है आज भारतवर्ष के सामने गम्भीर संकट है मान्यवर, उसके कुछ पड़ोसी राष्ट्र उत्तर प्रदेश की जहां सीमायें मिली हुई है, वहां के पड़ोसी राष्ट्र भारत में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ा रहे है; आतंकवादी गतिविधियां इस तरह से मान्यवर, बढ़ गई है कि आज दल के बंधनों से अलग हटकर जाति के बंधनों से अलग हटकर भारतवर्ष आज मजबूत रूप से खड़ा है और इस आतंकवाद का सामना करना चाहता है। लेकिन कुछ लोग आर्टिकल 23 का दुरुपयोग करते है और दुरुपयोग करके कुछ ऐसी बातें बोलते है कि भारत की स्वतंत्रता, सम्प्रभुता और उसकी एकता खतरे में पड़ जाती है। मान्यवर, इस श्रेणी में मौलाना बुखारी ने परसों आजमगढ़ में कहा है कि भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार आतंकी है।

मान्यवर, एक निर्वाचित सरकार जिसे राष्ट्रपति ने चुना हो, जिसे राष्ट्रपति ने नियुक्त किया हो, जो उनके प्रसाद पर्यन्त चलेगी या एक सरकार जिसे राज्यपाल ने नियुक्त किया हो वह मान्यवर उनके प्रसाद पर्यन्त चलेगी। कोई सरकार संविधान में निहित दायित्वों से बनती है और कानून की रखवाली करती है। कानून का जब भी पालन करना होता है मान्यवर, कोई

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गुनाह कोई अपराध होता है तो सरकार एक पक्ष होती है मान्यवर, जितने मुकदमें चलते है, वादी के रूप में सरकार होती है। चाहे वह प्रदेश सरकार हो, या कही कोई और प्रकरण हो, जिसमें केन्द्र सरकार का मतलब हो तो केन्द्र सरकार, एक व्यक्ति मान्यवर, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिये जो इस देश को तोड़ने के लिये, इस देश को खंडित करने के लिये, इस देश की सार्वभौमिकता को चुनौती देने के लिये, अगर कोई भारत सरकार को आतंकी कहता है या उत्तर प्रदेश की सरकार को आतंकी कहता है तो भारतीय दंड संहिता के अनुसार वह व्यक्ति देशद्रोही हो सकता है। मेरी नजरों में मौलाना बुखारी जैसे लोग देशद्रोही है। मान्यवर, किसी भी हिन्दू धर्म पर मुझे फख है, नाज है मान्यवर, हिन्दू धर्म पर जो मानवता का संदेश देता है। इस्लाम, भाईचारे की बात करता है हमें फख्र है मान्यवर, सिखिज्म सुरक्षा की बात करता है, देश की एकता की बात करता है हम उस पर फख्र करते हैं मान्यवर, करुणा का पाठ पढ़ाता है ईसाई धर्म, हमें उस पर भी नाज है लेकिन मान्यवर, यह तो धर्म के मानने वालों की बात है। धर्म के जो ठेकेदार है, धर्म को बेचने वाले जो लोग है चाहे हिन्दू धर्म में ठेकेदार ठाकरे बनने की कोशिश करें, या मान्यवर इस्लाम के नाम पर बुखारी जैसे लोग कोशिश करें यह देशद्रोही के अलावा और कुछ नहीं हो सकते हैं तो मान्यवर, बुखारी का यह बयान कहीं न कहीं से भारत की एकता और अखंडता को चुनौती है और संविधान के विरुद्ध है, इस निर्वाचित सरकार पर जहां मैं खड़ा होकर बोल रहा हूं इस निर्वाचित सरकार पर प्रश्नचिन्ह लगा रहा है अगर उनकी बात सच है तो इस सरकार को कार्य करने का अधिकार नहीं है। न इनको जवाब देने का अधिकार, न हमको सवाल पूछने का अधिकार, तो मान्यवर, उन्होंने एक ऐसा प्रश्न उपस्थित कर दिया है जो बहुत गम्भीर है। मेरी नजरों में जो निर्वाचित सरकार है उसे सरकार चलाने का अधिकार केन्द्र और प्रदेश को है लेकिन किसी सरकार को आतंकी कहना एक देशद्रोह भरा कदम है। मैं इस पर औचित्य का प्रश्न उठाते हुये आपसे व्यवस्था चाहता हूं।

*श्री हुकुम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, संविधान के अनुच्छेदों का उल्लेख तो माननीय प्रमोद तिवारी जी न कर दिया उनको दोहराना नहीं चाहता हूं लेकिन मान्यवर, एक बात देखने की है मौलाना बुखारी गये थे सुन्दरपुर गांव में, मिलने गये थे उन परिवारों से, जिनके सदस्य आतंकवादी घटनाओं में लिप्त है पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की है। कुछ गिरफ्तार किये गये हैं जानकारी प्राप्त की है और जानकारी आगे चल रही है। उस आधार को लेकर के दो वाक्य उनके विचारणीय है एक वाक्य तो उन्होंने कहा कि–हिन्दुस्तान में एक भी मुसलमान आतंकवादी नहीं है, दूसरा कहा दिल्ली की सरकार और यू0पी0 की सरकार आतंकवादी है। दो बातें मान्यवर, अलग–अलग है जहां तक पहली बात का प्रश्न है मान्यवर, यह किसने कहा कि हिन्दुस्तान में मुसलमान आतंकवादी है। किसी पार्टी ने कहा क्या यह, इसमें मुसलमान आतंकवादी नहीं है, इसमें मौलाना बुखारी के सर्टीफिकेट की आवश्यकता कहां पड़ गई ? क्यों प्रमाण–पत्र देते वह घूम रहे हैं ? साफ–साफ मुसलमान का नाम ले करके और यह कह करके कि एक भी आतंकवादी नहीं है तो क्या वह यह कहना चाहते है कि दूसरे सम्प्रदाय जो है, वह आतंकवादी है, क्या हिन्दू आतंकवादी है ? उनको कहना चाहिए था कि भारत में एक भी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आतंकवादी नहीं है तो मान लेता, मान्यवर, लेकिन यह कह कर इशारा करना कि एक भी मुसलमान आतंकवादी नहीं है, जिनके घर पर गये थे, वह कौन थे, जिनके घर के सदस्य पकड़े गये वह कौन थे ? मान्यवर, बाटला हाउस में जिनकी गिरफ्तारी हुई, जिन्होंने कबूल किया, एक बहुत बहादुर पुलिस आफिसर वहां पर शहीद हुआ, देश की रक्षा के लिये, उसको मारने वाले कौन थे ? हमने कभी मुसलमान कौम के बारे में, मुसलमान कोई बाहर के नहीं है, मुसलमान इसी देश के जन्मे लोग है। न जाने कितने लोगों ने शहादत दी है, देश की रक्षा की के लिये।

मान्यवर, कारगिल युद्ध में मेरे मुजफ्फरनगर जनपद के कई लोग शहादत देकर यहां पर आये, उनके जनाजे में तो शामिल होने के लिये मौलाना बुखारी कभी नहीं गये, उनके घर पर सान्त्वना देने तो मौलाना बुखारी कभी नहीं गये। उनके घर पर गये हम, उनको सहायता करके आये हम और आज भी हम इस बात का ध्यान रखते है कि जो गैस की एजेन्सी हमारे कार्यकाल में मिली थी, वह ठीक चल रही है या नहीं चल रही है, उनके आश्रितों को कोई कठिनाई तो नहीं है ? लेकिन साम्प्रदायिकता को भड़काने के लिये ऐसे बयान दे करके दो समुदायों में एक फर्क डालने का प्रयास किया जा रहा है, इस देश और समाज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मान्यवर, दूसरी बात उन्होंने कही, दिल्ली की सरकार आतंकी है और उत्तर प्रदेश की सरकार आतंकी है। अगर किसी दल को कह लेते तो कोई बात नहीं थी कि फलां दल में अपराधी है या अपराधियों को संरक्षण देने वाले है या आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले है, लेकिन सरकार को आतंकी कहने का तो मतलब यह हुआ कि केन्द्र की सरकार अगर आतंकी है तो वहां सारी सेना भी आतंकी है, वह सेना भी तो उसी का हिस्सा है, पूरा शासन और प्रशासन तंत्र भी तो सरकार का हिस्सा है। उनका इस प्रकार का आरोप लगा देना, देशद्रोह से कम नहीं है, मान्यवर। आज जो पुलिस के उत्तर प्रदेश के जवान आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा की रक्षा कर रहे हैं, नक्सलवादियों से लड़ रहे हैं, अपनी शहादत दे रहे हैं, आज सरकार को आतंकी कहने का मतलब तो यह होगा कि यहां का तमाम पुलिस बल भी आतंकी है। मान्यवर, कह देते कि फलां पार्टी आतंकी है, फलां पार्टी आतंकवादियों को संरक्षण दे रही है तो वह उनका अधिकार था लेकिन सरकार को आतंकी कहना, पूरा प्रदेश को आतंकी कहने से कम नहीं है। इसलिये उनकी यह दोनों टिप्पणी और उनके मंसूबे, साथ–साथ मान्यवर, मैं एक बात और कहूंगा, हम राजनीतिक दलों से सम्बन्धित लोग है, हमारे लिये भी देश की, राष्ट्र की सुरक्षा, देश का, राष्ट्रों का अपमान सर्वोपरि होना चाहिए, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिये भी हम लोग जो भ्रमण शुरू कर देते है, आज दो वर्ष हो गये, बाटला हाउस की घटना को, उसके बाद में कहां घूम रहे है, कुछ लोग, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि कहां घूम रहे है, क्या संदेश देते घूम रहे हैं, वह लोग कि हम आपके आंसू पोछने आये हैं ? मान्यवर, उनको भी अपने दामन में झांक करके देखना चाहिये, अगर ऐसा नहीं किये होते तो ऐसे लोगों को भी टिप्पणी करने का मौका न मिलता। अगर देश की रक्षा सर्वोपरि है तो उन्हें सोचना चाहिये कि जिन लोगों ने राष्ट्रवाद को तोड़ने का कुचक्र किया है, उनके प्रति हमारी लेशमात्र भी सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। इसलिये मान्यवर, मैं इन दोनों बातों पर बल देते हुये, अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, अब यह तो बाहर की कही हुई बात है, नियम 300 में तो आता नहीं, निर्णय आप कर लें, मान्यवर।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, सरकार में जो लोग बैठे हुए है, उनकी सरकार को आतंकी कहा है। हमने तो कहा है कि यह आतंकी नहीं है लेकिन यह मानकर बैठ गए तो हम क्या करें ?

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, जो कानूनी कार्यवाही है, वह अलग होगी, लेकिन यह नियम 300 में कहाँ आती है।

श्री हुकुम सिंह–

यही तो हम कह रहे हैं कि कानूनी कार्यवाही करिए, पकड़कर बन्द करो।

*श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, यही तो हम चाहते हैं कि कहिए कि हम कार्यवाही करेंगे लेकिन सरकार कहने के लिए तैयार ही नहीं है, इसीलिए ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि केवल वोट बटोरने की नीयत से यह देशहित और प्रदेशहित को नहीं जानना चाहते, यहाँ तक कि समाजहित को नहीं जानना चाहते, जबकि आवश्यकता इस बात की थी कि जिन्होंने ऐसी टिप्पणी की है, कहते कि सरकार उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेगी लेकिन डर है न कि वोट खिसक कर कहीं इधर न आ जाए। अरे, मत डरिए, इस बात से प्रदेश भी रहेगा, देश भी रहेगा, क्या आप उन वोटों को लेकर करेंगे ?

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, नियम–300 में यह विषय तो आता नहीं, आपने कृपापूर्वक उठाने की अनुमति दे दी। सरकार नियमों के अनुसार जहां जरूरत पड़ेगी, जिस तरह की कार्यवाही की जरूरत पडेगी, उसमें कहीं कमजोरी नहीं दिखा रही हैं न कमजोर है और मान्यवर, हमारी सरकार नियम कानून के अनुसार राज करने, कानून का पालन कराने में पूरी तरह से सक्षम है।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, विपक्ष के दो प्रमुख नेताओं ने औचित्य के प्रश्न के माध्यम से यह कहा है कि सरकार को आतंकवादी कहना देशद्रोह है। इससे यह सहमत है कि असहमत है यह तो बता दें। यह उसे देशद्रोह मानते है कि नहीं मानते हैं । विपक्ष मानता है कि देशद्रोह है। यह चुप हैं यह नहीं कह रहे हैं कि देशद्रोह है। यही कह दीजिए कि देशद्रोह है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*डा०आर०ए० उस्मानी–

मान्यवर, बाटला हाउस की न्यायिक जांच होनी चाहिए। 1992 में जो घटना हुयी थी क्या वह वोट के लिए नहीं किया गया। इंदिरा गांधी को मारने वाले क्या मुसलमान थे, राजीव गांधी को मारने वाले क्या मुसलमान थे? क्या पाकिस्तान के साथ युद्ध में अब्दुल हमीद ने अपना खून नहीं बहाया था, शहादत नहीं दी थी?

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, इसको यहीं सीमित कर देता हूँ। अगर कोई अपराध होगा तो कार्रवाई सरकार करेगी। यानि कि उत्तर प्रदेश सरकार को या भारत सरकार को आतंकी कहना गुनाह नहीं है तो अब तक क्या कार्रवाई हुयी यह सरकार बता दे।

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीय प्रमोद तिवारी जी को सुना, माननीय हुकुम सिंह जी को सुना माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुना। यह सूचना नियम 300 के अंतर्गत अग्राह्य करता हूँ । तब भी यह भारत देश एक अखंड देश है इसमें हर व्यक्ति को संविधान की परिधि और राष्ट्र की सुरक्षा की परिधि के अन्दर ही बोलने और रहने का अधिकार होता है । हम पूरे देश के नागरिकों को चाहे वह किसी भी धर्म के हों, ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जो राष्ट्रहित में हो, समाजहित में हो और भारत के संविधान की रक्षा के हित में हो इस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूँ ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण में अंकित उर्दू, अरबी, और फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना के स्थान पर अरबी और फारसी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने के सम्बंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

दूसरी सूचना डा० राधा मोहन दास अग्रवाल जी की है ।

*डॉ० राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस औचित्य के प्रश्न पर मुझे इस सदन में विषय रखने का अवसर दिया। यह शुद्धतया एक संवैधानिक विषय है और इस पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। यह सदन विधान सभा की कार्य प्रक्रिया नियमावली के द्वारा संचालित होता है और इसके अध्याय 5 की धारा 19 के अनुरूप किसी भी सत्र के प्रारम्भ में महामहिम राज्यपाल एक साथ समवेत सभा को सम्बोधित करते हैं। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर कोई सदस्य अपने संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन किन्ही भी सदस्यों को ऐसे कोई भी संशोधन प्रस्तुत करने की मनाही होती है जो मूल प्रस्ताव के अंत में शब्द जोड़ने के रूप में न हो। अर्थात जो भी संशोधन इस सदन के अंदर हम लोग प्रस्तुत करते है महामहिम के अभिभाषण के बाद हम उनमें शब्द जोड़ सकते हैं लेकिन उनमें से कोई भी शब्द निकालने का इस प्रक्रिया नियमावली के द्वारा भारत के संविधान के द्वारा हमको कोई अधिकार नहीं होता। 4 दिन तक बहस चलती है। जो भी माननीय सदस्य संशोधन देते हैं, प्रस्ताव देते हैं उनकी स्वीकृति, अस्वीकृति के बाद एक धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस होकर इसे स्वीकार कर लिया जाता है। 21 जनवरी को महामहिम राज्यपाल ने इसी सदन में अपना अभिभाषण दिया। अभिभाषण में महामहिम राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में उर्दू, अरबी और फारसी भाषाओं को बढ़ावा दिये जाने के लिए उत्तर प्रदेश उर्दू, अरबी और फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्थापना की जायेगी। यह धन्यवाद के साथ पारित हुआ और स्वीकृति हो गया। अर्थात यह सदन की अंतिम मंशा हो गयी, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण उसकी स्वीकृति हमारे लिए एक निर्देश हो गया। सरकार की कार्य प्रणाली सिद्धान्त उसमें है ही।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद हम लोगों ने 3 फरवरी को एक विधेयक यहाँ प्रस्तुत किया। उ०प्र० विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2010 जिसमें हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल के द्वारा इसमें लिखे गये शब्दों में से एक शब्द काट दिया। यह संविधान, यह कार्य प्रक्रिया नियमावली हम लोगों को इस बात का अधिकार नहीं देती कि हम महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण से एक भी शब्द को हटा सकें। हमने जो विधेयक प्रस्तुत किया। महामहिम ने कहा था हम उर्दू, अरबी और फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे। और जो विधेयक हमने यहां रखा उसमें से उर्दू शब्द हट गया और सिर्फ अरबी और फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना का जो विधेयक पारित हुआ। मैं उर्दू, अरबी, फारसी के बारे में जब विधेयक आया था तो बहस कर चुका, उस विषय पर नहीं आना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इस विषय पर आना चाहता हूं कि जब हमें मालूम था कि हम महामहिम के अभिभाषण के एक शब्द को भी काटने का भी अधिकारी नहीं है तो आखिर किनकी लापरवाही से, कैसा विधेयक इस सदन में आया, जहां हमने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के स्वीकृति धन्यवाद प्रस्ताव में से एक शब्द की कटौती की, इसका फल क्या हुआ? आज की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय, अगर देखा जाय तो माननीय विधान परिषद् ने किन कारणों से किया, मुझे नहीं मालूम। यह तो जब संशोधन प्रस्तुत होगा तो पता चलेगा, माननीय विधान परिषद् में इस बात को ध्यान में देते हुए एक संशोधन पारित किया गया। मैं कई सालों से हूं विधान सभा के दिये गये विधेयकों में विधान परिषद् इतनी जल्दी और इतनी आसानी से संशोधन प्रस्तुत करे और स्वीकृत करे, यह कभी होता नहीं। यह एक प्रकार से विधान सभा के अंदर जो हम लोग निर्णय लेते हैं, उस लेने की प्रक्रिया पर अप्रत्यक्ष रूप से एक टिप्पणी है। मैं इस बात को लगातार कहता हूं कि विधेयकों को प्रस्तुत करते समय, हम लोग पर्याप्त लापरवाही का संकेत लगातार देते चले आ रहे हैं, ऐसे विधेयक प्रस्तुत किये जाते हैं, जिसे संवैधानिक रूप से हमें प्रस्तुत करने के अधिकार नहीं होते। बाद में जाकर के वे फंस सकते हैं। जैसे आमोद और पणकर अधिनियम, 2009, हमें केबिल टी0वी0 पर टैक्स लगाने का अधिकार नहीं था, संविधान के अंदर भी हम मजबूत नहीं थे, हमने लगा दिया। आज नहीं तो कल वो फंसने वाला है, हमने 2005 विधि आयोग के विधेयक को 2007 में निरसित कर दिया, आज हम 2010 में फिर उसी को ला रहे हैं और फिर उसी पर बहस करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह एक संवैधानिक संकट है। महामहिम राज्यपाल की अवहेलना उस विधेयक के द्वारा हुयी है, मैं आपका निर्णय इस पर चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष–

मैंने डॉ० राधा मोहन दास अग्रवाल जी को सुना और यह सूचना नियम 300 के अंतर्गत नहीं आती है । जहां तक इस विधेयक में संशोधन, माननीय डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा लाया गया था कि उर्दू शब्द जोड़ दिया जाये, क्योंकि उसका अपमान हो रहा है। विधान परिषद् हमारा उच्च सदन है, उसको पूर्ण अधिकार है कि यहां के विधेयको में संशोधन कर सकता है। अगर वे संशोधन करके और उर्दू जोड़ कर दे रहे हैं तो असंवैधानिक या गैर कानूनी नहीं है, यह सूचना नियम 300 में नहीं आती है, मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा नवम्बर, 2009 में छापे डालकर भरे गए दवाओं के नमूनों को बिना जांच शुल्क जमा किये कोलकाता सेन्ट्रल लैब भेजने तथा सेन्ट्रल लैब द्वारा बिना जांच किये वापस किये जाने के सम्बंध में औचित्य का प्रश्न

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)–

मान्यवर, आपके संज्ञान में अभी इसी सत्र में, खाद्य सामग्रियों और दवाओं में मिलावट करने वालों को घोर राष्ट्र विरोधी करार दिया गया और फांसी जैसी कठोर सजा देने तक की मांग की गयी, लेकिन यह प्रश्न 2009 में खाद्य प्रशासन और औषधि प्रशासन द्वारा प्रदेश भर में मिलावटी खाद्य और मिलावटी दवा, अधोमानक दवा के लिए फुटकर दुकानों, व्यापारियों और निर्माताओं के यहां छापे मारे गये और जो नमूने संग्रहीत किये गये। प्रश्न यह है कि अध्यक्ष महोदय, कि जो नमूने संग्रहीत किये गये, वे जब तक लैब से यह प्रमाणित नहीं हो जाता कि यह अपमिश्रित है, इसमें मिलावट हैं तब तक उनकों सजा नहीं दी जा सकती और इसमें बहुत से सैम्पल इकट्ठे किये गये विभागों द्वारा और सैम्पल की जांच, यहां राज्य के जो लैब हैं, उसमें नहीं हो सकती। ऐसे दवा के नमूनों को कोलकाता स्थित सेंट्रल लैब भेजा गया और उसके लिए जो शुल्क अदा करना था, उसके लिए कई रिमाइन्डर राज्य सरकार को सेन्ट्रल लैब ने भेजा कि आपने जो नमूनों को भेजा है, उनकी जांच का जो शुल्क है, वह आप जमा करें। लेकिन लापरवाही के कारण, यह शुल्क जमा नहीं किया गया और कोलकाता का जो सेंट्रल लैब है, उसने इन सारे नमूनों को बिना जांच किये वापस भेज दिया, यह एक गंभीर प्रकरण है अध्यक्ष महोदय, और मैं ऐसा मानता हूं कि यह खाद्य विभाग का, दवा प्रशासन का जो नकली दवा और नकली खाद्य आदि के विषय में गंभीरता से लेना चाहिए, उसने नहीं लिया नहीं तो रिमाइण्डर आफ्टर रिमाइण्डर आने के बाद भी, वह शुल्क जमा कर देता। यह एक गम्भीर प्रश्न है और मैं यह चाहता हूं कि आप इस पर व्यवस्था दें। ताकि भविष्य में इस तरह के जो राष्ट्रविरोधी कार्य है, दवा में मिलावट खाद्य में मिलावट और जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी उस जाँच के आधार पर सजा दिलाई जा सके। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना को मैं प्रारम्भ में ही अग्राह्य कर चुका हूं, लेकिन वरिष्ठ सदस्य मा0 श्यामदेव राय चौधरी जी ने इस बात की तरफ इंगित कर दिया कि बहुत से नमूने गये, लेकिन वहां पर निर्धारित शुल्क न जमा करने के कारण वापस आ गये। वास्तव में यह जन–जीवन से जुड़ा प्रश्न है कि नमूने जाएं फिर वापस हो रहे है। यह दिखाने का विषय है, इसको दिखवा लें मा0 मंत्री जी।

शासन द्वारा विधान मण्डल विकास निधि के कार्यों से सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं पर रोक लगाये जाने से बाधित विकास कार्यों के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अनूप सण्डा जी, एक मिनट में आप अपनी बात कह दें, इसमें कोई ध्यानाकर्षण विषय नहीं है।

*श्री अनूप सण्डा–

माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके आभारी है, मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। मान्यवर, इसी माननीय सदन द्वारा, इस सदन के समक्ष मा0 सदस्यों को एक करोड़ पच्चीस लाख रुपये की विधायक निधि दी जाती है, अपने–अपने विधान सभा क्षेत्र के विकास के लिए। मान्यवर, उस विधायक निधि के अन्तर्गत जो प्रस्ताव हम लोग भेजते है, उसको सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वित कराने का काम होता है। मान्यवर, बहुत सी कार्यदायी संस्थायें है और मैं समझता हूँ कि जो पीड़ा मेरी है, इस सदन के ज्यादातर माननीय सदस्यों की पीड़ा होगी। मान्यवर, बहुत सी कार्यदायी संस्थाएं हैं जैसे–पी0डब्ल्यू0डी0 है, आर0ई0एम0 है या जो बड़े–बड़े विभाग हैं, उनके पास इतना भी समय नहीं है कि वह हम लोगों के प्रस्ताव के ऊपर समयानुसार अमल करा सकें। मान्यवर, एक–एक प्रस्ताव, 6–6 महीने, 8–8 महीने तक पड़ा रहता है और उस पर टेण्डर भी नहीं होता है और इसके साथ–साथ सरकार ने कुछ अर्ध सरकारी संस्थाओं को भी अधिकृत किया है कार्यदायी संस्थाओं के रूप में, जिनके माध्यम से बहुत से माननीय विधायक अपना काम कराते है। मान्यवर, इसमें जैसे– उत्तर प्रदेश सहकारी निर्माण एवं विकास लिमिटेड, उत्तर प्रदेश अभियंत्रण संघ सहकारी संघ लिमिटेड, उत्तर प्रदेश सहकारी निर्माण एवं विकास संघ लिमिटेड, भारतीय कोआपरेटिव ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड, लखनऊ। इस तरह की कई कार्यदायी संस्थायें है। मान्यवर, 03 सितम्बर, 2009 को ग्राम्य विकास विभाग के अनुभाग–9 द्वारा एक पत्र जारी करके ऐसी तमाम संस्थाओं के क्रियाकलाप के ऊपर रोक लगा दी गई, इनके भुगतान के ऊपर रोक लगा दी गई, मान्यवर मेरे और मेरे जैसे तमाम माननीय सदस्यों के करोड़ो रुपये के प्रस्ताव इन विभागों के पास लम्बित पड़े हुये है। मान्यवर, जो प्रस्ताव गये थे, उन प्रस्तावों पर, किसी में 20 प्रतिशत, किसी में 30 प्रतिशत, किसी में 50 प्रतिशत, किसी में 60 प्रतिशत काम हुआ।

श्री अध्यक्ष–

चलिए अब जल्दी करिये, यह नियम–300 में सुनने लायक नहीं थी, लेकिन सुन लिया तो लगे आप प्रवचन देने।

श्री अनूप सण्डा–

मान्यवर, काम इसमें पूरा नहीं हुआ है और इसकी वजह से हो यह रहा है कि जहां एक ओर विकास कार्य बाधित हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपनी क्षेत्र की जनता की निगाह में विधायकों के ऊपर यह आक्षेप हो रहा है कि विकास कार्यों के प्रति लापरवाह है, उसके प्रति जवाबदेह नहीं है। तो मान्यवर, ऐसी स्थिति में हम आपसे मात्र इतना अनुरोध करते हैं कि आपकी तरफ से शासन को एक निर्देश हो जाय, एक जनरल आर्डर हो जाय कि जितनी भी संस्थाओं के ऊपर रोक लगी है और इनके पास जो काम रुका हुआ है, हम यह नहीं कहते है कि इन संस्थाओं की वकालत की जाय, इन संस्थाओं के पास जो पैसा हम लोगों का रूका

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुआ है, बचा हुआ है, वह पैसा वापस हम लोगों की विधायक निधि में स्थानान्तरित कर दिया जाय, जिससे नए सिरे से हम लोग प्रस्ताव दे कर के काम करा सकें। मान्यवर, यह सरकार विकास के प्रति कितनी गम्भीर है, इसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, अब कुछ नहीं । मैं इस सूचना को शुरू में अग्राह्य कर चुका हूँ और जहाँ तक माननीय विधायक की विधायक निधि के प्रयोग का विषय है मैं इसको खुद दिखवा लूगाँ, मुझसे आकर बात कर लीजिएगा ।

जेल में मा0 सदस्यों को उच्च श्रेणी की सुविधाएं न दिए जाने एवं उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री अमरमणि त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, हमने इससे पहले नियम–63 में यह विषय उठाया था और आज नियम–300 में पुनः मैं उठा रहा हूँ, यह विधायकों के सम्मान से जुड़ा हुआ विषय है मान्यवर, हम जेल से ही चुनाव जीते,विगत दो वर्षों से जेल में ही हैं। जेल में लगातार हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है । अन्य जो बन्दी रहते हैं वहां पर उन्हें अगर कोई तबियत खराब हो जाय या अन्य प्रकार की किसी चीज की आवश्यकता चिकित्सीय सुविधा की पड़े, तो उन लोगों को तो उपलब्ध हो जाता है, लेकिन मान्यवर, मैं प्रतिपक्ष का विधायक हूँ इस नाते वह इस तरह की दुश्मनी भाव से हमारे साथ व्यवहार करते हैं कि वह चिकित्सीय सुविधा भी नहीं उपलब्ध कराते और मान्यवर इस तरह का हमारा उत्पीड़न करते हैं कि रोज आयेंगे, कहेंगे उठिये साहब। अपनी पैंट निकालिये, जरा अपना जूता निकालिये, जरा बिस्तर उठाइये। इस प्रकार की तमाम यातनाओं से गुजरना पड़ रहा है। मान्यवर, अन्य विधायकों की भांति और इसके पूर्व से भी प्रदत्त हैं नियमानुसार हैं जेल मैनुवल में है कि विधायकों को उच्च श्रेणी की सुविधा दी जाय वह मिलनी चाहिए। बिछाने के लिए एक बिस्तर हो, बैठने के लिए एक कुर्सी हो, उसकी व्यवस्था तमाम विधायकों के साथ नहीं हो पा रही है। मैंने व्यक्तिगत रूप से भी आप से उस बात को कहा है। मान्यवर, जो माननीय न्यायालय ने आदेश किया है उसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय जिससे कि हम लोगों की प्रतिष्ठा, इज्जत और गरिमा बनी रहे। और भविष्य में भी किसी भी परिस्थिति के कारण किसी को आना पड़े तो इस तरह का उत्पीड़न न हो। आप इस औचित्य के प्रश्न पर अपनी व्यवस्था देने की कृपा करेंगे कि विधायकों की प्रतिष्ठा बनी रहे।

श्री अध्यक्ष–

मैंने इस पर श्री अमरमणि त्रिपाठी जी को सुना मैं इसे अग्राहय करता हूँ। जहां तक विधायक के सम्मान और प्रतिष्ठा की बात है हम लोगों की कोशिश रहती है और रहेगी कि माननीय विधायकों की प्रतिष्ठा और सम्मान न जाने पाये। अगर वह आचरण और सद्व्यवहार की परिधि के अन्दर हैं तो उनका स्वागत और सम्मान करेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या क०नि०–2–535 दिनांक 2 मार्च 2009†

नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या क०नि०–2–535/ग्यारह–9(1)–08–उ०प्र०अधि०–5–2008–आदेश–(44)–2009, दिनांक 2 मार्च, 2009 को उ०प्र० मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

कर एवं निबंधन अनुभाग– 2 की विज्ञप्ति संख्या क0नि0–122 दिनांक 19 जनवरी, 2010†

नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से कर एवं निबंधन अनुभाग–2 की विज्ञप्ति संख्या क० नि०–122/ग्यारह–9(107)–07–उ० प्र० एक्ट–30–2007–आदेश–(53)–2010, दिनांक 19 जनवरी, 2010 को उ०प्र० साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23 क की उपधारा (1) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम, लखनऊ के स्थित पत्रक एवं लाभ–हानि खाता, 2006–2007†

नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम, लखनऊ के स्थित पत्रक एवं लाभ–हानि खाता, 2006–2007 को दि वेयर हाउसिंग ऐक्ट, 1962 की धारा–31 की उपधारा (11) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या –8–2007 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)†

नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–8–2007 को (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को लोक आयुक्त, तथा उप लोक आयुक्त, अधिनियम, 1975 की धारा 12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

श्रम अनुभाग 2 की अधिसूचना संख्या 143 दिनांक 4 फरवरी 2009††

नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से श्रम अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या 143/36–2–2009–251 (एसएम)–95, दिनांक 4 फरवरी 2009 को भारत सरकार के भवन और संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा–62 की उपधारा (4) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन सहित

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष की अनुमति से, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 150 (2) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय

---

† छापी नहीं गयी।

†† छापे नहीं गये।

(संशोधन) विधेयक, 2010, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 3 फरवरी 2010 को पारित किया गया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा किये गये संशोधन सहित दिनांक 10 फरवरी, 2010 को इस सचिवालय में प्राप्त हुआ है, को विधान परिषद द्वारा किये गये संशोधन सहित, सदन के पटल पर रखता हूँ।

नियम 311 की नियम–56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

अब मैं नियम 56 की सूचनाओं को लेता हूँ।

आज दिनांक 11 फरवरी 2010 को नियम–311 में प्राप्त 2 सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम–56 के अन्तर्गत कुल 29 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयी। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है।

पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री अजय कपूर, श्री प्रदीप माथुर, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री संजीव दरियाबादी, श्री राम सेवक, श्री शिवबालक पासी, श्रीमती अमिता सिंह, श्री विनोद चतुर्वेदी, श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला, श्री अजय पाल सिंह, श्री श्याम किशोर शुक्ला, श्री विवेक कुमार सिंह, श्री पंकज मलिक, श्री चौ० रविन्द्र प्रताप, श्री संजय कपूर, श्री शिव गणेश लोधी, श्री माधव पासवान, श्री राजाराम त्यागी, श्री अशोक सिंह की है जो भारत नेपाल सीमा पर प्रदेश में माओवादियों की घुसपैठ एवं उनके द्वारा पशुओं को उठाने एवं जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी की राज्य में साइबर कैफों द्वारा अवैध गतिविधियां किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, तीसरी सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय की सिद्धार्थ नगर के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बांसी में विशिष्ट बी०टी०सी० सामान्य व विशेष चयन वर्ष 2007–08 में फर्जी प्रमाण–पत्र के आधार पर किये गये चयन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, चौथी सूचना श्री कौकब हमीद, डॉ अनिल चौधरी, डॉ अजय तोमर, श्री पूरन प्रकाश, चौ० सत्यपाल सिंह, चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी, श्री अब्दुल वारिस खां और श्रीमती मिथिलेश पाल की उत्तर प्रदेश को चार नये राज्य हरित प्रदेश, बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल एवं अवध प्रदेश बनाये जाने के संबंध में है, पांचवी सूचना श्री पंकज मलिक एवं श्री प्रमोद तिवारी की मुजफ्फर नगर के प्रकाश चौक पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर शिव सेना द्वारा किये गये हमले से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, छठी सूचना श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की बांदा, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, झांसी में गिरते जल स्तर के कारण उत्पन्न पेयजल संकट के संबंध में है, सातवीं सूचना श्री अरविन्द गिरि की लखीमपुर खीरी में बाढ़ की विभीषिका से रोकथाम के संबंध में है, आठवीं सूचना श्री मदन चौहान की गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर के ग्राम कल्याणपुर में प्राकृतिक झील पर भू–माफियाओं द्वारा कब्जा किये जाने के संबंध में है, नवीं सूचना श्री शम्भू चौधरी की कुशीनगर के ग्राम सभा हफुआ चतुर्भज के ग्रामवासियों पर फर्जी मुकदमा दर्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, दसवीं सूचना श्री अमरमणि त्रिपाठी की महराजगंज अन्तर्गत बालू, मिट्टी, मौरंग और पत्थर के खनन के नाम पर अवैध वसूली किये जाने के संबंध में है।विशेष उल्लेख के अन्तर्गत पहली सूचना श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, डॉ०आर०ए० उस्मानी, श्री बैजनाथ दुबे, डॉ० कौशल किशोर, श्री कृष्ण गोपाल पटेल एवं श्री सुल्तान बेग की लखीमपुर एवं बहराइच को बाढ़ से बचाने हेतु राप्ती नहर परियोजना में की

गयी वित्तीय अनिमितता की जांच कराये जाने के संबंध में है, दूसरी (1) डॉ० राधा मोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर में बाल विकास एवं पुष्टाहार योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र में भ्रष्टाचार के संबंध में है, (2) सूचना श्री आरिफ अनवर हाशिमी की जनपद गोण्डा के विकास खण्ड बभनजोत के अन्तर्गत आगंनबाड़ी केन्द्रों में पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत भ्रष्टाचार के संबंध में है।

*श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय, अध्यक्ष जी, में एक अत्यन्त राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न पर,

श्री अध्यक्ष–

एक निवेदन कर लूँ। आज महत्वपूर्ण मदवार विभागों की चर्चा है थोडा समय, जितने माननीय सदस्यों को बुलाऊँ 2–2, 1–1 मिनट में कह लें ताकि उस पर ज्यादा साथी बोल सकें। महत्वपूर्ण विभाग हैं, सिंचाई हैं, गन्ना है ताकि ज्यादा लोग हिस्सा ले लें यही हमारी मदद होगी। थोड़ा– थोड़ा दो– दो मिनट में अपनी बात रख लें।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं एक महत्वपूर्ण समस्या जो राष्ट्रीय होते हुए भी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है उसके सन्दर्भ में आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। भारत और नेपाल की जो सीमा है इस पर हमारे जो जिले है चाहे देवरिया हो,चाहे महराजगंज हो चाहे गोरखपुर हो, चाहे सिद्धार्थ नगर हो गोण्डा हो, बहराइच हो या फिर पीलीभीत यह सारे जिले नेपाल सीमा पर बसे हुए हैं। भारत और नेपाल के संबंध हमेशा से बहुत ही मैत्रीपूर्ण रहे है इन सीमाओं की सुरक्षा उत्तर प्रदेश की पुलिस करती है जहाँ उत्तराखण्ड की सीमा मिलती है वहाँ उत्तराखण्ड की पुलिस करती है यही स्थित बिहार की है जो उससे सीमा मिली हुई है वहाँ बिहार सरकार की पुलिस करती है। बहुत ही संस्कृति के दृष्टिकोण से, व्यापार के दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से दोनों देश आपस मे मिले हुए हैं। लेकिन इधर कुछ दिनों से नेपाल की राजनीतिक परिस्थितियों में जिस तरह से अस्थिरता का दौर चला है वहाँ माओवादियों का बढ़ता हुआ प्रबुद्ध अब नेपाल की सीमाओं से बढ़ कर भारत की सीमाओं में प्रवेश कर गया है। नदियों के कटाव से उत्पन्न हुई फसल जिसका जिक्र हमारे कुछ माननीय सदस्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बार्डर पर कर रहे थे अब वह उत्तर प्रदेश और नेपाल के बार्डर पर होने लगा है जहाँ नदियों ने धारा बदल दी है भारत की भूमि बीच से निकल आई है विशेष तौर से गोरखपुर और महराजगंज के क्षेत्रो में वहाँ इन माओवादियों ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है मान्यवर इनका एक बड़ा खतरनाक नारा है 3 जे, जे का मतलब है, 1 जे से जंगल, 2 जे से जल और 3 जे से जमीन, 3 जे के नारे के साथ यह कब्जा कर रहे हैं भारत की भूमि पर। यह अन्दर घुस आते हैं और विशेष रूप से इनका निशाना मान्यवर, भारत के ध्वज होते हैं, राष्ट्रीय ध्वज होते है। और ये भारत के ध्वज को जहाँ मिलता है उसको उखाड़ ही नही फेंकते है इसे मान्यवर अपमानित करते हैं जो एक गम्भीर चिन्ता का विषय है इसके साथ–साथ इसमें लाकर नेपाल के लोगों को बसा रहे हैं इनके पास बहुत ही प्रचुर मात्रा में, कहना चाहूँगा कि यह हिंसक क्रांति में विश्वास करते हैं इन्हें एक पड़ोसी देश से बहुत ही अति आधुनिक स्वचालित एके 47 और एके–56 मिल रहे हैं जिसके आधार पर यह भारत में लूटमार मचा रहे हैं। जमीन पर कब्जा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर रहे हैं और हमारे ध्वज का अपमान कर रहे हैं मुझसे बेहतर जो सीमा पर लोग हैं वह बेहतर स्थिति जानते हैं कि क्या परिस्थितियाँ वहाँ पर हैं। मान्यवर, इसको मात्र एक कार्यस्थगन के रूप में न लेकर, यह एक चिन्ता का विषय है। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इसे एक राष्ट्रीय स्वाभिमान, राष्ट्रीय सम्पदा के रूप में और भारत के गणराज्य और सार्वभौमिकता के रूप में लें। अगर एक इंच जमीन भी हमारी यह माओवादी कब्जा करते हैं, भारत की सीमा में बसे हुये लोगों के यहाँ डकैती डालकर उन्हें प्रताड़ित करते हैं बलात् अपहरण कर ले जाते हैं और पैसा देने पर छोड़ते हैं, या आकर हमारे तिरंगे को अपमानित करते है तो यह गंभीर अपराध है। मैं आपके माध्यम से इसे बहुत संक्षिप्त रखते हुये, मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस लोक महत्व के प्रश्न पर, जो अविलम्बनीय है जो निरन्तर घटना घटित होती चल रही है, कल भी हुयी है, पीलीभीत के नौदलिया संरक्षित जंगल में माओवादियों ने कल घुसपैठ की है। तो मान्यवर, मै आपको इस तरह से एक विशिष्ट घटना भी बता रहा हूँ, तात्कालिकता भी बता रहा हूँ और महत्व भी बता रहा हूँ, मान्यवर, मै चाहता हूँ कि इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाय।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)–

मान्यवर, भारत नेपाल सीमा के जनपदों के बीच में नियमित समन्वय बैठक की जाती है। भारतीय सीमा में इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट रूपईडीहा जनपद बहराइच पर पायलट प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन किया जा रहा है। भारत नेपाल सीमा पर 8 स्थानों पर भारत की इमीग्रेशन चेकपोस्ट स्थापित है जहाँ विदेशी राष्ट्रिकों के आवागमन पर नजर रखी जाती है। उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा के 7 जनपदों में 13 स्थानों पर सूचना इकाईयां सक्रिय है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पर कुल 121 स्थानों पर एस०एस०बी० की चेकपोस्ट स्थापित है जिन पर 54 एस०एस०बी० कम्पनी लगी हुयी हैं। मान्यवर, इसके अतिरिक्त भी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आंतरिक सुरक्षा के संबंध में बैठक बुलाई थी और उसमें मुझे भी जाने का अवसर मिला था, इस समस्या का उल्लेख करते हुये हमने भारत सरकार से मांग की थी कि उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पर काफी अधिक सीमा स्तम्भ विलुप्त है, उन्हें संयुक्त टीम के जरिये अभियान के तौर पर ठीक कराया जाय। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर-खीरी की नोमेंस लैन्ड पर अतिक्रमण है, इसे हटवाया जाय। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद के रूपईडीहा बार्डर पर भारतीय एवं नेपाली नागरिकों के एक राष्ट्र में जाने पर पंजीयन कराने की एक व्यवस्था पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में कई वर्ष पूर्व प्रारम्भ की गयी थी किन्तु नेपाल राष्ट्र के असहयोग के कारण यह व्यवस्था ठीक से लागू नहीं हो सकी है। यह व्यवस्था आवश्यक है इस व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाये जाने तथा ऐसी व्यवस्था भारत नेपाल के बीच में आवागमन के अन्य औपचारिक और अनौपचारिक मार्गों पर भी स्थापित किये जाने की आवश्यकता है। दोनों देशों की सीमावर्ती एजेन्सियों के मध्य समन्वय स्थापित किया जाय। वांछित अभियुक्तों को पकड़ने हेतु दोनों देशों के मध्य परस्पर सहयोग का अभियान चलाया जाय। भारत और नेपाल सीमा के मध्य आपराधिक तत्वों के प्रत्यर्पण की भी कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं है, इसको किया जाय। अर्न्तराष्ट्रीय सीमान्त क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क सेवा प्रदाता कम्पनियों द्वारा सिमकार्ड को नियंत्रित करने पर विचार किया जाये। इस सब बात को मान्यवर, मैंने उस बैठक में उठाया था और साथ ही हमने यह भी अनुरोध किया था कि भारत नेपाल अर्न्तराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बलों के त्वरित और सुगम आवागमन के लिये भारत नेपाल सीमा के किनारे पक्के सड़क मार्ग की

आवश्यकता है इसके लिये अगस्त, 2007 में हमारी सरकार ने 1503 करोड़ रुपये की एक परियोजना केन्द्र सरकार को भेजी है, जिसकी स्वीकृति की जाय। इस बात को हमने उठाया था। मान्यवर, प्रदेश सरकार निश्चित रूप से इस समस्या के समाधान के लिये पूरी तरह से तत्पर है, कार्यरत है। हम भारत सरकार से भी बातचीत करके इस समस्या के निदान के लिये कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, एक बात मैं और जोड़ दूँ। मैं बहुत स्पष्ट कर दूँ, कि जब से भारत पाक सीमा पर सुरक्षा बढ़ी है अब जो आतंकवादी पकड़े गये हैं उन्होंने अपने बयान में कहा है कि उन्होंने अब नेपाल का रास्ता चुना है। तो मान्यवर, यह बहुत संवेदनशील हो गया है। दूसरा मान्यवर, जो नकली नोट चल रहे हैं जो नकली करेन्सी का प्रचलन है आज नेपाल उसका सबसे बड़ा बाजार हो गया है और नेपाल से ही उत्तर प्रदेश में यह करेन्सी आ रही है और इसीलिये जो आसपास के जनपद हैं वहाँ इन नोटों का ज्यादा प्रचलन हुआ है। तीसरी बात, जो अभी स्टेट बैंक में बड़ा भारी घोटाला हुआ था। उसके भी तार नेपाल से जुड़े हैं। मान्यवर, एक बहुत ही बिना लाइसेंस का धन्धा चल रहा है, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ। लखनऊ से गाड़ी गायब हो, कानपुर से गाड़ी गायब हो वह सीधे-सीधे नेपाल की सीमा में प्रवेश कर जाती है और इसके दो या तीन शातिर व्यापारी हैं। भारत के लोग जाते हैं अपनी गाड़ी को पहचानते हैं और गाड़ी की मुँहमांगी कीमत दे करके उसको ला रहे हैं, यह सर्वविदित है। मैंने इसे बहुत गम्भीरता से उठाया था, मैं सरकार से यह आश्वासन चाहता हूँ कि जो तीनों मैंने उठायी हैं आप हमें सिर्फ इतना आश्वासन दे दें कि जब तक कोई और व्यवस्था नहीं हो पाती है तब तक भारत नेपाल–सीमा पर सतर्कता और बढ़ायी जायेगी।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मा० अध्यक्ष महोदय, मैं स्वतः नेपाल के बार्डर से आता हूँ और जो मा० प्रमोद तिवारी जी ने समस्याएं पैदा की हैं, मान्यवर, उठायी हैं न कि पैदा की हैं।

श्री प्रमोद तिवारी–

मा० अध्यक्ष जी, ऐसा लगा कि यह यहाँ नहीं वहाँ बैठे हैं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मुझे ज्ञान है कि मैं कहाँ पर बैठा हूँ। मान्यवर, हम लोग रोजाना इसके भुक्तभोगी हैं चाहे जाली नोट का मामला हो या अवैध असलहे का मामला हो। हमने खुद बार्डर पर बैठ करके देखा है आपकी पुलिस यहाँ सतर्क बैठी थी, अवैध असलहा काठमाण्डू आया, काठमाण्डू से कृष्णा नगर आया, गाड़ी में रखा गया, कानपुर सप्लाई करने की योजना थी, आपकी पुलिस फोर्स पूरे बार्डर पर लग गयी जिस रास्ते से जाना था, उन लोगों को पता चला, रात थी इसलिए यहाँ के अधिकारी वहाँ के अधिकारियों से सम्पर्क नहीं कर सके। मुझे वह दिन भी याद है कि जब भारत के प्रधानमंत्री ने नेपाल के प्रधानमंत्री से इस बात पर सम्पर्क किया था। वह असलहा फिर वहाँ से वह लोग वापस ले करके चले गये। मान्यवर, यह हमारी जो पुलिस है या जो एस०एस०बी० है वह इसे रोक पाने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। आप देख सकते हैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि केवल जाली नोट ही नहीं है, सारी घुसपैठ के रास्ते इधर से ही हैं और अच्छा यह है कि वह कोई घटना हमारे अपने जनपद में नहीं करते हैं केवल जाली नोट का करते हैं। असलहे आते हैं, हथियार उसी रास्ते से आता हैं तो मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहूँगा कि जैसे पाकिस्तान के बार्डर पर राजस्थान की सीमा को 10 किलोमीटर के अन्तर्गत, एक बार जब किंग महन मार्ग बन रहा था, चीन उसे बना रहा था तो मैंने उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र जी से इस मामले को काफी गम्भीरता से उठाया था। उन्होंने इस मामले को स्वीकार किया था लेकिन बार्डर का जो 10 किलोमीटर क्षेत्र है उसे भारत सरकार के अंडर में देने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि अगर हम इसे दे देंगे तो हमारा सारा कानून वहाँ लागू नहीं होगा, वहाँ सेन्ट्रल का कानून लागू होगा। उसका परिणाम होगा कि हमारे नागरिकों को परेशानी होगी और उसके चलते उन्होंने प्रस्ताव कराकर जगह-जगह बड़े-बड़े थाने बनवाये थे। इन थानों से जो रोकथाम होनी चाहिए थी वह नहीं हो रही है। आपकी एस०एस०बी० की बड़ी शिकायत है, मा० मंत्री जी का भी वही क्षेत्र है। एस०एस०बी० वाले साधारण किसानों को बहुत तंग करते हैं, अपने भारत के लोगों को बहुत तंग करते हैं। ये माओवादी नेपाल के समर्थन से नहीं हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि एस०एस०बी० या आपकी जैसे जो बार्डर पुलिस फोर्स हुआ करती थी, इस तरह से अगर कर सकें तो कर सकें अन्यथा क्या इस पर विचार करेंगे कि 10 किलोमीटर की सीमा आप सेन्ट्रल को सौंप दें जो इसको रोके।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, इस बात को ध्यान में रखते हुए एस०एस०बी० को 10 किलोमीटर की सीमा में सर्च का हमने अधिकार दिया था लेकिन कई शिकायतें आयीं जैसा कि मा० पाण्डेय जी ने कहा, जिसके कारण हमें उस अधिकार को वापस लेना पड़ा। मान्यवर, इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि आपराधिक तत्वों के प्रत्यर्पण की कोई व्यवस्था औपचारिक नहीं है। मैंने इसके लिए 07 फरवरी को ही मीटिंग की उसमें हमने महत्वपूर्ण ढंग से इस बिन्दु को उठाया था भारत सरकार के सामने। मान्यवर, चूँकि यह दो देशों का मामला है, इसमें भारत सरकार ही इस व्यवस्था को सुनिश्चित करा सकती है। जहाँ तक प्रदेश सरकार की पुलिस फोर्स की सतर्कता का सवाल है मान्यवर, हम आश्वस्त करते हैं कि इसमें किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं दिखायी जायेगी। प्रदेश सरकार और प्रदेश की पुलिस फोर्स पूरी तरह से सतर्क दृष्टि से निगाह रखे हुए है और आवश्यकतानुसार हम अपनी सीमाओं में रहते हुए, जिसमें भारत और नेपाल दोनों देशों के जो मैत्रीपूर्ण समझौते हैं उसकी सीमा में रहते हुए हम निश्चित रूप से और कार्रवाई करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, मैने श्री प्रमोद तिवारी जी को सुना और मा० मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूँ।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस बहुत ही गंभीर विषय की ग्राह्यता पर आपने बोलने का कृपापूर्वक अनुग्रह किया है, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के अनुसार यहाँ के प्रत्येक नागरिक को वैध कारोबार कर जीविकोपार्जन का अधिकार है, लेकिन अवैध कारोबार करने पर प्रतिषेध है और उनके खिलाफ नियम के अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी चाहिए। यह देखने में आ रहा है मान्यवर, अध्यक्ष महोदय कि पूरे प्रदेश में साइबर कैफे का जो व्यापार है उसके उद्देश्य के विपरीत लोग उसका उपयोग कर रहे है। जो उसके लिए नियम बने हुए हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। जो साइबर कैफे के लिए लाइसेंस लिया जाना चाहिए। बहुत से लोग लाइसेंस लिये हुए हैं, वह भी नियमों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, और जिन्होंने नहीं लिया है वह तो पूरी तरह से उसका उल्लंघन कर रहे हैं। ये जो नियम में जो कुछ भी उसके अनुसार, ये केबिन जो बनाये जा रहे हैं, इसकी ऊंचाई इतनी कर दे रहे हैं और ये पर्दा डाल दे रहे हैं ताकि जो वहाँ असामाजिक गतिविधियाँ सम्पन्न करना चाहते हैं और वह भी उसमें आने वाले हों या जाने वाले हों उनको कुछ भी दिखायी नहीं देता। सामने पर्दा और दोनों अगल-बगल ऊँची दीवार जैसी होती है, और मान्यवर यह निश्चित रूप से कानून का खुला उल्लंघन है। हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के ऊपर हमला है। पश्चिमी सभ्यता का प्रकोप का असर है कि वहाँ जो वीडियो संचालक हैं वह अपनी आर्थिक लाभ के लिए इन सारी चीजों का नियमों का, उप नियमों का उल्लंघन करके और वहाँ असामाजिक गतिविधियों को संचालित करवा रहे हैं। ये स्थिति पूरे प्रदेश में है जहां भी साइबर कैफे चलाये जा रहे हैं। वहां इसी मानसिकता को लेकर के इसकी आड़ में हम अवैध रूप से धन उगाही करेंगे और धनार्जन करेंगे ये संचालित किये जा रहे हैं। अभी हाल ही में लखनऊ में एक प्रकरण प्रकाश में आया जिसमें एक लड़की का वहाँ इसी साइबर कैफे के इसी तरह की परिस्थितियों में उसकी वीडियो क्लीपिंग उतारी गयी और उसके बाद उसका एम०एम०एस० बनाया गया। इसके पीछे उद्देश्य है मान्यवर, अध्यक्ष महोदय की ऐसे जो लोग हैं उनका भयादोहन करें, उनका दैहिक शोषण करें, उनका आर्थिक शोषण करें, और यह प्रकरण जब उस पीड़ित लड़की ने अपने पिता से कहा तो यह और भी दुःखद है कि पिता ने साइबर कैफे संचालक के विरुद्ध एक तहरीर दी सम्बन्धित क्षेत्र के थाने में, लेकिन थाने द्वारा यह संज्ञेय अपराध की तहरीर होने के बावजूद भी वह मामूली छेड़छाड़ और क्या उसमें एक हल्की दफा लगा दी और वह संज्ञेय अपराध नही था और ऐसे अपराधी जो साइबर कैफे के मालिक हैं और जो उसमें लिप्त हैं। उनके खिलाफ पुलिस ने कोई कठोर कार्यवाही नहीं की जिससे जो दूसरे लोग हैं उनके मनोबल को बढ़ावा मिल रहा है। इस प्रकार जो राज्य भर में साइबर कैफे के द्वारा अवैध कारोबार करके लड़कियों का, युवतियों का, युवकों का जो अनेक प्रकार की हरकतों को, अश्लील हरकतों को बढ़ावा दे रहे हैं और उसके लिए लंबा-लंबा शुल्क ले रहे हैं। मान्यवर, अध्यक्ष महोदय नियम के अनुसार शुल्क निर्धारित है वो सर्फिंग इत्यादि करने के लिए वहां आते

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं, लेकिन इन सारी गतिविधियों की तरफ से आंख बंद करने के लिए और इसको पर्दे में करने के लिए ये अवैध रूप से काफी शुल्क लेते हैं जो एक सामाजिक अपराध है, कानूनी अपराध है और इसका सबसे बुरा असर समाज पर पड़ रहा है। हमारी संस्कृति पर पड़ रहा है। हमारी सभ्यता पर पड़ रहा है। हमारी सभ्यता पर प्रश्नचिन्ह लग रहा है। मैं इस अविलम्बनीय, लोक महत्व की एक सुस्पष्ट घटना का सदन के संज्ञान में ला करके, मैं यह माँग करता हूं कि यह अविलम्बनीय, लोकमहत्व का है, एक सुनिश्चित घटना का सुस्पष्ट उल्लेख भी है और इसको माननीय सदन संज्ञान में ले और मा० संसदीय कार्य मंत्री जी विषय की गंभीरता को देखते हुए इस प्रकार के कारोबार में जो लोग संलिप्त हैं, जो नियमों का खुला उल्लंघन कर रहे हैं और अपने आर्थिक लाभ के लिए उन लड़कियों का मानसिक, दैहिक, आर्थिक शोषण करने में मददगार साबित हो रहे हैं। उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करें ताकि और लोगों को भी उनसे नसीहत मिले। मै चाहता हूँ कि मा० संसदीय कार्य मंत्री जी संवेदनशीलता का परिचय दें और क्या करेंगे, यह सदन में बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना पर मैंने श्री श्यामदेव राय चौधरी को सुना, जो विषय यह सदन के संज्ञान में लाये हैं, महत्वपूर्ण विषय है, उस पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

मा० अध्यक्ष जी, मेरी एक पीड़ा व्यक्तिगत है, क्या कोई ऐसा विषय जब कोई दलीय नेता उठायेंगे तभी यह परम्परा बनेगी कि मा० संसदीय कार्य मंत्री द्वारा संज्ञान लिया जायेगा और उस पर सरकार उत्तर देगी और.....

श्री अध्यक्ष–

नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप भी दल के नेता हैं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

दूसरा माननीय सदस्य अगर कोई कितना भी गंभीर विषय यहाँ उठाता है, उसका न तो सरकार संज्ञान लेती है और न आपके निर्देश के बावजूद मा० संसदीय कार्य मंत्री जी, संसदीय परम्परा के अनुसार, पीठ का आदर करते हुए खड़े हो करके कुछ कहने की भी आवश्यकता नहीं महसूस करते। मैं इससे बहुत पीड़ित हूँ और मैं कई बार यह देख चुका हूँ मान्यवर, जहाँ आप विषय की गंभीरता को देखते हुए अनुग्रह करते हैं, अनुमति देते हैं लेकिन सरकार की ओर से इस पर कोई उत्तर नहीं आ रहा है और न सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े हो करके इसका कोई उत्तर दे रहे हैं, इससे मैं बहुत पीड़ित और व्यथित हूँ और इस संसदीय परम्परा के विपरीत आचरण के विरोध में, मैं आज पहली बार व्यक्तिगत रूप से सदन का बहिर्गमन करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

चौधरी साहब, आप बैठें, बात हो जायेगी, इतनी जल्दी गुस्सा न हों। आप बहुत पुराने सदस्य हैं, संसदीय परम्पराओं के जानकार हैं। आपकी सूचना को गम्भीरता से लेते हुए उस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करा दिया है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

मान्यवर, 1989 से निर्वाचित होकर के आ रहा हूँ लेकिन पहली बार, दलीय निर्देश पर बहुत बार बहिर्गमन किया हूँ लेकिन आज ..... (डा० राधा मोहन दास अग्रवाल व श्री सुरेश खन्ना के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

खन्ना जी बैठिये। मा० चौधरी साहब आपकी भावनाओं का मैंने सम्मान किया है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

मान्यवर, इतने गंभीर प्रश्न पर भी यह जो संसदीय कार्य मंत्री और सरकार की असंवेदनशीलता है उसके विरोध में व्यक्तिगत रूप से पहली बार बहिर्गमन करने के लिए बाध्य हूँ।

(इसी बीच श्री माता प्रसाद पाण्डेय व श्री प्रमोद तिवारी, श्री श्यामदेव राय चौधरी की बात पर बल देने के लिए खड़े हो गये)

श्री अध्यक्ष–

पाण्डेय जी, बैठिये। श्री श्यामदेव राय चौधरी की नोटिस को महत्वपूर्ण समझते हुए इसे दूसरे नम्बर पर सुना है और विषय की गम्भीरता को देखते हुए इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ कि सरकार इसे दिखवा लें। तो चौधरी, साहब आपका सम्मान हुआ है अब क्यों परेशान हैं ?

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

माननीय अध्यक्ष जी, आप स्नेह भी देते हैं, सम्मान भी करते हैं और उनकी भावनाओं को समझते हैं, कृपा भी करते हैं। लेकिन यह खेद का विषय है कि इस सदन की एक परम्परा बनती जा रही है कि जब किसी भी दल के नेता अगर कोई प्रश्न उठाते है तो उसको सबसे अधिक गम्भीर माना जाता है।.....

श्री अध्यक्ष–

नहीं ऐसी बात नहीं है, हर सदस्य की सूचना की अपनी गम्भीरता है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

और तभी मा० संसदीय कार्यमंत्री जी खड़े होते हैं और उत्तर देते हैं वरना कोई गैर मामूली सदस्य है, उनका विषय चाहे जितना गंभीर हो, यह उत्तर देने की आवश्यकता भी नहीं समझते। इससे मैं व्यक्तिगत रूप से दुःखी हूँ।

श्री अध्यक्ष–

आप दुःखी न हों, मैं आपका ज्यादा सम्मान करता हूँ

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

उत्तर दिलवा दें वरना मैं व्यक्तिगत रूप से बहिर्गमन करने के लिए बाध्य हूँगा।

श्री अध्यक्ष–

मा० चौधरी साहब, आपका सम्मान बराबर रहता है।.....

संसदीय कार्य मंत्री जी के संज्ञान में ला दिया गया है। चाहे दलीय नेता हो या सदस्य सम्मान सभी का बराबर है। इसकी गम्भीरता को देखते हुए ही इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया है।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, सभी साइबर कैफे पर पुलिस द्वारा सतर्क निगाह रखी जाय और समय समय पर वहाँ आने वाले संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी किया जाय ताकि अपराधी और अराजक तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों पर अंकुश लग सके इस तरह का निर्देश सभी पुलिस अधिकारियों को दिया जा चुका है निश्चित रूप से जो प्रकरण माननीय सदस्य ने उठाया है उस पर आपके आदेशानुसार अलग से कार्यवाही करेंगे।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)–

हाल ही में हुई घटना का मैंने उल्लेख किया है। लखनऊ की घटना का मैंने उल्लेख किया क्या संसदीय कार्यमंत्री जी ने उसकी जानकारी मंगाने की आवश्यकता समझी है। अगर वह सूचना है तो उत्तर दें। मैंने जिस विशेष घटना का उल्लेख किया है यह भी कहा है कि उस घटना में पीड़ित के पिता द्वारा दी गई तहरीर को हल्का करके संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखते हुए लिप्त लोगों के विरुद्ध कोई सख्त कार्यवाही नहीं की गई।

श्री लाल जी वर्मा–

आपने स्वयं कहा इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया है और मुकदमा अपराध संख्या 68/2010 धारा 254/294, 506/384 कायम होकर जेल भी भेजने की कार्यवाही की गई है।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी के पास उत्तर तो है लेकिन जब आप बीच बीच में खड़े होते हैं तो उनको अच्छा लगता है। वह रुक–रुक कर जवाब दे रहे हैं।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)–

संसदीय कार्यमंत्री जी फुल स्टाप लगा देते हैं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मेरे अपने जिले में बांसी में जिसे आप डायट कहते हैं प्रशिक्षण संस्थान है वहाँ विभिन्न वर्षों में लगातार प्रशिक्षणार्थी या अभ्यर्थी का चयन होता है। एक बड़ी भारी परम्परा चल गई है कि विभिन्न जिलों के लड़के आते हैं लोकल भी होते हैं बड़े पैमाने पर वह प्रशिक्षण भी प्राप्त कर लेते हैं उनकी नियुक्ति भी हो जाती है। जब वह नियुक्त हो जाते हैं तो बाद में जब जाँच करा ली जाती है तो निकाले जाते हैं। इससे योग्य व्यक्ति उस स्थान पर जाने से वंचित हो जाते हैं। वहाँ कुछ भर्तियाँ की गई प्रशिक्षण में प्रधानाचार्य की बड़ी शिकायतें मिलीं जो मेरीटोरियस थे उनको न करके जिनकी मेरिट कम थी उनका चयन प्रशिक्षण के लिए कर लिया गया मैंने जाँच के लिए लिखा जाँच रिपोर्ट आई वह उनके आफिस में रखी एक दिन आग लगाकर वह सारी रिपोर्ट जला दी गई आज तक कार्यवाही नहीं हुई। कौन फर्जी है किसका सर्टीफिकेट फर्जी है बड़े पैमाने पर हमारे जिले में बाहर के लोगों में देवरिया,

आजमगढ़ के फर्जी सर्टीफिकेट लगाकर प्रशिक्षण प्राप्त करने का काम किया। एक आई0ए0एस0 लड़का था उसका सर्टीफिकेट लगाकर प्राइमरी स्कूल में नौकरी कर रहे है। मेरा आपसे आग्रह है हम आपसे काम रोकने की बात नहीं करते है एक निवेदन करेंगे कि इस पर सरकार से वक्तव्य दिलवा दें जिससे सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष–

मैंने प्रस्तुत सूचना पर श्री माता प्रसाद पाण्डेय को सुना। यह फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर किये गये चयन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में थी। इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। यह सूचना नियम 56 में नहीं है इसलिए अग्राह्य करता हूँ।

अगली सूचना श्री कौकब हमीद खां की है। कौकब साहब आपका विषय कई बार आ चुका है। आप सातों लोग बोलेंगे तो समय लगेगा।

*श्री कौकब हमीद खाँ–

मान्यवर, इस प्रदेश, जिसकी आबादी 18 करोड़ है जो अगर देश होता तो छठा दुनिया का सबसे बड़ा देश होता। यह दुनिया की अकेली इकाई है इस देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी इकाई है जो देश नहीं। इसका विभाजन होना जरूरी नहीं मान्यवर, वह इतना जरूरी है कि मेरे ख्याल में और काम ज्यादा जरूरी क्योंकि जितना भी पैसा आप ला रहे हो, जो आ रहा है वह सब व्यर्थ हो रहा है मान्यवर, उसका कोई फायदा ही नहीं हो पा रहा है। 19 करोड़ आदमी को खिलाना मान्यवर, उनका रहन सहन देखना, बेहतर सुरक्षा देना, बेहतर इलाज करना सारे मुश्किल काम हैं मान्यवर इसलिये इसका विभाजन मान्यवर हरित प्रदेश, बुन्देलखंड, पूर्वांचल और अवध प्रदेश के नाम से हो जाना चाहिए और मान्यवर यह मांग ऐसी नहीं है कि आज हुई हो या पिछले 5–7 साल से शुरू हुई राजनीति हो। यह सबसे पहले 1930 में मान्यवर, गोल मेज कांफ्रेंस में हिन्दु महासभा के प्रतिनिधि भाई परमानंद जी ने कहा था कि संयुक्त प्रदेश (यूनाइटेड प्राविंसेज) का बॅटवारा हो जाना चाहिए। उसके बाद मान्यवर डा० भीमराव अम्बेडकर जी ने यह रिकमेण्ड किया कि स्टेट को एक अलग स्टेट बनना चाहिए जिसके अन्दर पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो जिलें हैं उनको जोड़कर नया स्टेट बन जाना चाहिए। मान्यवर, जब 1953 में पहला पुर्नगठन आयोग बना तो उसके अन्दर चौधरी चरण सिंह जी ने 97 एम0एल0ए0 साथ लेकर यह रिकमेण्ड करवाया कि यह नया स्टेट बन जाना चाहिए। इधर एक हरित प्रदेश (पश्चिम उत्तर प्रदेश) बन जाय और उधर पूर्वांचल बन जाय। एम0के0 पाणिकर जो मेम्बर थे स्टेट पुर्नगठन आयोग के उन्होंने रिकमेण्ड किया कि उत्तर प्रदेश का डिवीजन बहुत जरूरी है। मान्यवर, 1977 में जनता पार्टी के मेनिफेस्टो में बकायदा यह ऐड हुआ, लिखा गया कि हम जनता पार्टी छोटे प्रदेश के पक्ष में हैं जिसमें जय प्रकाश जी की तरफ से भी हैं मान्यवर। इन सबका कहना था कि छोटे प्रदेश बनने चाहिए। 1968 के बाद से मान्यवर आज तक बी0के0डी0 की तरफ से यह मॉग हम लोग निरन्तर करते रहे हैं कि यह प्रदेश बनना जरूरी है। मान्यवर, मुझे याद है और मुझे यह बात कहते हुए कोई दिक्कत भी नहीं होती कि 8–9 साल पहले मैंने यहीं यह प्रस्ताव रखा था तो तकरीबन हूट हुआ था। मानता हूँ। जब लोग पूछते थे कि क्या दो जिले लोगे। एक जिला बनाओगे, उसका प्रदेश

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बनाओगे। मान्यवर, आज तीन चौथाई सदन और यह जो मना करते है। मान्यवर, इनमें से वो लोग जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, इनसे कोई पूछ ले। आप अलग बुलाकर पूछ लें तो बता देंगे मान्यवर, तकरीबन सब इस स्थिति में हैं कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा हो जाना चाहिए, पुनर्गठन हो जाना चाहिए। मान्यवर, 19 करोड़ लोगों को खिलाना, उनका पालन पोषण करना और फिर अपने आपको यह बताना कि विकास दर हमारा सबसे ऊँचा है । मुश्किल काम है मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है ।

श्री लाल जी वर्मा–

चर्चा तो हो नहीं रही है । ग्राह्यता का प्रश्न है, तात्कालिकता इसमें क्या हुई ?

श्री अध्यक्ष– मैं उनके ऊपर छोड़े दे रहा हूँ कैसे एडजेस्मेंट करते है ।

श्री कौकब हमीद खां–

मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूँ कि आपने कुछ नहीं किया । मैं यह कह रहा हूँ कि आप कुछ कर दीजिए ।

श्री अध्यक्ष–

थोड़ा संक्षेप में कहिए, आगे मदवार चर्चा है । मंत्री जी दो बजे बोलेंगे । समय लग रहा है ।

श्री कौकब हमीद खां–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि प्रति व्यक्ति आय 14 हजार है । जो छोटे प्रदेश है वह 30–40 हजार प्रति व्यक्ति आय है । मान्यवर, अगर आप पढ़े लिखे लोगों की संख्या जोड़ें उत्तर प्रदेश में तो दोनों स्त्री पुरूष मिलाकर 53 फीसदी रह जाते है और छोटे प्रदेशों में 70 फीसदी हैं हरियाणा 60 फीसदी पर, तो कहना मैं यह चाह रहा हूँ कि आपने बटवारा नहीं किया चार स्टेट में तो कठिनाई हो जाएगी ।

श्री अध्यक्ष–

संक्षिप्त कर दें । सब बातें आ गई हैं ।

श्री कौकब हमीद हां–

मान्यवर, जब लोक सभा में प्रस्ताव आया और लोक सभा में चौधरी अजीत सिंह जी बोले तो गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी थे उन्होंने कहा कि हमने श्री अजीत सिंह जी का भाषण सुना महत्वपूर्ण भाषण है पुनर्गठन जरूरी है और इसको कर देना चाहिए । जितेन्द्र प्रसाद जी कांग्रेस के थे, उन्होंने कहा कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है और दिक्कत हो रही है कि हम इस प्रदेश को नहीं चला पा रहे है इसका पुनर्गठन होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है सब बात आ गई है ।

श्री कौकब हमीद खां–

मेरा मान्यवर, कहना यह है कि यह कहते है कि हमने खत लिखा । क्यों खत लिखा, जब आपकी बोलचाल बन्द है आप जितने खत देते है प्रधान मंत्री जी को, वह उसको नहीं

मानते है, उसकी बात नहीं सुनते है, जब आप पैसा मांगते हो तो पैसा आपको नहीं देते आप और चीजों में उनकी स्वीकृति चाहते हो तो वह भी नहीं हो पाती है तो खत लिख कर क्यों दे रहे हो, वह आपका पुनर्गठन क्यों करना चाहेंगे वह आपको कतई लिखकर नहीं देने जा रहे है कि आप करो । आप आज बैठो और बगैर इसकी परवाह किए हुए कि कौन इसके पक्ष में रहेगा कौन पक्ष में नहीं रहेगा, पास होगा, आप खड़े होइए इसका प्रस्ताव दीजिए कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन होना चाहिए ।

(मेजें थपथापाई गई)

आप प्रस्ताव करिए और प्रस्ताव करके इसको आप भेजिए, खत लिखने से क्या होता है। मानते है नहीं, बोलचाल आपकी बन्द है, बातचीत आपकी होती नहीं, लेना देना आपका कुछ है नहीं, और पार्टी वाले, यह भी मानेंगे जिनकी दिल्ली में सरकार है।

श्री अध्यक्ष–

बात आ गई है। आप बैठें।

श्री कौकब हमीद खां–

मेरी गुजारिश यह है कि मंत्री जी उठें, प्रस्ताव करें, आप मानते है मुख्य मंत्री जी मानती हैं, मुख्य मंत्री जी कह रही है कि इसको होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठें। मैं मंत्री जी को बुला रहा हूँ। यह चर्चा नहीं हो रही है । यह गलत बात है।

(राष्ट्रीय लोकदल के कुछ और सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

नहीं–नहीं कौकब साहब, यह चर्चा नहीं हो रही है कि सब लोगों को बुलवायें। आपके दल के नेता ने बात को रख दिया, अगर आपको विश्वास है तो आप लोगों को तो स्वयं ही कहना चाहिए कि हमारे नेता ने बात रख दिया है। अच्छा, चलिए एक सदस्य एक मिनट में बात रख लें। यह चर्चा नहीं हो रही है।

*चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी–

मा0 अध्यक्ष जी, आज पूरे उत्तर प्रदेश में किसी एक हिस्से में ही नहीं कि वह पश्चिम का हिस्सा है या पूर्वांचल का हिस्सा है बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता में भ्रम की स्थिति है। आज जो सूचना दी गयी चूँकि दिल्ली की जो सरकार है, भारत सरकार और जिस दल की भारत सरकार चल रही है, उसकी तरफ से भी बराबर आ रहा है कि हम प्रदेश का बंटवारा करना चाहते हैं और हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री ने भी कई जगह, कई अवसरों पर इस बात का जिक्र किया कि हम भी उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के पक्षधर हैं और प्रदेश का बटवारा चाहते हैं। पिछले दिनों विधान सभा में मा0 हुकुम सिंह जी ने कहा था कि प्रदेश का विभाजन होना बहुत जरूरी है। आज इस सदन के दो तिहाई से ज्यादा लोग बल्कि तीन चौथाई इस पक्ष में हैं कि

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश का विभाजन होना चाहिए जो एक दल के अभी दो–तीन दिन पहले अम्बिका चौधरी जी ने बात रखी थी, विरोध किया था इसका, अम्बिका चौधरी जी ने उदाहरण दिया, उत्तरांचल का। अम्बिका चौधरी जी उत्तरांचल में जाकर इस विषय पर प्रेस कान्फ्रेन्स कर लें और खाली इतना कहने का काम कर दें कि हमने दुर्भाग्य से यह गलत काम किया तो उनको उत्तरांचल की जनता जवाब देने का काम कर देगी। उसकी क्या प्रतिक्रिया उत्तरांचल में हो रही है, कई लोगों ने हमसे कहा कि उनको यहाँ भेज दो, जो परिचित हमारे वहाँ लोग हैं। वहाँ के लोग आज खुश है, मुख्यमंत्री जी भी मानती हैं कि छोटा प्रदेश होगा, प्रदेश की जनता को तमाम सहूलियतें मिलेंगी, प्रदेश का जनता का विकास होगा, उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं। कोई मजबूरी एक दल की हो सकती है लेकिन तमाम दल आज विधान सभा के अन्दर, पक्ष और विपक्ष, इस बात के लिए सहमत हैं कि प्रदेश का विभाजन होना चाहिए तो मैं आपके माध्यम से समय को देखते हुए, अपनी बात को सीमित करते हुए, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से चाहूँगा कि आज आप प्रस्ताव लाइयें, बहुमत के साथ आपका प्रस्ताव पास होगा, आप प्रस्ताव पास करके केन्द्र सरकार को भेजने का काम तो करिए। केन्द्र सरकार जो कहती है कि इसका विभाजन चाहते है, फिर केन्द्र सरकार की बात आयेगी कि चाहते हैं या जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। आज जो यह बात आ रही है कि दोनों सरकारें जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। आप कभी कह रहे हो कि हम विभाजन करने का काम करेंगे, केन्द्र की सरकार भी कहती है कि हम भी चाहते हैं। वह कहते हैं कि आप प्रस्ताव भेज दो, हम विचार कर लेंगे, आप चिट्ठी लिखते हो कि वहाँ से निर्देश हो जाए। तो मा0 अध्यक्ष जी, जो भ्रम की स्थिति है, उसको दूर करने के लिए मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव विधान सभा में लायें, उस पर मतदान कराने का काम कर लें और पूर्ण बहुमत नहीं तो तीन चौथाई बहुमत से वह प्रस्ताव निश्चित तौर पर पास होगा। आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

(श्री कुवेर सिंह के बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब मा0 मंत्री जी। कुवेर जी आपका नम्बर आ रहा है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मा0 कौकब हमीद साहब और मा0 लोकदल के सदस्य बार–बार एक मुद्दा उठाते हैं। मान्यवर, आपकी भी कृपा हो जाती हैं, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उस मुद्दे पर कार्य–स्थगन लाया ही नहीं जा सकता। जो हमारी नियमावली है, नियम–56, उसे आप देख लें कि एक उपवेशन में एक से अधिक प्रस्ताव नहीं किए जायेंगे, एक ही प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं होगी, प्रस्ताव हाल में ही घटित किसी निर्दिष्ट विषय तक निर्बद्ध रहेगा, प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा, प्रस्ताव द्वारा किसी ऐसे विषय पर पुनः चर्चा नहीं हो सकेगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो या होने वाली हो तो मान्यवर, यह नियमावली हमारी कहती है। दूसरे मान्यवर, प्रदेश का बटवारा या प्रदेश की सीमाओं में परिवर्तन, भारत का जो संविधान है, उसके अनुच्छेद–3 में दिया गया है कि नये राज्यों का निर्माण और निवर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि

द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी।

किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। यह अधिकार मान्यवर, संसद को है। मान्यवर, जब संसद में बिल पुनर्स्थापना के लिए जाएगा, राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाएगा उस स्थिति में राष्ट्रपति उस प्रदेश की विधान सभा को भेजेंगे जिसका उस पर प्रभाव पड़ना है, कि अमुक तारीख तक आप प्रस्ताव करके भेजें अगर उनके द्वारा निर्दिष्ट तारीख तक प्रदेश की विधान सभा कोई प्रस्ताव नहीं भी पास करती तो भी संसद में पुनर्स्थापित हो सकता है। अगर उसी सीमा के अंदर प्रस्ताव पास करती है तो भी होगा। तो मान्यवर, प्रदेश की विधान सभा को कोई अधिकार नहीं है। इसलिए इस तरह का कोई प्रस्ताव विधान सभा में नहीं आ सकता और यहाँ कार्यक्षेत्र नहीं है। मान्यवर, यह आपकी बड़ी कृपा है और इसकी सभी लोग वकालत भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं कि माननीय अध्यक्ष के द्वारा जिस तरह से सदस्यों के एक बिन्दु को, सभी बिन्दुओं को उठाने का अवसर दिया जाता है शायद ही कोई ऐसा अध्यक्ष रहा हो जिसने इस तरह का अवसर दिया हो। मान्यवर, आपकी उस कृपा का अवसर उठाकर यह बिन्दु जो नियम 56 के कार्यक्षेत्र में है ही नहीं, उसको लाने का प्रयास किया है। मैं चाहूंगा कि इसको पूरी तरह से अग्राहय करने की कृपा करें।

श्री कौकब हमीद खाँ–

मान्यवर, यह पहली बार नहीं हो रहा है। इस सदन ने इससे पहले प्रस्ताव किये हैं और प्रदेश बने भी है। हम सिर्फ यह चाहते हैं कि आप संकल्प तो लायें, प्रस्ताव तो लायें। मान्यवर, क्योंकि सरकार प्रस्ताव नहीं लाना चाहती है, हम इसके विरोध में सदन में बहिर्गमन करते हैं।

(शासन के उत्तर से असन्तुष्ट होकर श्री कौकब हमीद खां ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया।)

श्री अध्यक्ष

मैंने माननीय श्री कौकब साहब जी, माननीय सोलंकी साहब को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है। मैं इसे अग्राहय करता हूँ।

*श्री पंकज कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र में किसी पार्टी को, किसी दल को, किसी व्यक्ति को अपना विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार होता है। कल जनपद मुजफ्फरनगर में हमारे पूर्व अध्यक्ष, श्री शरद कपिल महावीर चौक स्थित कैम्प कार्यालय के बिल्कुल बाहर खड़े होकर योजना बना रहे थे कि इस तरह से प्रदर्शन किया जाएगा, प्रदर्शन की तैयारी चल रही थी उसी समय शिवसेना के कुछ गुण्डों ने उनके प्रदर्शन को रोकने के लिए बुरी तरह से मारापीटा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और वहाँ से प्रकाश चौक जिसके नजदीक एस0एस0पी0 का आफिस भी है, कलेक्ट्रेक्ट है, प्रकाश चौक तक उनकों दौड़ा–दौड़ाकर पीटा गया। मान्यवर, शिवसेना इस देश को तोड़ना चाहती है, इस देश के टुकड़े करना चाहती है, जातिवाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर हम लोगों को बांटना चाहती है। मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश में शिवसेना पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए और मान्यवर, हमारे जो अध्यक्ष, जो नेता, जो कार्यकर्ता पिटे हैं उनकी सुरक्षा का इंतजाम किया जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी जब पूर्व सूचना पर प्रदर्शन किया जाता है तो वहाँ पर पुलिस की एक जीप या पुलिस के सिपाही चले जाया करते हैं। लेकिन वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। मान्यवर, हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री शरद कपिल जी को बाद में भी धमकी दी गयी है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह भी अनुरोध है कि उन्हें जान का खतरा है, उन्हें सुरक्षा भी दी जानी चाहिए। आपने बोलने का समय दिया इसके लिए धन्यवाद। साथ ही यह अनुरोध करूंगा कि इस पर सरकार कुछ आश्वासन दें।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, गंभीर चोट आयी है, मरणासन्न हैं हमारे जिले के पूर्व अध्यक्ष। अब स्थिति यह बन गयी है कि ठाकरे की गुण्डागर्दी महाराष्ट्र से उठकर उत्तर प्रदेश में आ गयी है, ठाकरे मतलब कि शिवसेना। मान्यवर, उनके लोग अगर इस तरह से हिंसा पर उतारू हैं तो मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से सिर्फ दो अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो लोग इसमें पकड़े गये जिन्हें पुलिस खुद दोषी मान रही है, जिनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करें। मैं चाहता हूँ कि उनके खिलाफ गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाये। इसके साथ–साथ मैं फिर बल देता हूँ कि ठाकरे की शिवसेना को उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित किया जाये। मान्यवर, जब तक आश्वासन मुझे नहीं मिल जाता कि उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। जिनको नामजद किया गया है और पुलिस जिन्हें दोषी पा रही है, तब तक क्षमा करें मान्यवर, हमारा विरोध जारी रहेगा। हम आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से इस कठोरतम कार्यवाही किये जाने, जहां हमारा एक जिला अध्यक्ष जीवन मृत्यु के बीच झूल रहा है, मान्यवर इस गंभीर प्रकरण को उठाते हुये, मैं आपकी तरफ से सरकार से आश्वासन चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, आपको इस विषय पर कुछ कहना, इनकी सूचना है। मैंने माननीय पंकज कुमार जी को, प्रमोद तिवारी जी को सुना है, जिस घटना का इन लोगों ने जिक्र किया है।

*श्री आरिफ अनवर हाशमी–

मान्यवर, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है, बाल ठाकरे, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे वहां पर गुण्डागर्दी कर रहे हैं। मान्यवर, तिवारी, जी को चाहिए, वहां के मुख्यमंत्री जी से कहें कि उनका वहां फरमान जारी हो जाता है तो सड़क लाल हो जाती है।

श्री अध्यक्ष–

चलिये, ठीक है, हम जानते हैं कि सरकार उनकी है और वह भी जानते है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, दुर्भाग्य से कुछ चीजें न मालूम होने के कारण भ्रम होता है। मैं बम्बई का प्रकरण नहीं उठा रहा हूँ और माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि यह मुजफ्फरनगर की घटना है और शिवसेना द्वारा घटित की गयी है और मुजफ्फरनगर जहां तक मेरी जानकारी है मान्यवर, इधर कोई समाजवादी पार्टी की सरकार में कुछ परिवर्तन हो गया हो तो मैं नहीं जानता। मान्यवर, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है। वहां पर हमारे जिलाध्यक्ष को मारा गया है, जो मरणासन्न हैं, जीवन मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं, इतने गंभीर और संवेदनशील विषय पर हम सरकार से आश्वासन चाहते है कि कार्यवाही हो। अगर उस विषय पर परिवर्तन करने का प्रयास किया गया तो मैं समझूंगा कि हम ऐसी प्रवृत्ति को कहीं न कहीं से बल दे रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, वहां आपके 4 विधायक हैं, उनसे कहें कि उस प्रश्न को वहां उठायें। मुजफ्फरनगर में घटित हो रहा है, यह उठाने का अधिकार हमारा है। मैं यहां पर उठा रहा हूँ कि मुजफ्फरनगर के पूर्व जिला अध्यक्ष मरणासन्न हैं, मान्यवर, बर्बरतापूर्वक पिटाई हुई है, मैं निन्दा करता हूँ, भर्त्सना करता हूं। यह एक प्रवृत्ति है, ठाकरे एक व्यक्ति नहीं, ठाकरे एक प्रवृत्ति हैं, पाश्विक प्रवृत्ति है मान्यवर, चाहे ठाकरे हों चाहे बुखारी हों, यह सब कट्टर लोग हैं और इनके खिलाफ देश को एकजुट होना पड़ेगा, मैं इन शब्दों के साथ सरकार से आश्वासन चाहूंगा कि उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी और जो पीड़ित हैं उनकी सुरक्षा की जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

चलिये, इस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूँ।

श्री प्रमोद तिवारी–

इनकी तरफ से ठाकरे का साथ दिया जा रहा है, इस मामले पर मैं और मेरा दल सदन का बर्हिगमन करते हैं।

श्री प्रमोद तिवारी–

(अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया।)

श्री अध्यक्ष–

विशम्भर प्रसाद निषाद जी, 2 मिनट में अपनी बात कहिये।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

माननीय अध्यक्ष जी, बुंदेलखण्ड में पेयजल का बहुत भीषण संकट है मान्यवर। जब गर्मी की स्थिति आती है मान्यवर, महिलायें दो बजे रात को जगती हैं और कौन पहले पानी भर ले, किसको बाद में नहीं मिलेगा मान्यवर, यह स्थिति है। चूंकि कुयें में थोड़ा सा पानी रहता है, जो पहले पानी निकाल लेता है तो फिर पानी गन्दा हो जाता है। मान्यवर, बुंदेलखण्ड में जितने भी हैण्डपम्प लगे हुये हैं, उनका वाटर लेबिल डाउन होने के कारण पानी नीचे चला गया है। हम सरकार से यह चाहते हैं कि बुंदेलखण्ड के लिये विशेष योजना बने और एक महायोजना बनाकर वहां पीने के पानी का संकट दूर हो जाये। मान्यवर, बहुत से अलग राज्यों को बनाने की मांग करते हैं, लेकिन हम पानी की बात करते हैं, वहां के लिये पानी की व्यवस्था करा दी जाये मान्यवर। हम चाहते हैं कि वहां जो भी हैण्डपम्प लगाये गये हैं, जल निगम विभाग द्वारा,

चूंकि ग्राम्य विकास मंत्री यहां नहीं दिख रहे हैं वहां इतनी अनियमिततायें हैं कि जो हम आजादी के इतने साल बाद असेवित बस्तियों में हैण्डपम्प नहीं लगा पाये, पहले विधायकों को 250 हैण्डपम्प मिल जाते थे, वहां पर हैण्डपम्प लग जाते थे। लेकिन इस सरकार ने जब से यह प्रतिबन्ध लगा दिया है और विधायक कोटा खत्म कर दिया है तो वहां पर नये हैण्डपम्प लग ही नहीं पा रहे हैं मान्यवर।

श्री अध्यक्ष–

आप जल स्तर पर बात करिये और जो हैण्डपम्प लगे हैं उसी पर बात आप करिये।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, अधिकारी उन्हीं हैण्डपम्पों की पुनरावृत्ति कर रहे हैं, बार–बार वहीं हैण्डपम्प लगा रहे हैं, उन्ही को रीबोर में ले रहे हैं। जो गत वर्ष हैण्डपम्प लगाये गये हैं उन्हीं को री–बोर भी दिखा रहे हैं। दोहरा कागज में दिखाकर घोटाला भी कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

आपने स्पेसिफिक स्थानों के संदर्भ में कहा है, अब पूरे प्रदेश और बुंदेलखण्ड की बहस करने लगे।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, हम यह सरकार से चाहते हैं कि उनके पानी की व्यवस्था करायी जाये, चर्चा करा ली जाये मान्यवर। और हम चाहते हैं कि इस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का बयान आ जाय।

श्री अध्यक्ष–

बुन्देलखण्ड के बारे में इतनी व्यवस्थाएं, चर्चाएं हो चुकी हैं आप स्पेस्फिक स्थान के बारे में बोले है।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

बुन्देलखण्ड के लिए सरकार के पास जरा भी पानी हो तो मान्यवर, सरकार पानी की व्यवस्था करा दें, अगर पानी न हो तो पानी की व्यवस्था न कराये, अगर वहां पर पानी हो तो सरकार पानी की व्यवस्था करा दें, हम यह चाहते हैं संसदीय कार्य मंत्री जी से बता दें बहुत गम्भीर समस्या है वहां पर पानी की, इसलिए समस्या है। वहां पर हैण्डपम्प दिये जायं, वहां का पेयजल संकट दूर किया जाय, इस पर चर्चा करा ली जाय। मान्यवर, आपने कार्य–स्थगन पर बोलने का मौका दिया, आपको धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

माननीय विशम्भर प्रसाद निषाद जी ने कुछ चिन्हित स्थानों का उल्लेख किया, जहां का जल स्तर गिर रहा है। इनकी सूचना नियम–56 में नहीं आती है। मैं इसे अग्राह्य करता हूँ, तब भी शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं। यह जन–जीवन से जुड़ा विषय है, इसको दिखवा लें। श्री अरविन्द गिरि जी, आप सिर्फ दो मिनट में अपनी बात कह दें।

*श्री अरविन्द गिरि–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी सूचना अत्यन्त महत्वपूर्ण और लोक महत्व की है। पूरा प्रदेश बाढ़ की विभीषिका से लगभग पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर, बहराइच से लेकर बलिया और गोरखपुर तक 3–4 दर्जन से अधिक जनपद वह जनपद जहां की लाखों–लाख जनता बाढ़ की विभीषिका झेलने को मजबूर है और यह क्रम सिर्फ इस वर्ष नहीं है मान्यवर, पिछले वर्षों से यह क्रम चल रहा है और यह विभीषिका जनपद लखीमपुर–खीरी पीलीभीत से शुरू होती है, मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वर्षों वर्ष की बात न करें, हम सिर्फ पिछले दस वर्षों को ही लें, तो जनपद लखीमपुर–खीरी में करोड़ों–करोड़ रुपये की वन सम्पदा इन नदियों में समा चुकी है, करोड़ों रुपये की कृषि भूमि जमीन कटान के द्वारा इन घाघरा हो, शारदा हो, सुहेली हो, मोहाना हो, इन नदियों में समा चुकी है, प्रति वर्ष करोड़ों रुपये की फसल का नुकसान होता है। मान्यवर, जहां एक तरफ करोड़ों रुपये की सम्पत्ति का नुकसान हो, जहां करोड़ों रुपये की फसलों का नुकसान हो,

(दो मंत्रिगणों के आपस में बात–चीत करने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, जरा बैठ कर बात न करें, नहीं तो दूसरे लोग भी इसका आचरण करेंगें।

*श्री अरविन्द गिरि–

वहीं दूसरी तरफ मान्यवर, सरकार प्रशासन, जिला प्रशासन के माध्यम से करोड़ों रूपया व्यय करता है, लेकिन आज स्थिति वहीं है जहां दस साल पहले जनपद लखीमपुर खीरी खड़ा था। मान्यवर, यह दुर्भाग्य है जनपद लखीमपुर खीरी का कि आजादी के वर्षों वर्ष बाद आज भी प्रदेश का राष्ट्र का ध्यान उस जनपद लखीमपुर खीरी की तरफ नहीं गया जहां प्रति वर्ष हजारों हजार करोड़ रुपये का नुकसान होता है। सिर्फ यह होता पूरे 12 महीने में 10 महीने वहां प्रशासन सोया रहता है वर्षाकाल में प्रशासन जगने का काम करता है और जब बाढ़ की स्थिति होती है, तब वहां पर नदियों की खुदाई शुरू होती है। बाढ़ के नाम पर, बाढ़ की रोकथाम के नाम पर, बाढ़ के समय सहायता के नाम पर और बाढ़ जाने के बाद पुनः बाढ़ न आये, इसके नाम पर करोड़ों रूपया जिला प्रशासन और प्रशासन सिर्फ लूट और लूट करने का काम करता है।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें। अभी सिंचाई विभाग के अनुदान पर चर्चा है, वहां पर भी कह सकते हैं।

श्री अरविन्द गिरि–

मान्यवर, मैं वह समस्या आज इस सदन के सामने रख रहा हूँ जो सिर्फ मेरी नहीं, मेरे जनपद के साथी विधायकों की नहीं, वह जनपद जिनके यहां बाढ़ की त्रासदी रहती है, उनकी नहीं बल्कि पूरे सदन की चिन्ता होनी चाहिए कि बाढ़ के समय करोड़ों रुपये की लूट प्रशासन के द्वारा होती है। जिसके कारण नदियां छिछली हो गई।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

सिर्फ दो मिनट कहा गया था, लेकिन अभी भी जारी है, इसलिए हम नहीं लेते हैं इन सूचनाओं को। अब ज्यादा जो बोलेगा उसकी सूचना आगे से नहीं लेंगे।

श्री अरविन्द गिरि–

नदियां दिशाहीन हो गई, नदियों में जल ग्रहण की क्षमता खत्म हो गई। मान्यवर, मैं आज बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ, इस सदन को बताना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

अब दो मिनट से ज्यादा जो बोलेंगे मा0 सदस्यगण तो आगे आपके अनुरोध पर सोचना बन्द कर दूँगा।

श्री अरविन्द गिरि–

कि जो वहां बाढ़ की विभीषिका है वह दैवीय आपदा नहीं है, वह मानव जनित है, चीन और नेपाल की षडयंत्रकारी योजना के चलते तीन–चार वर्ष में एक योजना बनाकर वहां की नदियों का रूख भारत की तरफ मोड़ा गया जिसके कारण आज जनपद लखीमपुर खीरी में बाढ़ की गम्भीर समस्या है।

श्री अध्यक्ष–

मा0 गिरि जी सिंचाई विभाग पर जब चर्चा हो तब मा0 मंत्री जी के सामने कह दीजिएगा।

श्री अरविन्द गिरि–

जिसके कारण वह शहर बलिया, तिकुनिया, जहां कभी बाढ़ नहीं आती थी मान्यवर, आज वहां 4–4, 5–5 फुट पानी भरता है, जिसके कारण, आपको मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि पिछले पाँच वर्ष के अन्दर सौ से अधिक लोगों ने इसलिए आत्महत्या कर ली कि जिनकी फसल कट गई, जिनकी जमीन चली गई, जिनके ऊपर बैंक का कर्जा है मा0 अध्यक्ष जी और उनको इस प्रशासन की तरफ से न फसल का नुकसान जो हुआ, उसका मिला।

श्री अध्यक्ष–

चलिए ठीक है, बाढ़ के बारे में आप कह लिये, अब हो गया।

श्री अरविन्द गिरि–

मान्यवर, मैं सिर्फ दो मिनट आपसे चाहूँगा और इसलिए चाहूँगा कि यह गम्भीर विषय है। और आपका, सरकार का ध्यान इस पर होना चाहिए। सिर्फ यह नहीं कि वर्षाकाल के समय मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण या मुख्य सचिव, हेलीकाप्टर से दौरा करने का काम करते हैं, करोड़ों रुपये व्यय करने का काम करते हैं, लेकिन आज मेरा यह विषय तात्कालिक है और इसलिए है कि अगर आज ही योजनाबद्ध तरीके से जनपद लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, सीतापुर में अगर काम नहीं शुरू किया गया तो फिर आने वाले वर्षा काल में जनपद लखीमपुर खीरी को बाढ़ से बचाया नहीं जा सकता है।

मान्यवर, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हर वर्ष केवल बाढ़ के नाम पर लूट न हो। मान्यवर, वहां पर एक नहीं हजारों लोगों ने एकत्र होकर जातीय और सभी तरह की भावनाओं से ऊपर उठकर 3 नवम्बर को धरना और आंदोलन करने का काम किया है। उन्होंने एक ज्ञापन भी दिया है जो जिलाधिकारी, महामहिम राज्यपाल, महामहिम राष्ट्रपति आदि को सम्बोधित है, वह ज्ञापन की प्रति मैं आपको भी दे रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष–

आप दे दीजिये। अभी सिंचाई मंत्री जी भी आयेंगे सदन में।

यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है। फिर भी चूंकि बाढ़ से जुड़ा हुआ विषय है इसलिए इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

श्री अरविन्द गिरि–

मान्यवर, क्या इतने गंभीर विषय का भी संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

इस पर सदन में चार बार चर्चा हो चुकी है। अभी मंत्री जी भी आ रहे हैं। लेकिन फिर भी मैंने आपको इस पर सुन लिया है।

*श्री मदन चौहान–

मान्यवर, जनपद गाजियाबाद में दो झीलें हैं जो हजारों–हजार एकड़ में है। एक कोटला झील है और दूसरी कल्याणपुर झील है। यह धारा 6 में दर्ज है प्राकृतिक झील है। मान्यवर, कुछ वर्षों पहले कुछ लोगों ने अधिकारियों से मिलकर उसके पट्टे करवा लिये और सारी पत्रावली और रिकार्ड गायब करवा दिये। उसकी नवीयत चेंज करवा दी। कुछ पर वहां अनाधिकृत कब्जे भी है। यह अरबों रुपये की जमीन है जो झील है उस पर भू–माफियों का कब्जा हो रहा है। हम चाहते हैं कि उसे झील के रूप में छोड़ दिया जाये और सरकार उसका सौन्दर्यीकरण कराने का काम करें उसमें बहुत बड़ी झील का सौन्दर्यीकरण हो सकता है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ कि अधिकारी और वह लोग मिलकर कहीं न कहीं स्टे के रूप में उसे प्रभावित करने का काम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसमें जबरन अधिकारियों को पैसा देकर उन कब्जों को नहीं हटवाया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस पर आप शासन का ध्यान आकृष्ट कर दें। यह अरबों रुपये का घोटाला है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने इस पर श्री मदन चौहान जी को सुना यह नियम 56 में नहीं आती है इसलिए अग्राह्य करता हूँ। फिर भी प्राकृतिक झील है सरकार की सम्पत्ति है अगर कोई अवैध कब्जा है तो उसको आप दिखवा लें।

*श्री शम्मू चौधरी–

मान्यवर, कुशीनगर जनपद के थाना क्षेत्र तरया ग्राम सभा हफुआ चतुर्भुज में 7–2–2010 को सायं घटी घटना के सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि करीब

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चालीस वर्षों से ग्राम सभा हफुआ चतुर्भुज थाना तरया तहसील तमकुहीराज में ग्राम सभा के खलीहान के समीप होलिका दहन के लिए सम्मत गाड़ने व जलाने का कार्य चला रहा था गांव में सभी समुदायों में अमन चैन था। किन्तु एसडीएम, सीओ, तहसीलदार, थानाध्यक्ष की थोड़ी सी नादानी की वजह से माहौल दिनांक 7-2-2010 सायं को कुछ अराजकतत्वों की वजह से बिगड़ गया तथा गांव को आग के हवाले करने का प्रयास किया गया व 'होली' जैसे खुशी के त्यौहार को खराब करने के इरादे से ऐसा जघन्य कृत किया गया जबकि यह मामला सभी वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में था फिर भी कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया जिससे मामले का हल निकल सकें। इस घटना से क्षेत्र की जनता भयभीत तथा आक्रोशित है।

वहाँ पर 40 वर्षों से सम्मत जलाया जाता था और एसडीएम द्वारा पिछले वर्ष एक दूसरा स्थान दिया गया और वहाँ पर सम्मत जलाने की बात कही गयी। सम्मत पिछले बार वहाँ पर जला, पुनः इस बार जब वहाँ पर सम्मत गाड़ने गये तो वहाँ पर पानी की टंकी बन गयी थी। पानी की टंकी बनने से वह वहाँ पर सम्मत नहीं गाड़ पाये तो एसडीएम और तहसीलदार द्वारा दूसरा स्थान दिया गया। उस दूसरे स्थान पर वह सम्मत गाड़ रहे थे कि वहाँ का थानाध्यक्ष तरिया का थानाध्यक्ष वहाँ जा करके सम्मत को उखाड़ने का काम किया और जिन लोगों ने गाड़ा था उनको मारने पीटने का काम किया वहाँ पुलिस का तांडव इतने चरमसीमा पर है कि अंग्रेजी क्रूर शासनों को भी वह मात दे रहे हैं। वहाँ पर ग्राम सभा में पूरे गांव के लोग गांव छोड़कर भाग गये हैं।

(कई सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

इस पर हम किसी को नहीं बोलने देंगे।

मैंने श्री शम्भू चौधरी को सुना यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है। इसको मैं अग्राह्य करता हूं, तब भी इस विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं।

*श्री अमरमणि त्रिपाठी-

मान्यवर, एक अत्यन्त लोक महत्व के सवाल पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, इन्हें व्यवस्थित कराइये।

श्री अध्यक्ष-

इनकी सूचना अग्राह्य हो गयी अब इनका कुछ नहीं लिखा जायेगा। इसमें कोई दूसरा बोलेगा तो नहीं बोलने दिया जायेगा।

श्री अमरमणि त्रिपाठी-

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में नेपाल से हजारों हजारों ट्रक बोल्डर रोज आता है। मोरंग, पत्थर, गिट्टी आदि आती है जिसको लेकर हमारे क्षेत्र के लगभग 10 हजार आदमी रोजगार अर्जित करते हैं कुछ लोग तो उसमें लदाई का काम करते हैं, पत्थर की तोड़ाई का काम करते हैं, पत्थर की छनाई का काम करतें हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(डॉ० पी० के० राय द्वारा बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैं त्रिपाठी जी को सुन रहा हूं।

*डॉ0 पी0के0 राय–

मान्यवर, वहाँ पर समझौते कराके समाधान करा दिया गया। वहाँ पर बीजेपी के लोग जा करके, हिन्दू वाहिनी के लोग जा करके वहाँ पर ताण्डव करने का काम किये हैं और उसको यहाँ पर ले आ करके उस विषय को दूसरी तरह से उसको तोड़ मरोड़कर रखने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

राय साहब इनकी सूचना अग्राह्य हो गयी है।

डा० पी0के0 राय–

मान्यवर, इस प्रकारण में मैं पीठ से निर्देश चाहता हूं। इसमें आपकी तरह से निर्देश होना चाहिए कि इसकी जांच करा करके जो भी दोषी हो उसको दंडित किया जाय।

श्री अमरमणि त्रिपाठी–

अध्यक्ष, जी मैं लोक महत्व के विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा था। मान्यवर, हमारे यहाँ से नमक से लेकर खाद्यान्न तक सभी वस्तु नेपाल को जाती है तब उनका पेट भरता है। उनके यहाँ से केवल हमारे यहाँ बोल्डर आता है। बोल्डर आने से हमारे क्षेत्र के 10 हजार लोगों, नौजवानों का पेट चलता है। 10 हजार लोग उसमें अपनी आजीविका अर्जित करते हैं कोई पत्थर छनाई करता है, कोई पत्थर तोड़ाई करता है, कोई लोड करता है, कोई क्लीनर है, कोई ड्राइवर है, कोई बेचने वाला है, कोई खरीदने वाला है इस प्रकार से 10 हजार लोग हमारे क्षेत्र के नेपाल से आने वाली गिट्टी से अपनी आजीविका अर्जित करते है। वहाँ पर इसके पहले मान्यवर, यह ब्रिटिश काल से निकाला जा रहा है और आज तक वह परम्परा चालू है। अब वर्तमान सरकार में एक व्यवस्था लागू कर दी गयी कि अगर फार्म सी लेना है तो आपका पंजीयन जरूरी है। पंजीयन किसी को पूरे क्षेत्र में नहीं दिया जा रहा है। एक विशेष व्यक्ति कोई माननीय मनोज सिंह है उनको दिया गया वह अपना पूरा स्टाल खोलकर प्रति गाड़ी 500 रूपये, प्रति ट्रैक्टर ट्राली डेढ़ सौ रूपये, प्रति छोटी गाड़ी 300 रुपये लेकर खुल्लमखुल्ला धन उगाही का काम कर रहे हैं। और क्षेत्र के लोगों ने संगठित होकर उसका विरोध किया, व्यापारियों ने संगठित होकर विरोध किया तो उस महोदय ने कह दिया कि यह सारा पैसा ऊपर जाता है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिससे 10 हजार लोगों की रोजीरोटी जुड़ी हो, जिस क्षेत्र के नौजवानों का उससे अपना भविष्य जुड़ा हुआ हो, इतने लोक महत्व के विषय पर हम आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहते हैं कि वहाँ पर इस तरह की उगाही रोकी जाय और फार्म सी के लिए जो पचासों साल से व्यापारी यह काम करते रहे हैं उनको पंजीयन दिया जाय और मान्यवर, दूसरा विषय यह है कि इस बीच 20 दिन पहले नेपाल सरकार ने अपना बोल्डर रोक दिया कि हम भारत सरकार को अपना बोल्डर नहीं देंगे या भारत में अपना बोल्डर नहीं बेचेंगे।

हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार से आग्रह करके नेपाल से आने वाला बोल्डर, जो भारत नेपाल की पूरी सीमा पर, नेपाल से आता है और हमारे यहाँ की सड़कों के निर्माण, भवनों का निर्माण और हर प्रकार के निर्माण में उसका उपयोग होता है, अगर वह बंद हो जायेगा तो हमारे यहाँ निर्माण कार्य प्रभावित होगा और उसकी लागत प्रभावित होगी। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि भारत सरकार से रिकवेस्ट करके नेपाल सरकार से बोल्डर आने दे और जो हमारे यहाँ खनन् विभाग का फार्म–सी है वह सभी व्यापारियों को दिया जाय जिससे सभी लोग अपनी रोजी रोटी अर्जित कर सकें। मैं इस लोक महत्व के विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीय अमरमणि त्रिपाठी जी को सुना, जो इस विषय को लाये हैं। मैं इसे नियम–56 में अग्राह्य करते हुये, शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

एक सूचना लखीमपुर–खीरी और बहराइच में बाढ़ से बचने हेतु राप्ती नहर परियोजना में की गयी वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराये जाने के संबंध में है। इसमें श्री जर्नादन प्रसाद ओझा जी, डा0 आर0ए0 उस्मानी साहब, श्री बैजनाथ दुबे जी, श्री कौशल किशोर जी, श्री कृष्ण गोपाल पटेल जी, श्री सुल्तान बेग साहब ने दिया हैं इसे विशेष उल्लेख में लिया हैं। अभी सिंचाई विभाग का बजट प्रस्तुत होने जा रहा है उसकी चर्चा भी है, तब कोई एक सदस्य उस्मानी साहब इस पर बोल लीजियेगा।

(डा0 आर0ए0 उस्मानी के खड़े होने पर)

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, उसी समय कह लेगें, अब अलग से क्या आवश्यकता है ?

श्री अध्यक्ष–

मैं भी तो यही कह रहा हूं। उस्मानी साहब अभी सिंचाई विभाग का बजट आ रहा है उसी पर कह दीजियेगा। दूसरा यह चाहते हैं डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल हैं, हाशिमी साहब हैं, यह आंगनबाड़ी केन्द्रों और पुष्टाहार के बारे में जो घपला हुआ है, इस पर आप दोनों लोगों को चर्चा करना हैं तो माननीय राधा मोहन दास अग्रवाल साहब ने भी निवेदन किया है कि इस पर दो–तीन मिनट नहीं बल्कि 15 तारीख के लिये कहा है कि ले लिया जाय तो आप लोग इसे सामूहिक रूप से 15 को दे दीजियेगा। इसे उस दिन सुनने के लिए ले लिया जायेगा। हाशमी साहब का और राधा मोहन दास अग्रवाल जी का। वह कहकर गये हैं।

*डा0 आर0ए0 उस्मानी–

माननीय अध्यक्ष जी, 1980 के दशक में लखीमपुर एवं बहराइच को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिये सरयू नहर परियोजना के साथ राप्ती नहर परियोजना चलायी गयी थी जिसमें लगभग आधी नहर जनपद बहराइच के नानपारा से आज भी खुदी हुयी पड़ी हैं इन खोदाइयों के लिये विदेश से आयातित महंगी मशीनें विभागीय भ्रष्टाचार के कारण स्क्रैप में बेच दी गयीं। वहाँ पर नहर की खुदाई के लिये जो धन व्यय दिखाया गया, वह वास्तव में खर्च

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं किया गया और सुनियोजित भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सरकारें आती रहीं और परियोजना वहीं की वहीं पड़ी रह गयी, जिसका परिणाम यह है कि प्रतिवर्ष नेपाल राष्ट्र से आने वाला पानी कतर्नियाघाट से निकलकर घाघरा, सरयू एवं शारदा नदी का पानी बहराइच व लखीमपुर, सीतापुर के गांवों को चार माह तक डुबोये रहता है तथा उसका दबाव गोण्डा, गोरखपुर, बस्ती से बलिया तक बना रहता हैं और कृषि क्षेत्र में करोड़ों का नुकसान होता है तथा दैवी आपदा राहत में कई करोड़ की भरपाई राज्य को करनी पड़ती है। माननीय अध्यक्ष जी, यदि राप्ती परियोजना चल रही होती तो बाढ़ का चालीस प्रतिशत पानी उस नहर से निकलकर इस्केप के रूप में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में चला जाता जहाँ अनवरत सूखा रहता है किन्तु विभागीय भ्रष्टाचार के कारण यह परियोजना अधूरी रही और आज भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है जिससे प्रतिवर्ष जनपद बहराइच, लखीमपुर–खीरी, गोण्डा, बस्ती, गोरखपुर, बलिया, शाहजहांपुर, एवं सीतापुर जनपद में अपूर्णनीय जनधन की हानि होती है।

माननीय अध्यक्ष जी, सदन के संज्ञान में यह प्रकरण लाते हुये सदन की कार्यसूची को निलम्बित कर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूँ तथा उस परियोजना के लागू करने में हुई वित्तीय अनियमितता तथा उसकी सम्पत्ति, मशीनें आदि की चोरी कर बेचने की जांच सी0बी0आई0 से कराने की संस्तुति करने की मांग करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही गंभीर विषय है। विगत 5 वर्षों से जनपद लखीमपुर–खीरी, बहराइच व आपका पूर्वांचल नेपाल द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत कई नदियों को मिलाकर पानी, हिन्दुस्तान की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

चलिये, बहुत हो गया। आपकी सूचना गंभीर थी इसीलिये मैनें आपको दो मिनट का समय दिया। मैनें इस सूचना पर उस्मानी साहब को सुना। यह सूचना नियम–56 में नहीं आती। मैं इसे अग्राह्य घोषित करता हूं।

माननीय हाशमी साहब, आप दो मिनट में कह दें। वैसे अभी सिंचाई विभाग पर चर्चा होनी है।

श्री कुवेर सिंह–

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है।

श्री अध्यक्ष–

हाशमी साहब एक मिनट रूक जायें। कुवेर सिंह जी का व्यवस्था का सवाल आ गया। बताइयें, क्या व्यवस्था है।

श्री कुवेर सिंह–

माननीय अध्यक्ष, जी आप जब आफिस में बैठते हैं तब भी वही अधिकार हैं आपको और जब यहाँ बैठते हैं तब भी आपको वही अधिकार हैं। जब आप आफिस में बैठते हैं तो आप कृपा करते हैं जूनियर नये सदस्यों पर कृपा करें कि पुराने सदस्यों का नोटिस नहीं लूँगा। पहले नये सदस्यों का लूँगा मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं इसी तरह से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि एक हफ्ते में 5 वर्किंग–डे होते हैं। पांच दिन में आप तीन दिन वरिष्ठों को दे दें और दो दिन हम लोगों को दे दें तो हम लोग दो–दो मिनट में बहुत महत्वपूर्ण बातें कह लेंगे। यदि वरिष्ठ मा0 सदस्य इस सुझाव को मना करते हैं तो एक तथ्य सामने आ जायेगा कि वरिष्ठ सदस्य हम लोगों को सुनना नहीं चाहते हैं, देखना नहीं चाहते हैं। आप जो बात ऑफिस में कहें वही बात सदन में भी कहें।

श्री अध्यक्ष–

चलिये ठीक है, दो मिनट में अपनी बात कह लें। मैंने दो बजे का समय बजट के लिए नियत किया था 5 मिनट ज्यादा हो गया है।

श्री कुवेर सिंह–

मान्यवर, आपकी महान कृपा हुई। मान्यवर, यह किसानों की बहुत बड़ी समस्या है और यह किसानों को व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण दिये जाने से सम्बन्धित है। इससे तीन नुकसान होते हैं मैं टू–द–प्वाइन्ट दो मिनट में अपनी बात कहूंगा। पहला प्वाइन्ट यह है कि आप किसानों को व्यापक रूप से प्रतिबन्धित करके प्रशिक्षण दे देंगे तो वह मिट्टी की जांच करा करके यह जान लेंगे कि हमारे खेत में कितनी डी0ए0पी0 की आवश्यकता है, इससे विदेश से आने वाली डी0ए0पी0 जो भारी मात्रा में मांगनी पड़ती है उसकी बचत होगी। दूसरी बात सब्सिडी की है, तो यह जो सब्सिडी के रूप में पैसा जा रहा है वह भी हमारे देश का है जब डी0ए0पी0 की हम लोग कम मांग करेंगे तो सब्सिडी वाला पैसा बचेगा। इस प्रकार से सब्सिडी भी बचेगी और जमीन की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ेगी। जब सही मात्रा में उचित मात्रा में जमीन में हम उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो उससे जमीन की उपजाऊ शक्ति क्षीण नहीं होगी और लम्बे समय तक देश को अनाज देती रहेगी।

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी सूचना 15 तारीख को दे दीजिएगा, सुन लिया जायेगा। हाशमी साहब आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री आरिफ अनवर हाशमी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मान्यवर, जनपद गोण्डा में विकास खण्ड है बभनजोत। वहां पर 108 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। वहाँ के सी0डी0पी0ओ0 एवं मुख्य सेविका द्वारा पाइलट प्रोजेक्ट के तहत जो सरकार का धन आया उसे गबन कर दिया गया। इसके लिए मैंने 27–12–2009 को जिला कार्यक्रम अधिकारी को जनता के पत्रों के साथ अपना एक पत्र लगाकर भेजा लेकिन चाहे उनकी भी उसमें संलिप्तता हो या कुछ और बात हो उन्होंने न तो हमारे पत्र पर कोई ध्यान दिया और न ही मुझे अवगत कराया। अब जितने भी आंगनबाड़ी केन्द्र हैं वह बन्द चल रहे हैं और ऐसी योजनाएं प्रदेश सरकार ने भी लागू की हैं जो आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से संचालित होनी हैं। मान्यवर, जो वहाँ पर पोस्टेड है वह कहता है कि 14 सौ–15 सौ रूपया प्रतिमाह पहले हमको रिश्वत दो तब हम उसे संचालित कराने की आज्ञा देंगे। मान्यवर, यह हमारे क्षेत्र से जुड़ा मामला था इसलिए मैं मजबूर होकर इसे नियम–56 के तहत लाया हूँ। यह लोक महत्व का भी है, अविलम्बनीय भी है और सरकारी धन के दुरूपयोग का भी है, गबन भी है, इसलिए मैं सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं। जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनकी जांच कराकर उन्हें दण्डित करने की मैं मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मैंने श्री आरिफ अनवर हाशमी साहब को सुना, यह सूचना नियम–56 के अन्तर्गत नहीं आती इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूं लेकिन तब भी अगर यह अनियमितताएं हैं तो मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ तथा शेष सभी मा0 सदस्यों की सूचनाओं को अस्वीकृत करता हूँ।

वित्तीय वर्ष 2010–2011 के आय–व्यय में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या–94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य), अनुदान संख्या–95–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या–23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना), अनुदान संख्या–24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग), अनुदान संख्या–59–लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)–

मान्यवर, तीनों विभाग एक साथ रख देता हूं, अगर अनुमति हो।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। रख दीजिए।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 54,02,99,72,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–95–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 19,72,40,02,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,67,81,22,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 47,58,05,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–59–लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,67,85,79,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, आपने मुझे गन्ना विभाग, सिंचाई विभाग और राज्य संपत्ति निदेशालय से संबंधित बजट प्रस्तुत करने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर किसी ने ठीक ही कहा है मैं पहले सिंचाई विभाग का बजट प्रस्तुत करता हूं। मान्यवर, किसी ने सच ही कहा है कि जल ही जीवन है और मान्यवर, आप भली–भांति परिचित हैं, विद्वान हैं। महाकवि रहीम दास जी ने भी कहा था कि —

"रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून,
पानी गये न ऊबरे, मोती मानुस चून"

मान्यवर, जीवन में पानी का बहुत महत्व है और जहाँ तक उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग का सवाल है तो मान्यवर पानी जहाँ एक ओर सिंचाई के लिए सिंचाई विभाग पानी उपलब्ध कराता है, वहीं मान्यवर, मनुष्यों, पशुओं और जीवधारियों को, मनुष्यों को दूसरे प्रयोग के लिए अन्य जीवधारियों को पशुओं को भी पानी नहर विभाग से या सिंचाई विभाग से मुहैया कराया जाता है और मान्यवर, जब भीषण गर्मी के समय तालाब और पोखरे सूखने लगते हैं या सूख जाते है।

..... तो मान्यवर, इस समय भी नहर विभाग या सिंचाई विभाग द्वारा उन तालाबों और पोखरों को भरवाकर पानी मुहैया कराया जाता है। प्रदेश में नहरों एवं राजकीय नलकूपों से 65 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। सिंचाई साधनों में उत्तरोत्तर वृद्धि करने के निरन्तर प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, सिंचाई विभाग द्वारा किये जा रहे हैं। सरकार कृषकों से सीधा संवाद तहसील दिवस पर करने का पूरा प्रयास करती है, तहसील दिवस पर किसानों से बात करके उनकी समस्यायें सुन करके, उनके साथ संवाद करके उनकी समस्याओं को दूर करने का काम सरकार के द्वारा किया जाता है। नहरों, नलकूपों के संचालन, अनुरक्षण, टेल फीडिंग के संबंध में जो भी किसानों की शिकायतें तहसील दिवस के मौके पर मिलती हैं, उन समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जाता है। मान्यवर, इधर कई बार प्रश्नों के माध्यम से भी, काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से भी, एक बात बार-बार आयी है कि सिल्ट की सफाई। सिल्ट की सफाई के बारे में मैं बता दूँ कि उत्तर प्रदेश में 73,637 किमी0 नहरें हैं और इस वर्ष जो सिल्ट सफाई की गयी, वह 26,843 किमी0 नहरों को सिल्ट सफाई की गयी। सिल्ट सफाई का जो लक्ष्य था वह 26,843 किमी0 का था और वह पूरा का पूरा लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। यह जो चालू वित्तीय 2009-2010 की अभी बात कर रहा हूँ। सिल्ट सफाई में 74.12 करोड़ रुपये की लागत से सिल्ट सफाई का काम कराया गया। सिल्ट सफाई हेतु 54.32 करोड़ रूपयें नरेगा से काम कराया गया। सिल्ट सफाई की उच्चस्तरीय कमेटियाँ बना करके जांच करायी गयी जैसे जिलाधिकारी, प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी ने एक टीम बना दी है और सिल्ट सफाई जिस नहर की, माइनर की, जिस ब्रांच की सिल्ट सफाई करानी होती है तो उसको करने से पहले जिलाधिकारी द्वारा बनायी गयी उस कमेटी के द्वारा निरीक्षण किया जाता है, वीडियोग्राफी करायी जाती है और उसके बाद फिर सिल्ट सफाई करायी जाती है। उसके उपरांत भी जहाँ सिल्ट सफाई, जिस माइनर, जिस रजबहा की सिल्ट सफाई होती है, उसकी पुनः वीडियोग्राफी करायी जाती है। टेल फीडिंग एवं सींच के बारे में आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि इस वर्ष खरीफ में 1417 फसली में 9640 कुल टेलों की संख्या है, उसमें हमने लक्ष्य 9300 टेल फीड करने का निर्धारित किया था। कुल संख्या है 9640 और लक्ष्य निर्धारित किया गया 9300, और उनमें से टेल फीडिंग जो हुई है, वह 8426 टेलों की टेल फीडिंग करायी गयी है।

मान्यवर, इस वर्ष 2009-2010 में, रबी 1417 फसली में कुल 10404 टेल हैं और उनमें से 8781 टेलों को फीड करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था 31.12.2009 तक। जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसके विरुद्ध 31.12.2009 तक 6402 नहरों में टेल हैं वहाँ पानी पहुँचाया गया। वर्तमान में खरीब की 1417 फसली में 25.36 लाख हैक्टेयर का लक्ष्य सिंचाई का रखा गया था जिसके सापेक्ष 17.43 लाख हेक्टेयर सिंचाई हुई और रवी का मैं बताता चलूँ चालू वित्तीय वर्ष में रवी के लिए 25 लाख हेक्टेयर सिंचाई का लक्ष्य निर्धारत किया गया था जिसमें 31 जनवरी 2010 तक 16.66 लाख हेक्टेएयर सिंचाई हुई हैं।

सिंचाई के अन्तर्गत मान्यवर 2010–11 में जो मुख्य कार्य प्रस्तावित हैं उनका मैं सदन के सामने उल्लेख करना चाहता हूं। वर्ष 2010–11 में 1.778 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई परियोजनाओं का सृजन तथा पुरानी नहरों की प्रणाली के पुर्नस्थापना द्वारा 2.50 लाख हेक्टेयर सिचन क्षमता की पुर्नस्थापना का लक्ष्य है। जहाँ तक मुख्य एवं मध्य सिंचाई का सवाल है मुख्य एवं मध्य सिंचाई की परियोजनाओं में सरयू नहर परियोजना, मध्य गंगा नहर द्वितीय चरण बाण सागर, लहचूरा बाँध का आधुनिकीकरण कचनौधा बांध, रोअर रोहणी बांध, भौरठ बांध, चमरार बांध, उठारी बांध एवं हथिनी कुण्ड लिंक चैनल द्वितीय चरण। अर्जुन सहायक बदायूँ सिंचाई परियोजना, कनहल सिंचाई योजना, विराट सागर बांध आदि योजनाओं का कार्य प्रस्तावित किया गया है। मैं यह भी बता दूं कि इसी प्रकार से नहरों की क्षमता पुर्नस्थापना के अन्तर्गत शारदा सहायक की क्षमता पुर्नस्थापना यमुना पम्प नहर की क्षमता पुर्नस्थापना, दोहरी घाट पम्प नहर की क्षमता पुर्नस्थापना सोन पम्प नहर का पुनरूद्धार, चिल्ली मल पम्प नहर की पुर्नस्थापना, राजघाट नहर द्वितीय चरण मान्यवर, चरखारी पम्प नहर का आधुनिकीकरण आदि योजनाओं का कार्य प्रस्तावित किया गया है। वर्ष 2010–11 में मान्यवर नहरों के रिसाव के नियंत्रण के लिए एवं जल सिस्टम उपयोग हेतु नहर में लाइनिंग की परियोजनाओं में गण्डक नहर प्रणाली, नारायणी शाखा पुखरा मुख्य नहर जीरो किलोमीटर से 4.50 कि0मी0 तक लाइनिंग की परियोजना ली गई हैं। यह प्रस्तावित हैं। मैं राजकीय नलकूप के बारे में कुछ अवगत कराना चाहता हूँ। वर्ष 2009–10 में 27, 932 राजकीय नलकूप चालू अवस्था में हैं जिनकी संख्या वर्ष 2010–11 में बढ़ाना सम्भावित है। वर्ष 2009–10 में 790 नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण एवं 174 राजकीय नलकूपों का पुनः निर्माण किया जा रहा है। जिसके सापेक्ष मई 2010 तक 752 नवीन नलकूपों का निर्माण 176 नलकूपों का पुनः निर्माण हो चुका है। यह मान्यवर, प्रगति है। वर्ष 2010–11 में 682 नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण एवं 303 राजकीय नलकूपों का पुनः निर्माण प्रस्तावित है। यह मान्यवर, 2010–11 में प्रस्तावित है। मान्यवर, लघु डाल नहर के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। राजकीय लघु सिंचाई के अन्तर्गत 244 लघु डाल नहरें सिंचाईरत हैं लघु डाल नहर के जीर्ण शीर्ण उपकरणों को बदलने के लिए और उसमें आवश्यक सिविल कार्य कराने के लिए मान्यवर वित्तीय वर्ष 2010–11 में कार्यरत लघु लिफ्ट डाल नहरों का आधुनिकरण योजना हेतु रूपया 5.06 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित है। मान्यवर, लघु डाल नहरों की त्वरित समस्याओं के समाधान के लिये टॉल फ्री काल सेन्टर की पहली बार व्यवस्था की गई है। यह जो टॉल फ्री काल सेन्टर की व्यवस्था की गई इसका उपयोग जो होगा यह पहली बार हमारी सरकार ने किया है कि अगर किसी भी किसान को समस्या हैं तो वह पहुँचकर बिना कोई पैसा दिये, बगैर किसी भुगतान के वह अपनी समस्याएं नोट करा सकता है, बता सकता है जिसमें त्वरित कार्यवाही की जायेगी। यह व्यवस्था पूरी तरीके से फ्री है और इसमें किसी तरीके से कोई खर्च नहीं लिया जायेगा। मान्यवर इसकी स्थापना हेतु 27.60 लाख की धनराशि प्रस्तावित की गई है। मान्यवर बुन्देलखण्ड की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि बुन्देलखण्ड का अधिकाश भाग पठारी है। इससे सिंचाई के साधन वहाँ सीमित है। इस क्षेत्र में सिंचाई विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं में लहचुरा बॉध उसका आधुनिकीकरण, कचनौधा बाँध, लोअर रोहिणी बांध, भौरह बाँध, जमरार बाँध, उटारी बाँध, पहुँज बाँध, मझगवां बाँध, रातौली बियर, सिराज बाँध,

कुरार बाँध रसिन बाँध, चौधरी चरण सिंह लेहचूरा बाँध बुन्देलखंड स्थित जलाशयों की पुर्नस्थापना परियोजना संचालित है मान्यवर। नई परियोजनाओं के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। अर्जुन सहायक परियोजना जनपद ललितपुर में, सजनम नदी के चेक डेम पर 30 चेक डेमों के निर्माण की परियोजना प्रस्तावित की गई है। मान्यवर, बाढ़ के संबंध में भी मैं कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ। मान्यवर, बाढ़ के सम्बन्ध में हमारे माननीय सदस्य अभी बात कर रहे थे।

मान्यवर, हमारे प्रदेश का बहुत सा भाग नेपाल राष्ट्र से लगा हुआ है। मान्यवर, हमारे प्रदेश की कुछ मुख्य नदियाँ हैं जैसे शारदा है, घाघरा है, राप्ती है, गंडक है, बूढ़ी राप्ती है, यह नेपाल राष्ट्र के हिमालयन रेंज से बहते हुए उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं और बरसात के दिनों में पूर्वी जनपदों में बाढ़ की विभीषिका उत्पन्न करती हैं खास तौर से जब बरसात ज्यादा होती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जहाँ यह नदियाँ प्रवेश करती हैं वहाँ प्लेन एरिया होने के कारण वहाँ किसी भी तरीके स्टोरेज डैम का निर्माण किया जाना संभव नहीं है। जैसा कि माननीय पाण्डेय जी उस क्षेत्र से आते हैं और अच्छी तरीके से परिचित हैं। मान्यवर, बाढ़ की समस्या से निदान के लिये शारदा नदी में पंचेश्वर डैम, घाघरा नदी पर करनाल डैम तथा राप्ती नदी पर महमूर भालूभंग डैम प्रस्तावित है। यह सभी नेपाल राष्ट्र के क्षेत्र में आता है जहाँ मान्यवर, प्रस्तावित हैं इन बाँधों के बन जाने से पूर्वी उत्तर प्रदेश की बाढ़ की समस्या काफी कम होगी, इसमें कमी आयेगी। मान्यवर, इस सम्बन्ध में नेपाल राष्ट्र और भारत सरकार के मध्य लगातार वार्ता चल रही है। दोनों राष्ट्रों के मध्य मान्यवर, कई बार बात हो चुकी है और एक ज्वाइंट कमेटी गठित की गई है। यह ज्वाइंट कमेटी जो गठित की गई है यह ज्वांइट कमेटी आन वाटर रिर्सोसेज, जे०सी०डब्लू०यू०आर० की पाँचवीं बैठक नेपाल राष्ट्र के पोखरा में अभी हाल ही में दिनांक 20.11.2009 से दिनांक 22.11.2009 के मध्य हुई जिसमें इसके बारे में विचार–विमर्श हुआ। इसके बाद पंचेश्वर डैम एथारिटी के टर्म्स टाफ रेफरेंस के सम्बन्ध में दोनों राष्ट्रों के मध्य, माह जनवरी 2010 में बैठक प्रस्तावित थी मान्यवर, भारत सरकार और नेपाल राष्ट्र के मध्य जो नहीं हो सकी। आशा है कि निकट भविष्य में मान्यवर यह भी बैठक हो जायेगी। इसी प्रकार नेपाल राष्ट्र में प्रस्तावित अन्य बाँधों के सम्बन्ध में दोनों देशों के बीच वार्ता चल रही है। इसके साथ-साथ भारत नेपाल राष्ट्र के बीच उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा के विभिन्न स्थलों पर जल प्लावन की समस्या के समाधान हेतु अधिकारी स्तर पर लगातार बैठक की जा रही है तथा आपसी सहमति बना करके समस्या का निदान ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। मान्यवर, मैं प्रदेश को बाढ़ नदियों में बाढ़ और जल प्लावन के बारे में, आगे बताना चाहता हूँ कि लगभग 73.06 लाख हेक्टेयर क्षेत्र इससे प्रभावित होता है। जिसमें लगभग 58.42 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान की जा चुकी है और मान्यवर, अब तक 2210.8 किलोमीटर तटबंध व अन्य बाढ़ सुरक्षा के कार्य सम्पन्न कराकर, कुल मान्यवर, 19.47 हैक्टेयर भूमि को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान की जा चुकी है।

मान्यवर, वार्षिक योजना 2010–2011 हेतु 65 किलोमीटर तटबन्ध का निर्माण, 450 किलोमीटर ड्रेन का निर्माण, तथा 0.70 लाख हैक्टेयर भू–भाग को बाढ़ एवं जल प्लावन से सुरक्षा प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। मान्यवर, जल भराव से मुक्ति के संबंध में थोड़ा मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। मान्यवर, प्रदेश में ड्रेन की कुल लम्बाई 40,225 किलोमीटर है। जिसमें से ट्रंक ड्रेन की लम्बाई 10,608 किलोमीटर है उसके अलावा मैं यह भी जानकारी देना

चाहता हूँ कि वर्ष 2009–2010 में जल निकास के अन्तर्गत अनुरक्षण हेतु प्रस्तावित बजट रुपया 6.5340करोड़ के सापेक्ष 1528 किलोमीटर लम्बाई में सफाई का कार्य कराया जा चुका है। मान्यवर, छोटी प्रथम एवं द्वितीय परियोजना के अन्तर्गत मान्यवर, पुनरोद्धारित किए जाने थे, वह किए गए। जल निकास अनुरक्षण के कार्य के लिए वर्ष 2009–2010 में प्राविधानित रूपया 6.33 करोड़ से 1839.40 किलोमीटर नालों का अनुरक्षण का कार्य कराया जा चुका है। मान्यवर, वितीय वर्ष 2010–2011 हेतु इस मद में रुपये 9.8358 करोड़ का प्राविधान प्रस्ताव प्राविधानित किया गया है। मान्यवर, मैं विश्व बैंक की सहायतित परियोजना के बारे में मान्यवर, उत्तर प्रदेश वाटर सेक्टर स्ट्रैक्चरल परियोजना, मान्यवर, नदी बेसिन के आधार पर एकीकृत जल प्रबन्धन व्यवस्था तथा जल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुधार कार्यक्रम के लक्ष्य के साथ उत्तर प्रदेश में जल सम्पदा के एकीकृत तथा संतुलित उपयोग के जरिए, क्षेत्र के टिकाऊ विकास की दर से मान्यवर, विश्व बैंक के सहयोग से उत्तर प्रदेश वाटर स्ट्रैक्चरल परियोजना का प्रारम्भ किया गया। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जनपदों में 2002 से यह परियोजना प्रारम्भ हुई। हमारी सरकार बनी 13 मई, 2007 को, 2002 से लेकर 2007 तक विश्व बैंक ने पैसा दिया लगभग 9 सौ कुछ करोड़ रुपया दिया जहां तक मुझे याद है, मान्यवर, यह परियोजना 6 साल की थी मान्यवर, 2002 से लेकर पूर्व की सरकारों ने लगभग नौ सौ करोड़ में से, मात्र 167.5 करोड़ रुपया ही व्यय किया। बाकी पैसा डम्प रहा मान्यवर, 2002 के बाद, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, पाँच साल में नतीजे क्या हुए विश्व बैंक की कन्ट्री डायरेक्टर माननीय मुख्य मंत्री जी से मिली.....मेरी भी उनसे मुलाकात हुई। मान्यवर, कन्ट्री डाइरेक्टर और विश्व बैंक के मेम्बर हैं, मि० जुलेटा, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई, उन्होने कहा कि आपके यहाँ जो गति चल रही है, भारतवर्ष में इतनी धीमी गति किसी प्रदेश में नहीं है। मान्यवर, कहा कि कोई इनट्रेस्ट ही नहीं लिया जा रहा है। इसलिये हम इस परियोजना को ड्राप करना चाहते है। हमारी बात हुई, बात करने के बाद वह हमारी बात से संतुष्ट हुए और संतुष्ट होने के बाद मान्यवर, मैं आपको बता दूँ कि मई, 2007 से ले करके दिसम्बर, 2009 तक मान्यवर, उधर साढ़े पाँच साल में 167.5 करोड़ रुपया खर्च होता है, इधर मान्यवर, ढाई साल में लगभग, बात करने के बाद, हमारी सरकार बनने के बाद, यह विश्व बैंक की जो परियोजना है, इसमे 358.81 करोड़ रुपया व्यय हुआ। अब कहने को तो हमारे विपक्षी सदस्य कुछ भी कहेंगे, मान्यवर, इतनी उदासीनता पूर्व की सरकारों ने दिखाई। लेकिन मान्यवर, यह भी मैं बताना चाहता हूँ कि इस समय इस परियोजना में जो क्षेत्र लिए गए हैं, उसमें रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, बाराबंकी जनपदों में लगभग 2556 कि०मी० नहरों तथा 2369 कि०मी0 नालों के पुनरोद्धार का लक्ष्य रखा गया था। नहरों एवं नालों में मिट्टी का काम लगभग पूर्ण किया जा चुका है, शेष कार्यों को समयबद्ध रूप से करने के लिए हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं। परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश में स्टेट वाटर रिस्ट्रक्चरिंग रिसोर्सेज एजेंसी द्वारा डेटा एनालिसिस सेण्टर फार जौनपुर ब्रांच सब–बेसिन डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट बोर्ड की बैठक आयोजित कर किसानों की समस्या क्षेत्र स्तर पर ही हल किए जाने हेतु सरकार ने एक पहल की है। उत्तर प्रदेश मैनेजमेंट रेगुलेटरी कमीशन ऐक्ट लागू कर दिया गया है। मान्यवर, अध्यक्ष की नियुक्ति भी हो चुकी है एवं सहभागी सिंचाई प्रबन्ध अधिनियम, 2009, दिनांक 20 फरवरी, 2009 से लागू कर दिया गया है। विभाग में सूचना प्रबन्धन प्रणाली को विकसित कर दिया गया है। मान्यवर, इसके सम्बन्ध में बताना चाहूँगा कि प्रथम चरण की वर्तमान लागत 668 करोड़ है, जिसमें

वित्तीय वर्ष 2010–2011 में 159,4452 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, द्वितीय चरण के बारे में मैं बताना चाहूँगा, द्वितीय चरण के अन्तर्गत कुल 16.15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लिया जाना प्रस्तावित है, जिसकी अनुमानित लागत 3526 करोड़ है, जिसमें 1008.90 करोड़ फार्म डेवलपमेंट के लिए प्रस्तावित है। सिंचाई व्यवस्था में कृषकों की सहभागिता के बारे में भी मैं कुछ उल्लेख करना चाहता हूँ। सिंचाई हेतु जल प्रबन्धन में सुधार लाने की दृष्टि से कृषकों की सहभागिता की व्यवस्था को लागू करने का प्रयास चल रहा है, जिसके अन्तर्गत जल वितरण नहरों का परिचालन, रखरखाव एवं जल स्तम्भ प्रयोग हेतु जल उपभोक्ता समितियों का गठन किया गया है इससे कृषकों को सिंचाई में सुविधा होगी, सरकार के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा एवं कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आयेगी। विश्व बैंक पोषित उत्तर प्रदेश वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना क्षेत्र की माइनरों के लिए 421 अल्पिकाओं पर जल उपभोक्ता समितियों का गठन एवं पंजीकरण, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत क्रियाशील बनाया गया है।

मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2010–2011 में शारदा सहायक नहर प्रणाली के अन्तर्गत जौनपुर शाखा में जल उपभोक्ता समिति के गठन हेतु रुपये 1 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। मान्यवर, सिंचाई विभाग की जो महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं उसमें मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। मान्यवर, कृषकों को शोषण से मुक्ति हेतु सींच नहीं तो कर नहीं की नीति लागू की गयी है। मान्यवर, किसानों के हित में शामिल बरहा कानून समाप्त कर दिया गया है। अब किसानों को अपना पानी सिंचाई विभाग के गूल से ले जाने पर सींच कर नहीं देना होगा। यह व्यवस्था हमारी सरकार द्वारा की गयी है। मान्यवर, नहरों के निर्माण के लिए किसानों की ली गयी भूमि का मुआवजा देने के पश्चात ही निर्माण आरम्भ कराया जाएगा। ऐसी व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। विभाग में 25 लाख तक के कार्यों का ठेका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ठेकेदारों के लिए 25 प्रतिशत का आरक्षण किये जाने संबंधी शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। यह हमारी सरकार ने किया है आज तक किसी ने करना तो दूर रहा, कभी किसी ने सोचा ही नहीं। अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए बात तो बड़ी–बड़ी करते हैं लेकिन आज तक किसी की सोच वहाँ गयी ही नहीं। मान्यवर, विभाग में ठेकेदारी में माफियाओं, अवांछनीय तत्वों पर अंकुश लगाने हेतु शासन एवं विभागीय स्तर पर प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। राजकीय एवं जनहित के कार्यों में निजी क्षेत्रों द्वारा पूंजी निवेश को प्रोत्साहन करने हेतु पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2010–2011 के आय–व्ययक अनुमानों का सारांश में आपके माध्यम से सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मान्यवर, आयोजनागत पश्चिमी सिंचाई विभाग का कुल बजट रुपया 4274.1984 करोड़ यह मद देय, व रुपया 18.40 करोड़ भारित है। मान्यवर, मुख्य एवं मध्य सिंचाई की कुल धनराशि रुपया 3354.2818 करोड़ प्रस्तावित की गयी है। मान्यवर, इसमें त्वरित सिंचाई, लाभ कार्यक्रम ए0आई0बी0पी0 हेतु रुपया 2214.9092 करोड़ तथा वाह्य सहायतित परियोजना उत्तर प्रदेश रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना हेतु 159,4452 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गयी है। आयोजनागत पक्ष में अधिष्ठान हेतु रुपया 289.092 करोड़ प्रस्तावित है। मान्यवर, राजकीय लघु सिंचाई के अन्तर्गत रुपया 295.9224 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गयी है। मान्यवर, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास में रुपया 623.9942 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गयी है जिसमें केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं हेतु

रुपया 368 करोड़ शामिल है। मान्यवर, आयोजनेत्तर पक्ष के बारे में भी मैं जानकारी देना चाहता हूँ, आयोजनेत्तर पक्ष में सिंचाई विभाग का कुल बजट रुपया 3101.1990 करोड़ मतदेय व रुपया 0.50 करोड़ भारित है। मुख्य एवं मध्य सिंचाई की परियोजनाओं के अनुरक्षण इत्यादि हेतु 785.0087 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित है। मान्यवर, जल उपभोक्ता समितियों के गठन हेतु रुपये 1 करोड़ की धनराशि का प्रस्ताव रखा गया है। राजकीय लघु सिंचाई की परियोजनाओं के अनुरक्षण इत्यादि हेतु 577.5050 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित की गयी है। मान्यवर, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी की योजनाओं के अनुरक्षण इत्यादि हेतु रुपया 45.3805 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गयी है। सोडिक ड्रेन के अनुरक्षण हेतु मान्यवर, रुपया 9,8358 करोड़ की धनराशि सम्मिलित है। आयोजनेत्तर पक्ष में अधिष्ठान हेतु रुपया 1693.3040 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित है। इस प्रकार मान्यवर, सिंचाई विभाग का कुल बजट जो अनुमानित है, मान्यवर, 7374.2974 करोड़ रुपये मतदेय व रुपया 18.90 करोड़ भारित है। मान्यवर, सिंचाई विभाग के सम्बन्ध में जो आवश्यक बातें बतानी थीं, वह मैंने आपके सामने रखीं है।

अब मैं आपकी अनुमति से गन्ना एवं चीनी विकास विभाग का, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग का बजट मैं आपके माध्यम से सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मान्यवर, गन्ना फसल और चीनी मिलें प्रदेश की अर्थ व्यवस्था के विकास की प्रमुख धुरी है और गन्ना एक कैश क्राप है। मान्यवर, हमारी सरकार ने पिछली सरकार के समय का बकाया लगभग 2882 करोड़ रुपये का मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों का कराया। मान्यवर, पूरा विस्तार से मेरे पास है, मान्यवर, अगर देखा जाये, पिछले वर्षों में अगर देखा जाये तो 09 फरवरी, 2009 में हम जाते हैं, तो जो भुगतान था, वह 98 परसेन्ट किसानों का किया गया था। 09 फरवरी 2008 को मान्यवर, 71 परसेन्ट था और इस वर्ष 09 फरवरी, 2010 को 112 परसेन्ट किसानों का भुगतान मान्यवर किया गया है। यह एक ऐतिहासिक है और मान्यवर, पेराई सत्र 2009–10 के बारे में, मैं थोड़ा सा उल्लेख करना चाहूंगा कि दिनांक 8.2.2010 तक की स्थिति के अनुसार कुल गन्ना मूल्य जो बनता है, वह 7722.76 करोड़ बनता है और जो भुगतान किया गया, वह 6766.71 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जो 14 दिन के बाद देय होता है, वह 6013.61 करोड़ रुपया 14 दिन के बाद देय होता है। सभी सदस्य जानते हैं कि गन्ना देने के 14 दिन अंदर भुगतान कर देना चाहिए। अगर 14 दिन के बाद को हम जोड़ें तो मान्यवर, 753.10 करोड़ का हमारी सरकार ने अधिक भुगतान कराया है। बकाये के सम्बन्ध में, मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि बार बार सदन में बात एक उठती है कि गन्ना किसानों का बकाया, विगत वर्षों में की जो स्थिति है, वह मान्यवर, 1292.74 करोड़ बकाया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश दिया गया है, उसके तहत मान्यवर, यह बकाया है, उसकी पैरवी की जा रही है। मान्यवर, इसके बारे में मैं और बता दूं कि वर्ष 2008–09 में कुल गन्ना मूल्य 6298.09 के सापेक्ष दिनांक 08.02.2010 तक कुल 6297.27 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है तथा मात्र 0.82 करोड़ रुपया यानी 82 लाख रुपये का भुगतान ही अवशेष है। मान्यवर, उक्त बकाया धनराशि निजी क्षेत्र की चीनी मिल है कमलापुर, मान्यवर, उसका बकाया है, आर०सी० जारी कर दी गयी है। मान्यवर, इसके अलावा थोड़ा और पीछे अगर हम आ जाएं तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पराई सत्र 2007–2008 के लिए जो गन्ना मूल्य घोषित किया गया था, वह सभी को विदित है कि अनुपयुक्त घोषित प्रजातियों के लिए प्रति कुन्तल 122.50 रूपया,

सामान्य प्रजातियों के लिए 125 रूपया प्रति कुन्तल, अगैती प्रजातियों के लिए 130 रूपया प्रति कुन्तल। मान्यवर, उत्तर प्रदेश द्वारा घोषित उपरोक्त, जो मैंने पहले कहा, जो मैं बता चुका हूँ, राज्य परामर्शित मूल्य के विरूद्ध निजी क्षेत्र की चीनी मिलों ने मान्यवर, जो पेमेण्ट किया है वह पूरा भुगतान नहीं किया है और चूँकि गन्ना मूल्य को लेकर चीनी मिली माननीय न्यायालय में चली गई । माननीय उच्चतम न्यायालय में रिट योजित की गई जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अपने अन्तरिम आदेश दिये कि 15–11–2007 को यह अन्तरिम आदेश दिये कि अब चीनी मिल मालिक गन्ना किसानों को 110 रूपये प्रति कुन्तल की दर से भुगतान करेंगे । मान्यवर, माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश दिनांक 15–11–2007 के विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–10425–27/2008 योजित की गई जिसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 15–05–2008 को यह अन्तरिम आदेश पारित किया कि पेराई सत्र 2007–2008 हेतु माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ के अन्तरिम आदेश दिनांक 15–11–2007 के अनुसार ही 110 रूपया प्रति कुन्तल की दर से किसानों को भुगतान किया जायेगा, लेकिन उसके बाद भी हम चुपचाप नहीं बैठे । हाई कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट गये सुप्रीमकोर्ट ने जो फैसला दिया मान्यवर, मैंने आपके सामने रखा है। मान्यवर, यह जो पिछला बकाया और भी वर्षों का बकाया है, जब माननीय सदस्य पूछेंगे, काफी लम्बा होता जा रहा रहा है, चाहे तो मैं अभी बता दूँ, बीच में पूछेंगे तो बीच में बता दूँगा ।

श्री अध्यक्ष–

* चलिए बीच में ही बता दीजिएगा ।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

आपने इतने आंकड़े बताये, इसलिए जानना चाहता हूँ हम लोग वह आंकड़ा नहीं मानते। क्या कभी आपने ऐसा आंकड़ा निकलवाया है कि एक कुन्तल चीनी का लागत मूल्य क्या आता है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

आप अपने पास नोट कर लीजिएगा, मेरे पास पूरे आंकड़े हैं, जब आप अपनी बात रखेंगे तब रख लीजिएगा, मैं सारी बातों का जवाब दे दूँगा ।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष जी–

अभी बीच में कहां से सवाल उठता है, अभी आप बैठिये, अभी माननीय मंत्री जी का चल रहा है। सिरोही जी, आप इतने वरिष्ठ हैं और मंत्री भी रह चुके हैं, अगर आप ही लोग इस तरह का आचरण करेंगे तो कैसे काम चलेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, मा0 उच्च न्यायालय के आदेश पर हम सुप्रीम कोर्ट गये और सुप्रीम कोर्ट ने भी वही आदेश बरकरार रखा। मान्यवर, उच्चतम न्यायालय के आदेश 8–02–2010 की स्थिति के अनुसार कुल गन्ना मूल्य जो है वह 8214.32 करोड़ के सापेक्ष, 8204.98 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है तथा वर्तमान समय में मान्यवर, रूपया 9.33 करोड़ रूपया अवशेष है। मान्यवर, सहकारी और निगम की चीनी मिलों द्वारा सम्पूर्ण अवशेष गन्ना मुल्य का भुगतान कर दिया गया है। निजी क्षेत्र की मात्र तीन चीनी मिलें जैसे मझावली है, गोपी है, कमलापुर है इन पर मान्यवर, यह भुगतान बकाया है। बकायेदार चीनी मिलों से वसूली की पूरी कार्यवाही की जा रही है। मान्यवर, 2006–2007 में भुगतान के बारे में मैं कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा। राज्य सरकार द्वारा पेराई सत्र 2006–2007 के लिए जो गन्ना मूल्य घोषित किया था, वह इस प्रकार से है मान्यवर, अनुपयुक्त घोषित प्रजातियों के लिए 122.50 रूपये प्रति कुन्तल, सामान्य प्रजातियों के लिए 125 रूपया प्रति कुन्तल और अगैती प्रजातियों के लिए 130 रूपया प्रति कुन्तल मान्यवर, यह गन्ना मूल्य घोषित किया था ।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में यह बताना चाहूँगा कि निर्धारित गन्ना मूल्य के विरूद्ध संयुक्त रूप से निजी क्षेत्र की चीनी मिलों ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या 33288/2007 बस्ती शुगर मिल लि0 बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य योजित की। इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19–12–2007 द्वारा पेराई सत्र 2006–2007 हेतु घोषित राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य को रद्द करते हुए मान्यवर, एसएमपी की दर से भुगतान किये जाने के आदेश दिये।

मान्यवर, यह केन्द्र सरकार की एसएमपी है। अभी एफआरपी घोषित कर दिया। माननीय कौकब हमीद साहब जानते होंगे कि एफआरपी क्या है। चालू पेराई सत्र के लिये एफआरपी घोषित किया। उचित एवं लाभप्रद मूल्य कितना घोषित किया 129.84रू0 प्रति कुन्तल। यह उचित और लाभप्रद मूल्य है। हमारी सरकार प्रति कुन्तल 170रु0 घोषित करती है। यह 129.84 रु0 घोषित करके उसे उचित एवं लाभप्रद मूल्य बताते है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि केन्द्र सरकार गन्ना किसानों के प्रति उदासीनता दिखा रही है। जो उच्च न्यायालय ने आदेश दिया वह एसएलपी की दर पर भुगतान के लिये दिया। इसी क्रम में उच्चतम न्यायालय में योजित एसएलपी संख्या 2248/2008 किसान मजदूर संगठन बनाम बस्ती शुगर मिल्स लि0 में माननीय उच्चतम न्यायानय में अपने अंतरिम निर्णय दिनांक 27–2–2008 द्वारा निम्न दरों पर भुगतान करने के आदेश दिये। मान्यवर, हम चुपचाप नहीं बैठे सुप्रीम कोर्ट गये। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गये। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिये भुगतान के लिये वह अनुपयुक्त घोषित प्रजाति के लिये 115 रु0 प्रति कुंतल, मान्यवर, सामान्य प्रजातियों के लिये 118 रु0 प्रति कुंतल और मान्यवर, अगैती प्रजातियों के लिये 123 रु0 प्रति कुंतल भुगतान करने के आदेश दिये। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मझावली चीनी मिल पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार भुगतान टोटल जो बनता है वह 5363.36 लाख रुपये बनता है। उन्होंने जो भुगतान किया वह किया 5130.79 लाख रुपये उनके ऊपर जो अवशेष है वह 232.57 लाख रुपये । इसी तरह से, गोपी चीनी मिल पर जो कुल बनता था वह 2367.08 लाख रु0 उन्होंने जो भुगतान किया वह 2014.97 लाख रुपये, अवशष है 352.11

लाख रुपये। इसी प्रकार से, कमलापुर चीनी मिल पर कुल बनता था 5466.51 लाख रुपये उन्होंने भुगतान किया 5356.41 लाख रुपये अवशेष है 110.10 लाख रुपये। मान्यवर, पडरौना चीनी मिल का मान्यवर, बता दूँ, उन पर बनता है 1971.98 लाख रुपये उन्होंने भुगतान किया 1662.65 लाख रुपये, अभी 309.33 लाख रुपये मान्यवर, बाकी है। इसी तरीके से जो स्थिति बनकर आयी, 15,168.93 लाख रुपये कुल भुगतान बनता था जिसमें से 14164.82 लाख रुपये भुगतान किया गया और अभी 1004.11 लाख रुपये मान्यवर, भुगतान होना अभी शेष है।

मान्यवर, जिन चीनी मिलों ने भुगतान नहीं किया है उनके विरुद्ध आरसी जारी है प्रयास हो रहा है कि जितनी जल्दी हो सके मान्यवर, भुगतान करा दिया जाये।

2003–04 में मान्यवर, 3.84 करोड़ रुपये गन्ना मूल्य बकाया है, मान्यवर, इसको भी शीघ्र कराने का प्रयास किया जा रहा है और मान्यवर, जहाँ तक गन्ना किसानों का सवाल है गन्ना किसानों के बारे में मैं बता दूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारी यह पहली सरकार है जिसने 2 कमेटियां गन्ना मूल्य निर्धारण के लिए बनाई है। एक कमेटी चीफ सेक्रेट्री की अध्यक्षता में बनाई मुख्य कमेटी और दूसरी कमेटी गन्ना आयुक्त की अध्यक्षता में बनाई उप समिति। इसमें जो भी किसान प्रतिनिधि थे, सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों के साथ चीनी मिल मालिकों के साथ बैठ करके इस साल का गन्ना मूल्य निर्धारित किया गया। जैसा कि सर्वविदित है मान्यवर, 162 रुपये 50 पैसे, 165 रुपये और 170 रुपये प्रति कुन्तल गन्ना मूल्य घोषित किया गया। इसके अलावा एक बार नहीं 2-2 बार प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों को पत्र लिखकर निर्देश दिये गये कि वह गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों के साथ, सहकारी समितियों के साथ, चीनी मिल मालिकों के बीच में परस्पर सहमति बनाकर अधिक से अधिक गन्ना मूल्य दिलाये और गन्ना किसानों को प्रोत्साहन राशि स्वरूप जितना अधिक से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान करा सकते हो, करायें। फलस्वरूप आज की स्थिति में 260 और 270 रुपये पर कुन्तल गन्ना किसानों का भुगतान किया जा रहा है, जो ऐतिहासिक भुगतान है आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है।

मान्यवर, जब कि मैं पहले कहता था भारत सरकार ने एफआरपी घोषित कर दिया। इस पेराई सत्र में कुल 128 चीनी मिलें संचालित है जिनके द्वारा दिनांक 9.02.2010 तक 367 लाख टन गन्ना पेरकर के 8.48 प्रतिशत चीनी पलटा के आधार पर 31 लाख टन चीनी का उत्पादन कर लिया है। मान्यवर, यह भी मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि आज की स्थिति में 3 निजी क्षेत्र की, 18 सहकारी तथा 7 निगम क्षेत्र की कुल 28 चीनी मिले अपनी गन्ना पेराई समाप्त कर चुकी है और बन्द हो चुकी हैं। मान्यवर, प्रदेश की खांडसारी इकाइयों के बारे में भी बताना चाहता हूँ खांडसारी इकाइयों ने भी मान्यवर, 11.04 लाख कुन्तल खांडसारी, 5.7 लाख कुन्तल गुड़, 25.14 लाख कुन्तल राब तथा 1.12 लाख कुन्तल शीरे का उत्पादन कर लिया है। अभी भी बन्द नहीं हुआ है यह जारी है। आशा है कि विगत पेराई सत्र से अधिक चीनी का उत्पादन इस वर्ष होगा यह हमें उम्मीद है। एरिया कम है लेकिन उसके बाद भी उत्पादन अधिक होगा हम ऐसी आशा कर सकते हैं।

मान्यवर, सरकार जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार है, बहन कुमारी मायावती जी की सरकार है। जबसे यह सरकार बनी मान्यवर, विकासयुक्त, भयमुक्त और माफियामुक्त की कल्पना को साकार करने के लिए वचनबद्ध है और उसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के

निर्देश पर गन्ना किसानों को विशेष तौर पर प्रोत्साहन मूल्य दिला करके उनको अधिकतम मूल्य का भुगतान कराया। मान्यवर, गन्ना विकास विभाग द्वारा चीनी मिलों के खिलाफ, जो अनियमितताएं की जाती हैं चीनी मिलों द्वारा तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही की गयी है और इस चालू पेराई सत्र में 75 एफ0आई0आर0 दर्ज की जा चुकी हैं।

और मान्यवर, जो एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी है। उसमें गन्ना घटतौली के प्रकरण हैं। गन्ना घटतौली के जो प्रकरण हैं वह 10,097 हैं, कई छापे मारे गये। मान्यवर, घटतौली के मामलों में 222 तौल लिपिकों को बर्खास्त कर दिया गया ओर 665 मानकों में चीनी मिलों को नोटिस जारी की गयी। मान्यवर, चीनी मिलों के अनियमित कार्यों पर नियंत्रण हेतु यह क्रम आगे भी जारी रखा जायेगा। इस तरीके की कार्यवाही इससे पहले किसी सरकार नहीं की, क्योंकि हमारे लिये, हमारी सरकार के लिये और हमारी सरकार की मुखिया बहन कु0 मायावती जी के लिये गन्ना किसानों का हित सर्वोपरि है और किसी भी तरीके से, जिस भी हालत पर जाना पड़ेगा हम गन्ना किसानों के हित में हमारी सरकार, बहन जी की सरकार जायेगी। मान्यवर, इस वर्ष गन्ने की कमी को देखते हुये गन्ना क्षेत्रफल तथा गन्ना उत्पादकता को बढ़ाने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिये गन्ना विभाग में बजट रु० 27.29 करोड़ की व्यवस्था तथा अनुसूचित जाति के लिये विशेष घटक योजना में गन्ना विकास विभाग के लिये 7 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है। बीज बदलाव की योजना को गति दी जा रही है।

मान्यवर, दो नई उन्नतिशील प्रजातियों को विकसित कर किसानों को उपलबध कराया जा रहा है। मान्यवर, बुवाई की नई फ्रेंच विधि विकसित कर उत्पादन को बढ़ाते हुये पानी की भी बचत की जा रही है। गन्ना बुवाई हेतु 250 किमी0 लम्बी अन्तर ग्रामीण सड़कों का पुर्ननिर्माण कराया जा रहा है। मान्यवर, 1.6 लाख क्विंटल शुद्ध केन्द्रित बीज किसानों को वितरित किये जा रहे है। कमजोर वर्ग के किसानों को गन्ना खेती का लाभ देने के लिये समतामूलक समाजोत्थान योजना चलाई जा रही है। मान्यवर, सहकारी गन्ना समितियों तथा गन्ना विकास परिषदों के चुनाव कराकर प्रजातांत्रिक रूप को गति दी जा रही है। अब तक 94,081 गन्ना किसानों व 2605 विभागीय कर्मियों को उन्नतिशील खेती की जानकारी देने के लिये प्रशिक्षण दिया जा चुका है। मान्यवर, अध्ययन यात्रा दलों को भेजकर किसानों को नई जानकारी कराई जा रही है। कुल प्रयास यह है कि हमारे प्रदेश में गन्ना उत्पादकता बढ़ जाये और हमारा प्रदेश मिठास उत्पादन में सबसे आगे बढ़ता जाय। मान्यवर, प्रदेश को औद्योगिक गति प्रदान करने के लिये हमारी सरकार ने 25 घाटे वाली सहकारी चीनी मिलें और उनकी परिसम्पत्तियों के अंतरण और राज्य चीनी निगम की एवं उनकी मिलों के जो भी निवेशीकरण का फैसला लिया है वह प्रगति पर है। मान्यवर, कुछ कानूनी अड़चनें आ रही हैं हम आशावान् हैं कि जल्दी से वह अड़चनें दूर हो जायेंगी और हम किसान के हित में सफल होंगे। मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2010–2011 में गन्ना विकास की योजनाओं और चीनी मिल क्षेत्र में सड़क निर्माण हेतु आयोजनागत योजनाओं के अन्तर्गत कुल रु० 27 करोड़ 29 लाख रुपये का प्रावधान किया गया हैं। इस प्रकार आयोजनेत्तर मदों में अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों, कार्यालय व्यय आदि हेतु 1 अरब 40 करोड़ 53 लाख 72 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है। अनुदान संख्या 24 के अन्तर्गत चीनी विभाग के लिये मान्यवर, 47 करोड़ 58 लाख 5 हजार की धनराशि का प्रावधान किया गया है। मान्यवर, संक्षेप में मैंने गन्ना और चीनी विभाग का सदन

के सामने बजट प्रस्तुत किया है। अब मैं संक्षेप में राज्य सम्पत्ति विभाग के बजट के बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा।

मान्यवर, जैसा कि सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा राज्य मुख्यालय पर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, अन्य विशिष्ट महानुभाव तथा लखनऊ में कार्यरत सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की आवासीय व्यवस्था की जाती है।

लखनऊ में राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन 54 आवासीय कॉलोनियां हैं तथा 8 विधायक निवास हैं। इसमें कुल आवासों की संख्या 7 हजार 52 है। मान्यवर, आगामी वित्तीय वर्ष 2010–2011 के आय–व्ययक में 2445 लाख रुपए इन आवासों के रख–रखाव हेतु राजस्व मद में प्रस्तावित किया गया है। मान्यवर, सचिवालय भवन के अन्तर्गत मुख्य सचिवालय परिसर, लाल बहादुर शास्त्री भवन जिसे एनेक्सी कहा जाता है, विकास भवन, बापू भवन, योजना भवन के सिविल कार्य, विद्युत कार्य के रख–रखाव राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा किया जाता है तथा साथ ही इन्दिरा भवन एवं जवाहर भवन के सिविल एवं विद्युत कार्यों के रख–रखाव के साथ ही प्रबन्धकीय व्यवस्था भी विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाती है। इन भवनों के रख–रखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2010–2011 के आय–व्ययक मे राजस्व मद में 1840 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मान्यवर, राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन अतिथिगृहों की कुल सुख्या 7 है जो लखनऊ, दिल्ली, एवं कोलकाता में स्थित हैं। प्रत्येक अतिथिगृह के कार्य एवं प्रबन्धन तथा रख–रखाव की व्यवस्था राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा सुनिश्चित करायी जाती है। मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2010–2011 में इन अतिथिगृहों के संचालन हेतु राजस्व मद में 625 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा सरकारी वाहनों के आवंटन एवं रख–रखाव का कार्य भी किया जाता है। राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रण में 260 वाहन है, प्रदेश शासन के प्रोटोकॉल विभाग द्वारा जिन महानुभावों को राज्य अतिथि घोषित किया जाता है, उन्हें राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा वाहन उपलब्ध कराये जाते हैं तथा साथ ही भारत सरकार के मा0 मंत्रीगण, मा0 राज्यमंत्रीगण विभिन्न प्रदेशों के महामहिम श्री राज्यपाल, मा0 मुख्यमंत्री, मा0 मंत्रीगण के मुख्यालय आगमन पर राज्य अतिथि होने की दशा में राज्य सम्पत्ति विभाग के पूल से वाहन उपलब्ध कराये जाते हैं। मान्यवर, विभाग द्वारा प्रदेश के मा0 मुख्यमंत्री, मा0 मंत्रीगण, मा0 राज्यमंत्रीगण मा0 मंत्री या राज्यमंत्री स्तर के महानुभावों तथा विभिन्न निगमों के अध्यक्ष, सलाहकर, प्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारी, महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता इत्यादि के लिए वाहन की व्यवस्था की जाती है। वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिए नये वाहन क्रय के लिए 318 लाख रुपए तथा वाहन के संचालन हेतु, ईंधन एवं मरम्मत हेतु 1420 लाख रुपए की व्यवस्था आय–व्ययक में प्रस्तावित है। मुख्य सचिवालय परिसर में अधिकारियों/कर्मचारियों एवं माननीय विधायकों एवं अन्य महानुभावों के वाहनों को पार्क करने के लिए समस्या बनी हुई है। इस समस्या के निदान के लिए मान्यवर आप भी जानते हैं कि मुख्य सचिवालय परिसर में भूमिगत बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण कार्य अन्तिम चरण में है तथा माह सितम्बर, 2010 तक पूरा किये जाने का इसका लक्ष्य है। मैं एक और जानकारी देना चाहूँगा मा0 सदस्यों को कि नवीं मुम्बई में एक राज्य अतिथिगृह का निर्माण कार्य चालू है। इस अतिथिगृह का निर्माण कार्य सितम्बर, 2010 तक पूरा किये जाने का लक्ष्य है। सचिवालय भवन में स्थिति विभिन्न विभागों के अनुभागों के आधुनिकीकरण का कार्य भी अगले वित्तीय वर्ष में जो प्रस्तावित है उसकी मैं जानकारी देना चाहता हूँ, जिसके तहत सचिवालय कर्मियों की कार्यदक्षता में वृद्धि होगी। राज्य कर्मचारियों के

आवासों की कमी की समस्या के निराकरण हेतु महानगर आवासीय कालोनी में ही 96 टाइप –।। तथा 96 टाइप–।।। के बहुमंजिला आवासीय योजना के लिए भी वित्तीय वर्ष 2010–2011 के आय–व्ययक में 460 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मान्यवर, आगामी वित्तीय वर्ष में दारूलशफा, रॉयल होटल, पार्करोड, ओ0सी0आर0 बहुखण्डी मंत्री आवास आदि विधायक निवासों तथा आवासीय कालोनियों में स्थित आवासों के जीर्णोद्वार कराये जाने हेतु मान्यवर, आयोजनेत्तर मद में 1208.7 लाख तथा आयोजनागत मद में मान्यवर, 644.00 लाख रुपये की धनराशि का प्राविधान कराये जाने का प्रस्ताव है। मान्यवर, सचिवालय भवन के केन्द्रीकृत वातानुकूलन के कार्य हेतु मान्यवर, आगामी वित्तीय वर्ष में 736 लाख रुपये की धनराशि आयोजनागत मद में प्रस्तावित है मान्यवर। उत्तर प्रदेश भवन, यू0पी0 भवन सभी जानते हैं। उत्तर प्रदेश भवन एवं उत्तर प्रदेश सदन एवं अन्य अतिथिगृहों के जीर्णोद्धार एवं सुधारीकरण हेतु मान्यवर आगामी वित्तीय वर्ष के आय व्ययक में मान्यवर 368 लाख रुपये की धनराशि का प्राविधान प्रस्तावित है। मान्यवर, राज्य सम्पत्ति विभाग के अनुदान संख्या–59 के अन्तर्गत राजस्व मद में 9 हजार 817.08 लाख रुपये तथा पूंजीगत मद में मान्यवर, 6968.71 लाख रुपये कुल 16 हजार 785.79 लाख रुपये का प्रावधान आय–व्यय 2010–2011 में प्रस्तावित है। मान्यवर, ये सभी माननीय सदस्य इस बात को महसूस कर रहे हैं कि जो कार्य पिछले दो वर्षो में हुआ माननीय विधायकों के आवास जो भी है उनमें जो कार्य पिछले दो वर्षों में हुआ, मान्यवर, उतना काम या उससे आधा भी पिछले 25 वर्षों में कभी नहीं हुआ मान्यवर, और यह कोई स्वीकार करें कभी नहीं हुआ।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेंजे थपथपायी गयी)

मान्यवर, ये हमारी सरकार ने फैसला लिया कि दारूलशफा 'ए' ब्लाक में.....वह आप अपनी बात–बाद में कहिएगा पहले मुझे अपनी बात कह लेने दीजिये। मान्यवर, यह पहली बार हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने जहां प्रदेश के रहने वाले प्रत्येक वर्ग के लोगों का ध्यान दिया, वहां माननीय विधायकों का भी ध्यान दिया और यह फैसला किया मान्यवर कि दारूलशफा 'ए' ब्लाक के दो आवासों को मिलाकर के एक आवास कर दिया जाये और वह काम चल रहा है, 70 परसेन्ट काम पूरा कर लिया गया है। यह फैसला हमारी सरकार की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने लिया, ये विभाग उन्हीं के अधीन है मान्यवर, अधीन तो सभी है। मान्यवर, दारूलशफा के पार्कों का सौन्दर्यीकरण के बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा। देश में पार्कों का सौन्दर्यीकरण हो रहा है मान्यवर। मान्यवर, गैलरी में लाइटिंग, कोटा स्टोन ये सारा प्रस्तावित है। लाइटिंग प्रस्तावित है। कोटा स्टोन प्रस्तावित है। मान्यवर, जो विद्युतीकरण की स्थिति है, मैं भी दारूलशफा में रहा। 1991 में जीत के आया था, मैं एम0एल0ए0 जीता था। बहुत से हमारे साथी बैठे हुये हैं जो मेरे साथ जीत कर के एम0एल0ए0 आये थे। मान्यवर, जो स्थिति देखी हमने दारूलशफा में या दूसरे आवासों में विद्युतीकरण की जो स्थिति है मान्यवर, इधर अगर लगाया जाता है प्लग तो उधर उड़ जाता है। ये आज तक किसी सरकार ने नहीं सोचा। इसको मान्यवर, हमारी सरकार ने गम्भीरता से लिया। कैजुअलटी कभी हो सकती है। आग लग सकती है, लेकिन किसी सरकार ने यह कभी नहीं सोचा और मान्यवर, इसको पुर्नविद्युतीकरण के लिये दारूलशफा के लिये अभी स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। शेष के बारे में बाद में विचार किया जायेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

आवंटन में भेदभाव किया गया है।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

भेदभाव तो आपके टाइम पर होता था आप भूल गये और अगर भेदभाव अभी बताने लगूंगा तो जमीन खिसक जायेगी, वरना पहले पूरी बात सुन लीजिये। विशम्भर जी जहां आप पैदा हुये वहीं मैं पैदा हुआ, जहां आप का नारा गड़ा वहीं मेरा नारा गड़ा है। दाई–दाई से पेट नहीं छुपता अगर खोल दूंगा तो जमीन खिसक जायेगी। आवंटन देता कौन है यही नहीं मालूम है। मान्यवर, यह दिशाविहीन हो जायेगी बात, मैं दिशाविहीन नहीं होना चाहता हूँ, मुझे वह भी याद है।

श्री अध्यक्ष–

आगे अभी बोलने का मौका मिलेगा तब बोलिएगा।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मुझे वह भी याद है। यह जो आवंटन में भेदभाव की बात कह दी। 71 करोड़ रुपये का बजट था, 69 करोड़ रुपया आज जो नेता प्रतिपक्ष बने हुये हैं, जिस विद्यालय के ये प्रबन्धक है, उसी को 69 करोड़ दे दिया एक विद्यालय को दे दिया, इससे बड़ा भेदभाव क्या होगा भूल गये। पोल खोल रहा हूँ खोल दूंगा तो बड़ा मुश्किल हो जायेगा। अब मतलब की बात होने दीजिये, आपके मतलब की बात है। विधायकों की बात आ रही है तब टांग अड़ा रहे हो। मा0 विधायकों की संख्या को देखते हुये यह महसूस किया गया कि उत्तर प्रदेश भवन में जो कक्ष है, वह अपर्याप्त है। इसलिये माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की ओर से भारत सरकार के मा0 नगर विकास मंत्री जी को दिनांक 18–06–2007 को पत्र लिखा गया और उनसे यह अनुरोध किया गया कि विधायक निवास के निर्माण के लिये हमें जगह उपलब्ध करा दें क्योंकि जगह उपलब्ध कराने का अगर किसी को अधिकार है तो भारत सरकार को है, हमें नहीं है। यह पत्र लिखा गया है और भी बहुत सी बातें है जो भविष्य में आपको सब मालूम हो जायेगी। मान्यवर, मैं यह भी जानकारी देता चलूं, हमारे पत्रकार बन्धु पत्रकार दीर्घा में बैठे हैं, पत्रकार बन्धुओं के लिये 1985 की नियमावली के तहत आवास आवंटित किये जाते हैं, उनके लिये यह प्राविधान है। राजनीतिक दलों को कार्यालय बनाने के लिये राज्य सम्पत्ति विभाग उनको भी भवन उपलब्ध कराता है। मान्यवर, यह संक्षिप्त मैंने तीनों विभागों का बजट आपके सामने प्रस्तुत किया है। मुझे आपने प्रस्तुत करने का मौका दिया, मैं आपका बहुत–बहुत आभारी हूं।

श्री अध्यक्ष–

डा0 अजय तोमर जी, सिंचाई विभाग पर अपना कटौती का प्रस्ताव रखें।

*डॉ0 अजय तोमर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 95–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री अध्यक्ष–

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा जी गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग पर अपना कटौती का प्रस्ताव रखें।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री अध्यक्ष–

श्री अनूप कुमार गुप्ता जी लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) पर अपना कटौती का प्रस्ताव रखें।

श्री अनूप कुमार गुप्ता–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 59–लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

डा0 अजय तोमर–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने सिंचाई विभाग के बजट भाषण की शुरूआत जल ही जीवन से की। एक दोहा भी उन्होंने कहा कि रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गये न ऊबरे मोती मानुष चून।

प्रदेश को मान्यवर आंकड़ों के खेल में नहीं जाना चाहिए। आजादी से लेकर आज तक हर बजट में आंकड़े आते रहे हैं, आते रहेंगे अभी भी आये हैं लेकिन किसान को जो मुंह बाये बजट की ओर आस लगाये बैठे हैं उसकी आंख पानी और बजट की आस में सूख गई है। मैं बताना चाहता हूं इस पानी की जो बात कही गई है वह पानी आएगा कहां से। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना, राप्ती, गोमती, घाघरा, शारदा जैसी नदियों के धनी प्रदेश की इस महान विधान सभा में सिंचाई विभाग का बजट रखा गया। एक व्यवस्था है चाहे वह विधान सभा हो या लोक सभा कटौती प्रस्ताव आना है एक रुपये की मांग करनी है बजट बहुमत से पास होना है। लेकिन मैं व्यवस्था को चेलेंज नहीं करना चाहता मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इन व्यवस्थाओं से सिंचाई विभाग का भला होने वाला नहीं है। मैंने जिन पावन नदियों का

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नाम लिया है आज यह नदियां जल कितना दे पाएंगी। गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, राप्ती, गण्डक से हमारी इन नहरों, राजवाहों, अल्पिकाओं को पानी मिलने का काम होगा तो किस प्रकार होगा। यमुना में पानी नहीं है जो पानी है वह हरियाणा को जाने का काम हरियाणा के द्वारा दिल्ली को जाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित करके करने का काम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीने के लिये पानी की पहली आवश्यकता है बाद में बाकी काम। (इस समय 3 बजकर 28 मिनट पर अधिष्ठाता श्री भगेलू राम पीठासीन हुये।) प्रदेश में किसी की भी सरकार रही हो अगर उस समय–समय से पैरवी की गई होती तो यमुना का पानी उत्तर प्रदेश से होकर दिल्ली भेजने का काम किया जा सकता था इससे भले ही पानी न मिलता हमारी राजवाहों, नहरों का पानी न मिलता लेकिन प्रदेश के इस गिरते जल स्तर से जो प्रदेश में जल स्तर आज गिर रहा है उससे निजात मिलने का काम होता। मान्यवर, नहरों के लाइनिंग की घोषणा करने का काम मंत्री जी ने कही लेकिन जितना बजट है उतना ही वह कर सकते हैं। आंकड़ों से उस किसान की आंखों से निकलता हुआ पानी बजट व्यवस्था देखने का काम नहीं करता वह अपनी नहरों में पानी देखने का काम करता है। मेरा वार मंगलवार को 11.38 बजे से है तो नहर 11.48 पर आएगी कि नहीं आएगी नहर में पानी होगा कि नहीं होगा किसान का बजट से यह उद्देश्य होता है। गोमती के विषय में जब कोई चर्चा होती है तो गोमती में जब गन्दे नालों का पानी भरा हुआ है तो राजवाहों में नहरों में पानी कहां से देंगे।

हमारे प्रदेश की और पूर्वी उत्तर प्रदेश की मुख्य नहर शारदा सहायक जो शारदा नदी से शुरू होकर बलिया तक जाने का काम करती है। आज इसके राजवाहों और अल्पिकायें चोक होने की स्थिति में है। शायद की कुछ राजवाहें और अल्पिकायें इस शारदा सहायक नहर के हों जिनका पानी टेल तक जाने का काम मान्यवर हुआ हो।

मान्यवर, केवल गंग नहर में अभी पानी आने की स्थिति कुछ ठीक है और में एक बात बताना चाहता हूं। हमारे प्रदेश के पहले सिंचाई मंत्री इंजीनियर थे, के0एल0 राव साहब 1952 में उन्होंने गंगा, यमुना और शारदा नदी की नहरों के द्वारा जोड़ने की परियोजना तैयार की थी। मान्यवर, इस प्रदेश की विषम स्थिति है। कभी प्रदेश में सूखे की स्थिति है और सूखा चलते चलते किसी दिन सुबह अखबारों में देखने को मिलता है कि फलां फलां शहर आज भीषण बाढ़ की चपेट में आ गया। अगर हम नहरों के द्वारा और मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से अवगत भी कराना चाहता हूं कि सेन्ट्रल वॉटर कन्ट्रोल में जो यूनिट है उससे यह रिपोर्ट 1952 की नहरों को जोड़ने की आज भी है। अगर हम उस पर पुनः काम करने का काम करेंगे तो शायद एक तरफ सूखे की स्थिति और दूसरी तरफ बाढ़ की स्थिति, इससे पूरे प्रदेश को बचाने का काम करेंगे और किसानों की आस पर, उनकी उम्मीद पर हम खरा उतरने का काम करेंगे। मान्यवर माननीय मंत्री जी ने बताया 73,637 किलोमीटर नहरों में से 36,843 किलोमीटर नहरें लगभग एक तिहाई नहरें, रजवाहें, अल्पिकाओं की सिल्ट सफाई का काम जो चालू वित्त वर्ष है इसमें किया गया। अगले वर्ष का भी अनुमान कुछ लगाया होगा। शायद 200–400–500 किलोमीटर कम ज्यादा हो जायेगा क्योंकि अनुमानित बजट होता है। और मान्यवर, इसमें 74 करोड़ रुपये का कुल व्यय हुआ। 74 करोड़ रुपये मे से मान्यवर 54 करोड़ रुपये नरेगा के माध्यम से दिये गये। नहरों की सिल्ट सफाई की सारी परियोजना भारत सरकार के ऊपर थोपने का काम और वो भी सिंचाई विभाग अगर अपने द्वारा करता हो तो कहीं सार्थक होता। मान्यवर, वह कहीं प्रधान, कहीं जिला पंचायत, कहीं बी0डी0सी0 सदस्य के द्वारा हो रहा है।

पता चला कि फलां राजवाहे की पहले उस गांव की सीमा तक उस प्रधान ने सिल्ट सफाई नरेगा से करा दी और दूसरे वाले प्रधान से हाथ उठाने का काम कर दिया कि मैं नरेगा में व्यवस्था नहीं करा सकता। उसके आगे के तीन प्रधानों ने अपने गांव की सीमा में पुनः सिल्ट सफाई कराने का काम कर दिया। बीच के हिस्से में नहर ज्यों की त्यों सिल्ट से पटी हुई है। कागजों पर बहुत बड़ा वर्क हो गया, बहुत बड़ा काम हो गया। जिलों के जिलाधिकारियों ने भी जिन–जिन कागजों पर सिल्ट सफाई हुई उनका निरीक्षण कर रिपोर्ट भेजने का काम प्रदेश सरकार को कर दिया लेकिन छिपाने का काम जिन जिलों के अधिकारियों ने किया, सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने किया कि इस हिस्से की सिल्ट सफाई नहीं हुई है। शुरू के हिस्से की सिल्ट सफाई हो गयी, बीच की रह गयी, आखिर की हो गयी, फिर कहीं की रह गई। किसी गांव की सीमा में सिल्ट सफाई और वहां भी मान्यवर, प्रधानों के पास कौन सा मानक हैं ? इंजीनियर हैं ? टैक्नीकल हैंड हैं ? क्या है उनके पास ? कहने को दो तीन कर्मचारी सिल्ट सफाई क्या करायेंगे ? मान्यवर, ऐसा भी देखा गया है कि किसी गांव की सीमा में प्रधान ने अपने गावं के लोगों को यह कहने के लिये कि मैं बहुत अच्छी सिल्ट सफाई करा रहा हूं जो उसका स्टैन्डर्ड था, नहर की जो सीमाएं थीं उससे चौड़ाई, लम्बाई या गहराई में ज्यादा सिल्ट सफाई कराकर गडढ़े बनाने का भी काम, तालाब के रूप में डेवलप करने का भी काम उन प्रधानों और ग्राम सभाओं ने करने का काम किया है। मान्यवर, अकेली यह पीड़ा सदन के एक पक्ष की नहीं है हम सब लोग लगभग, 18 करोड़ की जनता और 18–19 करोड़ की जनता के हम प्रतिनिधि है, और 18–19 करोड़ में से लगभग 75 प्रतिशत कृषि पर आधारित और लगभग इतने ही हमारे माननीय सदस्य कहीं न कहीं खेती से जुड़े हुये मेरी तरह किसान के घर पैदा हुये, मेरी तरह गांव के एक कच्चे मकान में पैदा हुये साथी यहां आये हैं, हम सबने उन पीड़ाओं को महसूस किया है। जब अपने गांव में जाने का काम हम करते हैं तो मान्यवर सब हमसे पूछते है कि नहरों की सफाई की क्या स्थिति है।

मान्यवर, 10,404 टेलों में से 9,640 और 8,626 टेल फीडिंग की बात माननीय मंत्री जी ने कही है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भू–जल स्तर और टेल फीडिंग की स्थिति में, मान्यवर जहां अगर हम एक बड़ी योजना बनाकर सभी नहरों की प्रदेश की लाइनिंग बनाने का काम कर देंगे तो एक तो सिल्ट सफाई के कार्य से भी हमें छुटकारा मिलने का काम होगा, दूसरे जल स्तर वाटर रिचार्ज द्वारा जमीन में जाने का काम होगा और जल स्तर ऊंचा होने का काम होगा। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने एक बहुत उपयोगी योजना थी और वर्तमान सरकार सड़कों पर बड़ा ध्यान दे रही है। भूमि को अधिग्रहण किया जा रहा है लम्बी चौड़ी सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, लम्बी–चौड़ी योजनाओं को लाया जा रहा है। मैं पिछले तीन वर्ष से लगातार इस सदन के माध्यम से, सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि नहरों के किनारे, नहरों की पटरियों पर, चाहे वह गंगा नहर हो, कालिका नहर हो, यमन नहर हों, पूर्वी यमन नहर हो, चार–चार लेन की जमीन सिंचाई विभाग की खाली पड़ी है। अगर आप उसको डेवलप करने का काम करेंगे तो किसान से भूमि का अधिग्रहण नहीं करना होगा और आपकी जो यह योजना है सरकार को बेहतर यातायात देने की योजना है, पहली सरकार ने चौधरी चरण सिंह सड़क परियोजना के रूप में चलाई थी उस योजना को भी पुनः चालू करायें आप। इसी प्रकार कहना चाहूंगा कि टांडा पम्प कैनाल की जहां तक बात है नहरी ऊपरी पम्प कैनाल मऊ की स्थिति है, अलग–अलग नाम न लेकर मैने एक सामूहिक बात बताने का काम किया था। मैं एक–दो बात

कहकर खत्म करना चाहूंगा, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में बजट, और पिछली सरकारों में इतना बजट, काम नहीं हुआ, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एक परम्परा पड़ गई है कि फरवरी के आखिर से मार्च तक जनपदों को बजट भेजने का काम होता है और जिला के क्षेत्रीय सिंचाई विभाग के अधिकारी कर्मचारी 31 मार्च को उस बजट के यूटीलाइजेशन का प्रमाण–पत्र अपने संबंधित प्रमुख सचिव के कार्यालयों में भेजने का काम करते हैं। मान्यवर, इस व्यवस्था में भी आज बदलाव की आवश्यकता है क्योंकि यह बहुत बड़ी योजना है बहुत बड़ा जाल है नहरों का, अच्छी सोच के साथ सरकार काम करना चाहती है तो इन नहरों के सिल्ट सफाई के पैसे को, बजट को, समय से पूर्व भेजे, यह अनेकों बार कहा कि, माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा था कि हम खाद की व्यवस्था आवश्यकता पड़ने से पूर्व करने का काम करेंगे। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इन सिल्ट सफाई के बजट को भी, जब रबी और खरीफ में रोस्टर के अनुसार पानी देना है तो उससे तीन माह पूर्व देने की व्यवस्था करें। ताकि प्रोजेक्ट बनना और सिल्ट–सफाई होना और नहर के रोस्टर के अनुसार पानी आने की व्यवस्था हो सके।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें।

डॉ0 अजय तोमर–

मान्यवर, समाप्त ही कर रहे हैं। मैने तो शुरू में ही कहा था कि आंकड़ो के खेल में कही फंस ही नहीं रहा हूं, मैने तो कटौती के प्रस्ताव में कहा भी था कि सुझाव देना और सरकार की नीति की आलोचना करना। तो मेरा कटौती का प्रस्ताव भी सुझावात्मक है, कितना सरकार अमल करेगी, कितना नहीं करेगी, यह मा0 मंत्री जी और सरकार के ऊपर डिपेंड है। मैं एक–दो बातें और कह कर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा।

श्री अधिष्ठाता–

अभी एक–दो बात बाकी रह गई है ?

डॉ0 अजय तोमर–

मान्यवर, नहरों के विषय में, सिंचाई के विषय में तो इतनी बातें है कि अगर चर्चा की जाए तो 5 साल के हमारे कार्यकाल भी शायद कम पड़ जायेंगे। किसान की पीड़ा को, किसान को आंखों को, किसान के दिल को देखो, पता चल जायेगा, आप एक–दो बात की बात कर रहे हैं। कितना पीड़ित है किसान, अगर नहर में एक बार पानी आ गया, पतरोल उसके घर जाकर उगाही करने का काम करता है। खेत में पानी हो या न गया हो, वह देखने का काम नहीं करता, अगर नहर में एक भी बार पानी पहुंच गया टेल तक तो उस टेल तक के सभी किसानों के यहां उगाही भेज दी जाती है और अगर विभाग की वजह से नहर टूट जाए तो मान्यवर, उसका सामान किसान से लेने का काम करता है, विभाग के कर्मचारी अपनी गलती को दबाने का काम करते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

डाक्टर साहब, समाप्त करें ताकि दूसरे सदस्यों को भी मौका मिल जाए।

डॉ0 अजय तोमर–

मान्यवर, आपने कह दिया, राजकीय नलकूल के विषय में कहकर में अपनी बात समाप्त कर दूंगा, इसका दूसरा हिस्सा राजकीय नलकूप है। मान्यवर, प्रदेश में आज नहरों में पानी नहीं, इस बात के लिये मैने चर्चा की, माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान करेंगे, मेरी बातों को सम्मिलित करने का भी काम करेंगे लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जहां प्रदेश के इतने बड़े क्षेत्र में कृषि का कार्य होता हो और वहां हजारों में नहीं सैकड़ों में नलकूप देने का काम किया जा रहा हो, यह ऊंट के मुंह में जीरा है और मान्यवर, रिबोर के विषय में माननीय मंत्री जी ने कहने का काम किया, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि रिबोर व्यवस्था के लिये किसी आंकड़े की, संख्या व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है, पूरे प्रदेश के राजकीय नलकूप किस–किस जनपद में खराब है, चाहे राजकीय नलकूप से हम बच जायें, लेकिन पहली प्राथमिकता जो आपके स्थापित राजकीय नलकूप है, उन सभी को इस वित्तीय वर्ष मे चालू करने के लिये इसमें सम्मिलित कर लिया जाए। मान्यवर, आप पुनः कुछ कहना चाह रहे हैं, उससे पहले मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुये, अपनी बात को समाप्त करने का काम करता हूं, धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता–

अब मा0 जनार्दन प्रसाद ओझा जी।

ओझा जी, आप अनुदान संख्या–23 और अनुदान संख्या–24 पर बोलें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मा0 अधिष्ठाता जी, जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके सम्बन्ध में शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये अपनी बात कहना चाहता हूं। मान्यवर, यह सरकार घपले और घोटाले की सरकार है। घपला और घोटाला इसलिये मान्यवर, कि 1950 से लगातार अब तक गन्ना किसानों के बीच काम करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। लेकिन गन्ना किसानों की इतनी बड़ी लूट, भयंकर लूट कभी नहीं हुई। आज खाण्डसारी में गन्ना किसान जाता है, 6 परसेन्ट रिकवरी है, खाण्डसारी की रिकवरी 6 परसेन्ट और गन्ने का भुगतान वह करता है, 300 रुपया और मिल की रिकवरी करीब 9 परसेन्ट और दाम दिया जाता है, 175 ऐसा क्यों ? मेरी मांग है कि मूल्य तय करने का जो नियम है, उसमें आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिये, किसान की भागीदारी होनी चाहिये और उत्पादन में लगाये गये तो तत्व हैं, अवयव हैं, उनकी कीमतों को देखते हुये ही उनका मूल्य निर्धारित करना चाहिये।

मान्यवर, मंत्री जी बतायेंगे। मुलेशिस का रेट क्या है, खोई का रेट क्या है, एक कुंतल में कितना मुलेशिस होता है। एक कुंतल में कितनी खोई होती है और दोनों को जोड़ दें तो पता चलेगा कि चीनी मुफ्त में ही मिल मालिक को चली गयी और खोई और मुलेशिस से ही उसका पैसा भुगतान हो गया। मान्यवर आप हिसाब लगवा दीजिए।, तो इस प्रकार से मैंने कहा कि यह घोटाले की सरकार है। मेरी आपके माध्यम से यह भी मांग है कि पूरे प्रकरण की जाच सी0बी0आई0 से करायी जाये। क्या कारण है, आपने निर्देश दिया कि बकायेदार मिलों को गन्ना की आपूर्ति नहीं की जायेगी। मैं आपके माध्यम से अधिष्ठाता जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गोरखपुर में सरदार नगर शुगर मिल कर कितना बकाया है और पूरे मण्डल का गन्ना यहां तक कि जो आपके कारपोरेशन की फैक्ट्री है उसके गेट तक के गांव

का गन्ना 100 कि0मी0 दूरी पर उस मिल को दिया जाता है। यह भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है। माननीय मंत्री जी आप जवाब दीजियेगा। क्या कारण है कि सरदार नगर फैक्ट्री को जिसके ऊपर किसानों का भयंकर बकाया पड़ा हुआ है, 60 करोड़ मेरी जानकारी में है, जो भी हो, उसको गन्ना दिया जा रहा है, सिसवा जो आपकी फैक्ट्री है कारपोरेशन की फैक्ट्री है, उसको गन्ना दिया जा रहा है, खड्डा चीनी मिल जो आपकी फैक्ट्री है जिसकी दूरी सरदार नगर चीनी मिल से 50–60 कि0मी0 है, उसको गन्ना दिया जा रहा है। गरोड़ा प्राइवेट फैक्ट्री के जो गेट से सटे हुये उसके गांव है वहां से 100 कि0मी0 की दूरी पर गन्ना दिया जाता है। क्यों इतने मेहरबान है उस फैक्ट्री पर। आज गन्ना किसानों पर आपका अहसान नहीं है। गलतफहमी मत पालिएगा। किसान अगर 300–350 दे रहा है तो अपने दमखम से दे रहा है। आपके पास कोई चारा नहीं है। आपकी सारी मिलें बन्द हो गयी, एक अजीब सी बात है, एक नई बात है जो हक हमारा होता है, जब हम हक मांगते है तो लाठियां चलायी जाती है। चितौनी में कुशीनगर में लाठी चलायी गयी, पश्चिम में जगह–जगह लाठियां चली। केवल इसलिये कि हम अपने हक की मांग करते हैं। आप अगर गन्ना किसानों के शुभचिंतक है तो आपको गन्ना किसानों का पक्ष लेना चाहिये था। उन्होंने दिल्ली को घेरा। दिल्ली, लखनऊ और मिल ओनर्स ऐसोसिएशन यह तीनों की अलग–अलग डील है। मिल ओनर्स की दिल्ली की सरकार से डील है। उस संगठन की डील आपकी सरकार से है। इसीलिये इस प्रकार से करोड़ों की लूट हुयी है। आप पता कर लीजिये आपकी मिलें क्यों बन्द है, आपने जो आंकड़ा पेश किया है कि यह मिल चल रही है, वह सच्चाई से दूर है। खड्डा मिल शुरू में क्यों नहीं चलायी गयी। क्यों उसको रिपेयर का सामान नहीं दिया गया। इसलिये नहीं दिया गया कि उसके गन्ने को जो कि कुशीनगर में सबसे ज्यादा गन्ना पेरने वाली फैक्ट्री है उस गन्ने को किसी और को देना था। आपकी एक फैक्ट्री से क्या मोहब्बत है। आपकी फैक्ट्रियां बंद हो रही है, जिसमें आपने पैसा लगाया है, जिसका मुनाफा आपको मिलना है, वह कारपोरेशन की फैक्ट्रियां बन्द हो रही है।

मान्यवर, बड़े आश्चर्य और हंसी की बात है कि गरौड़ा फैक्ट्री के बगल में एक बड़े आदमी का गन्ने का फार्म है वहां पर 3 ट्रक पहुंचे। गरौड़ा भी पहुंचा, महराजगंज जिले में, सरदार नगर भी पहुंचा और डाढ़ा भी पहुंच गया और तीनों ट्रक पर लाठी लिये बैठे हुये थे। कि हम गन्ना लेंगे, हम लेंगे। गन्ने का रेट साढ़े तीन सौ हो गया। अगर प्रशासन बीच में न पड़ता तो वहां पर खून–खराबा भी हो जाता है। आज गन्ने की पर्चियों की छीना–झपटी चल रही है। आपकी नीतियों के कारण, अगर शुरू में आपने उचित मूल्य गन्ना किसानों को दे दिया होता तो आज यह स्थिति न होती और आपकी मिलें न बन्द होती। कारपोरेशन को खत्म कर दिया आपने, कारपोरेशन की स्थापना क्यों हुयी थी ? कारपोरेशन की स्थापना इसलिये हुयी थी कि जर्जर जो मिलें है, जो अलाभकारी मिलें हैं, उनको अपने नियंत्रण में लेकर के हम उनको लाभकारी बनायें, हम उनको रिनोवेट करेंगे, हम उनका रख–रखाव करके नयी मिल के रूप में विकसित करेंगे। लेकिन क्या हुआ, बन्द करना आपका काम है, खोलना आपका काम नहीं है। आज ये उद्योग जो इस देश का नम्बर एक का उद्योग था, आज कहां जा रहे हैं मान्यवर ? आपके आंकडे के हिसाब से 35 प्रतिशत गन्ने का एकड़ेज कम हो गया, यह कम नहीं है। पूरब का तो यही कैश क्राप था, पश्चिम की तो यही कैश क्राप है और कैश क्राप खत्म हो गया। यह तो इत्तेफाक ही है कि गन्ना किसानों ने एक जबरदस्त लड़ाई दिल्ली में लड़कर के कीमत

ली, अब थोड़ा उनका हौसला बढ़ा है, लेकिन उनको डर है कि फिर ये रिजरवेशन की बीमारी, मैं बार–बार उसको दोहराना नहीं चाहता। किस काम के लिये रिजरवेशन है ? गन्ना हमने पैदा किया है, हमार हक होना चाहिये कि हम अपने सौदे को जहां चाहें वहां बेचें। सब्जी वाला जहां चाहता है सब्जी बेचता है, सीमेन्ट वाला जहां चाहता है सीमेन्ट बेचता है, लोहा वाला जहां चाहता है बेचता है। हर आदमी को अपने सौदे को बेचने की छूट है, अकेला बेचारा गन्ना किसान जिसका हाथ बंधा हुआ है, छूट उसको नहीं मिल रही है, क्योंकि बंदिश है कि तुम अगर यहां से गन्ना इधर ले आओगे तो पुलिस के डण्डे से तुम्हारा सिर फोड़ दिया जायेगा, ऐसा क्यों ?

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

ऐसा क्यों हो रहा है ? मैं कहना चाहता हूं कि चूंकि यह मामला गन्ना किसानों से जुड़ा हुआ है, किसानों से सम्बन्धित है कि मुद्दत के किसानों को एक सूरज दिखायी दिया है, नम्बर उसका आ गया लेकिन आपकी वजह से नहीं, गलतफहमी मत पालियेगा, आप तो उस सूरज को डुबाना चाहते थे, आप की तो सांठ गांठ पक्की हो गयी थी, लेकिन उनके हाथो में दम था, ताकत थी मान्यवर, उन्होंने लड़कर के ले लिया और आज रोकर के, गिड़गिड़ा करके गन्ना खरीदने जाते हैं। किसान कहता है कि नहीं, और बढ़ाओं, अभी 300 में नहीं देंगे और बढ़ाओं। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि गन्ना किसानों पर मेहरबान हो जाइये और कम से कम यही आश्वासन आप दे दीजिये, कि अगले सत्र में हम अगला वर्ष जो सीजन का आ रहा है, उसमें 300 रुपये से कम गन्ने का मूल्य नहीं होगा। यदि यह आश्वासन प्रदेश की सरकार देती है। हम समझते है कि इससे बड़ा और कोई कल्याणकारी कदम आपका नहीं होगा, वैसे आंकड़ा तो आप रखे ही हुये है, जो चाहेंगे, वो समझा देंगे और हम भी आपको उसका जवाब देंगे। लेकिन सवाल जवाब से काम नहीं चलता मान्यवर। जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत यह है कि पहली बार गन्ना किसान को कुछ मिला है, उसकी मेहनत का फल उसको मिला है, कितनी मेहनत और कितने परिश्रम से, वे गन्ना पैदा करते है मान्यवर, तो फिर हम आपसे एक ही अनुरोध करना चाहते हैं कि ये रिजरवेशन, इसकी जांच होनी चाहिए मान्यवर। मेरा स्पष्ट आरोप है, हाइएस्ट अथारिटी जो कुर्सी पर बैठी हुयी है, उसने करोड़ों का घपला करके गन्ना किसानों को बेचने का काम किया है, आपने फैक्ट्री को मारने का काम आपने किया है और आपकी घोषित नीति के खिलाफ गन्ने का आवंटन किया है। आपकी घोषित नीति यह है कि जो बकायेदार मिलें हैं, उनको गन्ना नहीं आवंटित किया जायेगा। सरदार नगर की मिल और तमाम दूसरी मिलें बकाये से भरी हुई हैं और उनको फटाफट गन्ना आवंटित किया जा रहा है ऐसा क्यों? इसकी भी पूरी जांच होनी चाहिए। मा0 अधिष्ठाता जी, बड़ा आभारी हूँ आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया।

श्री अधिष्ठाता–

अनुदान संख्या–59, श्री अनूप कुमार गुप्ता जी।

श्री अनूप कुमार गुप्ता–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे कटौती प्रस्ताव अनुदान संख्या–59 पर बोलने का अवसर दिया, आपको धन्यवाद।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, सिंचाई विभाग, बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है।

श्री अधिष्ठाता–

मा० सिरोही जी, अभी आप बैठे, आगे अभी समय मिलेगा।

श्री अनूप कुमार गुप्ता–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने, राज्य सम्पत्ति विभाग के लिए जो अनुदान रखा, उसमें विधायकों के लिए मात्र कुछ जैसे दारूलशफा, रायलहोटल का ही जिक्र किया, लेकिन सबसे ज्यादा बुरी स्थिति आप ओ0सी0आर0 की देख सकते हैं। ओ0सी0आर0 के अन्दर जो माननीय विधायक, एम0एल0सी0 रह रहे हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि उनके यहां क्या स्थिति है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश भवन, दिल्ली में जो स्थिति है उसकी स्थिति के बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि यहां से जो माननीय सदस्य लोग जाते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। मान्यवर, कभी–कभी तो स्थिति यह आ जाती है कि दो–दो घण्टा बैठ कर के वहां पर इन्तजार करना पड़ता है और वहां पर जो लैट्रिन वगैरह बनी है उनको दिखवाइये, किस प्रकार से बनी है, किस जमाने की बनी हुई है और वहां पर अभी तक यह होता था कि अगर दो लोग, तीन लोग चले गये तो एक गद्दा भी नीचे लग जाया करता था। अब वहां पर अगर आपके साथ दो या तीन लोग हो गये तो आपको वहां पर कोई गद्दा या एक्सट्रा बेड नहीं मिल सकता है, ऐसी स्थिति वहां पर रहती है। मान्यवर, यहां पर कर्मचारियों को जो आवास दिये गये हैं उसका जो बजट होता है वह कुछ ही कर्मचारियों के भवनों में लगा दिया जाता है। उसकी कोई समय सीमा नहीं है कि कमरे में कब से कार्य नहीं हुआ है और कब से नहीं होगा। हमारे माननीय विधायकों को या अन्य अधिकारी जो जाते हैं यू0पी0 भवन में वहां पर इतनी ज्यादा समस्या होती है कि जिसको सभी विधायक महसूस करते होंगे। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि यहां पर रायल होटल और जितने भी यहां पर विधायक निवास हैं उन सब को सही कराया जाय। जो गाड़ियां माननीय मंत्री लोगों के उसमें चलती है, उनके भी डीजल का थोड़ा सा दिखवाया जाय, कितनी गाड़ियां किस अधिकारी और किस नेता के पास चल रही है, इसको भी थोड़ा देखा जाय। आवासों, भवनों, रख–रखाव की बुरी स्थिति है; यहां की पुताई वगैरह समेत जितने भी रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए चीजें होती हैं उसमें निम्न स्तर का कार्य होता है। यहां की पुताई आप दिखवा लीजिए मान्यवर, जो भी आवासों में पुताई होती है, वह बहुत ही घटिया किस्म की पुताई होती है। मान्यवर, राज्य सम्पत्ति विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है और मैं केवल इतना ही कहूँगा कि इन सबके लिए जो भी इन्होंने पैसा रखा है और दिल्ली में जो भारत सरकार से इन्होंने मांग की है जगह की, वह जगह अगर भारत सरकार नहीं दे सकती है तो हमारे पास नोयडा में हमारी जगह पड़ी है, नोयडा में ही अगर हम बना देते है तो भी काम चल जायेगा क्योंकि नोयडा और दिल्ली में कोई अन्तर नहीं है।

मैं अपने सुझाव दे रहा हूँ। नोयडा में भी अगर बनवा देंगे तो काम चल जायेगा अगर दिल्ली में नहीं बन सकता है.। उससे समस्या नहीं रहेगी। धन्यवाद।

*डा० राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, सिंचाई विभाग से सम्बन्धित एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे यहां गोरखपुर में महानगर की सुरक्षा के लिये एक महत्वपूर्ण बंधा है महेवा–मिलौली। इसके लिये जीएफसीसी ने 4 करोड़ 62 लाख रु० सेक्शन किया। 2008–09 में 80 लाख रु० अवमुक्त हुआ। जब अधिकारियों से पूछा गया तो उनका यह कहना था कि लरसड़ी–अजवयिन पर दीवार बनानी थी, उसको मजबूत बनाना था उसमें वह खर्च कर दिया गया। मान्यवर, काम जो करना था वह किया नहीं और जब जानकारी करनी चाही तो बताया नहीं। मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी के घर पर गया उन्होंने मेरे सामने सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को फोन किया और जानकारी देने को कहा। उनके निर्देश के बावजूद उन्होंने वह जानकारी उपलब्ध नहीं की। मान्यवर, आज अधिकारी इतने स्वच्छंद हो गये हैं कि उस अधिशासी अभियन्ता ने मंत्री जी द्वारा निर्देशित किये जाने के बावजूद जानकारी नहीं दी। उन पर कार्यवाही होनी चाहिए। मेरा यह कहना है माननीय मंत्री जी से कि उस योजना का जो अवमुक्त धन है अगले साल बाढ़ के पहले उस पर कार्य हो जाये। योजना स्वीकृत है। आप उस पर धन दिलवा दें।

दूसरे, मैं राज्य सम्पत्ति विभाग के बारे में कहना चाहता हूँ कि मैं विधायक निवास–5 में रहता हूँ उसकी छतें चू रही है, सीढ़ियां टूट रही है। सड़कों पर अगर आपको ले चलें तो वहां आपको बिना बारिश के पानी मिलेगा। सात साल से वहां पर रह रहा हूँ। एक दिन का खाना मांगे तो खाना नहीं मिल सकता है। हमें उसके लिये बगल के गेस्ट हाउस में जाना पड़ता है और वहां सामान्य आदमी की तरह बैठकर कैन्टीन में खाना पड़ता है। आपने राज्य सम्पत्ति विभाग का बजट प्रस्तुत किया है मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप विधायक निवास–5 की अव्यवस्थाओं को दूर करवा दें। मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि मुझे जो वहां पर गैरेज दिया गया है वह पूरी तरह से जर्जर हो गया है। उसको आप ठीक करवा दें। माननीय अध्यक्ष जी ने भी लिखा है। धन्यवाद।

*डा० पी0के0 राय–

मान्यवर, प्रदेश के सिंचाई विभाग के बजट पर कटौती प्रस्ताव जो डा0 अजय तोमर जी ने प्रस्तुत किया है, गन्ना विभाग के बजट पर कटौती प्रस्ताव जो श्री जर्नादन प्रसाद ओझा जी ने प्रस्तुत किया है और राज्य सम्पत्ति विभाग के बजट पर जो कटौती प्रस्ताव श्री अनूप गुप्ता जी ने प्रस्तुत किया है उस पर मैं बल देने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, माननीय सिंचाई मंत्री जी ने रहीम जी का नाम लिया। कहावत है बिन पानी सब सून। मान्यवर, हकीकत यह है कि जब यह सुनने को मिला आपके वक्तव्य में कि 73637 कि0मी0 कुल नहरों की लम्बाई में मात्र 26843 कि0मी0 नहरों की सफाई हो गयी है। आपने कहा कि जितना लक्ष्य निर्धारित किया था उस लक्ष्य को हमने प्राप्त कर लिया है। मान्यवर, जो नहरें किसानों के लिये अमृत का काम करती है अगर समय पर उनसे सिंचाई का कार्य हो जाये तो किसानों को फायदा हो जाये। मान्यवर, इन नहरों की सफाई का कार्य आपने निर्धारित लक्ष्य से 40 प्रतिशत

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया। उस पर कितना धन खर्च किया। उत्तर प्रदेश का 74.3 करोड़ रु० खर्च हुआ और उसमें से 54 करोड़ रु० आपको नरेगा से प्राप्त हुए है। मान्यवर, इस तरह से आपने इस प्रदेश की जो 18 करोड़ जनता है और वह प्रदेश जो कृषि क्षेत्र में अग्रणी है, उसके किसानों के खेतों के लिये मात्र 20 करोड़ रु० का इंतजाम किया है।

मान्यवर, जो रिर्पोट है गवर्नमेन्ट आफ इंडिया की वाटर रिर्सोसेज आर्गेनाइजेशन की इसमें 75 प्रतिशत जो हम आश्रित है वह 5 मुख्य नदियों पर है उसमें गंगा है, गण्डक है, घाघरा है, सोन है और गोमती है इन नदियों का जो मिलियन एकड़ फिट आंका गया है गंगा का वाराणसी में 54.50 और शेयर आफ कैचमेन्ट एरिया है 34.80, गंडक का बाल्मीकि नगर में 26.77 और कैचमेन्ट एरिया में शेयर है 8.45, घाघरा का तुर्तीपार में 50.61 और शेयर है 50.61, सोन नदी का चोपन में 9.25 और शेयर है 1.23, गोमती का नयाघाट पर 3.97 और 3.97। जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूँ क्यों कि समय का अभाव है, आप अभी बत्ती जला दीजिएगा। मान्यवर, मैने इसलिए इसको पढ़ा इसके बाद भी मुझे इस बात की तकलीफ है और उसका इजहार मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूँ कि गंडक जैसी नदी की चर्चा आपके चजट में नहीं के बराबर है केवल एक जगह पर आपने उसका उल्लेख किया है। जीरो से लेकर 4.00 कि०मी० तक जो गंडक नहर है उसकी पटरी को बनवाने का काम करेंगे अब जीरो कहाँ से लिया है आपने अभी कल ही कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मैने इस बात को उठाया था। मुख्य पश्चिमी गंडक कैनाल नैपाल से निकलती है बाल्मीकि नगर बैराज से निकलती है, जिसका 18.9 किमी का एरिया नैपाल में है और जिसके रख/रखाव की जिम्मेदारी बिहार सरकार की है और यही मैंने निवेदन किया था यहाँ से कि उस 18 कि०मी० का जिसके रखरखाव की जिम्मेवारी बिहार सरकार की है वहाँ पर सिल्ट इजेक्टर सिस्टम खराब हो चुका है वह सिल्ट इजेक्टर सिस्टम अगर ठीक हो जाता तो जो इतनी बड़ी नहर जो आपके उत्तर प्रदेश में 112 कि०मी० चलती है और महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर जनपद के 333 हजार हेक्टेअर जमीन की सिंचाई का कार्य करती है उससे जो 40 परसेन्ट आपूर्ति हो रही है उससे किसानों का लाभ हो सकता था। मैं पुनः इस बात पर बल देता हूँ और माननीय अधिष्ठता जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में इस बात को लाते हुए कहना चाहता हूँ कि आपने कल एक बात कह दिया, मान्यवर, यह नहर आपकी है, आपके उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोगों की बहबूदी के लिए सन् 1961 में बनना शुरू हुई थी और 1971 में जाकर के पूरी हुई। आज हमारे सामने समस्या है कि आज हम उसका रख रखाव नहीं कर पा रहे है। उसका आगणन बना हुआ है। आपने मात्र टोकन मनी एक करोड़ रूपये का आवंटन किया।

मान्यवर, जिसकी लाइने क्षतिग्रस्त हो गयी हो, गेट टूट गये हो, सिल्ट से वह नहरें पटी पड़ी हो जिसका इनफ्रास्ट्रक्चर डेढ़ हजार कि०मी० से ज्यादा का हो आखिर किस तरह से वैसी नहर से पानी आ पायेगा। मान्यवर, दूसरा श्रोत ट्यूबवेल का है स्टेट ट्यूबवेल की संख्या, और आपने इस बार एक अच्छा निर्णय लिया है कि ट्यूबवेल की हम सप्लाई एक अलग फीडर से करेंगे लेकिन आपकें बजट भाषण में इस बात का उल्लेख नहीं हुआ कि अलग से फीडर से अगर आप सप्लाई करेंगे तो वह जो सप्लाई होगी आपकी वह कितने घन्टे के लिए होगी। उस ट्यूबवेल की सप्लाई जो अलग फीडर से करेंगे वह विद्युत की आपूर्ति जब होगी तभी उस ट्यूबवेल का कुछ मतलब होगा। मान्यवर, ट्यूबवेल के द्वारा, कैनाल के द्वारा, पम्प कैनाल के

द्वारा और माइनर लिफट कैनाल के द्वारा सिंचाई का कार्य होता है। इसमें आपके पास क्षमता है 80.70 लाख हेक्टेयर की 2007–08 तक रही है लेकिन उसके सापेक्ष 41.29 लाख हेक्टेयर की ही सिंचाई हो पा रही है। जो प्राइवेट ट्यूबवेल है निःशुल्क बोरिंग जिसकी आप कराते है। मुझे नहीं पता कि उसका यहाँ कहना मुनासिब होगा कि नहीं माननीय, मंत्री जी, तो इस तरफ आपका संज्ञान दिलाना चाहता हूँ क्योंकि सबसे ताकतवर मंत्री आप इस सरकार के है, इसमें कहना चाहता हूँ कि निःशुल्क बोरिंग जो कराई जा रही है वह निःशुल्क बोरिंग 4 मिलीमीटर के पाइप से कराई जा रही है। जो पाइप बहुत जल्दी खराब हो जा रहा है और खुदा न खास्ता अगर आप पाइप के रीबोरिंग की आवश्यकता पड़ती है तो वह पाइप निकालकर रीबोर नहीं किया जा सकता है। मेहरबानी करके 6 कि०मी० के पाइप से बोरिंग कराने का इंतजाम सरकार कराये तो अगर उसमें रीबोरिंग की भी आवश्यकता पड़ेगी तो वह पाइप दुबारा इस्तेमाल हो सकता है। सिंचाई से संबंधित आखिरी सुझाव देना चाहता हूँ। एक सिंगिल फेज का मोटर आ रहा है और वह सिंगिल फेज का मोटर कहीं पर भी ले जाकर लगा सकते है, उसकी 10 हजार रूपये कीमत है, उससे सिंचाई हो सकती है। सरकार अगर सिंचाई का इंतजाम पूरा नहीं करा पा रही है तो सरकार उसको भी अनुमति देने का काम करें क्योंकि ऊर्जा विभाग उसको स्वीकार नहीं करता है। तो ऊर्जा विभाग को भी इस बात से सहमत कराने की आवश्यकता है कि उसकी अनुमति देने का काम करें। सिंचाई से ही जुड़ा हुआ प्रश्न और अब इसके बाद बाढ़ का विषय आ जाता है कि कहां पर पानी की आवश्यकता है और कहां बाढ़ की समस्या है। क्योंकि मैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हूँ। इस वजह से मैं वहाँ तक ही आपका ध्यान आकृष्ट करके सिंचाई से हटकर, गन्ना पर दो मिनट बोल कर बात खत्म कर दूँगा। मान्यवर, बड़ी गंडक नदी हमारे कुशीनगर और महराजगंज जनपद से होकर गुजराती है। बड़ी गंडक नदी नेपाल से निकलकर आती है। मै आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने पिछले साल के पहले साल वहाँ पर जाने का काम किया था और मेरे विधान सभा क्षेत्र में ए०पी० बंधा और अमवाखास बंधा दो बंधे है उन दोनों बंधों के ऊपर हर साल यह खतरा बना रहता है और माननीय मंत्री जी जिस बिन्दु पर आप गये थे, अमवाखास के 4.3 और 4.9 पर पुनः खतरा बना हुआ है और बाढ़ बचाओ कार्य के बारे में मेरा इतना निवेदन है कि बजट का जो आवंटन है अक्सर यह बात निकलकर आती है कि बजट का आवंटन समय से न होने के नाते जो बाढ़ बचाओ का कार्य है, वह गुणवत्तापरक ढंग से और मजबूती के साथ नहीं हो पाता है। आप पिछली बार जब गये थे तो जब आपको इस समस्या से अवगत कराया गया तो आपके मौके पर ही एक करोड़ रूपया अवमुक्त करने का काम किया था। उसी तरह से ए०पी० तटबंध 2.41 और 9.5 कि०मी० इन दोनों जगहों पर नदी की धारा इस तरह से घूमी हुयी है कि अगर उसके रोकने और बचाव का इंतजाम नहीं होगा तो हो सकता है कि वह बंधा पूरी तरह ध्वस्त हो जाय और नदी धारा ही बदल जाय।

गन्ने का जहाँ तक सवाल है। गन्ने के भुगतान के बारे में आपने बताया। गन्ना क्षेत्र से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ भले ही डाक्टर हूँ तो क्या हुआ। लेकिन इसीलिये बैठा हुआ हूँ। गन्ने के भुगतान के बारे में आपने बात की, इसके ऊपर मै किसी तरह का भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित किया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ने का संबंध रोटी–बेटी का संबंध है। गन्ना कभी नगदी फसल कहलाया करती थी लेकिन आज की तारीख में गन्ना उधार की फसल हो गयी है। मान्यवर, ऐसा क्यों हुआ आपने

लक्ष्य निर्धारित किया था 70 टन प्रति हेक्टेयर लेकिन आपका लक्ष्य गया 17 मीट्रिक टन। 56.46 से बढ़कर वह ऊपर नहीं आया। गन्ने का एकड़ेज घट रहा है। गन्ने का एकडेज क्यों घट रहा है क्योंकि गन्ने की उपज का लाभकारी दाम नहीं मिल रहा है और मान्यवर, जो चीनी का उत्पादन रहा है, उसमें आपके ही आकड़े बताते है कि सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन पहले करता था महाराष्ट्र लेकिन वहीं पर 2003--2004 में जब महाराष्ट्र में पैदा होता था 31.75 लाख टन तो हमारे यहाँ पैदा हुआ 45.51 लाख टन। जब महाराष्ट्र में पैदा हुआ 22.17 लाख टन तो उत्तर प्रदेश ने पैदा किया 50.37 लाख टन। जब महाराष्ट्र में पैदा हुआ 51.97 लाख टन तो उत्तर प्रदेश ने पैदा किया 57.84 लाख टन और 2006--07 में हमने 84.75 लाख मीट्रिक टन चीनी उत्पादित किया।

जबकि महाराष्ट्र में 90.95। मेरा कहने का मतलब यह है कि वर्ष 2007--2008 में और 2008--2009 में चीनी की पैदावार क्यों घट गयी। 2006-- 07 में आप 84 पर ले जाते है और 2007--08 में 84.19 और 2008--09 में 62। अगर आपका एकड़ेज घट गया 2007--08 में 28.50 और 2008--09 में 21.40 तो धीरे--धीरे गन्ने का एकड़ेज घटता जा रहा है। कहां तो हम महाराष्ट्र के बराबर और महाराष्ट्र से आगे निकलने की बात करते थे और कहाँ आज हम बिल्कुल पीछे होते चले जा रहे हैं। इसलिए मान्यवर, इस चुनौती को स्वीकार करने की आवश्यकता है कि गन्ने का एकड़ेज कैसे बढ़ेगा, गन्ने का उत्पाद कैसे बढ़ेगा, रिकवरी कैसे बढ़ेगी।

श्री अधिष्ठाता--

मा० राय साहब समाप्त करें।

डा०पी०के० राय--

मान्यवर, अच्छी पैदावार के लिए अच्छा बीज उपलब्ध कराना जरूरी है। गन्ना अनुसंधान एवं प्रजनन संस्थान सेवरही में बना, मान्यवर, इतना बड़ा रिसर्च सेन्टर सरकारी उपेक्षा का शिकार है। आप एक तरफ कहते हैं कि गन्ना किसानों को अच्छी नस्ल का बीज मिलना चाहिए वहीं दूसरी तरफ जो ऐसी जगहें हैं वह आपकी उपेक्षा का शिकार हैं, उस ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करते हुए और अपनी बात पर बल देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता--

मा० शुक्ला जी, आप अपनी बात कहें।

(श्री आरिफ अनवर हाशमी के खड़े होने पर)

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला--

मा० अधिष्ठाता महोदय ने मेरा नाम पुकार लिया है।

श्री अधिष्ठाता--

पहले शुक्ला जी कह लें उसके बाद आप अपनी बात कह लीजिएगा।

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला--

मा० अधिष्ठाता महोदय, आपने हमें डा० अजय तोमर के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, आपको बहुत--बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता--

मा० सदस्यगण कृपया समय का ध्यान रखें ताकि सभी को मौका मिल जाय।

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला--

मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 20--22 नदियाँ निकलती हैं। राप्ती, बूढ़ी राप्ती आदि और यह सब एक ही साथ बरसात में भरकर निकलती हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। हमारे वहाँ एक शहर है उसका बाजार शहर सुरक्षा बाँध मा० मंत्री जी नदी से बहुत दूर था और इस समय वह टूटने के बिल्कुल कगार पर है। अभी आपने हमारे अतारांकित प्रश्न के उत्तर में जवाब भी दिया है कि इसके सुदृढ़ीकरण के लिए प्रयास किया जा रहा है, धन आवंटित होने पर यह कर दिया जायेगा। मान्यवर, अगर यह कार्य आने वाले वित्तीय वर्ष में कर दिया जाय तो अच्छा होगा क्योंकि बहुत बड़ा शहर है। एक बार वर्ष 1981 की बाढ़ में वह टूट गया था और करीब उसमें लगभग सौ लोग मर गये थे। वर्ष 1982 के बाद आज तक उस बन्धे की कोई सुरक्षा नहीं की गयी है, बहुत जर्जर हालत में पड़ा है इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि कृपापूर्वक इसको ठीक कर लें। दूसरी बात, हमारे यहाँ जो बाढ़ के स्थायी समाधान की बातें हैं। मान्यवर, नेपाल के बार्डर पर एक बन्धा बन रहा था और उस बन्धे के बीच में एक पुल था, नेपाल के लोग आ करके जबर्दस्ती उसे रोक दिये कि यह नहीं बनेगा वह सिंचाई विभाग द्वारा बन रहा था और तब से ले करके आज तक वह पड़ा हुआ है। अगर वह बन्धा बन जाये और उस पुल का निर्माण हो जाये तो हम पूरे जनपद वाले बाढ़ से बच जायेंगे और जो आधा पुल और आधा बन्धा बन करके तैयार है लेकिन पिछले कई सालों से यह ऐसे ही पड़ा है और रसियावाल फला एवं रसिया वल खुर्द के बीच दोनों के बीच में गड़बड़ होता है। मैं तीसरी बात कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ किसी जमाने में जमीन में गन्ने की मिल थी आन्नद नगर, हमारे यहाँ गन्ने की मिल थी बढ़नी, हम लोग जब छोटे--छोटे थे तो हमारे यहाँ बहुत अधिक गन्ना बोया जाता था आज एक भी गन्ना हमारे जनपद में नहीं बोया जाता है। एक शुगरमिल है रूदौली वह हम लोगों के यहाँ से न गन्ना खरीदता है न लेता है तो मा० मंत्री जी आपकी कृपा हो जाये तो हम लोग भी गन्ना पैदा करें, अगर एक उधर भी मिल हो जाये तो सरकार की मेहरबानी होगी। हमारे आदरणीय पाण्डेय जी बैठे हुए थे, जब अपने समय में मा० मुलायम सिंह यादव जी ने गन्ना मिल का वहाँ शिलान्यास भी किया था और वह सारी जमीन भी आज पड़ी हुई है तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि आपने इनके तमाम अधूरे कार्यो को पूरा किया है अगर यह सरकार दरियादिली करके इसको भी पूरा कर दे और गन्ना मिल चल जाये तो बड़ी कृपा होगी। सबसे पिछड़ा वह इलाका है इसलिए मैं आपका ध्यान उस ओर आकृष्ट करते हुए और पुनः कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

*श्री आरिफ अनवर हाशमी--

मा० अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से एक सुझाव देना चाहता हूँ कि उत्तराँचल राज्य का जब गठन हो गया तो उत्तर प्रदेश की जो भी सम्पत्ति वहाँ थी वह उत्तराँचल राज्य में चली गयी। दिल्ली में भी एक भवन उत्तराँचल को दे दिया गया और उत्तराँचल राज्य में चली

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गयी। दिल्ली में भी एक भवन उत्तरॉचल को दे दिया गया और उत्तरॉचल ने अपने अधिकारियों के, जन-प्रतिनिधियों के, विधायकों, मंत्रियों के लिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी बना लिया है।.....लेकिन बड़े दुःख की बात है कि उत्तर प्रदेश का कोई भी भवन उत्तरांचल में, न नैनीताल में, न देहरादून में अब राज्य सम्पत्ति विभाग के पास नहीं है, जैसाकि यह साहित्य छपा है उसमें दिया गया है। उत्तरांचल चूँकि हमारा प्रदेश था हमसे जुड़ा हुआ था। हम आपके माध्यम से सरकार को सुझाव भी देते हैं और माँग भी करते हैं कि चाहे देहरादून, नैनीताल या मसूरी में कहीं एक बना दें। मुम्बई में जो अधूरा है उसे तो पूरा करा दें लेकिन उत्तरांचल में देहरादून, मसूरी या नैनीताल में कहीं उत्तर प्रदेश का एक भवन यह सरकार बनवाये। इसी के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूँ।

* श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ सुझाव देना चाहूँगा। मा० अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश में बहुत सारी नहरें, बहुत सारी परियोजनायें बहुत लम्बे समय से लंबित है जिस प्रकार बहराइच जिले में घाघरा नदी है, सरयू नदी परियोजना 30 वर्षों से अधूरी पड़ी हुई है हालाकि काम चल रहा है। सोनभद्र जिले में कनहल नदी, वाण सागर नहर परियोजना पूर्वी गंगा नहर परियोजना, राजघाट नहर परियोजना, ये बहुत सारी नहरे हैं जो अधूरी पड़ी हुई है, यह बहुत लम्बे समय से पड़ी है। जब ये योजनायें शुरू हुई और तो जो बजट स्वीकार हुआ था उससे अधिक बजट बढ़ गया है। मा० अधिष्ठाता महोदय, मा० मंत्री जी से यह कहना है कि जो अधूरी योजनायें है उनको शीघ्र पूरा कराया जाए। उत्तर प्रदेश में जो आपने राजकीय नलकूपों के बारे में कहा है कि 2008–2009 में 670 नलकूप लगाने की बात कही है। 2008–2009 में 790 लगे, और वर्तमान में 900 के करीब लगाने की बात कर रहे हैं। मा० अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से मेरा कहना यह है कि उत्तर प्रदेश में बहुत छोटे काश्तकार रह गये हैं, 1,70,00,767 काश्तकार ऐसे हैं जिनके पास आधा हेक्टेयर जमीन यानी कि करीब 8 बीघे जमीन या 2 बीघे पक्की जमीन है। उन काश्तकारों की क्षमता ऐसी नहीं है कि वह किसी प्रकार से अपनी सिंचाई की व्यवस्था कर लेगें। हमारे यहाँ 403 विधान सभायें हैं तो अब 600 या 900 नलकूपों से काम चलने वाला नहीं है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि इसके लिए आप और कहीं बजट में कमी कर लें या बजट बढ़ा लें लेकिन प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में कम से कम 15–20 राजकीय नलकूप लग जाएं तो सिंचाई व्यवस्था ठीक हो सकती है जिससे हमारी पैदावार बढेगी। क्योंकि आबादी बढ़ रही है, पैदावार कम हो रही है। इसलिए आवश्यक है कि सिंचाई की सुविधा बढ़ाई जाए और छोटे काश्तकारों को उसी से लाभ मिलेगा। नरेगा से 54 करोड़ रूपयों में नहरों की सफाई कराने की बात कही गयी है, उसमें ठीक प्रकार से काम नहीं हो पा रहा है और नरेगा के तहत जो कार्य हो रहे हैं ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहे हैं। आपके पास वैसे भी सिंचाई विभाग 72,450 कि०मी० की नहरें थी, 1100 कि०मी० दूसरे प्रदेश में चली गयी है, इनका अनुरक्षण ठीक प्रकार से हो, इनकी सफाई ठीक से हो ताकि सिंचाई की सुविधा बढ़ सके। यह मेरे सिंचाई विभाग के बारे में कुछ बातें हैं।

मान्यवर, मैं गन्ना विभाग के बारे में दो बातें कहना चाहूँगा। मा० मंत्री जी हमारे बड़े मित्र हैं, विद्वान भी हैं और अपनी विद्वता के कारण उत्तर प्रदेश के किसानों का और उत्तर प्रदेश में गन्ना विभाग का जो हाल हुआ है उसके बाद भी बड़ी सफाई के साथ कहा है कि हम गन्ने

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। मा० अधिष्ठाता महोदय, गन्ने का यदि 2007-2008 में देखा जाए तो इस प्रदेश में सोलह हजार आठ दशमलव पचास लाख टन का उत्पादन हुआ और चीनी का 73.19 लाख टन उत्पादन हुआ। 2009-2010 में गन्ने का उत्पादन 1070 लाख टन रह गया यानी 6 लाख टन गन्ने की कम पैदावार हुई फिर भी मा० मंत्री जी ने बड़ी सफाई से उत्तर प्रदेश में गन्ने की बात कही है..... चीनी 73 लाख से घटकर 40 लाख टन जो इस बार घटकर आधी रह जाएगी। आपने बार–बार कहा कि हमने 25 रुपये कुंतल गन्ने के दाम बढ़ा दिए इस सम्बन्ध में कहना हैं कि जब चीनी का रेट 1100 रुपये कुंतल था तब गन्ने को रेट 100 रुपये कुंतल हुआ करता था। पिछले वर्षा से चीनी के दाम दो से ढाई गुना बढ़ गए हैं। किसानों को जो 270 रुपए प्रति कुंतल मिल रहा है उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है यह किसानों ने अपने बलबूते पर प्राप्त किया है। गन्ने के क्षेत्र में कमी आई है चीनी के उत्पादन में कमी आई है फिर भी सरकार का यह कहना कि हम गन्ने के ऊपर ध्यान दे रहे हैं इसमें उनकी कोई गलती नहीं है मंत्रीजी विद्वान है उनको दूसरे कई विभाग मिले हुए हैं इसलिए उनको गन्ना विभाग के लिए समय ही नहीं मिलता है। मेरा अनुरोध है कि गन्ना क्षेत्र बढ़े, चीनी का उत्पादन बढ़े इसके लिए जो भी कर सकते है करें। मेरे जिले बुलन्दशहर की पाँच छ छोटी छोटी समस्याएं है अधिष्ठाता महोदय आप बताएं तो मैं यहाँ पर रख दूँ नहीं तो मैं आपकी अनुमति से मंत्री जी को भिजवा दूँगा।

श्री अधिष्ठाता–

आप भिज़वा दीजिए।

श्री राम सागर अकेला–

अधिष्ठाता जी, आज आपने माननीय सिंचाई गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री द्वारा रखे गए बजट के समर्थन पर मुझे बोलने को अवसर दिया इसके लिए मैं आभारी हूँ। एक महान विद्वान ह्यूमर की कहीं हुई बात कि मेहनत एक ऐसा योद्धा है जो सब पर विजय प्राप्त करता है साथ ही सबका मित्र भी है पूरे सदन के सभी सम्मानित विधायक यह बात जानते है कि माननीय मंत्री जी अपने आचरण से वह मित्र भाव से सबका काम करते हैं गन्ना विकास मंत्री जी ने इस सूक्त को चरितार्थ किया है जिन्होने बहुजन महापुरुषों की महाज्योति बहन कुमारी मायावती के कुशल मार्गदर्शन में आत्मसात करके आत्मसम्मान के इस बहुजन मिशन को मजबूरों, मजदूरों, बेसहारों सर्वहोरों, बहुजन से चलकर सर्वजन तक पहुँचाया है इस मान सम्मान, स्वाभियान रोटी–कपड़ा और मकान दिलाने वाले मिशन के बहुजन समाज पार्टी की नीवं गरीबों पिछड़ों दलितों किसानों नौजवानों सर्वसमाज के समतामूलक बुद्धिमानों पर टिकी है जिसमें भाई चारा का संचार करती है बहन कुमारी मायावती जी आज उन्ही के कुशल मार्ग दर्शन का परिणाम है यह गन्ना विभाग का बजट जिस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय विधायकगण भी अधिष्ठाता जी इस बजट पर मैं अपनी बात रखूँ कल सदन के एक बहुत सम्मानित सदस्य जो काफी लम्बे अरसे से सदन में आते रहे हैं दुख के साथ कहना पड़ता है दुख के साथ इसलिए कहना पड़ रहा है कि संसदीय परम्पराओं का सम्मान हो इस सम्मानित सदन में मैंने कल भी कहा था आज भी कहना चाहता हूँ कि जिस शब्द का उल्लेख इस सदन में किया जाता है उसे तुरन्त कार्यवाही से निकाल दिया जाता है फिर भी उस सम्मानित सदस्य ने माननीय सदन में, बार–बार उस शब्द का उल्लेख करके जन भावना

को, ठेस पहुँचाने का जो काम किया है उनके बारे में इतना ही कह सकता हूँ कि जिन्हें जमीं पर भी रहने का सऊर नहीं। उन्हीं का तकाजा है आसमा ले लो। अधिष्ठाता जी बहन कुमारी मायावती जी बहुजन मिशन की महाज्योति हैं जिनके कुशल नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी की सरकार चल रही है।

माननीय अधिष्ठाता जी, गन्ना किसानों के हित में उत्तर प्रदेश की यह सरकार, बहिन कुमारी मायावती जी की यह सरकार केन्द्र सरकार के दबाव के बावजूद भी यह सभी सम्मानित सदस्य जानते हैं कि केन्द्र सरकार के दबाव के बावजूद भी चीनी मिल मालिक जो कच्ची चीनी विदेश से लाकर के उसको प्रोसिसिंग कर के लाभ कमान चाहते थे लेकिन उत्तर प्रदेश की यह सरकार बहिन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर गन्ना मंत्री ने उस चीनी को केन्द्र सरकार के दबाव में भी नहीं उठने दिया जिसका परिणाम है कि आज गन्ना किसान ज्यादा कीमत इस प्रदेश में पा रहा है। क्या यह गन्ना किसानों के हित में नहीं है, फिर यह हमारे विपक्षी दल के साथी बार–बार यह क्यों कहते हैं कि गन्ना किसानों ने अपने बल पे[illegible] अपने बल पर नहीं। उत्तर प्रदेश की सरकार अगर मिल मालिकों को कच्ची चीनी उठाने की सहमति दे देती तो मिल मालिक आपके गन्ने को इतना दाम नहीं देते और प्रोसेसिंग करके वह ज्यादा कमा सकते थे। लेकिन प्रदेश की सरकार ने गन्ना मंत्री के मार्ग दर्शन में केन्द्र सरकार के दबाव को नजरअंदाज करते हुए इस काम को किया है इसलिये मैं इस बजट के समर्थन में यह बात कहते हुए आपसे यह सवाल करना चाहता हूँ। जब हम सच्चाई वाला सवाल करना चाहते हैं तो क्यों हमारे सदन के सम्मानित सदस्य उसको सुनना नहीं चाहते हैं। कल सदन में लोगों ने कहा, सम्मानित सदस्य ने कहा हम ढेले से नहीं हम इस सदन में खड़े हैं हमारे तमाम ऐसे साथी सदन में खड़े हैं जो नालियों में मैले की तरह थे बहिन कुमारी मायावती ने हम जैसे लोगों को इस सदन में विधायक बनने का मौका दिया है। हम लोग जीवन भर उनके ऋणी हैं। क्या मैं यह सवाल कर सकता हूं कि जिस समाज में हम पैदा हुये हैं, ऐसे लोगों से हम अपनी बात पूछ सकते हैं कि एक [***] के रूप में जो दलित पैदा हुआ है। आप अपनी टट्टी नहीं धो सकते लेकिन दलित [***] के रूप में खड़े होकर के हम दूसरे की टट्टी को फेंकने की हिम्मत रखते हैं, क्या आप रख सकते हैं ? हम [***] दलित के रूप में रह कर, आप अपना गन्दा कपड़ा नहीं साफ करते हैं लेकिन हम आपके गंदे कपड़ों को साफ करके आपको सम्मान देने का काम करते हैं, आप कर सकते हैं ? आप जिसे गौ माता कहते हैं, जब उसका अंतिम संस्कार होता है तो [***] दलित के रूप में हम उसका संस्कार करते हैं, क्या आप संस्कार कर सकते हैं ? यह तमाम अनगिनत प्रश्न हैं जिसका उत्तर यह बहुजन मिशन चाहता है और आज जब गन्ना उद्योग, चीनी उद्योग, सिंचाई के बजट पर चर्चा चल रही है तो माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि जब 73,737 किलोमीटर में हमारा नहरों का जाल है। हमारा नहरों का जाल 73,737 किलोमीटर का है, जिसमें लगभग 26 हजार किलोमीटर से ऊपर की सिल्ट से आच्छादित थी। हमने प्रयास करके, हमारा लक्ष्य था 26 हजार किलोमीटर से ऊपर की हम सिल्ट को हम साफ करेंगे। शत प्रतिशत इस सरकार ने सिल्ट को साफ कराकर नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने का जो उत्तम काम किया है इसके लिये सिंचाई मंत्री बधाई के पात्र हैं। (मेजे थपथपाई गई)। हम अपनी बात को बहुत ज्यादा

नोट :-[***] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

आगे न बढ़ाकर इस बजट का समर्थन करते हुये माननीय मंत्री को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बहिन कुमारी मायावती जी के कुशल निर्देशन में किसानों के लिये जो साहसिक कदम उठाये हैं, उसके लिये धन्यवाद के पात्र हैं।

श्री संजीव दरियाबादी "बन्टी"–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो [***] शब्द का प्रयोग माननीय सदस्य ने किया है, इसको कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

अधिष्ठाता महोदय, धीरे–धीरे बहुत दिनों से बिगड़ती हुई सिमटती जा रही है एक ही दिन में चार–चार, दस–दस बजट। मैं किसी सरकार अकेले का दोष नहीं देता जिससे इस पर व्यापक चर्चा नहीं हो पाती है और यहां जो कमियां है वह सरकार तक पहुंच नहीं पाती हैं। आप जितनी परियोजनाएं हैं, आपने उसमें योजनागत और राजस्व व्यय के रूप में भारी धनराशि आवंटित करते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो कोई भी योजना आपकी निर्धारित समय पर पूरी नहीं होती और यह जब तक आप इसको निर्धारित समय पर पूरा करेंगे तब तक परियोजनाओं की लागत बढ़ती जाती है। मैं एक उदाहरण आपको सरजू परियोजना का देना चाहता हूं जहां से मैं आता हूं। मेरे ही सामने भारत सरकार के केन्द्रीय मंत्री ने उसका शिलान्यास किया। उस समय उसकी लागत 3 अरब 27 करोड़ कुल लागत थी उस परियोजना की, इस समय आप दो हजार क्या, 2 हजार 300 करोड़ आप उस पर खर्च कर चुके, और परियोजना पूरी नहीं हुई। यह जो वित्तीय भार बढ़ता जाता है, अगर हम समय से परियोजना को पूरा करा लें, तो इस पैसे को हम दूसरे मद में खर्चा कर सकते हैं इसलिये सरकार को इस पर कठोर होना पड़ेगा कि जो निर्धारित समय में परियोजनायें पूरी होती है तो उसे पूरा करना चाहिये यह नहीं हो पा रहा है। यह जो बंधा बनता है राजनैतिक दबाव में, हम लोग भी जहां बाढ़ आती है घेरकर एक गांव बना देते हैं इससे जितनी बाढ़ की समस्या कम नहीं होती है उससे ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप हाथी कमीशन की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो हाथी कमीशन की रिपोर्ट से आज तक बाढ की रफ्तार बढ़ी है जितना हमारा बजट बढ़ता है उससे ज्यादा बाढ़ हर साल बढ़ जाती है। इस पर हमको गम्भीरता से सोचने की जरूरत है। हमारी कमियां कहां है, जिसके कारण यह होता है, अच्छा होता क्या है, हमने एक बांध, यहां बना दिया, एक पानी उबला दूसरे गांव को डुबो दिया तो बहुत अच्छे सुविचारित ढंग से विचार करके जानकारी करके हमें बांध बनाना चाहिये। मेरे क्षेत्र में एक बांध था आपने विश्व बैंक की बात की। हमने बड़ी मेहनत से उस परियोजना के लिये आठ करोड़ रुपया एलाट कराया, परियोजना के लिये पैसा गया, पैसा गया तो काम क्या हुआ मैं नहीं जानता, मुझे बताया गया कि काम पूरा है काम पूरा नहीं जब मैंने यहां असेम्बली में कहा तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच करा लेंगे। अभी टी0ए0सी0 जांच करने गई थी असोकवा मदरहवाबाद, अब टी0ए0सी0 ने जांच किया तो इंजीनियर हमारे सामने कह रहे थे, साहब 40 परसेन्ट हमने काम किया है तो मैंने

नोट :-[***] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पूछा, आप तो कह रहे थे पूरा कर दिया, रुपया कहां गया, तो इन्होंने कहा कि हमारी जो देनदारी पुरानी थी दूसरी परियोजनाओं की जो देनदारी हमारी थी उसमें हमने भुगतान कर दिया यह परियोजना हमारी रह गई। तो इस पर भी रोक लगनी चाहिये जिस परियोजना का धन जाए उसी पर खर्चा करना चाहिये। पुरानी देनदारियों के चक्कर में न रहें, क्योंकि पुरानी देनदारियों के चक्कर में न तो यह परियोजनायें, न तो पुरानी परियोजनायें पूरी हो पाती है और न ही नई हो पाती है यह मेरा सुझाव है।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा आपकी जो नहरें है कैनाल है, जो उससे चलाते हैं वह नहीं, लेकिन जो आप नदियों से निकालकर छोटी–छोटी नहरें बना रहे हैं, पम्प कैनाल, यह बिजली से चलती है तो बिजली से जब पानी निकलता है तो कितनी बिजली चली और कितने क्यूसेक पानी निकला, होता क्या है, आपकी नालियां ठीक नहीं है, नहरें ठीक नहीं है वह कट जाती है और जब कट जाती है तो किसानों के खेत डूब जाते हैं परिणाम क्या होता है आपका एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, आपके अधिकारी अपने को जस्टीफाइड करने के लिये उन खेतों में जहां पर खेती में पानी नहीं जाता है उन पर भी मालगुजारी लगा देता है और वसूली जाती है तो हम लोगों को दिन भर तहसील में दौड़ना पड़ता है तो इसको कठोरता से आप लागू करें जो पानी कटता है उसकी जिम्मेदारी फिक्स करें। जो पानी हमारे खेत में जाना चाहिये वह कटकर बरबाद हो जाता है जिससे फसल बर्बाद होती है, आपके यहां फसल का मुआवजा देने का प्राविधान है तो दो नुकसान होता है एक तो बिजली का नुकसान हुआ पानी गया, दूसरे आपने अपने खजाने से मुआवजा दिया। तो इस पर भी मेरा आपसे आग्रह है इस पर आप गम्भीरता से सोचेंगे तो बहुत सी धनराशि आपकी बच जाएगी और किसानों की आधी समस्या भी खत्म हो जाएगी। चीनी के बारे में हमारे शुक्ला जी ने कह दिया कि चीनी मिल लग रही थी लेकिन वह लगाने वाला अपनी दोनों मिलें बेचकर चला गया वहां क्या लगाता। शुक्ला जी मैने प्रयास किया था चीनी के बारे में हम लोग कभी भी आज तक, आप मंत्री रहे हैं मैं खुद कई यूनीवर्सिटियों में रहा हूँ, मैनेजमेन्ट कमेटी में रहा हूं, पंत नगर में भी रहा हूं आचार्य नरेन्द्रदेव में भी रहा हूं, बहुत प्रयास किया कि लागत मूल्य पता लग जाए कि लागत मूल्य क्या है, अगर हमारे गेहूं का लागत मूल्य, हमारे धान का लागत मूल्य, हमारे चीनी का लागत मूल्य पता लग जाए तो आपको गन्ने का दाम निर्धारित करने में सहूलियत होगी। क्योंकि आज कोई भी सरकार गन्ने का लाभकारी मूल्य नहीं दिला पा रही है। आप केवल सपोर्ट प्राइज देते है। लाभकारी मूल्य नहीं देते हैं। सपोर्ट प्राइस से व्यापारियों का, महाजनों का, मिल मालिकों का फायदा है किसानों का फायदा नहीं है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि चीनी के मामले में आप उसकी एक नीति बनावें, और उसी के आधार पर इसका दाम का निर्धारण होना चाहिए, लाभकारी मूल्य होना चाहिए, सपोर्ट प्राइज नहीं होना चाहिए। एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा आपने राज्य सम्पत्ति का कर दिया यह बहुत सुविधायें विनाश का कारण बनती है। हम लोगों को बहुत सुविधाएं मिल गई, सारी सुविधाएं मिल गई, मैं विरोधी नहीं हूं, सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं।

(कुछ सदस्यों के कुछ कहने का प्रयास करने पर)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

देखिए, मैं शुरू से इसका विरोधी रहा हूं, जब पहली बार यहां पेन्शन का प्रस्ताव आया था तो मैं अकेला विधायक था, खड़ा होकर उसका विरोध किया था और तत्कालीन मंत्री

वीर बहादुर सिंह जी ने और लोक पति त्रिपाठी ने मुझे, यह बहुत सुविधाएं हो गई है, हमें सामान्य नागरिक की तरह रहना चाहिये, नेता जनभूषा, जनभाषा, जनता के बीच का आदमी होता है, उसे अगर आप अधिकारियों की बराबरी में लाकर बैठायेंगे तो फिर जनता से दूरी बढ़ती है, इसी का परिणाम है कि लोकतंत्र के प्रति लोगों की रूझान कम हो जायेगा और लोकतंत्र के प्रति लोगों की लगन कम हो जायेगी। इसलिये बहुत ज्यादा सुविधाएं देने की आवश्यकता नहीं है। रोज यह चाहिये, वह चाहिये, वह चाहिये। गनर सुविधा जो है, जब हम एम0एल0ए0 नहीं रहते हैं, हमको तो नहीं खतरा रहता है, जब एम0एल0ए0 हो जाते हैं तो गनर चाहिये। एक गनर को छोड़कर दो गनर चाहिये। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे कहना चहता हूं, मेरे पास एक गनर है, मैं कहता हूँ चले जाओ, जाता नहीं है। मैं आपसे कहता हूं कि वह सुविधा आप वापस ले लीजिये, वह सुविधा मुझे नहीं चाहिये, मर जाना बेहतर है, अगर हम राजनीतिक लोग जनता के बीच में हथियारों के साथ में जायेंगे तो यह जनतंत्र बहुत पनपेगा नहीं, इसलिये लोकतंत्र की रक्षा के लिये जनप्रतिनिधियों की सुविधाओं में थोड़ी कमी की आवश्यकता है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

अब मा0 सदस्य, श्री राधेश्याम गुप्ता जी। मा0 सदस्यगण कृपया समय का ध्यान दें और 2–2 मिनट में समाप्त करें।

*श्री राधेश्याम गुप्ता–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने सिंचाई विभाग के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से फतेहपुर जनपद के सिंचाई विभाग से सम्बन्धित कुछ सुझाव मा0 मंत्री जी को देना चाहता हूं। मा0 मंत्री जी, हमारे फतेहपुर जनपद गंगा और यमुना के मध्य में दवाबा क्षेत्र में है और हमारे यहां दो नहरें हैं, निचली गंगा और राम गंगा। मान्यवर, दोनों नहरों में पानी आता ही नहीं है और जब आता है तो इस प्रकार का व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, कई जगह नहरें कट गई और पूरे गांव के गांव डूब गये और पानी सिंचाई के लिये उपलब्ध नहीं हो पाया। जैसा में बता रहा हूं निचली गंगा में सिल्मी में अभी एक महीने पहले पूरी नहर कट गई और पानी से पूरा क्षेत्र प्रभावित हो गया, गांव डूब गये, हजारों बीघे खेती डूब गई। इसी प्रकार धाता में, इसी प्रकार देवमयी में, इसी प्रकार चखेड़ी में, इसी प्रकार बेला में, यह नहर कटने से और माइनर कटने से किसानों की बहुत ही क्षति हुई और साथ–साथ सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध नहीं हो पाया। मैं एक ही सुझाव देना चाहता हूं, बहुत से सुझाव आ गये हैं, मैं सूक्ष्म में एक ही सुझाव देना चाहता हूं कि नहर की पटरियों को सुदृढ़ कराया जाए, मा0 मंत्री जी, जैसे पहले नहर की सफाई होती थी तो सिल्ट को व्यवस्थित रूप से पटरियों पर लगा कर उसको मजबूत किया जाता था, वह काम पूरा बन्द हो गया है और खोदने के बाद अब इधर–उधर मिट्टी डाल देते हैं इसलिये पूरी तरीके से पटरियां मजबूत नहीं होती है तो सबसे पहले इसे सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है कि नहर और माइनरों के पटरी, सिल्ट सफाई करके व्यवस्थित करके मजबूत की जाए, जिससे कि जब सिंचाई के लिये किसानों को पानी मिले, कटान से उन्हें क्षति न हो, जब कटाव हो जाता

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है तो किसानों की असीमित क्षति होती है और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बहुत ही परेशानी और दुख होता है।

मान्यवर, मैं इतना ही सुझाव देना चाहता हूं और साथ ही सबसे बड़ी व्यवस्था जो है, जो हमारी सरकार ने शुरू किया था, अभी हमारे नेता जी ने भी सुझाव रखा था कि नहरों पर सड़कें बनाई जायें जिससे नहर का सुदृढ़ीकरण हो और किसानों को यातायात का साधन उपलब्ध हो। माननीय मंत्री जी, द्रोनों विभाग आपके ही पास है, लोक निर्माण विभाग भी आपके पास है, सिंचाई विभाग भी आपके पास है तो नहरों का सुदृढ़ीकरण करने के लिये सबसे अधिक सुन्दर व्यवस्था यह है कि नहरों की पटरियों पर सड़कें बनवाई जायें और यातायात की व्यवस्था कराई जाए। मान्यवर, नलकूप के विषय में भी मैं चाहता हूं, चूंकि हमारा जनपद कृषि प्रधान क्षेत्र है और तमाम राजकीय नलकूप खराब पड़े है, उनका भी सुदृढ़ीकरण कराया जाए, उनकी रिपेरिंग करायी जाए।

मान्यवर, अभी राजकीय नलकूप का प्रस्ताव आया था। हमारे सभी 6 विधान सभा में प्रतिवर्ष कम से कम 10–15 नलकूप दिये जायें। एक बात और कहना चाहता हूं कि फतेहपुर जनपद में गन्ना का उत्पादन बहुत होता था।

श्री अधिष्ठाता–

गुप्ता जी समाप्त करें, आपने दो मिनट के लिये कहा था, 4 मिनट हो गये। ताकि सबको मौका मिले।

श्री राधेश्याम गुप्ता–

मान्यवर, फतेहपुर जनपद में गन्ना उत्पादन बहुत होता था फतेहपुर का गन्ना घाटमपुर में जाता था।

श्री अधिष्ठाता–

आप बोलिये। चौधरी सत्यपाल सिंह जी।

*चौधरी सत्यपाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे डॉ0 अजय तोमर के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया।

(इस बीच श्री राधेश्याम गुप्ता जी बोलते रहे लेकिन उनका भाषण सुनाई नहीं दिया।)

श्री अधिष्ठाता–

आप बोलिये, उनका नहीं लिखा जाएगा।

चौधरी सत्यपाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री, सिद्दीकी साहब ने पहले ही कहा, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय सिद्दीकी जी, पानी दीजिये बिन पानी सब सून और पिछले साल पानी मिला नहीं मर गये मोती, मानस, चूल। तीनों मर गये। मैं बार–बार यह सुनता हूं कि बहुत दिनों के बाद पहली बार बहुमत की सरकार आपकी आयी है और यह खुशी के साथ–साथ बहुत जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप इतनी बड़ी संख्या में बहुमत में आये है तो हर विभाग की जिम्मेदारी आप पर है और उत्तर प्रदेश के जो किसान है, यह सिंचाई विभाग

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सीधे–सीधे किसान से संबंधित है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह सरकार की इच्छाशक्ति पर निर्भर करता है। अगर सरकार यह सोच ले कि इस प्रदेश के किसानों को हमें बचाना है हर कीमत पर पानी देना है और बहुत बड़ी योजनाएं न चलाकर जो भी छोटे–छोटे नाले हैं, बरसाती नाले या छोटे–छोटे रजवाहें हैं, जो भीषण संकट हम गर्मियों में झेलते हैं। जैसा कि पिछली बार सूखा पड़ा 100 साल में ऐसा सूखा नहीं पड़ा था। हो सकता है कि इस साल भी सूखा पड़े। तो मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि अभी से छोटे–छोटे चेकडेम हर नाले में, हर छोटे–छोटे बम्बे में बनवाये जाये जिससे कि पानी छौड़ने के बाद जो पानी भरा रहता है तो उससे जमीन का जल स्तर नीचे नहीं जाएगा, सबसे पहला सुझाव मेरा यह है। दूसरा यह है कि सिल्ट सफाई के लियें, माननीय मंत्री जी पहले विधायकों को सरकार की ओर से यह आजादी थी कि यदि सफाई करानी होती थी तो 10–20 लाख रुपये या 2 लाख रुपये दे देते थे लेकिन बड़ी हैरानी की बात हुयी कि सरकार ने यह सब रोक दिया और नरेगा से कहीं भी सिल्ट की सफाई नहीं हो पायी। मैं तहसील दिवसों में दो–तीन बार बैठा तो किसानों ने अपने एप्लीकेशन फेंककर मेरे ऊपर मार दिये कि तुम लोग झूठ बोलते हो।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

चौधरी सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, अभी एक मिनट भी नहीं हुआ। मान्यवर, दूसरी बात यह है कि अधिकारी सिल्ट सफाई कराते है और अधिकारी ही जांच करते है। वीडियोग्राफी भी अधिकारी कराते हैं। कोई भी क्षेत्र ले लीजिये, पूरे प्रदेश में कोई भी जनपद ले लीजिये, मैं खासतौर से अपने क्षेत्र की बात कह रहा हूं मेरे क्षेत्र की जांच करा लीजिये कि कहां–कहां सिल्ट सफाई हुयी और किस तरह हुयी, कहां पर वीडियोग्राफी हुयी। पूरे अधिकारी आपको गुमराह कर रहे हैं, यह आप नोट कर लीजिये। दूसरी बात जैसे राजकीय नलकूपों की बात है, सामने माननीय मंत्री जी बैठे हैं। मैं यह कहता हूं कि नए–नए नलकूप लगाते चले जाइये पुराने खराब होते जाते हैं। किसानों को एक बूंद पानी नहीं मिलता है। अब फिर गर्मी का मौसम आने वाला है। किसानों को पानी चाहिये। छोटी सी बोरिंग फेल है तो नलकूप नहीं चल रहा। बिजली का तार हट गया तो नलकूप नहीं चल रहा। आपकी इतनी बड़ी बहुमत की सरकार है क्या यह इच्छाशक्ति नहीं है कि गर्मी होने से पहले एक–एक नलकूप हर कीमत पर ठीक कर दिया जाएगा। कोई ज्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस 60–65 साल की आजादी के बाद भी बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं, छोटे–छोटे दबेकुचले लोग जिनके वोट पर आपकी बहुमत की सरकार बनी है आज तक एक नाले से दूसरे गांव की तरफ जाते हैं, हमारी बहन–बेटियों के लिये पुल नहीं है। सरकार ऐसी जगह पर पुल बनाये जहां पर 6–6 कि0मी0 के अन्तर से लोग घूम–घूमकर आते है। मेरे क्षेत्र में पतवाया नाला है, गांव गउंवाका पर और एक खेड़ा किशन और डाड़िगड़ी मेरे क्षेत्र के दो पतवाये नाले है। अगर खुदा न खास्ता, बरसात के दिनों में तो कोई निकल ही नहीं सकता। अगर सर्दियों के दिनों में एक बार बारिश हो जाती है। तो वहां की बहन बेटियां 10–10 किलोमीटर अपने कपड़ों को ऊपर करके या तो उसमें होकर निकलती है नाले में होकर, या फिर 10 किलोमीटर का चक्कर लगाकर अपने खेती के जो काम होते है उनको कर के आती हैं। मेरा निवेदन है कि जो पैसा खर्च किया जाये, वह ऐसी मदों पर किया जाये जो छोटी–छोटी गरीब जनता के काम आये।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

चौधरी सत्यपाल सिंह–

एक मिनट और लूंगा अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कह रहा हूं अधिष्ठाता महोदय जो भी सड़कें बनी हुयी है, खासतौर से बम्बों पर, नहरों पर, उनकी हालत इतनी जर्जर हो गयी है माननीय मंत्री जी, आपकी सरकार जब से आयी है, मैं आरोप नहीं लगा रहा, तब से उनका रखरखाव भी नहीं हुआ है। पूरे किनारे टूटे पड़े हुये हैं। आप पूरी तरह यह अभियान चलाइये कि जो सड़कें पुरानी पड़ी है, सबसे पहले वह ठीक हों, इसके बाद नयी बनवाइये। मेरे क्षेत्र की कई सड़कें मैं कई बार निवेदन भी किया था, मेरे क्षेत्र में कुछ गांव ऐसे है माट ब्रांच के सहारे के लगे हुये है, और वे सड़कें पिछली सरकार ने बनवाई थी कैसे भी करके। लेकिन आज बड़े खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि माटब्रांच पर राजपुर गांव से लेकर के शादीपुर गांव तक पूरी सड़कें टूटी पड़ी है। माननीय मंत्री वहां पर कुछ नहीं हुआ, सिंचाई विभाग से होंगी और वो भी आपके ही पास है, आप कहीं से करवाइये और बाढ़ रोकने के लिये माननीय अधिष्ठाता महोदय, बड़े खेद की बात यह है कि बाढ़ का इंतजाम करते हैं जुलाई में। बाढ़ आने वाली होती है तो जुलाई में उसका इंतजाम शुरू होता है। बड़े–बड़े बन्धे है या टक्कर हैं, जो भी चेक डैम हैं, मेरा क्षेत्र पूरा उससे ग्रसित टप्पर क्षेत्र, और हजारों एकड़ भूमि हमारी हरियाणा में चली गयी है, सरकार उदासीनता के साथ कार्य कर रही है।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया, समाप्त करें।

चौधरी सत्यपाल सिंह–

और तब कार्य करेंगे, जब जुलाई में पानी आ जायेगा। मेरा यह निवेदन है कि बाढ़ नियंत्रण के लिये अभी से काम शुरू करें।

श्री त्रिभुवन दत्त–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने सिंचाई मंत्री, गन्ना एवं राजस्व मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर उसके समर्थन में अपनी बात रखने का अवसर दिया है, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं। मान्यवर, जैसा कि आप अवगत है कि भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और कृषि की सफलता विभिन्न फसलों के लिये जल उपलब्धता पर निर्भर करती है और जल का भण्डारण तथा उसका सदुपयोग राष्ट्रीय महत्व के विषय है और प्रदेश के जल स्रोत कृषि उद्योग तथा अन्य उद्योगों की आवश्यकता के लिये अपर्याप्त है। फिर भी माननीय सिंचाई मंत्री द्वारा जो प्रयास किये गये हैं, वे निश्चित तौर पर अपने आप में सराहनीय ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के किसानों के लिये खुशहाली और उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास का प्रशस्त मार्ग है। मान्यवर, आप अवगत है कि किसानों को समय से पानी खाद, बीज मिल जाता है तो उससे अच्छा उत्पादन होता है, और जब अच्छा उत्पादन होता है, तो किसान आत्मनिर्भर होते हैं लेकिन मान्यवर, विरोधी दलों के सदस्यगण बार–बार केवल एक ही रोना रोते हैं, कि यह बजट जो आया है, वह दिशाहीन है, यह झूठ का पुलिन्दा है, लेकिन शायद मान्यवर, इन लोगों को जानकारी नहीं है कि जो सदियों से उपेक्षित समाज था, उसको एक लम्बे समय से दबाया गया था। आज जब उस समाज के लोग भी आगे आकर के अपनी बात को गांव की गलियों से निकलकर सत्ता के गलियारों में कहने का कार्य कर रहे हैं तो मान्यवर, इनके पेट में बड़े

पैमाने पर दर्द हो रहा है। कल मान्यवर, पूरा सदन भी सुना था और आप भी सुने होंगे, हम लोग नये सदस्य चुनकर के आये हैं, बार–बार कहा जाता है कि माननीय वरिष्ठ सदस्य आप सर्वश्रेष्ठ सदस्य है और उनसे सीखने का अवसर हम लोगों को मिलता है लेकिन मान्यवर, सीखने की परम्परा तो हम लोग डाले है कि हमारे वरिष्ठ सदस्य कहेंगे अच्छी बात, उसको सीख करके हम लोग सदन में अपनी बात सदन में कहने का काम करेंगे। लेकिन मान्यवर, दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जो अपने आप को वरिष्ठ कहते हैं, क्या आपकी वरिष्ठता की यही परिभाषा है कि इस सदन में जितनी भी असंसदीय बात की जाय क्या वही वरिष्ठता की मानक है, यह शर्म की बात है और दूसरे के ऊपर आरोप लगाने के बजाय अपने गिरेबान में झांकना चाहिये और ऐसे लोगों के लिये जो अपने आपको वरिष्ठ कहते है, उनके लिये मेरा एक सुझाव है कि कर सको तो अपने वाणी में वह असर पैदा करो, दूसरे के ऊपर आरोप लगाने के बजाय मान्यवर, मेरा कहना है कि–

कर सकों तो अपनी वाणी में वह असर पैदा करो,
बदल दे जो रूख हवाओं का हुनर पैदा करो,
और हो सके तो हर एक घर में,
इन्सानियत की देवी बहन मायावती जैसा नेता पैदा करो।

मान्यवर, आरोप लगाये जाते हैं, आज निश्चिततौर से माननीय सिंचाई मंत्री जी के प्रयासों से आज उस गांव के आखिरी झोर तक भी पानी पहुंचा है, मान्यवर, पिछली सरकारों में जो हमारे भाई लोग दुहाई देते हैं, लेकिन आप लोगों को अच्छी तरह से जानकारी है कि सिल्ट सफाई के नाम पर, सिल्ट सफाई का बात तो छोड़िये नहरों में एक फावड़ा भी नहीं चलाया गया और सारी सरकारी धन का बंटर बांट पूर्व की सरकारों ने करने का काम किया है। इनको शर्म नहीं आती है, मान्यवर, बार–बार दूसरे को शर्म–शर्म की बात करते हैं। आज जब एक लम्बे अर्से के बाद गरीब समाज के लोगों को भी उठाने की बात हो रही है, गरीब समाज के लोगों को सत्ता के मंदिर तक पहुंचाने की बात हो रही है, तो उस नेता के ऊपर भी आरोप लगाया जाता है, लेकिन मान्यवर, मैं तो कहता हूं कि अभी सामान्य बजट पर चर्चा हो रही थी, चार दिन तक चर्चा हुई और चार दिन तक हमारे जो वरिष्ठ माननीय सदस्य है केवल मूर्तियों और स्मारकों तक ही सीमित रह गये तो मेरे साथियों जिसकी चर्चा होती है, वहीं महान होता है और इस कड़ी में धन्य है बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने एक इतिहास रचने का काम किया कि जिन महापुरुषों का नाम गांव की गलियों में नहीं लिया जाता था, आज चार घण्टा तक सत्ता के गलियारों में नाम लेने का काम हमारे विपक्षी दल कर रहे हैं। मान्यवर, निश्चितौर से हम आपको बताना चाहते हैं कि इस लोक प्रिय सरकार ने समय–समय पर रोस्टर के हिसाब से टेल तक पानी पहुंचाया, समय–समय पर खाद–बीच उपलब्ध कराने का काम किया और यह माननीय मंत्री जी का प्रयास ही कहा जायेगा कि सूखा के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में रिकार्ड खरीफ का उत्पादन हुआ है। निश्चिततौर पर नहरों के सम्बन्ध में, नहरों के किनारे जो पटरियां कट जाती थी, मान्यवर, उसमें भी पक्की रोड बना कर के उसको कटान से रोकने का सराहनीय प्रयास माननीय मंत्री जी द्वारा किया गया है। इस तरह से मान्यवर, बाढ़ रोकने की सुदृढ़ व्यवस्था, जिससे प्रदेश के ऐसे बन्धों के टूटने या नहरों के कटाव की शिकायतें जो मिलती थी, उसको भी रोकने का सराहनीय प्रयास माननीय मंत्री जी द्वारा किया गया है। मान्यवर, गन्ना किसानों के सम्बन्ध में भी माननीय मंत्री जी द्वारा जो सराहनीय प्रयास या बजट

में किसानों की खुशहाली का रास्ता प्रशस्त किया गया है मैं माननीय मंत्री जी का और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी का बार–बार धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं। मान्यवर, जहां तक राज्य सम्पत्ति विभाग का मामला है, हम लोग लम्बे अर्से से दारूलशफा या अन्य स्थानों पर आने का काम करते थे, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने मान्यवर, जो बाथरूम अंग्रेजों के जमाने से बने हुये थे, उसमें एक टाईल्स भी लगाने की व्यवस्था नहीं किया, इसको भी अगर किसी न करने का काम किया तो हमारे माननीय मंत्री ने कर के यह सराहनीय प्रयास करने का काम किया है। इसलिये मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस बजट पर अपना बल देते हुये, समर्थन करते हुये अपनी बात को समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

*श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

मैं आपका आभारी हूं कि सिंचाई विभाग के बजट पर माननीय तोमर साहब के कटौती प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, हमारे यहां आजमगढ़ जिले में मेरे विधान सभा क्षेत्र में निजामाबाद रजवहा है अभी तक उस पर टेल तक पानी नहीं पहुंचा है। पानी नहरों की टेलों तक पहुंच जाये इसके लिये जरूरी है कि उसकी सफाई होती रहे। उसकी सफाई नहीं हो पा रही है। आज इन नहरों की न खुदाई हो रही है और न सफाई हो रही है। सरकार खाली झूठा वायदा कर रही है। मान्यवर, नहरों को सुचारू रूप से चलाने के लिये अति आवश्यक है कि नहरों की खुदाई हो और सफाई हो तभी टेल तक पानी पहुंच सकता है। मान्यवर, इसी तरह से नलकूप की हालत बड़ी खराब है। सत्तर प्रतिशत के करीब नलकूप खराब हालत में पड़े हुये है। वह चल नहीं पा रहे हैं। किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है। ट्यूबवेल खराब है। आप इसका सर्वेक्षण करा लें कि हर जिले में कितने नलकूप खराब है उसको बनवाने की व्यवस्था करें। मैने अभी हाल ही में माननीय सिंचाई एवं लोक निर्माण मंत्री जी को लिखकर दिया हे मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्यासपुर सहेदा मार्ग पर सिलनी ड्रेन पर पुल है वह अधूरा पुल बना हुआ है। मैने विधान सभा में इस पर सवाल भी किया था। प्रस्ताव आया हुआ है मगर पैसा स्वीकृत नहीं हुआ है। आप उसे स्वीकृत करा दें। अभी वहां पर बाढ़ आयी थी 11 बच्चे डूब कर मर गये। आप उसको किसी भी तरीके से बनवा दें। इसी के साथ में माननीय तोमर जी के प्रस्ताव पर बल देता हूं। जो नहरों की खुदाई और सफाई होने की बात मैने कही है उस पर ध्यान देने का कष्ट करें।

*श्री कौकब हमीद खां–

मान्यवर, मैं माननीय अजय तोमर जी के द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, पूर्वी जमुना नहर जो है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। जो पानी वहां से जाना है उसका रुट निर्धारित है वाया हरियाणा जाना है। जो पीने का पानी दिल्ली को देना है उसको पूरा करना है। इसके ऊपर पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। आप कर दें, इसमें सरकार को रिवीजन में जाना पड़ेगा। यह दो सौ, ढाई सौ, तीन सौ क्यूसेक वाटर है। कितना लिया जाता है, आबपाशी भी होती है उत्तर प्रदेश के अन्दर कोई पानी नहीं आ रहा है। मान्यवर, यह सबसे पुरानी नहर 1780 की जो है वह तो सूख गयी है। इस चैनल के बाद गंग नहर से आपने बनाया है कुछ पानी आया है। 8–10 साल बाद पानी की दिक्कत होगी। गंगा में पानी कम होगा, यमुना में कम है ही। इसमें सरकार को रिवीजन में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाना पड़ेगा। यमुना नदी सहारनपुर खत्म करने के बाद दिल्ली की शुरूआत तक तीन जिलों में बिल्कुल सूखी है। आप उसकी रिवर बेल्ट पर चले जाइये चाहे क्रिकेट खेल लीजिये या घूम लीजिये। मान्यवर, वहां पर खरबूज तरबूज होता था वह इसी में होता है लेकिन पानी की नमी नहीं आ रही है। मान्यवर, ताजीवाला के बाद यह हरियाणा के अंडर में है। मैं इंजीनियर इन चीफ से भी मिला था उनके पास बैठा उन्होंने कोशिश की एक दो दिन चलाने की कोशिश की, लेकिन आता नहीं है। पानी की जरूरत इधर है, जून, जुलाई में पानी पहुंचता नहीं है। अगर आप चाहे तो इसमें गवर्नमेंट आफ इंडिया का सहयोग ले लें या दोनों सरकारों के लोग इस पर बात कर लें कोई मिलकर इसका समाधान निकाला जाय। नहीं तो यमुना का आपकी तरफ होना बेमानी हो जायेगा।

*श्री बैजनाथ दुबे–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने बोलने का अवसर दिया, आपको धन्यवाद। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि अभी सामान्य बजट भी प्रस्तुत हुआ है और आज सिंचाई का भी बजट प्रस्तुत हुआ है। हमारे पूर्वांचल की नहर सरजू नहर परियोजना है जो 84 प्रतिशत लगभग पूरी हो चुकी है और एक साल से पैसा आप वहां दे नहीं रहे हैं। यह आपका वित्त विभाग पैसा दे नहीं रहा है जबकि मैचिंग ग्रान्ट आपको 10 प्रतिशत देना है 90 परसेन्ट भारत सरकार को देना है। हमारे पूर्वांचल के तमाम जिले जैसे बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोण्डा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, सन्त कबीरनगर, गोरखपुर यह सब जगह–जगह पर गैप पड़े हुये है जिसके कारण नहर पूरी नहीं हुई है। अभी सफाई की बात हुई तो जिस नहर में पानी नहीं पहुंचा है, उसकी सफाई कर दी गयी है।

मै आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वहां की मैचिंग ग्रान्ट 10 प्रतिशत उसको दे दीजिये ताकि यह नहर पूरी हो जाय। 32 साल से यह नहर बन रही है लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है। बस मुझे इतना ही कहना था।

*श्री बृजेश सौरभ–

मान्यवर, आपने मुझे सिंचाई विभाग, गन्ना विकास और चीनी उद्योग के बजट पर समर्थन में बोलने के समय दिया इसके लिये आपको मैं धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, तुलसीदास जी ने किसी एक दोहे में कहा है–

निन्दक नियरे राखिये आंगन कुटी छवाय,

बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाय।

मान्यवर, मैं अपनी बात कह रहा हूं । मान्यवर, तुलसीदास जी ने जो यह दोहा कहा था तो विपक्ष को ध्यान में रखकर कहा था कि अगर सत्ता पक्ष कोई अच्छा काम करें तो उसकी प्रशंसा भी खुले मन से होनी चाहिये और निन्दा इसलिये सामने रखा जाता है, पास में रखा जाता है कि अगर कोई गलत काम करें तो उसकी आलोचना करें, स्वस्थ्य आलोचना करें तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिये अच्छा लक्षण होता है। मान्यवर, जब भी बजट रखा जाता है, जब भी आंकड़ों के माध्यम से माननीय मंत्री जी सत्ता पक्ष की उपलब्धियों को सामने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रखते है तो विपक्ष उस पर आलोचना करता है। आलोचना जब स्वस्थ्य हो तो अच्छी बात है लेकिन निन्दा जब आदत बन जाय तो निश्चित तौर पर यह आदत बुरी है और इस पर रोक लगनी चाहिये। मान्यवर, हमारी सरकार ने जो आंकड़े रखे माननीय मंत्री जी ने सदन के सामने जो लक्ष्य रखा, 73 हजार 637 कि0मी0 नहरे हमारे प्रदेश में है और उसके सापेक्ष लक्ष्य रखा गया 26,843 कि0मी0 सिट सफाई का। मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूं माननीय मंत्री जी ने अवगत कराया था। कि लक्ष्य जितना रखा गया था उस लक्ष्य को हमने प्राप्त कर लिया। इसके लिये विपक्ष द्वारा हमारी तारीफ की जानी चाहिये, हमारे माननीय मंत्री जी की तारीफ की जाना चाहिये उन्होंने विपक्ष को इस बात का मौका नहीं दिया कि हम लक्ष्य से कम काम किये हैं। मान्यवर, मैं वही पर बताना चाहता हूं कि जितनी टेल है हमारे क्षेत्र में हमारे पूरे प्रदेश में 9,640 टेल थी खरीफ की फसल के उद्देश्य से उन पर पानी पहुंचाया जाना हमारा लक्ष्य था। मान्यवर, में बताना चाहता हूं कि 9,300 टेल तक पानी पहुंचाकर के निश्चित तौर पर किसानों को राहत देने का काम माननीय मंत्री जी ने किया है। इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि किसी भी उन्नत करने वाले राज्य की एक पहली आवश्यकता होती है सड़क शिक्षा और सिंचाई। मान्यवर, सिंचाई के हमारे फोरम पर माननीय मंत्री जी ने किसानों की समस्या को दूर करने के लिये जितनी बड़ी योजना बनाई थी वह निश्चित तौर पर हमारी सरकार के बढ़ते हुये कदम का यह लक्षण है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष हमारी आलोचना करें, अच्छी बात है लेकिन सरकार की उपलब्धियां, सरकार के जो आंकड़े है वह उनको चुभे तो निश्चित तौर पर मैं विपक्ष के लिये कहना चाहता हूं, कल हमारे विपक्ष के एक सदस्य कह रहे थे कि सूबे की उत्तर प्रदेश की आबादी 17 करोड़ और आज एक विपक्ष के माननीय सदस्य खड़े होकर कहने लगे कि सूबे की आबादी 18 करोड़ मैं बड़ा परेशान हो गया कि कैसे हमारे माननीय सदस्य ने एक रात में सूबे की आबादी एक करोड़ बढ़ा दिया। यह एक सामान्य ज्ञान का विषय है ऐसे ही नहरों पर जब आंकड़ा दिया जाता है उसमें एक टेल की बात आती है कि वहां पानी नहीं पहुंचा मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं और माननीय सदस्य को भी बताना चाहता हूं कि हमने समग्र दृष्टि से पूरे प्रदेश के विकास की बात कही है किसी भी जगह विशेष की बात नहीं कही है। मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं। हमारे किसानों के लिये, जब नहर की कोई समस्या गम्भीर होती थी तो वह शिकायत ऊपर पहुंच नहीं पाती थी। माननीय मंत्री जी ने एक अनूठी योजना टोल फ्री काल योजना लांच की और उस योजना के माध्यम से कोई भी किसान, यदि टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है। तो वहां पर उस समस्या को अवगत कराने के बाद उसका समाधान तत्काल निकालने के लिये माननीय मंत्री जी ने एक योजना लांच की, उसकी तारीफ की जानी चाहिये। मैं इसके लिये माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। मान्यवर, मैं उपलब्धियों के विषय में कहने के लिये एक मिनट का समय और चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

अब कृपया समाप्त करें।

श्री बृजेश सौरभ–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर। मान्यवर, हमारी नहरों की सिल्ट सफाई के विषय में माननीय मंत्री जी ने जो बातें रखी थी मैं उसके सम्बन्ध में

आंकड़ेवार अपनी बात रखना चाहता हूं। जो आंकड़े विपक्ष को पसंद नहीं आते लेकिन जब वह सत्ता में होते है तो उन्हीं आंकड़ों को रखते है और कहते हैं कि माना जाय। मान्यवर, इसमें लिखा है सन् 2010–11 में जो हमारे मुख्य प्रस्तावित कार्य रहे हैं उनके सापेक्ष 2.5 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता बढ़ाने के लिये सरकार ने योजना बनाई है जिससे हमारे यहां ढाई लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचन क्षमता बढ़ेगी और प्रदेश का किसान खुशहाल होगा। मान्यवर, यह हमारी उपलब्धियों में जुड़ता है इसके लिये मैं प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन कु0 मायावती जी को और इस विभाग की उपलब्धियों के लिये अपने माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने सिंचाई विभाग को आगे बढ़ाने का क्रम जारी रखा है इसके लिये उनके प्रति उनके समर्थन में बात कहते हुये बात को खत्म करता हूं लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं कि विभाग जो हमारे बचे हैं गन्ना विकास विभाग और राज्य सम्पत्ति विषय पर, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक मिनट में और अपनी बात कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें।

श्री बृजेश सौरभ–

मान्यवर, अभी राज्य सम्पत्ति निदेशालय के विषय पर बात चल रही थी। सुविधाओं की बात की जा रही थी। एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि सुविधायें हमारी बहुत बढ़ती जा रही है। मान्यवर, सुविधायें बढ़ती जा रही है, वह एक विषय है लेकिन.....

श्री अधिष्ठाता–

कहने वाले चले गये।

श्री बृजेश सौरभ–

वह चले गये हम उनका नाम नहीं ले रहे हैं। जो चले गये मैं उनके विषय में नहीं कह रहा हूं। जो है मैं उनके विषय में कह रहा हूं। मैं सुविधाओं के विषय में ही कहना चाहता हूं कि सुविधायें जो है वह किसी भी दृष्टिकोण से हमारे लिये नहीं, जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, हम कितनी क्षमतापूर्वक जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं, उस हिसाब से बात कही गयी है। मान्यवर, मैं अपनी बात को समाप्त करते हुये एक बार पुनः माननीय मंत्री जी के समर्थन में और विभाग के समर्थन में बात कहते हुये अपनी वाणी को विराम देता हूं जय भीम।

*डॉ0 आर0ए0 उस्मानी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने सिंचाई विभाग, गन्ना विभाग और राज्य सम्पत्ति विभाग के बजट के कटौती प्रस्ताव पर बल देने का मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद देते हुये मैं बताना चाहता हूं कि जनपद लखीमपुर–खीरी में शारदा नहर है, यह नहर यहां से सीतापुर को जाती है। शारदा नगर से अमृतापुर तक जो रोड बनी है वह पूरी टूटी हुयी है, ध्वस्त है। उस पर गाड़ियां भी नहीं निकल सकती। उस पर फर्जी टेण्डर कराकर वर्क आर्डर पर बनवाकर पैसा ड्रा कर लिया जाता है। जब बरसात आती है तो शारदानगर से जो बंधा बना है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मीरपुरवा श्रीनगर तक तो उस बंधे की मरम्मत का काम ठीक से नहीं कराया जाता है और हर साल वह बंधा बाढ़ से फट जाता है, जिससे करोड़ों रुपये की सम्पत्ति का नुकसान होता है और फसलों का नुकसान होता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, शारदा नहर में जिसमें चकई, चौका और अमृतापुर साइफन हमारे क्षेत्र में पड़ते है उन साइफनों की दसियों वर्षों से सफाई नहीं की गयी है। इस बार जब बड़े पैमाने पर बाढ़ आई और सफाई करने के लिये बात की गयी तो कोई अधिकारी तैयार नहीं हुआ। हम और माननीय विधायक डा0 कौशल किशोर और पटेल जी तीनों लोग वहां धरने पर बैठे, दो–तीन दिन तक धरना चलता रहा और जब माननीय अध्यक्ष जी को इसकी जानकारी हुयी, तब माननीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया और तब जाकर एक चौका साइफन की सफाई हुयी। चकई साइफन और अमृतापुर साइफन की सफाई इसके बाद भी नहीं की गयी और तो और बाढ़ से बचने के लिये सिंचाई विभाग द्वारा कोई ठोस योजना नहीं बनाई गयी। लखीमपुर–खीरी का पूरा नेपाल से सटा हुआ एरिया करीब 100 कि0मी0 का है और उस पर स्थाई बांध बनाने की जरूरत है क्योंकि चाइना ने एक सोची समझी साजिश के तहत नेपाल ने नदियों का पानी इस्कैप के जरिये हिन्दुस्तान की ओर डाइवर्ट कर दिया है जिससे लखीमपुर खीरी, बहराइच, सीतापुर में भयंकर तबाही होती है। इसको रोकने के लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। जनपद बहराइच में लखीमपुर और बहराइच को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए सरयू नहर परियोजना के साथ राप्ती नहर परियोजना चलायी गयी थी जिसमें लगभग आधी नहर बहराइच के नानपारा से आज भी खोदी हुई पड़ी हैं। इन खुदाइयों के लिए विदेश से आयातित महँगी मशीनें विभागीय भ्रष्टाचार के कारण बेच दी गयीं वहाँ पर नहर की खुदाई के लिए जो धन व्यय दिखाया गया है वह वास्तव में खर्च नहीं किया गया है और सुनियोजित भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सरकारें आती रहीं और परियोजना वहीं की वहीं पड़ी रह गयी, जिसका परिणाम यह हुआ कि प्रतिवर्ष नेपाल राष्ट्र से आने वाला पानी करतनिया घाट से निकलकर घाघरा एवं सरयू नदी तथा शारदा नदी का पानी लखीमपुर के सैकड़ो गांवों को तबाह व बर्बाद करने का काम करता है तथा उसका दबाव गोण्डा, गोरखपुर, बस्ती तथा बलिया तक बना रहता है और कृषि क्षेत्र में कई करोड़ की भरपाई राज्य को करनी पड़ती है।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें।

डा० आर०ए० उस्मानी–

मा० अधिष्ठाता महोदय, बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु हैं, कुछ समस्याएं हैं वही बताये दे रहा हूँ। मैं कोई लम्बा चौड़ा भाषण नहीं दूँगा। यदि राप्ती परियोजना चल रही होती तो बाढ़ का 40 प्रतिशत पानी उस नहर से निकलकर इस्कैप के रूप में बुन्देलखण्ड चला जाता, जहाँ अनवरत सूखा रहता है किन्तु विभागीय भ्रष्टाचार के कारण यह परियोजना अधूरी रह गयी और आज भी सरकार द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है इससे प्रतिवर्ष जनपद बहराइच, लखीमपुर, गोण्डा, बस्ती, गोरखपुर एवं बलिया जनपद में अपूर्णनीय जन–धन की हानि होती है।

(श्री अधिष्ठाता महोदय द्वारा श्री जोखू लाल यादव का नाम पुकारे जाने एवं दोनों सदस्यों के एक साथ बोलने पर।)

डा० आर०ए० उस्मानी–

मान्यवर, राज्य सम्पत्ति विभाग के बारे में कहना चाहता हूँ कि मंत्री आवास डालीबाग मे कम से कम दसों वर्षों से पुताई नहीं हुई है।

श्री अधिष्ठाता–

मा० सदस्य, बाकी जो बातें हों उन्हें आप लिख करके दे दीजिएगा वह कार्यवाही[†] का भाग बन जायेगा।

श्री जोखू लाल यादव–

मा० अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे डा० अजय तोमर जी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मा० मंत्री जी, हम लोगों का उद्देश्य है और विपक्ष का सदैव यही उद्देश्य ही होता है कि सरकार की नीतियों की आलोचना करना तथा कुछ सुझाव देना। मान्यवर, हम कोई आलोचना के लिए आलोचना नहीं कर रहे हैं, जब कोई सरकार आती है और दूसरी सरकार जाती है तो उस सरकार की सफलताएं और विफलताएं भी हाथ में लगती हैं। ऐसी स्थिति में हम आपसे कहना चाहेंगे मा० मंत्री जी कि, पूर्ववर्ती चाहे जो भी सरकारें रही हों, हर सवाल के जवाब में यही कहना कि आप भी यही करते थे, तो हम जो करते थे वह हमारा हश्र देख लीजिए और आप जो कर रहे हैं उसका भी हश्र आपको देखने का मौका मिलेगा। मान्यवर, 80 फीसदी जनता खेती पर जीवन–यापन करती हैं और आज का सवाल सिंचाई से जुड़ा हुआ है और इस प्रकार से यह 80 फीसदी जनता से जुड़ा हुआ सवाल है यह सच्चाई है कि प्रदेश का विकास हो सकता है, खाद्यान्न के मामले में हम आत्मनिर्भर हो सकते है। बशर्ते कि तीन मा० मंत्रियों का सहयोग मिल जाये। इनमें से एक हैं सिंचाई मंत्री, दूसरे हैं ऊर्जा मंत्री और तीसरे है कृषि मंत्री। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है और जिस प्रदेश के किसान मेहनती हों, परिश्रमी हों, अगर उनको समय से सिंचाई करने के लिए साधन, बिजली और खाद मिल जाये तो मैं समझता हूँ कि उस प्रदेश की तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकता। किसानों के सबसे बड़े हमदर्द मसीहा मा० स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि उत्तर प्रदेश की खुशहाली का रास्ता गांवों और खेतों खलिहानों से हो के गुजरता है और हम 80 फीसदी लोग गाँव से चुन के आये है मान्यवर, हम दो–तीन बाते कह कर अपनी बात को समाप्त करेंगे मान्यवर, यह सच्चाई है कि इंसान पर कभी संकट पड़ता है तो भगवान और अल्लाह का नाम लेता है। यह सच्चाई है मान्यवर, माननीय अधिष्ठाता महोदय किसान को जब संकट पड़ता है सिंचाई का, बिजली का और खाद का तो इन तीन लोगों को वह भी याद करता है उत्तर प्रदेश का किसान और मै समझता हूँ कि ऊपर वाले तो राहत दे देते हैं लेकिन सच्चाई है। मा० मंत्री जी हम आपका स्वागत करेंगे। आप जो परियोजनाएं ले कर आये है। यह सच्चाई है अच्छी है। विचार आपके अच्छे हैं, परियोजना भी अच्छी है, लेकिन किसी परियोजना की सफलता के लिए चार चीजों पर ध्यान नहीं दिया जायेगा तो परियोजना कभी अच्छी नहीं हो सकती। आपकी परियोजना अच्छी है मान्यवर, आप उसका अच्छा क्रियान्वयन करा दें, उसका अच्छा अनुश्रवण करा दें और उसका अच्छा मूल्यांकन करा दें, तो मान्यवर, मै सोचता हूँ कि वह कोई भी परियोजना हो वह फलीभूत होगी, नहीं तो वह विफल हो जायेगी। इसलिए हम कहना चाहते है कि मा० मंत्री जी, यह सही

[†] देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 267-272 पर।

है कि किसानों को समय से पानी नहीं मिलता इसको हम नकार नहीं सकते हैं, वह अलग बात है कि हां हम भी नहीं दे पाये, हम प्रयास कर सकते हैं। हो सकता है कि अभी पूरे प्रदेश में खाद के लिए परेशान रहा किसान और मा० कृषि मंत्री जी नहीं दे पाये, और मा० ऊर्जा मंत्री जी आपकी नहरे मान्यवर, चलेंगी ठीक तब जब जिस मोटरों से चलनी है बिजली मिलेगी तब। आज आपकी ट्यूबवेलें चलेंगी तब जब उनको बिजली मिलेगी। केबिल वायर जल जाने के बाद और ट्रान्सफारमर जल जाने के बाद उसको जो है महीनों–महीनों किसान चक्कर काटता रहता है।

श्री अधिष्ठाता–

यह बात आ चुकी है। कृपया समाप्त करें।

श्री जोखूलाल यादव–

मान्यवर, हम गुणगान तो नहीं कर पायेंगे। हम कोई गुणगान करने के लिए विपक्ष में नहीं बैठे है। हम तो सत्ता पक्ष की नीतियों की आलोचना करने के लिए तो बैठे ही हैं।

श्री अधिष्ठाता–

ये तो बातें आ चुकी है। कई बार माननीय सदस्यों ने कहा कुछ खास बात और तो कहिए।

श्री जोखू लाल यादव–

आप एक मिनट समय दे दें हम एक मिनट में अपनी बात कह दें। मान्यवर, दो–तीन बातें हम कहना चाहेंगे कि मान्यवर, आपकी जो ट्यूबवेलें है आपकी जो नहरें है, मा० उच्च शिक्षा मंत्री जी सदन में बैठे है। मा० उच्च शिक्षा मंत्री जी से सरकार से ही पूछना चाहें। हमारे यहाँ शारदा सहायक खण्ड–39 से सम्बद्ध फूलपुर ब्रांच ये आपके सियाडहि बगैरह गांवों से होकर गुजरती है आपके विधान सभा क्षेत्र से। मेरे विधान सभा से होकर नहर जो उपरडहा ड्रेन में जाकर के समाप्त होती है। मान्यवर, कभी उसमें पानी नहीं गया। उच्च शिक्षा मंत्री गवाह है। हम समझते है कि आपका काम चलता है क्योकि आपका नहर किहुनी पम्प कैनाल है उससे आपकी विधान सभा को पानी मिल जाता है, लेकिन मान्यवर, यह कोई विधान सभा का सवाल नहीं है। तमाम सारे हम यहां सत्तापक्ष और विपक्ष के लोग हैं, वे नहरें तमाम सारी विधान सभाओं से होकर जाती है। मान्यवर, मा० सिंचाई मंत्री जी से केवल इतना कहना चाहूँगा, उसमें सिल्ट बालू तमाम ऐसी चीजें आ गयी हैं, जिसकी वजह से पानी आगे नहीं बढ़ पाता है। हम आपसे मान्यवर, कहना चाहेंगे कि आप हमारी विधानसभा में तीन–चार नहरें है। जिनको आपको लिखित बताया है। इनमें कभी भी पानी नहीं जाता, लेकिन जबाब हमें बरांबर मिल जाता है कि इनमें पानी जाता है।

श्री अधिष्ठाता–

मा० सदस्य जो समस्यायें हो, वह लिख करके दे दीजिए उसको जुड़वा दिया जायेगा।

श्री जोखू लाल यादव–

मान्यवर, इसी के साथ मैं आपका आभारी हूँ कि जितना भी कहने दिया उतने के लिए ही आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

* श्री सुल्तान बेग–

मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय, डा० अजय तोमर साहब ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उस पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मेरे क्षेत्र की दो–तीन समस्यायें हैं, उनको मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाने के लिए दो मिनट लेना चाहूँगा। मान्यवर, मुझे आपने बोलने का समय दिया इसके लिए धन्यवाद। मेरे क्षेत्र में एक कस्बा शाही है और वह जनपद बरेली का सबसे पुराना टाउन एरिया है। इस टाउन एरिया का कटान लगातार 15 साल से हो रहा है। वहाँ पर एक 500 साल से पुराना शिव मंदिर था वह कट गया, एक धर्मशाला था वह कट गया, एक प्राथमिक विद्यालय था, रामलीला का मंच था वह कट गया और लगभग 100 परिवारों के मकान कटकर उस किच्छा नदी में समा गये। किच्छा नदी में जब बाढ़ आती है तो वह भयंकर रूप धारण कर लेती है। इस वक्त किच्छा नदी का रुख उस कस्बे की ओर है। मैने इस संबंध में माननीय मंत्री जी से कहा था और मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था कि इसको दिखवाऊँगा मै अपने मन की एक पीड़ा कहना चाहता हूँ अभी मैने एक अतारांकित प्रश्न दिया था उसका जबाब आया, जवाब में कह दिया गया कि वहाँ कटान नहीं हो रही है। अधिष्ठाता महोदय, मै भी विद्यायक हूँ, तमाम सदस्य चाहे सत्तापक्ष के हों या विपक्ष के हैं, हम लोग क्षेत्र से चुनकर के आते हैं और विधान सभा में इस आशय से अपनी बात रखते हैं कि यहाँ पर जो अधिकारी पीछे बैठे हैं वह मेरी बात को सुन रहे हैं और यह सरकार, मा० मंत्री जी मेरी बात को सुन रहे है। उस पर कुछ न कुछ अमल होगा। मान्यवर, मै नियमों की बात नहीं करता, बात हो जायेगी साहब कि अगर किसी ने गलत जवाब दिया तो नियमों में वह बात नहीं कहना चाहता। मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये विधान सभा गाँव की चौपाल न हो जाए, यहाँ पर रखी जाने वाली बात, हमेशा जो अधिकारी बैठे हैं जो चाहें सवाल का जवाब दे दें और मा० मंत्री जी भी माननीय सदस्य को वही बात कहकर समझा दें।

श्री अधिष्ठाता–

मा० सदस्य आप अपनी बात कह लें।

श्री सुल्तान बेग–

मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होने सवाल का जवाब दे दिया कि कटान नहीं हो रही है तो जितने कटान हुये है, शिव मंदिर कट गया, धर्मशाला कट गयी, रामलीला मैदान का मंच कट गया या 100 से ज्यादा परिवार बेघर हो गये और आपने स्वयं पिछले साल वहाँ पर ठोकरे लगवायी हैं। कटान नहीं हो रहा था तो ठोकरे क्यों लगवायी थीं ? तो मा० मंत्री जी मैं चाहूँगा कि जनपद बरेली की सबसे पुरानी टाउन एरिया है अगर उसे बचाना चाहते हैं तो वहाँ पर उसकी पिचिंग बनवा दें।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें।

श्री सुल्तान बेग–

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की समस्या कह रह हूँ कोई भाषण नहीं दे रहा हूं। क्षेत्र की समस्या रखने की इजाजत तो दे ही दें। रूहेलखण्ड नहर खण्ड सिस्टम बरेली, यह कम से कम ढाई विधान सभा को पानी देता है, बहेड़ी विधान सभा, कॉवर विधान सभा और भोजीपुर विधान सभा इन तीनों विधान सभा क्षेत्रों की सिंचाई उससे होती है। अब इस वक्त नहर की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्थिति यह है कि अब सफाई के लिए आपने निर्देश दिये अच्छी बात है, होनी चाहिए। सफाई नहीं है, पतेरा वहाँ पर नहर के अन्दर खड़ा है, सिवार घुटनों–घुटनों खड़ा हुआ है हर कि०मी० पर पाँच–पाँच, छः–छः जगह नहर कटी हुई है तो उसमें कैसे सिंचाई हो जायेगी। मैं चाहूँगा कि इसको करवा दें।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें।

श्री सुल्तान बेग–

दूसरे बैगुल नदी है, वहाँ पर नहर बिल्कुल नीचे ऊपर गयी है, नहर पूरी बनी हुई है, वहाँ पर नहर बनाने की जरूरत नहीं है सिर्फ वहाँ पर लिफ्ट कैनाल बना दें।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें। कोई समस्या हो तो आप लिखकर दे दें मै उसकों जुड़वा दूँगा। अन्य माननीय सदस्य जो नहीं बोल पाये वह लिखकर दे दें, कार्यवाही का अंग† बन जायेगा।

श्री सुल्तान बेग–

एक बात राज्य सम्पत्ति विभाग के बारे में कहना चाहूँगा। विधायक निवास में जबरदस्त मच्छरों का प्रकोप है विधायकों को भारी गर्मी लगती है अतः विधायकों के लिए ए0सी0 की व्यवस्था करवा दीजिए व गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था करवा दीजिए।

* श्री अब्दुल वारिस खाँ–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने गन्ना विकास, सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर जिस पर डा० अजय तोमर, डा0 पी0के0राय0 ने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है पर बोलने का अवसर दिया। मैं कुछ बिन्दुओं की ओर संज्ञान दिलाना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पूर्वी यमुना नहर है जिसमें देवबन्द समानान्तर शाखा का निर्माण किया गया। देवबन्द समानान्तर शाखा में सिजूर रजबहा उसका संज्ञान मंत्री जी ने लिया था जिसके 60 क्यूसेक पानी देने की बात मंत्री जी ने कहीं है। पूर्वी यमुना नहर जनपद मुजफ्फरनगर के किसानों के लिए लाइफ लाइन मानी जाती है। उसके लिए गेट फीडर के निर्माण के लिए मंत्री जी ने 20 करोड़ का प्रस्ताव किया है। वहाँ पर डार्क ब्लाक की समस्या है। मेरठ सहारनपुर में डार्क ब्लाक बहुत अधिक है लेकिन सिंचाई का कोई साधन नहीं है। रजबहों अल्पिकाओं का निर्माण इस बजट में सम्मिलित कर कराया जाय। बाढ़ नियन्त्रण की बात कही गई है। हमारे अतारांकित प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी के विभाग ने बताया कि वर्ष 2008 मे जब बाढ़ आयी थी तो 36 लाख से काम कराए गए। और वर्ष 2009 में जब बाढ़ आई तो 22 लाख से काम कराए। तो जितने काम कराए थे वह चेक प्वाइंट दुबारा डैमेज हो गए वह वेस्टेज आफ मनी था। दुबारा काम कर रहे हैं तो पैसा कहां जा रहा है। जहाँ तक गन्ना विकास का काम का सम्बन्ध है जो गन्ना विकास निगम सहकारिता की मिल है रूहाना मिल है पेराई सत्र चल रहा है। किसानों की हजारों बीघा जमीन अधिगृहीत करके एक्सटेंशन का प्रोग्राम था लेकिन पेराई सत्र अभी भी नहीं चल रहा है। इन शब्दों के साथ आपने मुझे अवसर दिया आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

---

† देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 267-272 पर।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* श्री अरविन्द गिरि–

माननीय अधिष्ठाता महोदय आपने डा० अजय तोमर, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, डा0पी0के0राय, श्री अनूप गुप्ता द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। सिंचाई विभाग प्रदेश के लिए कितना महत्वपूर्ण है यह हम सभी समझते हैं इसे मंत्री जी से ज्यादा कौन जान सकता हैं। मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को सुना, वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण को पढ़ा और देखा है। सिंचाई मंत्री के द्वारा बाढ़ के नियंत्रण के सम्बन्ध में मात्र डेढ़ लाइन में उन्होंने पूरा कर दिया। मैंने सिंचाई मंत्री जी को बहुत ही गम्भीरता से सुना उन्होंने बाढ़ के निदान के लिए बाढ़ के कंट्रोल के लिए कोई विस्तृत चर्चा नहीं की। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि कम से कम 12–13 वर्ष से इस सदन में अपनी बात रखने का काम कर रहा हूँ। कम से कम 10 हजार रुपए से ज्यादा की व्यवस्था बाढ़ नियन्त्रण के लिए विगत 10 वर्षों में की गई है लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े है जहाँ से 10 वर्ष पहले खड़े थे। इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि यह कितना गम्भीर विषय है 10 वर्ष पहले जो स्थिति थी वहीं स्थिति पूरे प्रदेश में है चाहे सीतापुर हो, चाहे पीलीभीत हो, लखीमपुर हो, बहराइच हो, गोरखपुर हो तीन दर्जन से अधिक जनपद के लाखों लाख लोग इससे प्रभावित होते हैं विगत 10 वर्षों में दस हजार करोड़ से अधिक रुपया खर्च हो चुका है। बाढ़ नियंत्रण के नाम पर बाढ़ पुनर्निर्माण के नाम पर इतना धन खर्च किया गया। लेकिन जब बाढ़ आती है तो पूड़ी सब्जी बॉट कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली जाती है।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में घाघरा का कटान नहीं है, सुहेली का कहर नहीं है। हमारे विधान सभा क्षेत्र में बाढ़ की कोई विभीषिका नहीं है लेकिन मान्यवर, यह आज सोचना होगा जनपद लखीमपुर खीरी का क्या दुर्भाग्य है कि वर्षो वर्ष की आजादी के बाद इतने वर्ष बाद भी हम आज मात्र 200 किमी० नदी को बॉध नहीं पाये। मुहाना जो 50 किमी० हमारे जनपद में बहती है, उसके तटबंधों को हम सुरक्षित नहीं कर पाये। यह दुर्भाग्य है माननीय मंत्री जी लखीमपुर खीरी का इसलिये हम आपसे कहना चाहते हैं, आपको उदाहरण भी देना चाहते हैं कि अभी इसी पिछले वर्ष 10 जून को काम शुरू हुआ जहाँ पर पलिया को जाने के लिये पुल है वहाँ पर एक यूनिट के लिये केवल 10 करोड़ कुछ लाख रुपया व्यय कर दिया गया। और इसी बरसात में वह समाप्त हो गया। यह है आपके सिंचाई विभाग की लूट और उसी के कारण कम से कम 100 एकड़ से अधिक जो जंगल था वह बह गया। झादीताल जो इस जनपद का स्वर्ग था वह बह गया। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि बाढ़ की विभीषिका पर थोड़ा बहुत भी अकुंश लगाना चाहते हैं तो कल से आपको काम शुरू कराना पड़ेगा। सिंचाई विभाग को जनपद लखीमपुर खीरी में आपको कल से निर्देश देना पड़ेगा। आप अगर सच्चे दिल से काम करना चाहते हैं और उस जनपद की जनता को जो लाखों लाख। हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं, हमारे सांथी अभी कह रहे थे कि 100 परिवार कटान में बह गये। लेकिन हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि पिछले 5 वर्षों में 100 गॉव का अस्तित्व समाप्त हो गया। लेकिन एक व्यक्ति को भी सरकार के द्वारा बसाने का काम नहीं हुआ। कोई भी सरकार रही हो, आज उनके आसूँ पोछने का काम नहीं हुआ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री अरविन्द गिरि–

मान्यवर, मैं दो मिनट लूँगा, बहुत महत्वपूर्ण है इसलिये हम आपसे कहना चाहते हैं, आपका संरक्षण चाहते हैं। आपकी कृपा चाहते हैं। अगर किसी भी जनपद में बाढ़ से बचाव के लिये करना है तो आज से आपको काम शुरू करना पड़ेगा। वरना सिंचाई विभाग हर वर्ष की तरह आज 10 वर्षों से मैं इस बात को कह रहा हूँ लेकिन वहीं पर खड़ा है पूरा उत्तर प्रदेश, वहीं पर खड़ा है जनपद लखीमपुर खीरी जहाँ पर 10 वर्ष पहले खड़ा था हम आपको बताना चाहते हैं कि 100 लोगों ने सिर्फ इस वजह से जिनकी जमीन कट गई, जिनकी फसलें उजड़ गईं, जिनका बैंक का कर्जा माफ नहीं हुआ, उन्होंने इस बात को लेकर आत्महत्या करने का काम किया है।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री अरविन्द गिरि–

हम आपसे कहना चाहते है कि सिर्फ दो मिनट लूँगा आपकी कृपा के साथ। माननीय विधायक जी बैठ जायं। मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूँगा। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि अगर बाढ़ का नियंत्रण चाहते हैं तो माननीय मंत्री जी की कृपा चाहता हूँ कि सुहेली, मुहाना, शारदा नदियाँ हैं लेकिन उनके नाम आज तक मानचित्र में अंकित नहीं हैं, आपसे चाहता हूँ कि कम से कम जो शारदा नदी है उसको अंकित करने का काम करें। शारदा नदी पर 200 किमी0 तटबंध बनाने की कृपा करें। धन्यवाद।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा– श्री भोला पासवान का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

चलिये, आपकी बात आ गई है। गिरि जी बैठ जायें। माननीय सदस्य, समय का जरूर ध्यान देंगे।

श्री भोला पासवान–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। मान्यवर, मेरे ही क्षेत्र के बगल में शारदा सहायक खंड–32 है जो हमारी सदस्या विद्या चौधरी जी का क्षेत्र है, उसके बाद हमारा क्षेत्र सरायमीर क्षेत्र पड़ता है। एक नहर है वह शारदा सहायक खण्ड–32 और जिसका माइनर हैं भगौतीपुर और चुंटही होते हुए बैराडीह। वह माइनर कागज पर तो है, लेकिन मौके पर नहीं है। लोग कहते है कि अगर यह माइनर मौके पर होता तो इससे हजारों हजार एकड़ जमीन की सिंचाई होती और उल्टा हो जाता है कि एक बेला माइनर है जहाँ से होकर उतरगाँवा होते हुए वह सिंगड़ा होते हुए बैराडी जाता है। पानी धरनीपुर बिसयां तक पहुँचता ही नहीं। 10 साल हो गया आज तक एक बूंद पानी टेल तक पहुँच गया होता तो हम लोग कहते कि सिंचाई का कोई फायदा हुआ होता। कृपया इसको दिखवा लें। इसे कागज के बजाय जमीन पर नहर की खुदाई कराने का कष्ट करें।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

* श्री दीनानाथ कुशवाहा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये आपका आभारी हूँ।

माननीय, अधिष्ठाता महोदय, सन् 1954 में केन्द्रीय बाढ़ आयोग का गठन हुआ था। जयसुख लाल उसमें सांसद थे उन्होंने सुझाव दिया था, और दो महत्वपूर्ण आयोग थे एक आयोग गंगा बाढ़ आयोग ओर दूसरा ब्रह्मपुत्र बाढ़ आयोग, गंगा बाढ़ आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दिया, यह सही बात है उत्तर प्रदेश से नेपाल से निकलने वाली नदियों का उद्गम स्थल नेपाल ही है और अभी माननीय मंत्री जी ने बजट भाषण में, बाढ़ के नियंत्रण के बारे में स्पष्ट किया, नदियां जब पहाड़ से नीचे उतरती है तो बड़ी संख्या में सिल्ट और पत्थर लेकर निकलती है। नदियों की गहराई कम हो रही है। दोनों तरफ का किनारा छिछला है।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करिए अगर कोई अपने क्षेत्र की विशेष समस्या हो तो कह दीजिए।

श्री दीनानाथ कुशवाहा–

माननीय मंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट किया कि हमने नहरों में पानी दिया लेकिन नहरों में टेल तक आखिरी छोर तक हम पानी नहीं दे पाए। हमारे यहां गौर माइनर है इसमें छोर तक पानी नहीं पहुँचा। प्रानपुर माइनर है हाता रजवहा से निकलता है और माइनर तक पानी नहीं पहुँच पाया। किसानों की खरीफ की फसल मारी गई।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री दीनानाथ कुशवाहा–

दूसरी बात हमारे यहां देवरिया में मान्यवर, देश का प्रथम चीनी मिल 1903 में लगा। जनपद के विभाजन के बाद नौ चीनी मिलें कुशीनगर में और पाँच चीनी मिलें देवरिया जनपद में रह गई।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री दीनानाथ कुशवाहा–

पिछले दिनों मंत्री जी ने चार चीनी मिलें बन्द कर दीं। एक प्रतापपुर की चीनी मिल है जो अंग्रेजों के जमाने की है 1903 में लगी थी वह चल रही है।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें।

श्री दीनानाथ कुशवाहा–

मैं डा0 अजय तोमर द्वारा रखे गये संशोधन प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

एक मिनट में अपनी बात कहें।

श्री शिवगणेश लोधी–

मान्यवर, मुझे आपने सिंचाई के बजट पर बोलने का मौका दिया है मैं माननीय तोमर जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए बड़ी देर से इंतजार कर रहा था। मान्यवर, किसी भी प्रदेश और किसी भी देश का विकास कृषि पर निर्भर है।

श्री अधिष्ठाता–

एक मिनट में अपनी बात कहें।

श्री शिवगणेश लोधी–

प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था पूर्ण रूप से चौपट हो गई है और पिछले तीन साल से मैं देख रहा हूँ कि बजट जो पेश किया जा रहा है मात्र कुछ लोगों को खुश करने के लिए, कुछ लोगों की जेब गरम करने के लिए किया जाता है मैं जानता हूँ 26 हजार किलोमीटर की नहर सफाई की व्यवस्था का जो बजट पेश किया गया है मैंने रायबरेली में देखा है कोई नहर साफ नहीं हुई सारी नहरें तीन साल से बन्द पड़ी है पिछले साल केन्द्र के सहयोग से एक नहर पूर्वा ब्रांच खोदी गई थी और किस तरीके से खोदी गई मिट्टी कहां फेंकी गई उसका 80 परसेन्ट पैसा किस प्रकार से बंदर–बांट हुआ मैं जानता हूँ। अभी दो साल और शेष है समय आने वाला है प्रदेश की जनता बताएगी किसान किस तरह चीख रहा है। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान पंजाब, हरियाणा और बाहर भाग रहा है। उत्तर प्रदेश की खेती बिल्कुल बंजर हो गई है सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है माननीय अधिष्ठाता महोदय आपसे अनुरोध है कि किसी प्रकार से इसमें हस्तक्षेप करवा के निर्देशित करें । सिंचाई की व्यवस्था ठीक करायें।

श्री अधिष्ठाता –

समाप्त करें।

श्री शिवगणेश लोधी–

ताकि प्रदेश का किसान जो भुखमरी के कगार पर है उसको सुविधा दिलायी जाय।

श्री अधिष्ठाता –

एक मिनट में अपनी बात कहें।

*श्री दीप नारायन सिंह दीपक यादव–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विभाग के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका आपने मुझे दिया, धन्यवाद। मान्यवर, जो सिंचाई विभाग की प्रगति विवरण पुस्तिका हमें मिली है, उसी पर बोलूँगा, बजट के बाहर कोई बात नहीं कहूँगा। मान्यवर, इसमें कुछ योजनाओं का जिक्र है, तमाम बांध बनाये जा रहे है, बाढ़ सागर, राजघाट, कनहर, कछनौवा, भौरट, अतारे, जमरार, अर्जुन आदि इस तरह से करीब 13 योजनाएँ मा0 मंत्री जी ने पढ़कर बताई है। मान्यवर, 3 वर्ष से मैं विधान सभा में बजट में आ रहा हूँ, 80–90 प्रतिशत योजनाएँ ऐसी है, जो तीनों बार से बजट में आ रही है। मान्यवर, मैं यह बताने पर मजबूर हूँ और मैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सोचता हूँ कि शायद 80 प्रतिशत योजनाएँ इस सरकार के द्वारा बनाई हुई नहीं है, बल्कि पिछली सरकार की जो योजनाएँ थी, उन योजनाओं पर कार्य लगातार जारी किया जा रहा है। मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने बहुत मजबूती से अपनी बात रखी है, हमारा कर्तव्य है कि उसमें जो कमियाँ है, उनको हम आपके सामने रख सकें। इसमें जो आँकड़े रखे गये है, क्षेत्रफल के प्रतिशत से, 2004–05 का इसमें कोई जिक है, इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में चौथा स्थान पर था, सिंचाई व्यवस्थाओं में। मान्यवर, पहले नम्बर पर रखा है पंजाब को 95 परसेण्ट, दिल्ली 89 परसेण्ट, हरियाणा 83 परसेण्ट।

श्री अधिष्ठाता–

अपने क्षेत्र की कोई समस्या हो तो रखिए, सारी बातें आ गई है।

श्री दीप नारायन सिंह दीपक यादव–

मान्यवर, जो वर्ष 2006–07 के आँकड़े है, सिंचन व्यवस्था 80.33 प्रतिशत है। अगर 2006–07 में यह आँकड़ा था और इतनी सारी योजनाएँ प्रदेश में चलाई जा रही है तो क्या हम दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से आगे निकल गए है, मान्यवर, इसका जिक्र इसमें नहीं आ पाया। मान्यवर, तमाम बातें कही जा रही है, बुन्देलखण्ड राज्य की चर्चा आई, तमाम राज्यों की बात की जा रही है। मान्यवर, यह हम लोगों का सौभाग्य है, बुन्देलखण्ड राज्य बने या न बने, हमें नहीं पता कि बनेगा या नहीं बनेगा लेकिन इस समय बुन्देलखण्ड के लागों के पास इस पूरे प्रदेश के बहुत बड़े–बड़े विभागों पर कब्जा है, मैं सोचता हूँ कि राज्य भी कभी बनेगा, तब इतने विभाग होंगे कि नहीं होंगे, यह सौभाग्य मिलेगा या नहीं मिलेगा? वह आने वाले समय की बात है। मान्यवर, सारे विभाग होने के बाद भी बुन्देलखण्ड की उपेक्षा हो, यहाँ लोग बाढ़ की बात कर रहे है, वहाँ सूखे से लोग मर रहे है, मान्यवर, मैं चाहता था, मैंने पिछले बजट में भी यह बात आपके संज्ञान में लाई थी कि झाँसी जनपद में दो बड़े बांध है, मान्यवर ध्यान दें थोड़ा सा, एक बांध पारीक्षा है, एक बांध संकमा–डुकमा है, मेरा एक निवेदन है, मैंने कई बार ध्यान आकर्षित कराने का प्रयास किया, छोटी–छोटी योजनाओं पर माननीय मंत्री जी का । एक योजना मेरी विधान सभा गरौता क्षेत्र से जुड़ी है, भस्नेह बांध एक बहुत बड़ा बांध है, उसको नहर से जोड़ने का मामला था, मात्र 2 करोड़ की योजना थी, 3 वर्ष से लगातार उठा रहा हूँ हर मौके पर यह प्रयास करता हूँ कि मंत्री जी तक मेरी बात पहुँच जाए, लेकिन मान्यवर, उस 2 करोड़ की उस पूरे बजट में व्यवस्था नहीं हो पायी, सिर्फ इस कारण से कि मैं समाजवादी पार्टी का विधायक हूँ। मान्यवर, मंत्री जी मेरा आग्रह न माने लेकिन उस क्षेत्र के किसानों का ध्यान रखें जिनका भविष्य उससे जुड़ा हुआ है अगर नहर से वह योजना जुड़ जाती है तो वह बहुत बड़ा भू–भाग है, सिंचाई की व्यवस्था हो जाने से गरीबों की बहुत बड़ी मदद हो सकती है। मान्यवर, एकऔर बात का आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, एक साथ कई बजट आपने रखे है, इसलिए पी0डब्ल्यू0डी0 से जुड़ी हुई बात भी कहना चाहता हूँ, मान्यवर, हो सकता है, फिर आगे मौका मिले न मिले।

श्री अधिष्ठाता–

आगे मौका मिलेगा।

श्री दीप नारायन सिंह दीपक यादव–

मान्यवर, मेरा एक और निवेदन है, सूखे के कारण जो परिस्थितियाँ है, उससे निपटने की कोई व्यवस्था नहीं है, मान्यवर, यहाँ बाढ़ से पीड़ित है, वहाँ सूखे से पीड़ित है। मान्यवर,

सूखे के लोगों को पानी का संग्रह चाहिए। मान्यवर, अभी पानी के संग्रह की कोई व्यवस्था नहीं बनी है, जिस तरह की कार्य योजना बना रहे है, उससे जल बचेगा ही नहीं क्योंकि आप पानी को रोकने का कोई प्रबन्ध नहीं कर रहे है, नदियों का जिक्र कर रहे है लेकिन नदियों का बहता हुआ पानी यदि इसी तरह समुद्र में जाता रहेगा तो जमीन का जल स्तर घटता रहेगा और समुद्र का पानी बढ़ता जायेगा। इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, माननीय 26 सदस्यों के सुझाव, आलोचना सुनी। मान्यवर, अजय तोमर जी ने शुरू किया और गरौठा के एम0एल0ए0 साहब ने समाप्त किया ।

(इस समय 5 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

माननीय ओझा जी ने भी सुझाव दिये, अनूप गुप्ता जी ने भी सुझाव दिये, अग्रवाल साहब ने भी सुझाव दिये, राय साहब ने, ईश्वर चन्द्र शुक्ला जी, आरिफ अनवर हाशमी जी, सिरोही साहब, अकेला जी, मा0 पाण्डेय ज़ी, मा0 गुप्ता जी, त्रिभुवन दत्त जी, दुर्गा यादव जी, कोकब हमीद साहब, बैजनाथ दुबे जी, बृजेश सौरभ जी, उस्मानी जी, माननीय जोखूलाल यादव जी, सुलतान बेग जी, वारिस अली जी, अरविंद गिरी जी, भोला पासवान जी, दीनानाथ कुशवाहा जी, शिवगणेश लोधी जी, सभी की बातें मान्यवर, मैंने सुनी है। जो सच्ची बात है वह तो कही जाएगी। अगर किसी महाकवि ने कोई सच्ची बात कही है तो वह तो कही जाएगी और मान्यवर, यह भी सच्चाई है कि यह दैवीय आपदा है। कहीं पर वर्षा अधिक हो रही है तो बाढ़ आ जा रही है तो कभी कभी बिना वर्षा के भी बाढ़ आ जा रही है। वर्षा कहीं और किसी देश में हो रही है और बाढ़ हमारे प्रदेश में आ रही है यह दैवीय आपदा है। लेकिन मुझे बड़ी हैरत तब हुयी जब माननीय सदस्यों ने कटौती का प्रस्ताव रखा तो बजट को घटाकर एक रुपया करने का सुझाव दे डाला। अब वह परम्परा क्या है, मैं इसको क्या कहूँ। और उसके बाद वह सुझाव दे डाला लेकिन उसके बाद हजारों करोड़ रुपये की योजनाओं की मांग कर डाली। अरे भाई, जितना मैंने प्रस्तुत किया है उसको बढ़ाने की बात करते तब आप अपनी योजनाएं जोड़ते तो शोभा भी देता। खुद ही एक रुपये कटौती करने में लगे हो तो आपकी मंशा पूरी कहाँ से होगी। अब मैं सिर्फ यही कहूँगा मान्यवर, कि मैं सच बोलूंगा और हार जाऊंगा, वो गलत बोलेंगे और लाजवाब कर देंगे।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

यह बात पलट दीजिए। इधर से बोल दीजिए।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

देखिये मान्यवर, पलटी मारने का काम हमारा नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, एक हमारे बड़े भाई श्री राम अचल राजभर जी हैं, सुन लीजिए, एक सच्ची बात बता रहा हूँ। उनकी एक बात याद आ गयी । मैंने इनसे करीब 20 साल पहले पूछा था कि आपकी कितनी उम्र है तो यह बोले कि 45 साल, फिर दस साल बाद पूछा कि कितनी उम्र है तो यह बोले 45 साल, अभी परसों पूछा कि कितनी उम्र है तो बोले 45 साल । मैंने कहा कि भाई आपकी उम्र 20 साल में उम्र 45 साल ही है। वह बोले कि जो मैं एक बार कहता हूँ, बदलता नहीं हूँ।

(हँसी)

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

आपकी उम्र कितनी है?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

राज को राज ही रहने दो। अब मान्यवर, लोगों ने जो भी सुझाव दिये है मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। मान्यवर, मुझे तो सिर्फ यही कहना है कि हम अपने जेहन को साफ कर लें। क्यों, एक कवि ने लिखा जमुना भी वही, कृष्ण भी वही, गोकुल भी वही है। अफसोस कि हममें कोई रसखान नहीं है। हमें रसखान बनना पड़ेगा। सुझाव व आलोचना के साथ–साथ आप यह स्वीकार करते हैं कि कुछ ऐसी दैवीय आपदाएँ हैं, कुछ ऐसी समस्याएँ है कि जब तक सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ बैठ कर मंथन नहीं करेंगे तब तक उसका हल नहीं होगा। अगर मुझे भाषण देना है, क्षमा कीजिएगा, कि मैं आपको लाजवाब करके, मान्यवर, आप पास करवा देंगे और हम चले जाते है। इससे काम नहीं चलेगा। गन्ने की उस दिन बात आयी। मैंने माननीय हुकुम सिंह जी से कहा।

अभी सोलंकी जी बैठे हुये थे, उनको भी लिया, आपके दल से कौशल किशोर जी थे उनको लिया, कांग्रेस के प्रमोद तिवारी थे उनको लिया और अपने उच्चाधिकारियों को बैठा करके, एक रास्ता बनाकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश है, कोई आदेश निकालना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अवहेलना न हो, कोई रास्ता निकालना चाहिए। मान्यवर, हम लोग बैठे, सारे रास्ते तो नहीं निकले, लेकिन रास्ते निकालने की एक किरण जरूर नजर आयी। तो सिर्फ अगर यह है कि हमें भाषण देना है, भाषण देकर चले जाना है, कार्यवाही में हो जाना है, क्षेत्र में दिखा देना है कि हम बोले, उसका कोई हल नहीं है, बोलने के साथ–साथ एक पाजिटिव सोच रखिये और इसके बाद हर मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष, यह बिलकुल सही बात है कि विपक्ष की ओर से बहुत सी ऐसी जानकारियां आ जाती है कि जिसके बारे में हमें पता ही नहीं। हमें तमाम जानकारियां विपक्ष के माध्यम से ही मिलती है, हमें कार्यवाही करनी पड़ती है और इसी बहाने हमको अपने विभाग को दुरुस्त करने का भी मौका मिल जाता है तो इस तरीके की बातें आपने कहीं हैं, हमने लिखी हैं। कहें तो मैं सबको पढ़ के सुना दूं, मैं समय नहीं बरबाद करना चाहता। जो बातें आपने बतायीं हैं, जो आपने सुझाव दिये हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। जहां भी जरूरत पड़ती है हम बैठें, अधिकारियों को बैठा लें, और उसके बाद कोई रास्ता निकालें। चाहे वह गन्ना का हो, चाहे वह सिंचाई का हो, चाहे वह बाढ़ का हो और चाहे वह राज्य सम्पत्ति का हो। ईमानदारी से, भले आप जवाब मत दो, ईमानदारी से अपने सीने पर हाथ रखकर यह बताइये कि माननीय विधायकों के लिये, विधान मण्डल के सदस्यों के लिए, जो हमारी सरकार से किया है, चाहे वह आवास का मामला हो, चाहे और हो, इससे पहले मैं किसी सरकार का कोई नाम नहीं ले रहा हूं, क्या अभी हुआ है इतने कम समय में, नहीं हुआ तो दिल में ही कह दो, मुझसे मत कहो, आप अपने दिल में कह दो।

श्री जर्नादन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, अपने कटौती के प्रस्ताव के माध्यम से, मैंने गन्ना और शुगर इन्डस्ट्री पर रखा था। हम सिंचाई विभाग पर भी जानकारी देना चाहते थे कि महाराजगंज जनपद में मान्यवर, 31 करोड़ रुपया आपने दिया है, बाढ़ और वर्षा के लिये। नियमानुसार उसका टेण्डर

होना चाहिए, वहां कोई एक्स0ई0एन0 उन्होंने टेण्डर नहीं किया और लखनऊ के 2 फर्म सत्यप्रकाश एण्ड इण्टरप्राइजेज और प्रगति इण्टरप्राइजेज को 31 करोड़ रुपया बिना टेण्डर के, नियमानुसार उसका टेण्डर होना चाहिए और 8 लाख की रकम से ज्यादा का काम बिना टेण्डर के नहीं होना चाहिए। इन्होंने बिना टेण्डर के सप्लाई आर्डर पर 31 करोड़ रुपये का गबन कर दिया। मान्यवर, आपको याद होगा कि पिछले साल 16 करोड़ रुपये का गबन हुआ था, उसका एफ0आई0आर0 भी हुआ। वह सम्बन्धित सस्पेण्ड भी हुआ फिर बहाल भी हो गया। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की पारदर्शिता, हम ही नहीं लोग भी समझें, इसलिये इसकी जांच करा लें। मेरी जानकारी में मान्यवर, ये दोनों जो लखनऊ की फर्म हैं, उन्हीं के लोगों की फर्म है और जहां ये रहते हैं, इन्हीं फर्मों को सैंक्शन करते हैं और अब तक इन्होंने करोड़ों रुपया सैंक्शन किया है। इसकी उच्च स्तरीय जांच आप करा लें।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, मैं ओझा जी का बड़ा सम्मान करता हूं, मुझसे बहुत बड़े हैं, पिता तुल्य कहूं, चाचा कहूं, समान कहूं, बड़े भाई समान कहूं, मैं मान्यवर, बड़ा सम्मान करता हूँ और जैसा कि वह कह भी रहे हैं कि पिछली बार शिकायत की, कार्यवाही हुयी, वह आदमी सस्पेण्ड हुआ। माननीय ओझा जी ने जो 31 करोड़ का मामला जनपद महाराजगंज का बताया है, गबन कर दिया आपने कहा, यदि गबन हुआ होगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होगी। इसके अलावा कोई भी इस तरीके की बात, चाहे वह विपक्ष के माननीय सदस्य हों, सत्ता पक्ष के हों, जो भी इस तरीके की बात बतायेंगे, उसकी छानबीन की जायेगी। और अगर उसमें सत्यता निकली तो किसी भी अधिकारी को छोड़ा नहीं जायेगा। मान्यवर, ये आप लोग खुद महसूस करते हैं, मुझे खुद नहीं कहना चाहिए। मेरे आफिस में, कार्यालय में कोई भी माननीय सदस्य आयें चाहें सत्तापक्ष के आयें, चाहें विपक्ष के आयें, मुझे कहीं मिल जायें सभी को सम्मान देता हूँ जब मैं आपको सम्मान दूंगा तभी मुझे भी सम्मान मिलेगा।

मान्यवर, जो भी माननीय सदस्यों के सुझाव आये हैं वह, मैंने नोट कर लिये हैं। मान्यवर, दो तीन लाइनें इस अवसर पर पढ़ना चाहता हूँ कि–

दामन तुम्हारा कैसे सितारों से हम भरें।
हम आदमी हैं घर है हमारा जमीन पर।।
इक जान भी है वो भी अमानत उसी की है।
कुछ भी नहीं है हमारा–तुम्हारा जमीन पर।।

तो मान्यवर, आप सबके मन की बात हो गयी। मेरा अनुरोध है कि आप लोग अपना–अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें और इसे सर्वसम्मति से पास करने की कृपा करें।

श्री अरविन्द गिरि–

मान्यवर, आपने कहा कि बाढ़ दैवीय आपदा है। अगर आप समिति गठित करके यहां पर भेज दें तो स्थिति सामने आ जायेगी। इससे पहले भी एक एक हफ्ते वर्षा होती थी लोग कपड़े सुखाने के लिये तरस जाते थे यह आप लखीमपुर और पीलीभीत की तरफ देख लें चीन और नेपाल ने षडयंत्रकारी योजना के तहत नदियों का पानी डाइवर्ट किया है। इसलिए यह मानव जनित है। मान्यवर, जनपद लखीमपुर खीरी के सिंचाई विभाग को इस दिशा में तत्पर

होना पड़ेगा। वहां सिल्टिंग की बात है, नदियां छिछली होती जा रही है, दिशाहीन हो गयी है। आपको सोचना पड़ेगा उस बारे में। इसी तरह से जनपद खीरी में स्थित शारदा बैराज से निकलने वाली एक मात्र अति महत्वपूर्ण उल्ल साइफन तक मात्र 30 कि०मी० नहर को पक्काकरण कराये जाने की मांग करता हूँ। जिससे होने वाला सीपेज (रिसाव) से हजारों एकड़ कृषि भूमि को सुरक्षित किया जा सके। मान्यवर, वहां पर 6 गांव सीपेज से बुरी तरह से प्रभावित हैं। उनके बारे में आप कुछ व्यवस्था करा दें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। आप लोग अपने कटौती प्रस्ताव वापस ले रहे हैं। नहीं ले रहे हैं। अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 54,02,99,72,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–95 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–95 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 19,72,40,02,000 अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 01,67,81,22,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिय आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 47,58,05,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अर्न्तगत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष मे अनुदान संख्या–59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 01,67,85,79,000 रूपये से अनधिक राशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2010–2011 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–46 प्रशासनिक सुधार विभाग

श्री अध्यक्ष–

इसमें विवाद नहीं है, इसको पास करा देते है माननीय मंत्री जी प्रस्तुत करें ।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–46 प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 22,15,76,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–46 प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने वाले आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 22,15,76,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2010–2011 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–22

खेल विभाग

खेलकूद एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (अयोध्या प्रसाद पाल)–

मान्यवर, मै आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–22 खेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 78,89,96,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–22 खेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 78,89,96,000 रूपये से अनधिक राशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2010–2011 के आय–व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या–50, राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) अनुदान संख्या–51, राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संम्बंध में राहत), अनुदान संख्या–52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

राजस्व मंत्री (श्री फागू चौहान)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अर्न्तगत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 05,55,49,23,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 7,15,21,68,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 15,74,91,08,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सिरोही जी, कटौती का प्रस्ताव रखें।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने राजस्व विभाग पर कटौती प्रस्ताव रखने की अनुमति दी, इसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूँ।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने के उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने के उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)–

अब प्रश्न हो जाने दीजिये। समय का ध्यान रखें। अब कहाँ सिरोही जी। मान्यवर, यह तो इसी विभाग के मंत्री रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, मैं 5–7 मिनट में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहूँगा। मान्यवर, राजस्व विभाग प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। जब कोई किसी काम को नही कर पाता तो वह राजस्व विभाग को सौंपा जाता है। लेकिन धीरे-धीरे राजस्व विभाग को इतना कमजोर कर दिया गया उसकी शक्ति घटा दी गयी। आज स्थिति यह हो गयी है कि हमारे राजस्व मंत्री जिस घोड़े पर बैठे हुये हैं उसकी नकेल इनके हाथ में नहीं है। ताकत इतनी कम कर दी गयी है कि वह लगाम कहीं और बंधी होती है। 1957-58 से पहले राजस्व विभाग में चाहे वह एस०डी०एम० हों, तहसीलदार हों और बहुत से अधिकारी हों, सीधा इनका नियंत्रण होता था। लेकिन धीरे-धीरे इनकी शक्ति कम होती चली गयी और आज स्थिति यह है कि पूरे प्रदेश में चाहे किसी विभाग को कोई कार्य हो सिंचाई विभाग के माननीय मंत्री जी बैठे हैं बाढ़ आयेगी तो वहाँ तहसीलदार लगेगा, तहसील के कर्मचारी लगेंगे और वहाँ लेखपाल खड़ा मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, कहने का उद्देश्य यह है कि काम का इतना विस्तार हो गया है लेकिन उनकी शक्ति कम कर दी गयी है। मै कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहूँगा। यदि इस विभाग से जुड़े अधिकारी जैसे एस०डी०एम० हैं, तहसीलदार हैं। तहसीलदार का नियंत्रण सीधे राजस्व परिषद् से होता है। इस विभाग का सीधा-सीधा शासन का नियंत्रण हो। एस०डी०एम० के ट्रांसफर पोस्टिंग शासन की अनुमति से हों, तहसीलदार का ट्रांसफर पोस्टिंग या उनकी कार्यवाही शासन की अनुमति से हो तब कुछ इसमें मजबूती आयेगी। विभाग है लेकिन शक्तियां

कुछ नहीं है। जिस प्रकार 1957-58 से पहले इनको अधिकार था, उसी प्रकार से अधिकार दिया जाय तो इस विभाग को मजबूत होकर काम करने की शक्ति मिलेगी। क्योंकि स्कूल में नकल होगी तो एस०डी०एम०रोकेगा। तहसीलदार नकल रोकेगा। जितने मंत्री बैठे हैं इनका स्वागत राजस्व विभाग करेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, अभी मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से अनुरोध करूँगा मेरा सुझाव भी है कि आपने 168ए में संशोधन किया है। इसमें जितने भी वाद आज न्यायालयों में पेंडिंग हैं, लाखों की संख्या में 168 के अन्तर्गत सारे विवाद जिला न्यायालय, हाईकोर्ट और बोर्ड में पेंडिंग है। यदि इसमें संशोधन करके लाखों जो केस चल रहे हैं यदि उनको उस पर भी लागू कर देगें, संशोधन करके आदेश कर देंगे तो निश्चित रूप से लाखों लोगों का लाभ होगा। माननीय अध्यक्ष जी, एक चीज और यहाँ पर थी 2004-2005 में व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना थी.....जिसको आपके द्वारा 15 सितम्बर, 2009 को समाप्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में ऐसे कास्तकारों की संख्या 1 करोड़ 18 लाख 70 हजार 767 है, जिनकी भूमि आधा हेक्टेयर से कम है। इन व्यक्तियों की जब किसी प्रकार से मृत्यु हो जाती थी उनको सरकार की ओर से एक लाख रुपया मिलता था। मा० अध्यक्ष जी, वह व्यक्ति आग से मर जाये, बिजली से मर जाये, साँप के काटने से जीव–जन्तु के काटने से, मकान गिरने इत्यादि से यदि वह मर जाये तो उस छोटे कास्तकार को एक लाख रुपया मिल जाता था।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, लिख करके दे दीजिए, कार्यवाही का अंग बन जायेगा।

विपक्ष की ओर से–

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लें।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

क्या पढ़ा हुआ मान लें, कुछ लिख करके दिया है क्या?

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, लिख करके दे दीजिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

क्या कटौती लिख करके दी जाती है? यह तो मजाक हो रहा है।

श्री अध्यक्ष–

मा० सिरोही जी, आप संक्षिप्त कर दें ऐसी सभी की इच्छा है, आप काफी अनुभवी राजस्व मंत्री रहे हैं। आप तो बहुत कम समय में अनुभवी बातों को रख सकते हैं जो बड़ी बात हो सकती है। मा० सदस्यगण आप टोका-टाकी न करें।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, दो तीन चीजें हैं मैं वही कहूँगा। भूमि अधिग्रहण के बार में मैं कहना चाहता हूँ कि इसके बारे में हमने नियम बनाया था कि अधिग्रहण करते समय सहमति के आधार पर

जमीन ले ली जायेगी। मान्यवर, आज हमारी उपजाऊ जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है और उन्हें लेकर बिल्डर्स को दिया जाता है। मान्यवर, केवल पब्लिक परपज के लिए भूमि अधिग्रहण की धारा 4 और 9 रही है। हमारे पश्चिम क्षेत्र की उपजाऊ जमीन बिल्डर्स को न दी जाये इन जमीनों का अधिग्रहण केवल पब्लिक परपज के लिए किया जाये। दूसरा मैं चकबन्दी के बारे में कहना चाहता हूँ। चकबन्दी विभाग में चकबन्दी के मुकदमें 20–20 साल तक चलते हैं। चकबन्दी के गाँव में धारा 4 होती है और धारा 52 होती है।

श्री अध्यक्ष–

अब मा० सिरोही जी, समाप्त कर दें।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, जो मुकदमें 5–5, 7–7 साल चलते हैं उनका निस्तारण यदि समयबद्ध हो जाये तो निश्चित रूप से उससे किसानों को लाभ मिलेगा। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि चकबन्दी के बाद जब कब्जा परिवर्तन होता है तो बहुत सारे विवाद होते हैं नाप ठीक नहीं हो पाती। इसमें मेरा सुझाव है कि यदि उन चकों को जिलाधिकारी से 2 चक नपवायेंगे और अधिकारियों से चक नपवायेंगे तो निश्चित रूप से लेखपाल और कानूनगो के दिमाग में भय रहेगा कि कभी भी नापने डी०एम० आ सकते हैं तो निश्चित रूप से नाप ठीक आयेगी। मा० अध्यक्ष जी, बातें और भी थीं लेकिन मा० सदस्य जल्दी कर रहे हैं इसलिए मैं समाप्त कर रहा हूँ लेकिन मेरा मा० संसदीय कार्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस विभाग को कमजोर न करो बल्कि इसे और मजबूत करो। मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।

*श्री विशम्भर सिंह यादव–

मैं राजस्व मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि बबेरू (बाँदा) के तहसीलदार नत्थू प्रसाद पाण्डेय हैं, उनके लड़के की 2 जून, 2010 को शादी होने वाली है और उस लड़की का नाम है रागिनी। रागिनी के नाम से अमलहरा गाँव के एक व्यक्ति चरन सिंह की जमीन अमर सिंह का फोटो लगा करके अपनी होने वाली बहू के नाम अभी बारहवें महीने में 2.12.2009 को और एक अभी 8.12.2009 को बैनामा कराया। मान्यवर, राजस्व अधिकारियों का अब यह हाल है कि फर्जी फोटो लगाकर बैनामा करा लिया और लेखपाल को धमका रहे हैं कि बयान दे दो।

श्री अध्यक्ष–

किसकी फोटो लगायी है ?

श्री विशम्भर सिंह यादव–

.....अमर सिंह का फोटो लगा करके अपनी होनी वाली बहू के नाम अभी ग्यारहवें महीने में 2.12.09 को और 1.08.09 को बैनामा कराया गाटा संख्या का। इस तरह से राजस्व अधिकारियों का यह हाल है कि फर्जी फोटो लगवाकर लेखपाल को धमका रहे है इसमें बयान दे दो। अमर सिंह की फोटो लगाये हैं, जिसकी जमीन है वह रहने वाला सतना का है। पूरी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शिकायत है और पूरा साक्ष्य है। राजस्व मंत्री जी आपके तहसीलदार ने अपनी होने वाली बहू के नाम कराया है। जो उसकी बहू होने वाली है।

श्री अध्यक्ष–

मा० मंत्री जी के संज्ञान में ला दिया है। सिफारिश कर लिये हैं तो मान जायेंगे। यादव जी सुझाव दे दिये हैं।

श्री फागू चौहान–

मा० सिरोही जी हमारे पुराने मित्रों में से है। पहले भी हमारे शुभ चिंतक रहे हैं और आज भी हमारे शुभ चिंतक हैं राजस्व मंत्री की ताकत को बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा है कि घोड़े पर बैठे हुए हैं और जो है एक रत्ती लगाम इनके पास नहीं है। मैं इनका स्वागत करता हूँ । मैं यह भी स्वागत करता हूँ कि आप जो 168(ए) वाला बताए वह तो पाप हो गया दो वर्ष के लिए है आपके पास जो है, टुकड़ो में जमीन जो खरीदें हो तो उसको ठीक करा लें। दूसरी बात यह है कि मैं इनसे सिफारिश करता हूँ कि अपना सुझाव वापस ले लें। हमारे मित्र हैं। हर बात में हमारा सहयोग कर लें। एक नई परम्परा डालिये।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सुझाव स्वीकार कर लें, मा० संसदीय कार्य मंत्री जी तो हम वापस ले लेंगे। खड़े हो जाये दोनों हमने सुझाव स्वीकार कर लिया है बाद में वापस ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त हाने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 5,55,49,23,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 51–राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 51–राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 7,15,81,68,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 15,74,91,08,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2010–2011 के आय व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या–05–उद्योग विभाग (खादी और ग्रामोद्योग), अनुदान संख्या–08 उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री), अनुदान संख्या–04–उद्योग विभाग (खानें और खनिज), अनुदान संख्या–18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता), अनुदान संख्या–03–उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्मात प्रोत्साहन), अनुदान संख्या–06–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

*वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण)-

मान्यवर, आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–05–उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,23,51,65,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

संसदीय कार्य वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–08–उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,13,71,16,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

भूतत्व एवं खनिकर्म, पंचायतीराज, सहकारिता तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–04–उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 24,24,16,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,02,95,57,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

लघु उद्योग मंत्री (*श्री चन्द्रदेव राम यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,07,88,77,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री जगदीश नारायण–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 37,47,53,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

श्री सुन्दर लाल लोधी जी अनुदान संख्या–05 उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) तथा अनुदान संख्या–08–उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) पर अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

*श्री सुन्दर लाल लोधी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 05–उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–08–उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री अध्यक्ष–

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद जी अनुदान संख्या–04–उद्योग विभाग (खानें और खनिज) पर अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 04–उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

अनुदान संख्या–18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) पर श्री सलिल विश्नोई जी अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें। (श्री सलिल विश्नोई जी के उपस्थित न होने पर)

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला–

मान्यवर, इस पर मुझे कटौती रखनी है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री अध्यक्ष–

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी आप कृपया अनुदान संख्या–03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) तथा अनुदान सं0–06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) पर अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–03–उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–06–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, अब प्रश्न रख दें।

श्री सुन्दर लाल लोधी–

मान्यवर, बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूँगा।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, मात्र कुछ सुझाव देने हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री सुन्दर लाल लोधी–

मान्यवर, हथकरघा और खादी ग्रामोद्योग के अन्तर्गत जो बजट आया है तो यह विभाग बहुत ही बड़ा विभाग है और इससे जनता का पूरे–पूरे जो गांव हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनकी योजनायें खादी एवं ग्रामोद्योग, गांधी जी के नाम के साथ में उनका नाम प्रचलित करने के लिए, कुछ लोगों को लाभ देने के लिए इसका गठन हुआ है। यह अधिनियम–10, 1960 के अंतर्गत बोर्ड का गठन सलाहकार बोर्ड के रूप में हुआ था। उनकी कुछ भावनायें थी और भावनायें यह थी कि जो नगर पंचायत, नगर निगम और जो नगर क्षेत्र से बाहर ग्रामीण क्षेत्र हों, जहाँ पर आबादी 20 हजार से अधिक न हो वहाँ पर ये उद्योग स्थापित किये जायं। परन्तु आज जो बजट की पुस्तकें मिली और जो बजट आया उनमें अक्सर करके यही देखने को मिला कि जो योजनायें बनी वह सिर्फ शहरों और नगर पंचायतों तक सीमित हैं। वास्तव में जब इसका गठन किया गया तो इसके मूल उद्देश्य रखे गये थे। उन मूल उद्देश्यों में इसके 7 मूल उद्देश्य थे। .....

मान्यवर, दो मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। मैं कुछ लिखकर लाया हूँ वह सदन का अंग बन जाए इसलिए मैं उसे ही पढ़ना चाहूँगा।

श्री लाल जी वर्मा–

उसको देख लीजिए। आप दे दें।

श्री अध्यक्ष–

आप लिख कर दे दें। कार्यवाही का अंग बन जायेगा।

श्री सुन्दर लाल लोधी–

संसदीय कार्य मंत्री जी साढ़े छह बज रहा है सुनने की इच्छा नहीं है इसलिए हम उदाहरण ही आपको देंगे जो पुस्तक में है उसके अतिरिक्त हम भाषण नही देगे।

श्री लाल जी वर्मा–

जनता की नब्ज समझिए।

श्री सुन्दर लाल लोधी–

सरकार में बैठें है तो कुछ न कुछ सुनना जरूरी होगा। मै सरकार की आलोचना नहीं करूँगा । आपका इतना महत्वपूर्ण विभाग है इतनी शाखाएं बनी पांच मई 1987 में इसका निदेशालय कुटीर एवं ग्रह उद्योग इसकी एक शाखा बन गई इसमें जो निदेशालय बनाया गया उसमें कर्मचारियों की सख्या 14 रखी हर साल छप जाता है कि हमारी संख्या पूरी नही है। और पूरे उत्तर प्रदेश का काम देख रहे हैं 14 में मात्र 9 आदमी काम कर रहे हैं यह आपका काम संभाले हैं जो गॉव से जुड़ा है न मालुम कितनों को लोन देना है 14 में 9 कर्मचारी आपके उत्तर प्रदेश को संभाले हुए हैं पांच कर्मचारी उसमें से भी कम है साथ ही साथ और भागों में बांटा चूँकि उसमें बोलने के लिए काफी है फिर भी आप समय नही देंगे इसलिए हम संक्षेप में ही रखेंगे खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में पद स्वीकृत है 1651 काम कर रहे है

779 कर्मचारी काम करेगा यह पूरे उत्तर प्रदेश को संभालेगा करोड़ों रूपये का है विभाग को जब बनाया गया था तो अनुसूचित जाति दलित पिछड़ें वर्ग जितने भी कारीगर है उनको लाभ दिया जाय परन्तु मेरी समझ में इस ओर कोई ध्यान नही दिया अन्त में कटौती पर बल देते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ।

श्री लाल जी वर्मा–

अब समाप्त करें। सदस्यों का मूड भी देखिए।

ईश्वर चन्द्र शुक्ल –

यह इसलिए इतने विभाग का बजट एक साथ रखे कि सभी लोग चले जांए।

श्री लाल जी वर्मा–

इनके सदस्य स्वयं ही भाग गए।

श्री अध्यक्ष –

आपका कटौती पर बोलने का अधिकार है।

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मै आपका आभारी हूँ कि आपने सहकारिता के कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिए मुझे बोलने का अवसर दिया। मैने वित्त मंत्री का पूरा भाषण पढ़ा उसमें सहकारिता का कहीं नाम ही नहीं है सहकारिता गरीब किसानों का सबसे मजबूत बजट है सहकारिता का हाल यह है कि आज प्रारम्भिक सहकारी समितियां पूरे उत्तर प्रदेश में निष्प्राण हो चुकी हैं अधिकतम सहकारी संघ बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं उनकी जमीनें दूसरे लोग कब्जा कर रहे हैं मार्केटिंग समितियाँ जिनके जरिए से व्यवसाय सबसे बड़ा होता था किसान जहाँ गल्ला रखते थे आज उसका कही अता–पता नही है उस पर दूसरे कब्जा जमा करके अपने–अपने लोग बैठाये हुए हैं उसको खाली नहीं कर रहे हैं यह कहते है कि सबसे बड़ा किसान, अनुसूचित जाति उसमें सदस्य बनाने का कोई मतलब नहीं है आज प्रदेश के सारे कोआपरेटिव बैंक खत्म हो चुके हैं सिद्धार्थनगर में 40 करोड़ रूपया जमाकर्ताओं का पैसा पड़ा हुआ है गरीब किसान अपनी बेटी की शादी के लिए दूसरे कामों के लिए जमा किये थे उसका कोई पुरुषाहाल नहीं है वह कहाँ से पैसा पाएंगे कहाँ से नही पाएंगे इस संबंध में मैं यह भी कहना चाहूँगा जिला उपभोक्ता सहकारी समितियां थीं जिला सहकारी संघ था चुनाव होता था सब कुछ होता था इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि नाबार्ड की समितियाँ बहुत अच्छा काम कर रही है जबकि नाबार्ड और केन्द्र सरकार ने लिखा कि अपने एक्ट में परिवर्तन कर दीजिए इस पर जनप्रतिनिधियों का पूरा अंकुश होगा लेकिन सहकारीकरण न करके सरकारीकरण करने का एक प्रस्ताव है इन्हाने इसे चेंज कर दिया। मै अपने जनपद की बात करना चाहता हूँ कि एक ही दिन में 99 श्रम संविदा सहकारी समितियां बनाई गईं काश्तकारों की उसमें भागीदारी नहीं हुई वही सब अध्यक्ष और संचालक बनकर चले आए उसमें किसी को कुछ पता नही चला मैं आपका संरक्षण चाहते हुए यह भी कहना चाहता हूँ कि आज जो सहकारिता से जुड़े हुए सदस्य हैं उनको इस बात का पता ही नही चला कि कब हमारे यहाँ चुनाव हुए।

प्रदेश स्तर के चाहे शीर्ष बैंक हों, कोआपरेटिव हों, पी०सी०एफ० हों, पी०सी०यू० हो या दूसरी संस्थाएं हैं वो सब जर्जर हैं उनकी समितियों से कोई लेन देन नही होता। धान खरीद जो है वह पी०सी०एफ० करती है और वह विचौलियों से करती है। सीधे किसानों से नही लिया है उसने । विचौलियों से तय कर लिया वह 10 रुपये प्रति क्विंटल वह देते हैं तब इनका कार्यक्रम होता है मान्यवर । खाद बीज वितरण केन्द्र पहले ब्लाक मुख्यालय पर होते हैं आज उनका कहीं अता पता नहीं है, उसकी इसमें कहीं कोई चर्चा नहीं है। मान्यवर, वैद्यनाथन कमेटी ने पहले इतना रुपया देने की बात कही थी लेकिन वैद्यनाथन कमेटी ने जब यह कही था कि एक्ट में संशोधन कर दीजिए। इन्होंने अपने हिसाब से संशोधन कर दिया है। मैं अंत में एक बात कह करके कि इस तरह से यह सहकारी आंदोलन को समाप्त करके वंचित रखा जा रहा है और सरकारी अधिकारियों के चंगुल से मुक्त करने का कोई उपाय नहीं किया गया है। सहकारी सदस्य ग्राहक, उपभोक्ता सबके सब हलकान हैं। जब तक यह सरकार सहकारिता कानून में आमूल चूल परिर्वतन नहीं करेगी तब तक किसानों का कोई कल्याण नहीं होगा । मैं कटौती पर बल देता हूँ ।

श्री अध्यक्ष–

आप वापस ले रहे हैं ? (श्री विशम्भर प्रसाद निषाद के बोलने के लिये खड़े होने पर) अब निषाद जी आपको क्या कहना है ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

माननीय अध्यक्ष जी, अनुदान संख्या 4 उद्योग विभाग खानें और खनिज में माननीय भूतल खनिज मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, हमने इसमें पढ़ा है देखा है। इसमें एक खनिज नीति थी मान्यवर खनिज नीति से जो खनिज क्षेत्र में डेवलेपमेंट के लिये सड़कों का काम, वहां जो मजदूर काम कर रहे हैं, उनको हैंड पम्प लगाने का काम उनको रैन बसेरा का काम, यह तमाम गरीबों से जुड़े मामले थे, वह काम होते थे। लेकिन इस बजट में वर्ष 2010–2011 वाले में खनिज नीति का नाम ही खत्म है। उसमें एक रुपया भी नहीं रखा गया है। इसीलिये हमने एक रुपया कटौती का प्रस्ताव रखा है कि इन्होंने नहीं रखा है तो हम ही एक रुपया रख देते हैं कटौती के लिए। मान्यवर, हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी के शासनकाल में हम लोगों ने झाँसी, इलाहाबाद, सोनभद्र में क्वेरी कार्यालय बनाये थे। यह विभाग मान्यवर, बहुत छोटा है, लेकिन सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला विभाग है। बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। इसमें झाँसी, इलाहाबाद, सोनभद्र में क्वेरी कार्यालय बनाये गये थे। मान्यवर वह अभी भी अधूरे हैं, पता नहीं कब तक पूरे होंगे। माननीय मंत्री जी को क्वेरी कार्यालय बनाने चाहिए थे लेकिन मंत्री जी ने क्वेरी कार्यालय न बनाकर करके गेस्ट हाउस बनवा रहे हैं। क्योंकि इनके पास अधिकारियों के बैठने के लिये जगह नहीं है, मान्यवर, जिलाधिकारी कार्यालय मे बैठते हैं। इन्होंने कार्यालय न बनाकर करके गेस्ट हाउस बनवा दिये हैं और गेस्ट हाउस कहाँ बनाये ? बरहज में देवरिया में जहाँ कोई खान खनिज से कोई मतलब नही हैं कहाँ बनाया है ? बांदा में बनाया है, जहाँ पर सर्किट हाउस बना हुआ है उसी के सामने जहां उसकी कोई आवश्यकता नही है। खनिज क्षेत्र में बनाते ? एक लखनऊ में बनाया, लखनऊ तो ठीक है, मान लीजिये निदेशालय में वहां अधिकारी आते हैं रुकने के लिये। तो मान्यवर, इस

तरह के काम नही करने चाहिए, जनता से जुडे हुए काम करने चाहिए। हम सुझाव दे रहे हैं। इतना ही नहीं मान्यवर, जो भी खनिज कार्य हो रहा है वह अवैज्ञानिक ढंग से हो रहा है। जितने भी इनके ठेकेदार लगे हुए हैं उनको कोई अनुभव नहीं है, जिससे पर्यावरण की क्षति हो रही है, नदियों की धाराएं बदल रही हैं मान्यवर,। भारत सरकार भी बार–बार निर्देश दे रही है कि इस तरह से खनन न किया जाय, अवैध खनन हो रहा हैं। वन विभाग क्षेत्र में, सोनभद्र में मान्यवर नाम ले तो तमाम जगह है। हम ज्यादा आलोचना नहीं करना चाहते। मंत्री जी खुद देख लेंगे। जिस तरह से अवैध खनन हो रहा है। वन विभाग भी चिन्तित है और भारत सरकार भी चिन्तित है। कल को जब वहाँ पर पर्यावरण की स्थित आयेगी तो उसमें भारत सरकार कोई क्वैरी करेगी तो उसमें दिक्कतें आयेंगी । मान्यवर, इसलिये हमारा मंत्री जी से सुझाव है कि इसको दिखवा लें। इसके अलावा मान्यवर अभी महोबा में जुझार एक गांव है, पहारा गांव है और खेलार गांव है वहां पर कुछ क्षेत्र खाली हुए थे। इनके अधिकारियों ने ऐसी विज्ञप्ति निकाली कि किसी अखबार में प्रकाशन नहीं हुआ। कम से कम पब्लिसिटी करना चाहिए था। देना आपका अधिकार है, यह प्रायरिटी के या जो भी नियम है। पता चला बिना विज्ञप्ति के व्यक्ति विशेष को लीज दे दी गई पहाड़ की लीज इस तरह की तमाम खामियां हैं। मान्यवर यह विभाग क्योंकि निषाद समाज से जुड़ा हुआ है। यह नदी के किनारे रहतें हैं वहीं बालू निकाल कर ट्रक में डालने का काम करते हैं। अब मान्यवर मशीनें चल गयी हैं। मशीनों से डाला जा रहा है, लोग बेरोजगार हो गये। 1993 में हमारे माननीय मुलायम सिंह जी ने एक व्यवस्था की थी कि इनको 10–10 एकड़ 30–30 एकड़ के पट्टे कर दिये। इस तरह के दो चार पट्टे हमीरपुर बगैरह को छोड़कर पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी पट्टा निषाद समुदाय के आदमी इसका लाभ नहीं पा रहा है और पूरे पर माफिया लोगों का कब्जा हो गया है। इतना ही नहीं पड़रछ के सोनभद्र में निषाद समाज के लोगों के पट्टे हुए थे। 13 लोगों के 10–10 एकड़ के पट्टे हुए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिये इनका रिन्यूवल करा दें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। कह रहे है बजट ले आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करेगें, अवैध खनन करवायेंगे बंधवा, करगरा, गुरदा, नीतापुर, चोपन, पिपरडीह इनमें जो प्रभाव शाली बालू माफिया लोग हैं, जो वन विभाग का क्षेत्र है, मंत्री जी दिखवा लें, यहां अधिकारी बैठे हैं वह संज्ञान ले लें अवैध रूप से खनन हो रहा है मान्यवर पुलों के नीचे तमाम अवैध रूप से खनन हो रहा है। स्थित बहुत खराब है इसको दिखवा लें।

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करें ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर एक सिन्डीकेट बना है ट्रकों में इतना ओवर लोड हो रहा है जो एम०एम० जारी हो रहा है निर्धारित से ज्यादा पैसा लिया जाना चाहिए, जब एक पन्ने में एक हजार लेंगे, पचास की गड्डी में पचास हजार लेंगे तो ट्रक वाला ओवर लोड भरेगा फिर बाडी के ऊपर दो तख्ता लगा करके ट्रक भरेगा। पूरे प्रदेश की सड़कें ध्वस्त हो रही हैं। सारी व्यवस्था चरमरा रही है तो माननीय मंत्री जी से कहना चाहेंगे कुछ कमी करिए, विभाग को देखिए आपको टाइम

नहीं है आप बहुत बड़े मंत्री हैं प्रभावशली मंत्री हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी के पास से आपको ज्यादा समय नहीं मिल पाता है लेकिन आप तो कुबेर हैं आपसे यही निवेदन है कि आप क्षेत्र में जाइए। अन्वेषण का कार्य एक भी नही किया जा रहा है इनके शासन काल में अन्वेषण का काम होना चाहिए था। नये क्षेत्रों को चिन्हित करना चाहिए था ताकि राजस्व की प्राप्ति हो सके। अन्वेषण का काम नहीं हो रहा है कोई क्वेरी का काम नहीं हो रहा है इनके पास अधिकारी इतने कम है अधिकारियों के पास कोई साधन नहीं है कोई जीप नही है पता चला शिकायत मिलती है तो बालू माफिया की जीप में बैठकर जाँच के लिए जाते है। (शोर)

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करें।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

कैसे निस्तारित करेगें, यह जो खामियां है दिक्कतें है इन सबको देख लें । इसी के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

(श्री दीनानाथ कुशवाहा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष –

अब कुशवाहा जी आप क्या कह रहे हैं ? बैठिए आप।

(श्री दीनानाथ कुशवाहा का माइक ऑन न होने के कारण ठीक प्रकार सुनाई नहीं दे रहा था)

श्री दीनानाथ कुशवाहा–

जो बालू खनन केन्द्र है वहां रायल्टी से कम पर बालू खनन केन्द्र आवंटित किया गया है और डेढ़ लाख प्रतिदिन अधिकारियों की जेब में जा रहा है अनैतिक कार्य हमारे जनपद में हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें।

श्री बाबू सिंह कुशवाहा–

जनपद बता दें ।

श्री दीनानाथ कुशवाहा–

मान्यवर, हमारे देवरिया जनपद में अवैध बालू खनन हो रहा है पचास बालू खनन केन्द्र में से एक भी दलित को आंवटित नहीं हुआ जबकि पचास मे से दस बालू खनन केन्द्र दलित को आंवटित होने चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

हो गया बैठिए।

श्री बाबू सिंह कुशवाहा–

माननीय अध्यक्ष जी अभी माननीय विधायक जी ने अपने कुछ सुझाव रखे है भूतत्व एवं खनिकर्म पर अपने कटौती प्रस्ताव के माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी, माननीय निषाद जी अभी राष्ट्रीय महासचिव बनाए गये हैं। उसके लिए हम उन्हें बधाई देते हैं तो कुछ न कुछ इन्हें

कहना ही है अभी माननीय अध्यक्ष जी इन्होंने चर्चा की महोबा में पहाड़ की, सबसे पहले शुरुआत की, माननीय अध्यक्ष जी विज्ञापन जिस तरह से किया जाता है उसी तरह से किया गया है अब इनको नहीं मिला है या इनके लोगों को नहीं मिला है तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, जो नियमानुसार कार्यवाही की जाती है वही की गई होगी। इसकी मुझे वैसे जानकारी नहीं है मैं पता करा लूँगा। दूसरी बात इन्होंने कहा कि गेस्ट हाउस बांदा में बनाया गया, देवरिया में बनाया गया, माननीय विधायक जी को जानकारी नही है कि देवरिया में बरहज में कोई गेस्ट हाउस नहीं है। माननीय विधायक जी देवरिया सदर से हैं आप उनसे पूछ सकते है आपकी पार्टी के हैं तो देवरिया में बरहज में कोई गेस्ट हाउस नहीं है तो यह आपकी बात गलत है। दूसरी बात आपने पट्टों की बात कही जो पौने तीन साल हो गये आदरणीय बहन मायावती के नेतृत्व में सरकार को बने हुए । हम लोग वही पाप धो रहे है जो आप लोगों ने किया है। हमने कम से कम नये पट्टे किये हैं, अगर पूरे प्रदेश में हम लोगों ने नये पट्टे किए होगे तो हो सकता है कि 100–50 पट्टे किए हों, जो आप लोगों ने किए थे, वही चल रहें। अब आपने सिड्यूलकास्ट को नहीं किया या निषाद, मल्लाह को नहीं किया या और किसी को नहीं किया, यह अपने गिरेबान में झांक कर देखिए । लेकिन हम जो कर रहे हैं, अगर हमारा अनुपात देखें तो आपसे बेहतर है। अभी इसी जनवरी 2010 में मा० मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर कैबिनेट में एक प्रस्ताव आया, पास भी हो गया, लागू भी हो गया, जी० ओ० भी जारी हो गया हैं कि सोनभद्र में स्वंयं सहायता समूहों को, निषाद समाज के लोग हों, सिड्यूलकास्ट के लोग हों, उनको हम पट्टे देगें। अभी जनवरी, 2010 में यह पास हुआ, उसका जी० ओ० भी जारी हो गया हैं तो माननीय अध्यक्ष जी, मा० विधायक जी ने कहा, कुछ बातें सत्य से परे हैं जो उनके सुझाव अच्छे हैं। उनका मैं स्वागत करता हूँ और जो बातें उन्होंने बिना जानकारी के कही हैं तो उनकी वह जानकारी कर लें, अच्छा रहेगा और मैं उनसे निवेदन करूँगा कि अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

प्रस्ताव वापस ले रहे हैं, निषाद साहब ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, हम अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

अगर बल दे रहे है तो प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 05 उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 05 उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,23,51,65,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष –

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–08–उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–08 उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,13,71,16,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–04–उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–04 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 24,24,16,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये

आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,02,95,57,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–03–उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–06 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 01,07,88,77,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–06–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 37,47,53,000 रुपये से अनधिक धनरशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग विधेयक, 2010

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय।

*डॉ० राधामोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग विधेयक, 2010 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत छोटे में अपनी बात समाप्त करुंगा और विशेष रूप से मैं बधाई देना चाहता हूं। बधाई देना चाहता हूँ एक बहुत अच्छे नकलची होने की। हम सुना करते थे कि कुछ बच्चे जब परीक्षा में नकल करते हैं तो बड़ी अक्ल लगाते हैं। किताब लेकर बैठते हैं और लिखते-लिखते अगर किताब के अंत में यह लिखा हो कि कृपया पन्ना पलटिये, शेष अगले पृष्ठ में तो अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख भी जाते हैं कि कृपया पन्ना पलटिये शेष अगले पृष्ठ में। यह विधेयक सरकार के उसी बहुत अच्छे नकलची होने का उदाहरण है। मान्यवर, वर्ष 2005 में यह विधेयक पास हुआ था, 2007 में निरसित हो गया, 2010 में पुनः आ गया, तो मैने सोचा कि दोनों में बड़ा अंतर होगा तो मैं 2005 का विधेयक ले आया और लाकर मैं 2005 और 2010 को पढ़ने लगा। अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक लाइन पढ़कर सुनाऊंगा और आपको कहानी समझ में आ जाएगी। अध्यक्ष महोदय, 2005 में जो विधेयक पारित किया गया उसके उद्देश्य और कारण में बहुत कुछ लिखा गया, मैं सारा नहीं पढ़ूंगा। उसका एक वाक्य है कि उत्तर प्रदेश में 4 राज्य विधि आयोगों का गठन समय-समय पर किया गया था। यह पूरा उद्देश्य और कारण जो 2005 में लिखा गया है शब्दशः वही उद्देश्य और कारण 2010 में लिखा गया। इतना नकल किया गया कि जब कि सरकार ने और इन विधेयक के बनाने वालों ने यह भी नहीं सोचा कि जब 2005 में बनाया गया था उस समय तक 4 विधि आयोग गठित हुए थे इसलिए उद्देश्य और कारण में लिखा गया कि 4 विधि आयोग गठित हुएं, अब आप जब 2010 में विधेयक बनाकर ला रहे हैं तो अब 4 नहीं, वर्ष 2005–2010 के बीच में 6 विधि आयोग गठित हो चुके, आपको उद्देश्य और कारण में लिखना चाहिए था कि अब तक 6 विधि आयोग गठित हो चुके हैं। चूंकि आप एक आदर्श नकलची का काम कर रहे थे। 2005 में जो था उसको आप ज्यों का त्यों उतार रहे थे, आपको अपनी गलती और भूल का अहसास हो गया था कि साथ में जो आपने वापस किया, गलत किया, वही ला रहे थे तो स्वाभाविक रूप से जब आदमी अंदर से कमजोर होता है, नकल करता है तो हड़बड़ी में शब्दशः उतार देता है और आपने ज्यों को त्यों वही उद्देश्य और कारण उतार दिये जो 2005 के उद्देश्य और कारण बताये थे। माननीय अध्यक्ष जी, इससे यह सिद्ध होता है कि 2005 के विधेयक को 2007 में निरसित करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। मैं इसी बात को कहना चाहता हूँ और मैं इसी बात को बार-बार कहता हूँ। विधेयक बनाने का काम जितनी लापरवाही, जितनी संवेदनहीनता और जितने राजनीतिक स्वार्थ के आधार पर किया जाता है यह काम नहीं होना चाहिए। लेजिसलेचर दो शब्दों से मिलता है, लेजिस और लेसियो। हम बने इसलिए हैं। लेजिस माने कानून और लेसियो माने बनाना। हमारा मूल काम विधेयक बनाना है और हम मूल काम के साथ ही लगातार खिलवाड़ करते चले आ रहे हैं। यह खिलावाड़ बंद होना चाहिए क्योंकि आपने स्वयं 2008 में जब आदेशों के माध्यम से विधि आयोग का गठन किया था तो आपने इस विधेयक के द्वारा स्वयं उसको भी संज्ञान में नहीं लिया। अब मैं इस विधेयक के बारे में शेष आपको क्या बताऊं, आप स्वयं जान सकते हैं कि आपके लिए यह कितना अनौचित्यपूर्ण था। बहुत सारी बातें कहने का समय नहीं है, मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन विधेयक बहुत अच्छा है। क्योंकि यह 2005 में भी अच्छा था। 2007 में जो निरसित किया गया, गलत किया गया था, पुनः लाया गया, हर व्यक्ति को अपनी गलती सुधारने का हक है, आपने सुधारा है, मैं आपको पुनः बधाई देता हूं।

श्री लालजी वर्मा–

संशोधन तो वापस ले लीजिये।

डा० राधामोहन दास अग्रवाल–

अब आगे न बुलवाइये, नहीं तो बहुत कुछ बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, वापस नहीं ले रहे है तो प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग विधेयक, 2010 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये, जो अपना प्रतिवेदन सदन के अन्दर एक माह में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग विधेयक, 2010 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–18 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग विधेयक, 2010

राज्य विधि के सुधार के लिए विषयों को परिलक्षित करने हेतु राज्य में राज्य विधि आयोग का गठन करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयो की व्यवस्था करने के लिए–

विधेयक

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग अधिनियम, 2010 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तान सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 28 जनवरी, 2008 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

परिभाषाएं

2–इस अधिनियम में,–

(क) "अध्यक्ष" का तात्पर्य धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त आयोग के अध्यक्ष से है;

(ख) "आयोग" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग से है;

(ग) "परामर्शी" का तात्पर्य धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन इस रूप में नियुक्त व्यक्ति से है;

(घ) "पूर्णकालिक सदस्य" का तात्पर्य धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त किसी पूर्णकालिक सदस्य से है;

(ङ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है;

(च) "अंशकालिक सदस्य" का तात्पर्य धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त आयोग के किसी अंशकालिक सदस्य से है;

(छ) "सचिव" का तात्पर्य धारा 7 के अधीन नियुक्त सचिव से है;

(ज) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और इन नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

(झ) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है।

अध्याय–दो

राज्य विधि आयोग

आयोग का गठन

3–(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन उसे स्वायत्त रूप से समनुदेशित कृत्यों का पालन करने के लिये, अधिसूचना द्वारा, एक निकाय गठित करेगी जिसे उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के रूप में जाना जायेगा।

(2) आयोग में निम्नलिखित होंगे:–

(एक) अध्यक्ष	एक
(दो) पूर्णकालिक सदस्य	दो
(तीन) अंशकालिक सदस्य	दो
(चार) सचिव	एक

(3) आयोग का मुख्यालय लखनऊ में होगा और शिविर कार्यालय इलाहाबाद में या राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किसी अन्य स्थान पर होगा।

(4) अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रकार से की जायेगी :–

(क) अध्यक्ष, एक ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहा हो;

(ख) पूर्णकालिक सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जो चयन श्रेणी वेतनमान में या उसके ऊपर उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा का सदस्य रहा हो और जिसे न्यूनतम 25 वर्षों का न्यायिक अनुभव हो तथा विधायी और संसदीय कार्य–कलापों का विशेष अनुभव हो;

(ग) अंशकालिक सदस्य कोई ऐसा प्रख्यात विधिवेत्ता या विधि विशेषज्ञ या विधि परिषद सदस्य या विधि आचार्य या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे धारा 6 में निर्दिष्ट विषयों में विशिष्ट एवं विशेषज्ञनीय ज्ञान हो;

(घ) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य पद ग्रहण करने के दिनांक से पूर्णकालिक आधार पर कृत्यों का निष्पादन करेंगे।

(5) अध्यक्ष जैसे ही और जब अपेक्षित हो, आयोग द्वारा ग्रहण किये गये प्रकरणों की प्रकृति के आधार पर स्वप्रेरणा से या निर्दिष्ट किये जाने पर ऐसे प्रकरणों पर कार्य के पूर्ण होने तक आयोग की सहायता के लिए दो या उससे अधिक परामर्शियों की नियुक्ति कर सकता है।

पदावधि, वेतन और भत्ते और अन्य सेवा शर्तें

4–(1) अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति पद ग्रहण करने के दिनांक से छः वर्ष की अवधि तक या 68 वर्ष की आयु प्राप्त करने के दिनांक तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा।

(2) अंशकालिक सदस्य राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा।

(3) यदि अध्यक्ष या किसी पूर्णकालिक सदस्य का पद रिक्त हो जाय या यदि अध्यक्ष या कोई पूर्णकालिक सदस्य किसी कारण से, चाहे वह कुछ भी हो, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तो जब तक धारा 3 के अधीन नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति उस पद को ग्रहण न कर ले या यथास्थिति जब तक अध्यक्ष या ऐसा सदस्य अपने कर्तव्यों को फिर से न संभाल ले, ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन–

(क) जहां अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाय या जहां वह अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, ऐसे पूर्णकालिक सदस्य द्वारा किया जाएगा जिसे राज्य सरकार आदेश द्वारा निदेशित करे,

(ख) जहां किसी पूर्णकालिक सदस्य का पद रिक्त हो जाय या जहां वह अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, वहां अध्यक्ष द्वारा या यदि अध्यक्ष ऐसा निदेशित करे, तो यथास्थिति, ऐसे अन्य सदस्य द्वारा या अन्य पूर्णकालिक सदस्यों में से किसी ऐसे पूर्णकालिक सदस्य द्वारा किया जाएगा, जिसे निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय।

(4) अध्यक्ष या किसी पूर्णकालिक सदस्य को ऐसा वेतन दिया जायेगा जैसा विहित किया जाय।

(5) अध्यक्ष या किसी पूर्णकालिक सदस्य को देय वेतन भत्ते और पेंशन और उनकी अन्य सेवा शर्तें ऐसी होगी जैसी विहित की जाएं :

परन्तु यह कि अध्यक्ष को देय वेतन, भत्ते और पेंशन और उनकी अन्य सेवा–शर्तों को विहित करने में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देय वेतन, भत्ते और पेंशन और उनकी अन्य सेवा–शर्तों को ध्यान में रखा जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि अध्यक्ष या कोई पूर्णकालिक सदस्य अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के सम्बन्ध में कोई पेंशन (विकलांगता या क्षति या पेंशन से भिन्न) प्राप्त करता हो तो यथास्थिति अध्यक्ष या पूर्णकालिक

सदस्य के रूप में सेवा के सम्बन्ध में उसके वेतन में–

(क) उस पेंशन की धनराशि के बराबर कमी कर दी जायेगी; और

(ख) यदि उसने, ऐसी नियुक्ति के पूर्व, उसे देय पेंशन के किसी अंश के एवज में उसका संराशित मूल्य प्राप्त किया हो, तो पेंशन के उक्त अंश की धनराशि के बराबर कमी कर दी जायेगी; और

(ग) यदि उसने, ऐसी नियुक्ति के पूर्व, ऐसी पूर्व सेवा के सम्बन्ध में कोई निवृत्ति उपदान प्राप्त किया हो, तो उस उपदान के बराबर तक पेंशन कम कर दी जायेगी।

(6) अंशकालिक सदस्य को ऐसा मानदेय दिया जायेगा जैसा विहित किया जाय।

(7) परामर्शी को ऐसा पारिश्रमिक दिया जाएगा जैसा विहित किया जाए।

(8) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों का प्रास्थिति और प्रशासनिक शक्ति ऐसी होगी जैसी विहित की जाए।

(9) उपधारा (1), (4) और (5) के उपबन्ध इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय पदधारण करने वाले अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों पर भी लागू होंगे।

आयोग के अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य का पद त्याग और उनको हटाया जाना

5–(1) अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य या अंशकालिक सदस्य राज्यपाल को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकता है;

(2) अध्यक्ष को सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर उच्चतम न्यायालय द्वारा, राज्यपाल द्वारा उन्हें निर्दिष्ट किये जाने पर जांच करने के पश्चात यह रिपोर्ट देने पर कि अध्यक्ष को ऐसे किसी आधार पर हटाया जाना चाहिए, राज्यपाल द्वारा पद से हटाया जा सकता है। किसी पूर्णकालिक सदस्य को सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर अध्यक्ष की सहमति से राज्य सरकार द्वारा पद से हटाया जा सकता है;

(3) उपधारा (2) में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी राज्यपाल (आदेशों द्वारा) अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य को पद से हटा सकती है यदि वह–

(क) दिवालिया अधिनिर्णीत कर दिया गया हो; या

(ख) किसी अपराध के लिये जो राज्यपाल की राय में नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त हो सिद्धदोष और कारावास से दण्डित किया जाये;

(ग) पद पर बने रहने में मानसिक दौर्बल्य या अंग शैथिल्य के कारण अनुपयुक्त हो; या

(घ) अपने कार्यकाल में अपने पद के कर्तव्यों से इतर किसी भुगतान योग्य रोजगार में लगा हो; या

(ङ) अपनी स्थिति को इस प्रकार अर्थहीन बना दिया हो कि उसका पद पर बने रहना राज्य के हित के लिए हानिकर हो।

(4) यदि अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य के रूप में प्राप्त होने वाले से भिन्न राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से किये गये किसी संविदा या अनुबन्ध में किसी भी रूप में संबंधित हो या हितबद्ध हो या उसके लाभ या उससे होने वाले लाभ या परिलब्धियों में किसी भी रूप में सम्मिलित होता है, तो उसे उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए कदाचार का दोषी समझा जायेगा।

अध्याय–तीन

आयोग के कृत्य और उसकी शक्तियां

आयोग के कृत्य और उसकी शक्तियां

6–(1) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य की समस्त विधियों का उसके व्यवस्थित विकास और सुधार जिसके अन्तर्गत विशिष्टताः ऐसी विधि का संहिताकरण, विसंगतियों का निराकरण, अनावश्यक अधिनियमितियों का निरसन, पृथक अधिनियमितियों की संख्या में कमी करना और साधारणतः विधियों का सरलीकरण और आधुनिकीकरण भी है, की दृष्टि से पुनर्विलोकन करे और करता रहे, और इस प्रयोजन के लिए–

(क) विधि के सुधार के लिए ऐसे किन्हीं प्रस्तावों को प्राप्त करना और उन पर विचार करना जो बनाये जाने हों या राज्य सरकार या उच्चतम, न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक क्षेत्र में उसे निर्दिष्ट किये जायें;

(ख) अभिकरण (आयोग या अन्य निकाय) से सम्बन्धित संस्तुतियों, जिनके द्वारा कोई परीक्षा संचालित की जायं, सहित सुधार की दृष्टि से विधि के विभिन्न शाखाओं की परीक्षा के लिए समय–समय पर राज्य सरकार के लिए कार्यक्रम तैयार करना और उन्हें प्रस्तुत करना;

(ग) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किन्हीं ऐसी संस्तुतियों के अनुसरण में विधि की विशिष्ट शाखाओं की परीक्षा और उनमें सुधार के प्रस्तावों का विधेयक के प्रारूप के माध्यम से अन्यथा सूत्रबद्ध करना;

(घ) राज्य सरकार के अनुरोध पर समेकन और परिनियत विधि के पुनरीक्षण का विस्तृत कार्यक्रम तैयार करना और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी ऐसे कार्यक्रम के अनुसरण में विधेयक के प्रारूप को तैयार करना;

(ङ) राज्य सरकार के अनुरोध पर विधि के किसी शाखा में सुधार करने या उसे संशोधित करने के प्रस्तावों के साथ राज्य सरकार के विभागों और अन्य सम्बन्धित प्राधिकारियों या निकायों को परामर्श और सूचना उपलब्ध कराना;

(च) अन्य राज्यों केन्द्रीय सरकार या अन्य देशों की विधि प्रणाली के बारे में ऐसी सूचना प्राप्त करना जो उसके कृत्यों में से किसी कृत्य के सम्पादन में सुविधाजनक होना सम्भावित हों;

(छ) आयोग के कृत्यों के संबंध में स्वप्रेरणा से किसी मामले को लेना।

(2) राज्य सरकार युक्ति–युक्त समय के भीतर आयोग द्वारा तैयार और प्रस्तुत किये गये किन्हीं कार्यक्रमों और ऐसे कार्यक्रमों के अनुसरण में आयोग द्वारा किये गये सुधार के किन्हीं प्रस्तावों पर विचार करेगी।

(3) आयोग, राज्य सरकार को अपनी कार्यवाहियों की वार्षिक रिपोर्ट करेगी।

(4) आयोग ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करेगा जो विहित किये जाय।

(5) आयोग अपनी प्रक्रिया को विनियमित करेगा।

सचिव

7–(1) आयोग का एक सचिव होगा जो आसीन अपर जिला न्यायाधीश होगा जिसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश और आयोग के अध्यक्ष के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा की जायेगी ।

(2) सचिव, आयोग के अधिष्ठान के सम्बन्ध में आहरण एवं वितरण अधिकारी होगा वह अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से अपनी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करेगा और सभी मामलों में अध्यक्ष और सदस्यों की सहायता करेगा।

(3) सचिव की सेवा की निबंधन एवं शर्तें, प्रास्थिति तथा प्रशासनिक शक्तियां वही होंगी जैसी विहित की जाए।

(4) सचिव ऐसे अन्य कृत्यों का भी निष्पादन करेगा जो विहित किये जायं।

आयोग के कर्मचारिवृन्द

8–(1) सचिव, राज्य सरकार द्वारा समस्त अनुमोदित पदों पर इस अधिनियम के अधीन अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से आयोग के कृत्यों के निर्वहन में उसकी सहायता करने के लिए ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्त करेगा :

परन्तु यह कि इस उपधारा में किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि ऐसे किसी व्यक्ति को, जो केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण करता हो, राज्य सरकार और अध्यक्ष की सहमति से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये जाने से रोका गया हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या और उनकी श्रेणियां उनके वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें अध्यक्ष, सदस्य और सचिव की प्रास्थिति और प्रशासकीय शक्तियां ऐसी होगी जैसी कि राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा अवधारित की जाय।

(3) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अध्यक्ष इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा–

(एक) किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार के अधिकारी की उस सरकार की सहमति से;

(दो) किसी अन्य व्यक्ति या अभिकरण की।

अध्याय–चार

वित्त लेखा और लेखा परीक्षा

राज्य सरकार द्वारा अनुदान

9–(1) राज्य सरकार, राज्य विधान मण्डल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किये गये सम्यक् विनियोग के पश्चात आयोग को अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगी जो राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किये जाने के लिए उचित समझे।

(2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी राशि जैसी वह उचित समझें व्यय कर सकता है। आयोग द्वारा ऐसी धनराशि से क्रय की गयी सम्पत्ति उसमें निहित रहेगी और ऐसी धनराशि को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदान से देय व्यय के रूप में समझा जायेगा।

लेखा और लेखा परीक्षा

10–(1) आयोग समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों को रखेगा और लेखों का विवरण ऐसे प्रपत्र में जैसा विहित किया जाय, तैयार करेगा।

(2) लेखे के वार्षिक विवरण की एक प्रति राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी जो उसका लेखा परीक्षा करायेगी।

वार्षिक रिपोर्ट

11–आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्रपत्र में और ऐसे समय पर जैसा विहित किया जाए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का पूरा विवरण देते हुए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति सरकार को अग्रसारित करेगा।

राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जाने वाली वार्षिक और अन्य रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट

12–राज्य सरकार रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र उनमें दी गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही और ऐसी किसी सिफारिश को अस्वीकार किये जाने के कारणों, यदि कोई हो, के ज्ञापन के साथ वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी।

अध्याय–पाँच

प्रकीर्ण

आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी वर्ग लोक सेवक होंगे

13–आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, अधिकारी और कर्मचारियों को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायगा।

राज्य सरकार आयोग से परामर्श करेगी

14–राज्य सरकार ऐसे विधिक मामलों पर आयोग से परामर्श कर सकती है जैसा वह आवश्यक समझे।

सद्भावना पूर्ण की गई कार्यवाही का उपबन्ध

15–किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी कार्य के लिए जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिए आशयित हों, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति

16–(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशेष रूप से पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् :–

(क) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों को सदेय वेतन;

(ख) धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों को संदेय भत्ते और पेंशन और उनकी सेवा की अन्य निबन्धन एवं शर्तें;

(ग) धारा 4 की उपधारा (6) के अधीन किसी अशंकालिक सदस्य को संदेय मानदेय ;

(घ) धारा 4 की उपधारा (7) के अधीन किसी परामर्शी को संदेय पारिश्रमिक;

(ङ) धारा 4 की उपधारा (8) के अधीन अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों की प्रास्थिति एवं प्रशासनिक शक्तियाँ;

(च) धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन आयोग के अन्य कृत्य;

(छ) धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन सचिव की सेवा की निबन्धन एवं शर्तें, प्रास्थिति और प्रशासनिक शक्तियाँ;

(ज) धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन सचिव का अन्य कृत्य;

(झ) धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या और श्रेणियां, उनके वेतन भत्ते एवं सेवा की अन्य निबन्धन तथा शर्तें;

(ञ) प्रपत्र जिसमें वार्षिक लेखा विवरण धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया जाता है;

(ट) प्रपत्र जिसमें वार्षिक रिपोर्ट धारा 11 के अधीन तैयार की जायेगी;

(ठ) कोई अन्य मामला, जो अपेक्षित हो, या विहित किया जाए।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

17–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, कर सकती है, जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में प्रवृत्त होते हैं।

निरसन और अपवाद

18–(1) सरकारी अधिसूचना संख्या 166/79–वि–1–08–9–08, दिनांक 28 जनवरी, 2008 एतद्द्वारा विखण्डित की जाती है।

(2) ऐसे विखण्डन के होते हुए भी सरकारी अधिसूचना संख्या 166/79–वि– 1–08–9–08, दिनांक 28 जनवरी, 2008 के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही और तद्धीन किया गया अग्रतर आदेश इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–18 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग विधयेक, 2010 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग विधेयक, 2010 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश निजी निधिकृत विश्वविद्यालय (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 2010[†]

*उच्च शिक्षा मंत्री (डा0 राकेश धर त्रिपाठी)–

मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश निजी निधिकृत विश्वविद्यालय (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी निधिकृत विश्वविद्यालय स्थापना एवं विनियमन विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा० राकेश धर त्रिपाठी–

मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश निजी निधिकृत विश्वविद्यालय स्थापना एवं विनियमन विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध विधेयक, 2010

*व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री सदल प्रसाद)–

मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सदल प्रसाद–

मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करता हूं।

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में निरन्तर घटते भू–गर्भ जलस्तर को दृष्टिगत रखते हुए पेयजल एवं सिंचाई के लिए भू–गर्भ जल संरक्षण की एक कार्य योजना बनाई जाय" विषयक डा० अनिल चौधरी आदि द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर चर्चा

श्री अध्यक्ष–

डा० अनिल चौधरी जी ने स्थगन का अनुरोध किया है, मुझसे मिल करके इसलिये मैं इसे स्थगित करता हूँ, इस पर चर्चा जारी रहेगी।

[†] दिनांक 23.2.2010 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी प्रभावी नियंत्रण लगाने हेतु रोजगारपरक शिक्षा एवं कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता दी जाय" विषयक श्री जोखूलाल यादव द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर जारी चर्चा।

श्री अध्यक्ष–

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 11 फरवरी, 2010 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 51 सूचनायें प्राप्त हुई:–

पहली सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी के विद्यालयों को काली सूची से हटाने एवं बालिकाओं के हित में परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में,

दूसरी सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की इलाहाबाद स्थित जमुना के पुल से हो रही आत्महत्या को रोकने हेतु ऊंची रेलिंग व जाली लगवाये जाने के सम्बन्ध में है,

तीसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी की जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड शुकुल बाजार में नया विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में है,

चौथी सूचना श्री ओम प्रकाश सिंह की मिर्जापुर के ग्राम मगरहा स्थित नरोत्तम सिंह पदम सिंह राजकीय महाविद्यालय में स्वीकृत अधूरे पड़े विज्ञान भवन को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा

पांचवी सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की आजमगढ़ के मेहनगर में स्वीकृत 132 के०वी० विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है प्राप्त सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती हैं।

छठी सूचना श्री आरिफ अनवर हाशमी की बलरामपुर स्थित सादुल्लानगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों को तैनात किये जाने के सम्बन्ध में है तथा

सातवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह की प्रतापगढ़ की जिला योजना/नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा किये गये अनुमोदित कार्यों के अनुरूप शासनादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में है प्राप्त सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती हैं।

आठवीं सूचना श्री मदन चौहान की गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर नगरपालिका द्वारा 2009–10 के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की उच्चस्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है,

नवीं सूचना श्री अनूप सण्डा की जनपद सुल्तानपुर के खराब पड़े शासकीय नलकूपों को अविलम्ब ठीक कराये जाने के संम्बन्ध में है तथा

दसवीं सूचना श्री महेश चन्द्र गुप्ता की बदायूं के नगर उझानी व बदायूं में विद्युत आपूर्ति ठीक किये जाने के सम्बन्ध में है प्राप्त सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

*डा० राधामोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, अब एक आध दिन ही तो सदन है, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। क्या उसमें काटना है, अब उसमें मत काटिये। सब सूचनायें ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष–

चलिये, अगले दिन हो जायेगा, आज बहुत सूचनायें हैं।

डा० राधामोहन दास अग्रवाल–

नहीं, अध्यक्ष जी, अब कल, परसों भर ही सदन चलना है। आपकी कृपा होगी तो माननीय मंत्री जी कहां मना ही कर रहे हैं, देखिये मौन है, "मौनं स्वीकृति लक्षणम्"। सारी सूचनायें मान लीजिये, धन्यवाद अध्यक्ष जी, हम आपके आभारी हैं, आपने सब स्वीकार किया।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, यह देख लेंगे कि जो विधिसम्मत हो।

श्री अध्यक्ष–

चलिये, इसका परीक्षण कर लेंगे। इसमें जो विधिसम्मत होगा, वैसे परीक्षण कर लेंगे, शेष ठीक है, सदन और सदस्यों की भावनाओं का हम लोग बराबर आदर करते हैं, सरकार भी करती है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की गई हैं :–

1–श्री प्रजापालन वर्मा

2–श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव

3–डॉ० अनिल चौधरी

4–श्री विद्यासागर गुप्ता

5–श्री राजाराम त्यागी

6–श्री विश्वनाथ

7–श्री आलोक कुमार शाक्य

8–श्री अमरमणि त्रिपाठी

9–श्री शैलेन्द्र यादव ललई

10–श्री सुन्दरलाल लोधी

11–श्री रामविशुन आजाद

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

12—श्री उदयराज

13—श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)

14—श्री अशोक कुमार सिंह

15—श्री संजय कपूर

16—श्री पंकज मलिक

17—श्री निर्मल कुमार वर्मा

18—डॉ० अजय तोमर

19—श्री बैजनाथ दुबे

20—श्रीमती मिथिलेश पाल

21—डॉ0 आर0ए0 उस्मानी

22—श्री सर्वेश कुमार सिंह

23—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद

24—श्री दीपनारायण सिंह

25—श्री कृष्ण गोपाल पटेल

26—श्री सुरेश कुमार खन्ना

27—श्री लल्लू सिंह

28—श्री उदयभान करवरिया

29—महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी

30—डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल

31—श्री अशोक कंसल

32—श्री सुखलाल

33—श्री राधेश्याम गुप्ता

34—श्री शम्भू चौधरी

35—श्री सतीश महाना

36—श्रीमती कृष्णाराज

37—श्री सुरेश चन्द्र तिवारी

38—श्री बाला प्रसाद अवस्थी

39—श्री कुवेर सिंह

40—श्री जोखूलाल यादव

41—श्री राजेश कुमार गौतम

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला–

मान्यवर, हमारा एक नियम–51 का जवाब आया है।

श्री अध्यक्ष–

अभी आयेंगे, जब आपका क्रम संख्या पर आ जाये, तब आप कहिये, हम पक्षधर हैं उसके।

जनपद सिद्धार्थनगर स्थित धानी मार्ग के निर्माण में अधिग्रहीत किसानों की जमीन का मुआवजा किये जाने के सम्बन्ध में श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

माननीय सदस्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत.....

डा० राधामोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा–

[दिनांक 01–02–2010 को दी गयी सूचना में अवगत कराया गया है कि जनपद–सिद्धार्थनगर में बांसी–धानी मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया है। इस मार्ग में ग्राम–झुड़िया खुर्द, सकारपार, महुलानी एवं खपटा के सैकड़ों काश्तकारों की जमीन अधिग्रहीत कर ली गयी है, जिसका मुआवजा अभी तक लोक निर्माण विभाग द्वारा नहीं दिया गया है। किसानों को सम्बन्धित अधिकारी, अधिशाषी अभियन्ता द्वारा यह कहकर मुआवजा नहीं दिया जा रहा है कि इस मार्ग का निर्माण खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत किया गया है जबकि नायब तहसीलदार बासी द्वारा उक्त ग्रामों की जमीन का अधिग्रहण करने और लोक निर्माण विभाग को सम्बन्धित किसानों को मुआवेजा देने का आदेश 11–06–1985 को ही दिया गया था। किसानों को अपनी जमीन का मुआवजा न मिलने से उनमें चिन्ता, रोष तथा आक्रोश व्याप्त है, और किसान उद्वेलित है। यह भी सूचित किया गया है कि यदि किसानों को मुआवजा नहीं मिला तो किसान धरना प्रदर्शन करने को बाध्य हो जायेगा।

मान्यवर, मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद–सिद्धार्थनगर में बांसी–धानी मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 1978 अग्रेतर 5–6 वर्षों में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अग्रिम प्लान सहायता से विभिन्न खाद्यान्न योजनाओं के अन्तर्गत टुकड़ों–टुकड़ों में बनाया गया है। इस मार्ग के ग्राम झुड़िया खुर्द

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सकारपार, महुलानी एवं खपटा बांसी–धानी मार्ग के कि0मी0 13 से 20 के भाग का अधिग्रहण सम्बन्धी कार्यवाही एवं भुगतान भारत सरकार के खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत आगणन में न होने के कारण नहीं किया गया। नायब तहसीलदार बांसी द्वारा इन ग्रामों की जमीन के कुछ भाग के अस्थाई अधिग्रहण सम्बन्धी आदेश है। अस्थायी भूमि का अधिग्रहण मार्ग निर्माण के लिए प्रयुक्त की जाने वाली मिट्टी आदि के उठान के लिये अस्थाई तौर पर किया जाता है। भारत सरकार के खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत बांसी–धानी मार्ग का निर्माण टुकड़ों–टुकड़ों में स्वीकृत किया गया था। इन योजनाओं में भूमि अध्याप्ति का कोई प्राविधान नहीं रहा, अतः इनके मुआवजे के लिए कोई भी प्राविधान नहीं था।]

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जो जवाब दिया है, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि योजनाओं के अन्तर्गत टुकड़ों–टुकड़ों में बनाया गया है, विभिन्न खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत और झुरिया, खुर्द, सकारपार, महुलानी, खपट्टा, बांसीमार से 13 से 20 किलोमीटर है जबकि यह 4 किलोमीटर है।

मान्यवर, मैंने इसमें नायब तहसीलदार ने जो अपना निर्णय दिया है। वह मैं उद्धरित करना चाहता हूँ।

अतः सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त अधिकरण प्रस्ताव एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट की धारा 3 के अधीन निर्मित नियमों के प्राविधानों व अधिकारी का प्रयोग करते हुए ग्राम झुड़िया खुर्द, महुलानी व खपटा से प्रस्तावित भूमि का क्रमशः 4, 15, 18, 6.2.19 व 6.2.5 तथा ग्राम सकारपार की 5.11.19 जिसकी भूखण्डवार सूची संलग्न है अस्थायी अधिग्रहण का आदेश देता हूँ। उपरोक्त ग्राम में जिन भूखण्डों का अधिकरण किया जाता है उसका विवरण संलग्न सूची एक लगायतन चार में अंकित है। सूची आदेश का अंग होगा जिन काश्तकारों की भूमि अधिग्रहीत की जा रही है उन्हें निर्धारित दर पर भूमि का प्रतिकर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा देय होगा। पूर्व पारित आदेश के साथ संलग्न सूची में किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा।

मान्यवर, जब यह निर्णय है तो किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिये। इन गरीब किसानों की जमीन इसमें गयी है। अन्यथा उनको आप अधिकार दें कि वह उसमें अपना जोत बो लें। नहीं तो फिर उनको मुआवजा दिया जाय।

श्री लालजी वर्मा–

इसमें स्पष्ट लिखा है कि इन योजनाओं में भूमि अध्याप्ति का कोई प्राविधान नहीं रहा, अतः इनके मुआवजे के लिये कोई भी प्राविधान नहीं था।

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला–

मान्यवर, नायब तहसीलदार खुद अपने आदेश में प्राविधान कर रहा है। क्या कोर्ट का आदेश नहीं माना जायेगा। मान्यवर, यह तीन गांवों का मामला है।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, भूमि अधिग्रहण की एक प्रक्रिया है। उसके तहत कार्यवाही होती है। मार्ग बना है वह अधिग्रहण नहीं किया गया था खाद्यान्न योजना जो पहले चलती थी उसके अन्तर्गत इस पर कार्य हुआ है। मान्यवर, हम लोगों के क्षेत्रों में भी सड़के बनी है। अतः उसके मुआवजे का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला–

मान्यवर, कोर्ट का आदेश है। मैं आपको उसकी प्रति दे दे रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है भिजवा दीजिये। आप इसे दिखवा लें।

जनपद मिर्जापुर स्थित जलालपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधूरे भवन निर्माण का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मा0 सदस्य द्वारा.

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा–

[नियम–51 के अन्तर्गत दिनाँक 9–2–2010 को यह सूचना दी गई है कि जनपद मिर्जापुर के चुनार क्षेत्र के विकास खण्ड जमालपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2004–05 में रु0 111.00 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत हुई थी। स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु स्वीकृति की गई उक्त धनराशि के प्रयुक्त होने के उपरान्त आज तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा अतिरिक्त शेष किश्त की धनराशि अवमुक्त नहीं की गई जिससे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण पूर्ण न होने के कारण स्थानीय जनता का काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है एवं चिकित्सा हेतु उन्हे काफी दूर तक जाना पड़ता है। समय पर चिकित्सकीय सुविधा न मिलने के कारण कई बार मरीजों की मृत्यु तक हो जाती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का अधूरा निर्माण जन–आक्रोश का कारण बनता जा रहा है। उक्तानुसार सूचना देते हुए लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर मा0 सदस्य द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की माँग की गई है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2–इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति यह है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जमालपुर जनपद मिर्जापुर के भवन निर्माण की स्वीकृति शासनादेश सं0–3088/पांच–6–06–स्थापना/06 दिनांक 27–09–06 के द्वारा निर्माण कार्य की लागत रु0 163.36 लाख को अनुमोदित करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रु0 65.35 लाख अवमुक्त किया गया था एवं शासनादेश सं0–4029/पांच–06–6(1)/स्थापना/06 दिनांक 12–01–07 के द्वारा उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, को निर्माण एजेन्सी चयनित किया गया है। निर्माण एजेन्सी राजकीय निर्माण निगम लि0 को मूल स्वीकृति लागत रु0 163.36 लाख के सापेक्ष निम्नानुसार धनराशि अवमुक्त की गई है:–

	अवमुक्त धनराशि
शासनादेश सं0–3088/पांच–6–06–स्थापना/06 दिनांक 27-09-06	रु0 65.35 लाख
शासनादेश सं0–1837/पांच–6–07–एस0एन0डी0–22/07 दिनांक 30-08-07	रु0 84.65 लाख
शासनादेश सं0–551/पांच–6–08–एस0एन0डी0–22/07 दिनांक 05-03-08	रु0 13.36 लाख
	योग–रु0 163.36 लाख

उपरोक्तानुसार कुल स्वीकृत धनराशि रु0 163.36 लाख के सापेक्ष रु0 151.96 लाख व्यय किया जा चुका है। वर्तमान में भौतिक प्रगति निम्नवत् है :–

मुख्य भवन	भूतल छत पूर्ण, प्रथम तल का कार्य प्रगति में।
चिकित्साधिकारी आवास 4 नग	95 प्रतिशत पूर्ण
श्रेणी–2 के आवास 6 नग	पूर्व से उपलब्ध, नया निर्माण नहीं होना है।
श्रेणी–1 के आवास	2 नग 95 प्रतिशत पूर्ण।

निर्माण एजेन्सी के पास अभी भी रु0 11.40 लाख अवशेष है। प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु रु0 228.43 लाख का पुनरीक्षित आगणन का प्रस्ताव महानिदेशालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है जो विचाराधीन है।]

सहारनपुर, मुजफ्फरनगर एवं बागपत जनपद स्थित पूर्वी यमुना नहर में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के.....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्यमंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लाल जी वर्मा–

[सहारनपुर, मुजफ्फरनगर एवं बागपत जनपद पूर्वी यमुना नहर की सिंचाई प्रणाली पर निर्भर है। उक्त नहर में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिये 100 करोड़ से अधिक की लागत से गंगा नहर से पानी लेकर जमुना नहर में डालने की व्यवस्था की गयी। उक्त नहर में पानी चालू भी हो गया, परन्तु आश्चर्यजनक है कि मुजफ्फरनगर के सभी राजवाहे एवं माइनर सिंचन सुविधा से पूर्णतः वंचित रहे। इस समय गेहूं की फसल को सिंचाई की सर्वाधिक आवश्यकता है। यदि तुरन्त पानी उपलब्ध नहीं हुआ तो फसल की उपज लगभग शून्य रह जायेगी। दिनांक 06–07 फरवरी, 2010 को सभी स्थानीय अधिकारियों से सम्पर्क किया गया, परन्तु उनकी ओर से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने का कोई आश्वासन नहीं दिया गया। लाखों किसान प्रभावित होने वाले हैं। हजारों एकड़ गेहूं की फसल पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ने वाला है।

जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर एवं बागपत में पूर्वी नहर प्रणाली से सींच होती है। इस नहर प्रणाली में मुख्य नहर की लम्बाई 204 किमी0 है, जिसके द्वारा किमी0 0.00 से किमी0 90.104 तक अपर खण्ड पूर्वी यमुना नहर के नाम से जनपद सहारनपुर में, किमी0 90.104 से किमी0 134.484 तक जनपद मुजफ्फरनगर में, किमी0 134.484 तक किमी0 189.908 तक जनपद बागपत में एवं किमी0 189.908 से किमी0 204.00 तक जनपद गाजियाबाद सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। किमी0 90.104 से किमी0 204.00 तक पूर्वी यमुना नहर, लोअर खण्ड पूर्वी यमुना नहर मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत आती है।

जनपद मुजफ्फरनगर में 43 नहरों की टेल है, इसमें से 09 टेलों में पानी अपर खण्ड पूर्वी यमुना नहर, सहारनपुर के द्वारा सिंचाई सुविधा तथा 34 नहरों में लोअर खण्ड पूर्वी यमुना, मुजफ्फरनगर के द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। जनपद बागपत के अन्तर्गत 37 नहरों में सिंचाई सुविधा लोअर खण्ड पूर्वी यमुना नहर, मुजफ्फरनगर के द्वारा करायी जाती है।

यमुना नदी से पोषित इस नहर प्रणाली को पर्याप्त पानी न मिलने के फलस्वरूप ऊपरी गंगा नहर से 1100 क्यूसेक जल समानान्तर देवबन्द शाखा फीडर चैनल के माध्यम से पूर्वी यमुना नहर के किमी0 89.70 पर उपलब्ध कराने हेतु फीडर चैनल का निर्माण हो चुका है तथा 12 जून, 2009 से पानी पूर्वी यमुना नहर प्रणाली को उपलब्ध हो रहा है। वर्तमान रबी फसल में समानान्तर देवबन्द शाखा फीडर चैनल से पानी उपलब्ध हुआ है और उपलब्ध जल के सापेक्ष लोअर खण्ड, पूर्वी यमुना नहर मुजफ्फरनगर के अधीन 34 नहरों के सापेक्ष 33 नहरों के टेल फीड हो चुकी है तथा सींच हुई है। केवल एक नहर (लोई राजवाहा) की टेल पर पानी नहीं पहुंचा है, जिसके लिये प्रयास किये जा रहे है। उक्त के अतिरिक्त जनपद मुजफ्फरगनर में अपर खण्ड, पूर्वी यमुना नहर, सहारनपुर के अधीन 09 नहरों की टेल है, जिसमें अब तक 07 नहरों की टेल पर पानी पहुंचाया जा चुका है। शेष दो नहरों की टेल पर इसी सप्ताह पानी

पहुंचाया जाना प्रस्तावित है। जनपद बागपत की 37 नहरों में से प्रस्तावित 36 नहरों के लक्ष्य के सापेक्ष 36 नहरों में पानी पहुंचाया जा चुका है।]

कानपुर विद्युत सप्लाई को मे0 टोरेण्ट पावर लिमिटेड को दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में भी संजीव दरियाबादी "बन्टी" द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)–

मान्यवर, मा0 सदस्य द्वारा....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लाल जी वर्मा–

[दी गयी उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा अवगत कराया गया है कि योजना आयोग, भारत सरकार द्वार समय–समय पर विभिन्न क्षेत्रों में सुधार हेतु सार्वजनिक निजी क्षेत्र सहभागिता के आधार पर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता रहा है।

योजना आयोग के निर्देशों के अन्तर्गत विद्युत व्यवस्था में सुधार हेतु महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने अपने भिवाण्डी क्षेत्र में इनपुट बेस्ड फ्रेन्चाइजी व्यवस्था फरवरी, 2007 में लागू की गयी थी। भिवाण्डी में हुये आशातीत सुधार के दृष्टिगत प्रदेश के 09 शहरों यथा–मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़, बरेली, केस्कों कानपुर, आगरा, इलाहाबाद वाराणसी एवं गोरखपुर, जहां लाइन हानियां अधिक तथा कलेक्शन इफीशियेन्सी कम है, में उक्त व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया। प्रथम चरण में आगरा एवं केस्कों कानपुर में इनपुट बेस्ड फ्रेन्चाइजी व्यवस्था लागू की जायेगी।

फ्रेन्चाइजी एक बिन्दु पर केस्कों कानपुर से विद्युत आपूर्ति प्राप्त करेगा एवं प्रणाली में प्रत्येक माह इन्जेक्ट की जाने वाली यूनिट का भुगतान निगम को प्रतिमाह एक मुश्त करेगा। फ्रेन्चाइजी विद्यमान नेटवर्क के अनुरक्षण कार्यों में सुधार हेतु प्रथम 10 वर्ष में कम से कम 400 करोड़ रुपये का व्यय करेगा। फ्रेन्चाइजी को 7 वर्ष की अवधि में ए0टी0एण्ड सी0 हानियों को 15 प्रतिशत के स्तर पर लाना आवश्यक होगा।

उक्त व्यवस्था से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे :–

1. ए0टी0एण्ड सी0 हानियों में कमी आयेगी। 2. विद्युत चोरी में कमी आयेगी। 3. मीटरिंग, बिलिंग एवं राजस्व वसूली में शत–प्रतिशत सुधार होगा। 4. बकाया वसूली बढ़ेगी।

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

5. कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट बढ़ेगा, जिससे नेटवर्क में सुधार एवं क्षमता वृद्धि होगी तथा विद्युत आपूर्ति में गुणवत्ता में सुधार होगा। 6. शत–प्रतिशत बिलिंग एवं राजस्व वसूली की कार्यवाही फ्रेन्चाइजी द्वारा की जायेगी, जिससे राजस्व वसूली में वृद्धि होगी। 7. उपभोक्ता सेवायें बेहतर होंगी। 8. विभाग को अधिक राजस्व प्राप्त होगा। 9. इसके साथ–साथ अनुरक्षण आदि कार्यों पर विभागीय व्यय लगभग शून्य हो जायेगा।

विद्युत व्यवस्था में सुधार हेतु इनपुट बेस्ड फ्रेन्चाइजी व्यवस्था विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–14 में भी प्राविधानित है। इस प्रकार अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की गयी है। इस व्यवस्था से उत्तर प्रदेश सरकार व उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को कोई नुकसान नहीं होगा, अपितु लाइन हानियों में कमी होगी, कलेक्शन इफीशियेन्सी बढ़ेगी जिससे अधिक राजस्व प्राप्त होगा। उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति एवं बेहतर सेवा भी प्राप्त होगी।]

जनपद गाजीपुर के ग्राम–जलालाबाद (अम्बेडकर ग्राम) में चिकित्सालय बनाये जाने के सम्बन्ध में भी विजय कुमार द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)–

मान्यवर, मा0 सदस्य द्वारा नियम–51

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लाल जी वर्मा–

[के अन्तर्गत दिनांक 9.2.2010 को यह सूचना दी गई है कि विधान सभा जखनियां जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत ग्राम जलालाबाद (अम्बेडकर ग्राम) जखनियां–तहसील का सबसे बड़ा गाँव है जिसकी आबादी लगभग 40,000 है। इसमें 90 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति की है। गाजीपुर मुख्यालय से लगभग 50 किमी० की दूरी पर आखिरी छोर पर यह गांव बसा है। 10 से 15 किमी0 की परिधि में कोई भी चिकित्सालय नहीं हे जिससे गरीब जनता की चिकित्सा के अभाव में असमय ही मृत्यु हो जाती है। उक्तानुसार सूचना देते हुए लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मा० सदस्य द्वारा सरकार से ग्राम जलालबाद (अम्बेडकर ग्राम) मे चिकित्सालय बनवाने हेतु वक्तव्य की मांग की गई है।

2–इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि विधान सभा जखनियां जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत ग्राम जलालाबाद (अम्बेडकर ग्राम) सबसे बड़ा गांव है। इस ग्राम की आवादी लगभग 16 हजार है। ग्राम जलालाबाद के निकट वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जखनियां की दूरी 11 किमी० तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेहटी मालीपुर 7 किमी० की दूरी पर क्रियाशील

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रेहटी मालीपुर एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जखनियां के द्वारा ग्राम जलालाबाद कि निवासियों को चिकित्सकीय सुविधा प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2009-10 में इस ग्राम सभा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना हेतु रू0 4.00 लाख प्राविधान जिला योजना में किया गया है। शासनादेश संख्या 50/पांच-6-10-एस०एन०डी०-50/80 दिनांक 13.1.2010 द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विभाग द्वारा वर्तमान में उपलब्ध प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कराई जा पा रही है, क्योंकि अभी भी 5 हजार से अधिक चिकित्सकों के चयन हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग में लम्बित है। वर्तमान में उपलब्ध प्राथमिक स्वास्थ्य केन्दों को सुचारू रूप से संचालित करा लेने की कार्यवाही सम्पन्न कराने पर पहले बल दिया जा रहा है, तत्पश्चात् मानक के पुनः निर्धारण की कार्यवाही की जायेगी। चूँकि ग्राम जलालाबाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित नहीं है अतः निर्माण का कोई औचित्य नहीं हैं।

सिंचाई यांत्रिक विभाग द्वारा प्रदेश में अंशकालिक नलकूप चालकों की नियुक्तियों का विनियमितीकरण अवैध रूप से किये जाने के संबंध में भी विशम्भर सिंह यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत की गई सूचना पर सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)–

मान्यवर, नियम 51 के अन्तर्गत

* वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लाल जी वर्मा–

[मा० विधायक श्री विशम्भर सिंह यादव जी के पत्र दिनांक 9-2-2010 में उल्लिखित शासनादेश संख्या 1194/का-1-2001-95-15-91, दिनांक 19-5-2001 के नियम-2 में निम्न प्राविधान हैं–

(1) रिक्तियों का अवधारण– प्रथम जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि जिसे चयन वर्ष कहा जाता है, में घटित रिक्तियों हेतु यथासम्भव एक ही चयन सम्पन्न किये जाने की नीति, अतः चयन के लिये एक चयन वर्ष में भरी जाने वाली सभी रिक्तियों की गणना की जाये, अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य आरक्षित वर्गो के लिये उनके निर्धारित कोटे के अनुसार अलग रिक्तियाँ भी अवधारित की जाये तथा चयन के समय उससे चयन समिति को अवगत कराया जाये।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अंशकालीन नलकूप चालकों के विनियमितीकरण हेतु प्रख्यापित "विनियमितीकरण नियमवली 1996" के नियम 4 (एक) में विनियमितीकरण हेतु निर्धारित कट आफ डेट 01.10.1986 शासकीय अधिसूचना संख्या 3195(1)/08–27–सिं–7–364 (बहु०कर्मी०)/99, दिनांक 05 मई, 2008 को संशोधित करके दिनांक 30 जून 1998 निर्धारित कर दिये जाने के फलस्वरूप, दिनांक 30.06.98 से पूर्व नियुक्त एवं निरन्तर सेवारत पात्र अंशकालीन नलकूप चालकों के विनियमितीकरण हेतु नलकूप चालकों के वर्ष 2009 में उपलब्ध रिक्त पदों पर विनियमितीकरण की कार्यवाही आरम्भ की गयी। विनियमितीकरण करते समय उपरोक्त शासनादेश के नियम–1 के आधार पर चयन प्रक्रिया पूर्ण की गयी।

नलकूप खण्ड, बाँदा–वर्ष 2009 में अंशकालीन नलकूप चालकों के विषयक विनियमितीकरण किये जाने के समय स्थिति निम्नवत् सूचनीय है:–

1.	नलकूप चालक के स्वीकृत पदों की संख्या 357					
2.	कार्यरत की संख्या					
		SC	ST	OBC	GEN	TOTAL
	(1) नलकूप चालक	63	–	125	111	299
	(2) अंशकालीन नलकूप चालक	03	–	37	32	72
3.	विनियमित किये गये अंशकालीन नलकूप चालकों की संख्या	03	–	07	32	42
4.	विनियमितीकरण किये गये अंशकालीन नलकूप चालकों की संख्या	–	–	30	–	30
5.	आरक्षण नियमों में निर्धारित 21%, 2% तथा 27% के अनुसार आगणित पदों की संख्या	75	7	96	179	357

यद्यपि नलकूप चालकों के कुल स्वीकृत पदों (357 पद) के सापेक्ष आरक्षण प्राविधान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के क्रमशः 75 पद एवं 7 पद बनते हैं। जिसके सापेक्ष अनुसूचित जाति के कुल 66 नलकूप चालकों का विनियमितिकरण किया गया है। शेष अनुसूचित जाति के 9 पद तथा अनुसूचित जनजाति के 7 पद आरक्षित हैं। जहां तक पिछड़े वर्ग के कार्यरत अंशकालिक नलकूप चालकों का प्रश्न है, जनपद बांदा में पिछड़े वर्ग के कुल 30 अंशकालिक नलकूप चालक उपलब्ध हैं जिसमें उपर्युक्त अंकित नियमावली के प्राविधानानुसार 29 नलकूप चालकों का विनियमितिकरण कर दिया गया हैं। शेष 01 नलकूप चालक ने मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 के अन्तर्गत दिनांक 17.2.2005 को कार्यभार ग्रहण किया है, अतः ये उक्त विनियमितिकरण नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत पात्र नहीं हैं।

(2) इसके अतिरिक्त नलकूप मण्डल, आगरा और नलकूप निर्माण खण्ड, आगरा द्वारा वर्ष 2008-09 में की गयी नियुक्ति के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नलकूप मण्डल, आगरा में कार्य पर्यवेक्षक एवं नलकूप मिस्त्री के क्रमशः 04 एवं 15 पदों पर नियुक्तियां की गयी हैं उनमें से किसी ऐसे कर्मचारी की नियुक्ति नही की गयी है जो मण्डल के किसी कर्मचारी/अधिकारी का रिश्तेदार है। नलकूप निर्माण खण्ड, आगरा में हेल्पर, एवं पम्प आपरेटर के क्रमशः 06, 01 एवं 01 पदों पर नियुक्तियां की गयी है जिनमें से हेल्पर के 01 पद पर श्री हुकुम सिंह पुत्र श्री बिजेन्द्र सिंह (अनुसूचित जाति) की नियुक्ति की गई है, जो एक कर्मचारी के पुत्र हैं, जिनके पिता खण्ड में कार्यरत है, उक्त नियुक्ति नियम विरुद्ध नहीं है। इस प्रकार रिश्वत लेकर नियुक्ति किये जाने का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं है।]

राजकीय महाविद्यालय महमूदाबाद, सीतापुर में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर) द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)–

माननीय सदस्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत.....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लाल जी वर्मा–

[अभिसूचित सूचना मे यह कहा गया है कि राजकीय महाविद्यालय महमूदाबाद सीतापुर में भूगोल, हिन्दी एवं कामर्स विषय के प्रोफेसर (प्रवक्ता) के साथ–साथ जूनियर लाइब्रेरियन, तबला वादक, माली एवं बुक लिफ्टर के एक–एक पद रिक्त होने से न तो छात्रों की पढ़ाई हो पर रही है और न ही आवश्यक कार्य हो पा रहा हैं जिससे छात्रों में आक्रोश व्याप्त है। मा0 सदस्य द्वारा वक्तव्य दिये जाने की मांग की गयी है।

इस संबंध में अवगत कराना है कि राजकीय महाविद्यालय महमूदाबाद सीतापुर में कला एवं वाणिज्य संकाय संचालित है। महाविद्यालय में प्रवक्ताओं के सृजित 20 पदों में से 16 पद भरे है। प्रवक्ता वाणिज्य के 02 रिक्त पदों में 01 रिक्त पदपर डा0 चैतन्य कुमार की तैनाती की जा चुकी है। सम्प्रति महाविद्यालय में प्रवक्ता हिन्दी के 02, प्रवक्ता–भूगोल के 01 तथा प्रवक्ता–वाणिज्य के 01 पद (कुल 04 पद) रिक्त चल रहे है। शिक्षणेत्तर कर्मचारियों में पुस्तकालयाध्यक्ष, कार्यालय अधीक्षक, कनिष्ठ लिपिक एवं बुक लिफ्टर के सभी पद भरे हुए है। मा0 सदस्य की सूचना में उल्लिखित जूनियर लाइब्रेरियन एवं तबला वादक का पद उक्त महाविद्यालय में सृजित नहीं है। चतुर्थ श्रेणी के सृजित 09 पदों के सापेक्ष 06 कार्मिक कार्यरत

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है और 03 पद रिक्त हैं। आगामी वार्षिक स्थानान्तरण सत्र में प्रवक्ताओं के रिक्त 04 पद तथा चतुर्थ श्रेणी के रिक्त चल रहे 03 पदों को भी भर लिया जायेगा।]

जनपद बदायूं स्थित जिला–अस्पतालों में डाक्टरों की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री महेश चन्द्र गुप्ता द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)–

श्री महेश चन्द्र गुप्ता, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत.....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा–

दिनांक 09–02–2010 को यह सूचना दी गयी थी कि जनपद बदायूँ काफी पिछड़ा क्षेत्र है और इसकी काफी लम्बाई है। इस जनपद से 07 जनपदों की सीमाएं लगी हुई है। जनपद–बदायूँ के जिला चिकित्सालय में डाक्टरों की कमी के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जिससे जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है। डाक्टरों की कमी को देखते हुए कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजीशियन एवं फिजियोथेरेपिस्ट तैनात किये जाने की मांग की गयी है।

इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि जिला चिकित्सालय बदायूँ में कार्डियोलाजिस्ट, ई0एन0टी0 सर्जन तथा फिजीशियन के 02–02 पद स्वीकृत है जिसके सापेक्ष 01–01 ई0एन0टी0 सर्जन एवं फिजीशियन कार्यरत है तथा कार्डियोलाजिस्ट की कोई तैनाती नहीं की गयी है। न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजीशियन तथा फिजियोथेरेपिस्ट का कोई पद स्वीकृत नहीं है। प्रदेश के पी0एम.एच0एस0 संवर्ग में कुल 5511 चिकित्साधिकारियों के पद रिक्त हैं जिसके कारण सभी चिकित्सालयों में चिकित्सा के पद रिक्त है। चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद को अधियाचन भेजा गया है। लोक सेवा आयोग से चयन/संस्तुति प्राप्त होने पर जिला चिकित्सालय, बदायूँ में रिक्त कार्डियोलॉजिस्ट ई0एन0टी0 सर्जन एवं फिजीशियन के पदों पर तैनाती नियमानुसार कर दी जायेगी।]

उन्नाव में समाज कल्याण विकास विभाग द्वारा 2007–2008 एवं 2008–09 में वृद्धावस्था पेंशन, शादी अनुदान में किये गये करोड़ों रुपये के घोटालें से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री उदयराज द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)–

माननीय सदस्य द्वारा विधान सभा की प्रक्रिया तथा.....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[कार्य संचालन नियमावली के नियम–51 के अन्तर्गत सूचना दी गयी है कि समाज कल्याण विभाग उन्नाव द्वारा वर्ष 2007–08 व 2008–09 ने शासन से भेजी गयी धनराशि जो लाभार्थियों के खाते में समाज कल्याण विभाग द्वारा भेजी जाती है इधर दो वर्षों से लाभार्थियों को विभिन्न बैंकों के माध्यम से वृद्धा पेंशन व शादी अनुदान न मिलने की समस्त जानकारी की गयी, तो देखने में आया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा खाता नं० गलत कर और कहीं–कहीं नाम गलत कर विभिन्न बैंको में धन भेजा गया, और बैंकों द्वारा लाभार्थी के खाते में धन नहीं जमा हुआ। और कुछ दिन बाद बैंकों की मिली साजिश से समाज कल्याण अधिकारी के नाम से बैंकों द्वारा ड्राफ्ट् के माध्यम से पैसा भेजा गया। जिसमें करोड़ों रुपये गबन करने की सम्भावना है। उदाहरण के लिए मात्र डी0डी0 सं0–283466 दिनांक 05–06–2009 रुपया पांच लाख इकहत्तर हजार चार सौ नब्बे ए0जी0वी0 बैंक सिकन्दरपुर कर्ण व डी0डी0 संख्या–280384 दिनांक 11–07–2009 धनराशि चार लाख सैतिस हजार पांच सौ वापस की गयी जो समाज कल्याण न जाकर कोई फर्जी खाता खोलकर निकाल ली गयी। सम्पूर्ण जनपद में जांच की जाय जो करोड़ों रुपये की गबन है। क्षेत्र की जनात को लाभ न मिलने से सम्पूर्ण जनपद में रोष व्याप्त है।

कृपया गंभीर आर्थिक गबन की जांच आर्थिक अपराध शाखा से कराते हुए दोषी अधिकारी व कर्मचारी पर कार्यवाही कर व लाभार्थियों को लाभ दिलाकर मैं सदन में वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूँ।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद उन्नाव में वृद्धावस्था पेंशन व शादी बीमारी योजना की जो धनराशि ड्राफ्ट संख्या 283466 दिनांक 05–06–2009 रु0 5,71,490/– जो आयावर्त ग्रामीण बैंक सिकन्दरपुर करन शाखा से जिला समाज कल्याण अधिकारी उन्नाव के नाम से फर्जी पत्र ले आ कर किन्हीं अमित कुमार गुप्ता द्वारा उक्त ड्राफ्ट प्राप्त कर लिया तथा ड्राफ्ट का भुगतान बैंक आफ इण्डिया मुख्य शाखा उन्नाव में खाता संख्या 7310010110002742 के माध्यम से जीवन लाल पुत्र शिवमंगल–94, प्रेम नगर उन्नाव प्रबन्धक ज्वाला देवी शिक्षा समिति, केवटा तालाब उन्नाव द्वारा प्राप्त किया गया। उनके विरुद्ध दिनांक 07–08–2009 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है।

दूसरा प्रकरण जो आर्यवर्त ग्रामीण बैंक नवाबगंज से जिला समाज कल्याण अधिकारी उन्नाव के पद नाम से जारी ड्राफ्ट संख्या 280384 दिनांक 11–07–2009 रु० 4,37,500/– से संबंधित है, को श्री अमित कुमार गुप्ता द्वारा प्राप्त किया गया जिसे बैंक आफ बड़ौदा उन्नाव शाखा में संचालित खाता संख्या 1205010009380 में जमा कर श्री राम सजीवन पुत्र श्री शिवमंगल केवटा तालाब उन्नाव प्रबन्धक भारतीय विद्यालय शिक्षा सदन आवास विकास

117/बी-1, दुर्गामंदिर के पास उन्नाव द्वारा प्राप्त किया गया। उनके विरुद्ध दिनांक 20-08-2009 को प्रथम रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है।

जहां तक प्रकरण की आर्थिक अपराध शाखा से जांच कराये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है और पूरे प्रकरण की जांच वित्त विभाग/प्रशासनिक विभाग के अधिकारियों की संयुक्त जांच समिति गठित कर कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष-अब हम उठते हैं, दिनांक 15.02.2010 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 7 बजकर 04 मिनट पर सोमवार दिनांक 15 फरवरी, 2010 दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)।

लखनऊ :

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक 11 फरवरी, 2010

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी (क)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–27 का उत्तर पीछे पृष्ठ–43 पर।)

कारागारों में निरुद्ध सिद्धदोष एवं विचाराधीन बंदियों को दिये जाने वाले भोजन का मानक (प्रति बन्दी, प्रति दिन/प्रतिमाह का विवरण)

क्र० सं०	मद	मात्रा (मात्रा ग्राम में)		प्रति दिन	सप्ताह में एक बार	सप्ताह में दो बार	सप्ताह में तीन बार	माह में तीन बार	पूरे माह में (मात्रा ग्राम में)	
		सिद्धदोष	विचाराधीन						सिद्धदोष	विचाराधीन
1	आटा	700	540	हाँ	–	–	–	–	21000	16200
2	चावल	235	235	–	–	हाँ	–	–	1880	1880
3	दाल	90	90	हाँ	–	–	–	–	2700	2700
4	राजमा	15	15	–	हाँ	–	–	–	60	60
5	सब्जी	230	230	हाँ	–	–	–	–	6900	6900
6	सोयाबीन	10	10	–	हाँ	–	–	–	40	40
7	उरद बरी	15	15	–	हाँ	–	–	–	60	60
8	उरद की बरी के लिये तेल	2	2	–	हाँ	–	–	–	8	8
9	तेल छौंक	15	15	हाँ	–	–	–	–	450	450
10	हल्दी	1	1	हाँ	–	–	–	–	30	30
11	मिर्च	0.5	0.5	हाँ	–	–	–	–	15	15
12	गरम मसाला	0.25	0.25	हाँ	–	–	–	–	7.50	7.50
13	नमक	14	14	हाँ	–	–	–	–	420	420
14	गुड़	45	45	हाँ	–	–	–	–	1350	1350
15	चाय	1.5	1.5	हाँ	–	–	–	–	45	45
16	चीनी	10	10	हाँ	–	–	–	–	300	300
17	दूध	25	25	हाँ	–	–	–	–	750	750
18	दलिया	60	60	–	–	–	हाँ	–	720	720
19	दलिया की चीनी	30	30	–	–	–	हाँ	–	360	360
20	चना नास्ता	45	45	–	–	हाँ	–	–	360	360
21	नमक नास्ता	2	2	–	–	हाँ	–	–	16	16
22	मिर्च नास्ता	0.5	0.5	–	–	हाँ	–	–	4	4
23	तेल नास्ता	1	1	–	–	हाँ	–	–	8	8

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र० सं०	मद	मात्रा (मात्रा ग्राम में)		प्रति दिन	सप्ताह में एक बार	सप्ताह में दो बार	सप्ताह में तीन बार	माह में तीन बार	पूरे माह में (मात्रा ग्राम में)	
		सिद्धदोष	विचाराधीन						सिद्धदोष	विचाराधीन
24	अमचूर	2	2	—	—	हाँ	—	—	16	16
25	सूजी हलवा	30	30	—	—	—	—	हाँ	90	90
26	डालडा	15	15	—	—	—	—	हाँ	45	45
27	चीनी	40	40	—	—	—	—	हाँ	120	120
28	डालडा पूरी का	90	90	—	—	—	—	हाँ	270	270
29	आलू नास्ता (चने के साथ)	25	25	—	—	हाँ	—	—	200	200
30	बन्द	1 नग	1	—	—	हाँ	—	—	8 पीस	8 पीस
31	एलपीजी	—	—	हाँ	—	—	—	—	120 ग्राम प्रतिदिन	120 ग्राम प्रतिदिन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी (ख)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–37 का उत्तर पीछे पृष्ठ–47 पर।)

आवंटन सूची तहसील–पट्टी, प्रतापगढ़

आवंटन का प्रकार	ग्राम का नाम	क्र०सं०	आवंटी का नाम व पिता का नाम	स्वीकृत दिनांक	विवरण
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	1	श्रीराम सुत फेरई नि0 ग्राम	27-07-2007	–
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	2	रामदास सुत धनी नि0 ग्राम	27-07-2007	–
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	3	गंगाराम सुत धनी नि0 ग्राम	27-07-2007	–
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	4	मिश्री लाल सुत रामसमुझ नि0 ग्राम	27-07-2007	–
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	5	शिवचरन सुत रामप्रसाद नि0 ग्राम	27-07-2007	–
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	6	भगेलू सुत रामअधार नि0ग्राम	27-07-2007	–
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	7	काली चरन सुत बाबूलाल नि0 ग्राम	27-07-2007	–
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	8	लालमणि सुत कन्हैया नि0 ग्राम	27-07-2007	–
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	9	राजेन्द्र सुत सतई नि0 ग्राम	27-07-2007	–
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	10	रामसुन्दर सुत पुल्लू नि0ग्राम	27-07-2007	–
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	11	रामशिरोमणि सुत पुल्लू नि0 ग्राम	27-07-2007	–
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	12	जियालाल सुत जुगुन नि0 ग्राम	27-07-2007	–
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	13	श्यामलाल सुत बृजलाल नि0 ग्राम	27-07-2007	–
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	14	राजाराम सुत बृजलाल नि0 ग्राम	27-07-2007	–
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	15	सियाराम सुत भागीरथी नि0 ग्राम	27-07-2007	–
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	16	रामजस सुत गुरूसरन नि0 ग्राम	27-07-2007	–
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	17	सरयू देवी पत्नी श्रीराम नि0 ग्राम	27-07-2007	–
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	18	रामसजीवन सुत दीपत नि0 ग्राम	27-07-2007	–
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	19	श्रीमती ज्ञानमती पत्नी बुधई नि0 ग्राम	27-07-2007	–
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	20	रामबरन सुत रामअंजोर नि0 ग्राम	27-07-2007	–
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	21	रामकरन सुत रामअंजोर नि0 ग्राम	27-07-2007	–
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	22	सुरेश कुमार सुत वृजलाल नि0 ग्राम	27-07-2007	–
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	23	छोटेलाल सुत भगवानदीन नि0 ग्राम	27-07-2007	–
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	24	लल्लन सुत भीखा नि0 ग्राम	27-07-2007	–

आवंटन का प्रकार	ग्राम का नाम	क्र०सं०	आवंटी का नाम व पिता का नाम	स्वीकृत दिनांक	विवरण
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	25	छोटेलाल सुत भीखा नि०ग्राम	27-07-2007	–
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	26	रामचरन सुत मोहन नि० ग्राम	27-07-2007	–
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	27	नन्हकू सुत श्रीनाथ नि० ग्राम	27-07-2007	–
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	28	लेखई सुत मोहन नि० ग्राम	27-07-2007	–
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	29	तारा देवी शिवम्बर नि० ग्राम	27-07-2007	–
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	30	रामआसरे सुत विश्राम नि० ग्राम	27-07-2007	–
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	31	बाबूलाल सुत गयादीन नि० ग्राम	27-07-2007	–
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	32	दिनेश सुत बाबूलाल नि० ग्राम	27-07-2007	–
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	33	छितानू सुत रामदीन नि० ग्राम	27-07-2007	–
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	34	रामभरोस सुत भगवानदीन नि० ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	35	रामपत्ती पत्नी बाबूलाल नि० ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	36	रामबली सुत विदेशी नि० ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	37	रामजस सुत गंगादीन नि० ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	38	पुदई सुत सोमई नि० ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	39	श्रीराम सुत मंगरू नि० ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	40	पारसनाथ सुत मंगरू नि० ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	41	रामसुख सुत बाबूलाल नि० ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	42	श्रीमती नन्हका पत्नी लल्लू नि० ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	43	हरीराम सुत बैरागी नि० ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	44	रामजी सुत रामदुलार नि० ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	45	अभिराजी पत्नी रामअवध नि० ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	46	रामराज सुत बोड़ई नि० ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	47	देवीदीन सुत तुलई नि० ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	48	रामजी सुत तुलई नि० ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	49	श्यामशंकर सुत रामनरेश नि० ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	50	विद्याशंकर सुत रामनरेश नि० ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	51	भगौतीदीन सुत रामस्वरूप नि० ग्राम	27-07-2007	

आवंटन का प्रकार	ग्राम का नाम	क्र०सं०	आवंटी का नाम व पिता का नाम	स्वीकृत दिनांक	विवरण
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	52	श्रीराम सुत घिस्सू नि0 ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	53	राजाराम सुत फुस्सन नि0 ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	54	रामलवट सुत फुस्सन नि0 ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	55	सुग्रीव सुत रामकृपाल नि0 ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	56	भानुमती पत्नी दुर्योधन नि0 ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	57	कलहू सुत सुक्खू नि0 ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	58	रामदुलार सुत सुद्धू नि0 ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	59	रामदेव सुत शीतल नि0 ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	60	रामदयाल सुत महाबीर नि0 ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	61	रामकेवल सुत रामपियारे नि0 ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	62	रामलखन सुत रामपियारे नि0 ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	63	रामकृपाल सुत रामलाल नि0 ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	64	केदारनाथ सुत दूधनाथ नि0 ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	65	हरीराम सुत बुद्धू नि0 ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	66	मोहन सुत शिवम्बर नि0 ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	67	राजेश सुत नन्हकू नि0 ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	68	श्यामा देवी पत्नी नन्दलाल नि0 ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	69	रामसहारे सुत रमई नि0 ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	70	बृजलाल सुत रामा नि0 ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	71	निर्मला पत्नी रामअभिलाष नि0 ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	72	रामसजीवन सुत रामकिशोर नि0 ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	73	रामदीन सुत बुद्धू नि0 ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	74	रामआसरे सुत रमई नि0 ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	75	रामकिशुन सुत रामदीन नि0 ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	76	बैजनाथ सुत शिवम्बर नि0 ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	77	गया प्रसाद सुत तोतिर नि0 ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवटन	अतरसण्ड	78	माधुरी पत्नी रामकरन नि0 ग्राम	27-07-2007	

आवंटन का प्रकार	ग्राम का नाम	क्र०सं०	आवंटी का नाम व पिता का नाम	स्वीकृत दिनांक	विवरण
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	79	रामनरेश सुत ठाकुरदीन नि0 ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	80	भागीरथी सुत ठाकुरदीन नि0 ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	81	राकेश कुमार सुत श्यामलाल नि0 ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	82	कलावती पत्नी रामदुलार नि0 ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	83	सरोजा देवी पत्नी श्रवण कुमार नि0 ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	84	पांचू सुत सल्लू नि0 ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	85	साविर सुत सादिक नि0 ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	86	मो0 जहीर सुत शमशुद्दीन नि0 ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	87	मो0 जहूर सुत अकबर नि0 ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	88	मो0 नजीर सुत उमराव नि0 ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	89	अजीज सुत मतई नि0 ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	90	दस्तगीर सुत अकबर नि0 ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	91	शौकत सुत इन्दू नि0 ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	92	मुमताज सुत अली रजा नि0 ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	93	तकदीरूल पत्नी इलियास नि0 ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	94	चन्द्रा बानो पत्नी अली बहादुर नि0 ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	95	अनीश सुत मो0 रशीद नि0 ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	96	रईश सुत मो0 मुनीर नि0 ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	97	सफीक सुत सलीम नि0 ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	98	गुलजार सुत सनीम नि0 ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	99	शान मोहम्मद सुत सदुल्ला नि0 ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	100	ताहिर सुत गफ्फार नि0 ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	101	मो0 इसहाक सुत मो0 जलील नि0 ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	102	जुमई सुत बन्धू नि0 ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	103	असगर सुत अफजल नि0 ग्राम	27-07-2007	

आवंटन का प्रकार	ग्राम का नाम	क्र०सं०	आवंटी का नाम व पिता का नाम	स्वीकृत दिनांक	विवरण
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	104	मो0 सैयद सुत अनवारूल नि0 ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	105	रामसुन्दर सुत भगौतीदीन नि0 ग्राम	27-07-2007	
कृषि आवंटन	अतरसण्ड	106	संजय सुत सोमई नि0 ग्राम	27-07-2007	
मत्स्य पालन	अतरसण्ड	1	देवीदीन सुत तुलई नि0 ग्राम	31-01-2007	
मत्स्य पालन	अतरसण्ड	2	शेर बहादुर सुत रामआसरे नि0 ग्राम	31-01-2007	
मत्स्य पालन	अतरसण्ड	3	रामअवध सुत बोड़ई नि0 ग्राम	31-01-2007	
मत्स्य पालन	अतरसण्ड	4	रामराज सुत बोड़ई नि0 ग्राम	31-01-2007	
मत्स्य पालन	अतरसण्ड	5	कमलभान सुत केदारनाथ नि0 ग्राम	31-01-2007	
मत्स्य पालन	अतरसण्ड	6	भोली सुत सुचित नि0 ग्राम	31-01-2007	
मत्स्य पालन	अतरसण्ड	7	बुधना पत्नी बुद्धू नि0 ग्राम	31-01-2007	
मत्स्य पालन	अतरसण्ड	8	मातादीन सुत बुद्धू नि0 ग्राम	31-01-2007	
मत्स्य पालन	अतरसण्ड	9	रामअवध सुत रामसुन्दर नि0 ग्राम	31-01-2007	
मत्स्य पालन	अतरसण्ड	10	जगदीश प्रसाद सुत चन्द्रपाल नि0 ग्राम	31-01-2007	
मत्स्य पालन	अतरसण्ड	11	आलोकमणि सुत लालमणि नि0 ग्राम	31-01-2007	

र0का0
पट्टी

तहसीलदार
पट्टी, प्रतापगढ़।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी (ग)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-137 का उत्तर पीछे पृष्ठ-96 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 2010 के द्वितीय गुरूवार हेतु निर्धारित डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 137 के उत्तर का संलग्नक

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना जनपद गोरखपुर में वर्ष 2007-08 में रबी गेहूँ से प्रारम्भ किया गया, जिसमें वर्ष 2007-08 रबी में वित्तीय लक्ष्य रु० 285.42 लाख के सापेक्ष कुल व्यय रु० 225.97 लाख विभिन्न कार्यमदों में निम्नवत् किया गया:

क्र०सं०	कार्यमद	ई०	भौतिक प्रगति		वित्तीय प्रगति	
			लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
1	तकनीकी प्रदर्शन	सं०	580	580	11,60,000	11,27,333
2	बीज वितरण	कु०	51,720	37,741,49	1,94,50,000	1,88,70,745
3	सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण	हे०	1,800	1,800	9,00,000	4,35,600
4	कृषि यंत्र वितरण	सं०	532	176	63,65,000	19,29,511
5	एफ०एफ०एस० की स्थापना	सं०	23	28	4,76,000	1,46,200

2-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना वर्ष 2008-09 में खरीफ एवं रबी हेतु प्राप्त वित्तीय लक्ष्य रु० 481.48 लाख के सापेक्ष कुल व्यय रु० 473.50 लाख विभिन्न कार्यमदों में निम्नवत् किया गया

क्र०सं०	कार्यमद	ई०	भौतिक प्रगति		वित्तीय प्रगति	
			लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
1	तकनीकी प्रदर्शन	सं०	1,033	1,033	23,20,000	22,81,956
2	बीज वितरण	कु०	35,100	65,108,165	2,10,00,000	3,24,82,612
3	मिनीकिट वितरण	सं०	6,702	6,702	—	—
4	सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण	हे०	18,834	5,120	66,97,000	9,98,635
5	कृषि यंत्र वितरण	सं०	916	798	1,03,49,000	88,44,155
6	एफ०एफ०एस० की स्थापना	सं०	64	64	12,92,000	11,55,300
7	कृषि रक्षा उपकरण	सं०	1,600	1,000	6,40,000	3,66,000

3–राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना वर्ष 2009–10 में खरीफ एवं रबी हेतु प्राप्त वित्तीय लक्ष्य रु० 281.01 लाख के सापेक्ष कुल व्यय रु० 277.56 लाख (31 दिसम्बर 2009 तक) विभिन्न कार्यमदों में निम्नवत् किया गया

क्र०सं०	कार्यमद	ई०	भौतिक प्रगति		वित्तीय प्रगति	
			लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
1	तकनीकी प्रदर्शन	सं०	1,148	1,148	25,80,000	21,65,314
2	बीज वितरण	कु०	73,642	38,05,21	81,67,000	38,68,035
3	मिनीकिट वितरण	सं०	11,932	8,556	—	—
4	सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण	हे०	27,190	24,201	40,40,870	22,31,420
5	कृषि यंत्र वितरण	सं०	1,886	2,422	86,93,800	1,64,64,660
6	एफ०एफ०एस० की स्थापना	सं०	80	80	8,19,400	7,41,100
7	कृषि रक्षा उपकरण	सं०	5,141	3,336	11,45,060	13,55,624

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नंत्थी (घ)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–150 का उत्तर पीछे पृष्ठ–103 पर।)

विधान सभा के प्रथम सत्र 2010 के द्वितीय गुरूवार हेतु निर्धारित डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल मा० सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 150 के उत्तर का संलग्नक

गोरखपुर जनपद में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 में कराये गये कार्यों का विवरण।

क्र० सं०	विभाग का नाम	कार्यक्रम	भौतिक इकाई हे०	भौतिक प्रगति		वित्तीय प्रगति	
				लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
1	कृषि (मुदा शोध)	शोध एवं मृदा सर्वेक्षण	सं०	30,000	30,886	80.16	7.45
2		एक्पोजर विजिट एवं कृषि तकनीकी प्रसार कार्यक्रम	सं०	240	240	2.67	2.67
3		आई०पी०एम० कार्यक्रमों का सुदृढ़ीकरण एवं जागरूकता अभियान	सं०	–	–	6.26	6.26
4		कृषि प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण एवं बीज उत्पादन	सं०	25	25	1.5	1.5
5		कृषि विभाग के विकास खण्ड स्थित सीड स्टोर्स का सुदृढ़ीकरण।	सं०	–	–	–	–
6	कृषि सांख्यिकी	राष्ट्रीय एवं अन्य महत्व पूर्ण योजनाओं में प्रर्दशनों के क्राप कटिंग एक्सपेरीमेन्टस	सं०	33	33	0.116	0.116
7	नैफेड	सर्टिफिकेशन फार्मर्स ट्रेनिंग, एक्सटेंशन एक्टिविटीज ऑनलाइन मानीटरिंग	हे०	500	500	21.94	21.94
8	ए०एफ०सी०	कस्टमाइज्ड फारमर्स ट्रेनिंग, एक्सटेंशन एक्टिविटीज ऑलाइन मानीटरिंग	सं०	6	6	14.41	14.41
9	बीज विकास निगम	बीज प्रसंस्करण इकाईयों का सुदृढ़ीकरण।	सं०	–	–	35.81	35.81
10	पशुपालन	कृत्रिम प्रसंस्करण इकाईयों का सुदृढ़ीकरण।	सं०				
		55 ली० के क्रायोकेन	सं०	55	55	1.46	1.46
		30 ली० के क्रायोकेन	सं०	25	25		
		सं०	40	40			

		गाइक्रोरकोप	सं०	20	20		
11	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	सब्जी उत्पादन	हे०	135	135	58.85	53.26
12	मत्स्य	मत्स्य पालन क्षेत्र का विकास	सं०	1,233	1,100	5.45	3.159
13		इन्टीग्रेटेड फिश फार्मिंग हेतु डिमान्संट्रेन साइट्स का विकास	सं०	2	2	1.5	1.2
14		18 जनपदों में मॉडल, फिश मार्केट की स्थापना	सं०	—	—	—	—
15		राजकीय प्रक्षेत्रों पर फिश सीड प्रोडक्शन	सं०	—	—	—	—
16	लघु सिंचाई	निजी डीजल चालित 29076 नलकूपों के विद्युतीकरण की योजना	सं०	20	20	13.6	13.6
17	यू०पी०एग्रो	स्ट्रेन्थनिंग एण्ड मार्डनाइजेशन ऑफ एनीमल फीड प्रोटक्शन यूनिट	सं०	1		105	48.5
18	पी०सी०डी० एफ (डेयरी)	सघन मिनी डेयरी योजना	सं०	100	14	8.675	1.21
19		व्हीकिल ट्रैनिंग सिस्टम	सं०	—	—	—	—
20	आर०एस०ए० सी० रेशम	इस्टीमेशन ऑफ क्रॉप कवरेज योजना	हे०	सम्पूर्ण जनपद	सम्पूर्ण जनपद		
21		सिल्क कोया प्रोडक्शन, कोया मार्केटिंग एवं स्पिनिंग यूनिट का सुदृढ़ीकरण तथा सिल्क बैंक एवं मार्केटिंग इन्फारमेंशन सेन्टर की स्थापना		8	8	2.05	2.05
22	कृषि विविधीकरण परियोजना उत्तर प्रदेश	मत्स्य घटक दुग्ध विकास घटक	हे० सं०	9 19	9 19	14.96 10.9	14.96 10.9
		कुल योग	हे०	30,652	31,538	385.211	307.505
			सं०	1,8191	1,599		

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–150 का उत्तर पीछे पृष्ठ–103 पर।)

विधान सभा के प्रथम सत्र 2010 के द्वितीय गुरुवार हेतु निर्धारित डॉ० राधा मोहन दास अग्रवाल, मा० सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–150 के उत्तर का संलग्नक

गोरखपुर जनपद में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तगर्त वर्ष 2009–10 में कराये गये कार्यों का विवरण

क्र० सं०	विभाग का नाम	कार्यक्रम	भौतिक	भौतिक		वित्तीय	
			इकाई	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
1	(मुदा शोध)	शोध एवं मृदा सर्वेक्षण संबंधी कार्य	हे०	30,000	22,832	86.900	27.000
2	कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा	राष्ट्रीय एवं अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं में प्रदर्शनों के क्राप कटिंग एक्सपेरीमेन्टस	संख्या	22	0		
3	ए०एफ०सी०	कस्टमाइज्ड फारमर्स ट्रेनिंग एकसटेंशन एक्टिविटीज आूनलाइन मानीटरिंग	संख्या	12	12	23.960	22.630
4	नेफेड	सर्टिफिकेशन ऑफ आग्रेनिक एग्रीकल्चर मैनेजमेंट सिस्टम	हे0	500	500	24.920	21.240
5	यू०पी०डास्प	कृषि विविधीकरण परियोजना मत्स्य घटक	संख्या	9	कार्य प्रगति पर	18.410	कार्य प्रगति पर
6	मत्स्य	18 जनपदों में मॉडल फिश मार्केट की स्थापना	संख्या	1	0	17.000	
7	आर०एस०ए० सी०	इस्टीमेशन ऑफ क्राप कवरेज योजना	हे०	सम्पूर्ण जनपद	सम्पूर्ण जनपद		
8	लघु सिंचाई	नलकूपों के ऊर्जीकरण की कवरेज योजना	संख्या	20	20	13.600	13.600
9	पी0 सी0 डी0 एफ0	सघन मिनी डेरी	संख्या	80	0	14.305	
10	रेशम	सल्क कोया प्रोडेक्शन, कोया मार्केटिंग एवं स्पिनिंग यूनिट का सुदृढ़ीकरण तथा सिल्क बैंक एवं मार्केटिंग इन्फारमेशन सेन्टर की स्थापना (शहतूत वृक्षारोपण)	–	–	–	–	–
		कुल योग	हे०	30.500	23,332	201.095	84.470
			संख्या	154	34		

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं०158 का उत्तर पीछे पृष्ठ–106 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 2010 के द्वितीय गुरूवार हेतु निर्धारित श्री मदन चौहान, मा० सदस्य विधान सभा द्वारा पूँछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 158 के उत्तर का संलग्नक ।

प्रदेश में वित्तीय वर्ष सत्र 2008–09 में प्राप्त उत्पादन एवं वित्तीय वर्ष 2009–10 में विभिन्न फसलों का उत्पादन लक्ष्य का विवरण निम्नवत् हैं

क्र० सं०	फसल का नाम	वर्ष 2008–09 का उत्पादन	वर्ष 2009–10 का लक्ष्य
1	चावल	130.51	142.35
2	ज्वार	1.96	3.02
3	बाजरा	13.02	15.06
4	मक्का	11.51	14.06
5	मोटे अनाज	0.09	0.67
6	उर्द	2.07	2.30
7	मूँग	1.96	0.10
	खरीफ खाद्यान	**159.16**	**177.52**
8	तिल	0.45	0.31
9	मूँगफली	0.67	0.15
10	सोयाबीन	0.09	0.03
	खरीफ तिलहन	**1.21**	**1.50**
11	गेहूँ	285.54	300.92
12	जौ	3.76	4.45
13	रबी मक्का	0.09	0.03
14	चना	5.61	9.03
15	मटर	4.24	6.49
16	मसूर	4.60	6.12
17	अरहर	2.88	5.74
	रबी खाद्यान्न	**306.72**	**332.91**
18	राई / सरसो	9.92	10.87
	अलसी	0.35	0.27
	रबी तिलहर	**10.27**	**11.32**
	कुल खाद्यान्न	**467.31**	**510.43**
	कुल तिलहन	**11.86**	**12.82**

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार से

वित्त पोषित निम्न प्रमुख योजनाओं को वार्षिक योजना में सम्मिलित किया गया है

1– मैक्रोमैनेजमेन्ट आफ एग्रीकल्चर।

2– आइसोपाम (इन्टीग्रेटेड स्कीम आफ आयलसीड पल्सेस आयलपाँम एण्ड मेज)।

3– सपोर्ट टू एक्सटेंशन प्रोग्राम फार एक्सटेशन रिफार्म (आत्मा)।

4– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन।

5– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना।

6– राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना।

7– बीमा ग्राम योजना।

8– विभिन्न परिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट रोग नियंत्रण की योजना।

9– कपास विकास एवं आधारिक कपास बीज की योजना।

10– विशेष जूट कार्यक्रम की योजना।

11– कृषि सांख्यकीय सुधार की योजना।

12– नव विकसित कृषि एवं उद्यान यत्रों का कृषक प्रक्षेत्र पर प्रदर्शन की योजना।

13– कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी का विकास (एग्रीज्नेट)।

14– मृदा स्वास्थ्य सुधार की योजना।

15– बुन्देलखण्ड क्षेत्र में वर्षा जल संचयन एवं सिंचाई की योजना।

16– कुशल जल प्रबंधन की योजना।

17– आई०आर०डी०एफ० (वाटरसैड डेवलपमेंट) की योजना।

18– किसान हित योजना।

19– थारू जनजाति भूमि सुधार की उप योजना।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये मा० अधिष्ठाता के आदेश पृष्ट–199 पर।)

श्री जावेद अन्सारी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सिंचाई मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट पर रखे गए कटौती प्रस्ताव के समर्थन में मैं कहना चाहूँगा कि जनपद जौनपुर में शारदा सहायक खण्ड 36 नहर पर जमुहाही भदेठी मार्ग पर ग्राम कयार में स्थित, पुल अत्यन्त जर्जर और क्षतिग्रस्त हो चुका है। भदेठी, सोंगर आदि दर्जनों गांवों को यही एक मात्र पुल से होकर गुजरना है। पुल के अत्यन्त जर्जर हो जाने के कारण हर समय भीषण दुर्घटना की आशंका बनी हुयी है।

आजमगढ़ सीमा से सटा होने के कारण पूर्व में भी मेरे द्वारा इस पुल के तुरन्त निर्माण कराने के अनुरोध पर जौनपुर के अधिकारी उसे आजमगढ़ से, और आजमगढ़ के अधिकारी जौनपुर से निर्माण–कार्यवाही की बातें करते है, अगर पुल ध्वस्त हो गया और भारी जन–धन की हानि हुई तो जिम्मेदारी तो प्रदेश सरकार पर ही जाएगी। अतः नहर के इस पुल का प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कराने का सरकार को निर्देश देने की कृपा करें। मैं आभारी रहूँगा।

जौनपुर जनपद के करंजाकलां ब्लाक स्थिति भदेठी गांव में एक चौड़ा नाला है। नाले तक खड़ंजा मार्ग आकर रूक जाता है। लोग नाले तक आकर पानी में से होकर उस पार के गाँव सोंगर होकर मानीकलां होते हुए गुरैनी, खेतासराय, शाहगंज जाते हैं। नाले पर पुल न होने के कारण बरसात के दिनों में जलमग्न इस नाले को नहीं पार किया जा सकता जिसमें हजारों ग्रामवासियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

जनहित से जुड़े नाले की इस पुलिया के निर्माण पर बजट का बहुत ही छोटा सा हिसा व्यय होगा मगर लाभान्वित दर्जनों गांव और हजारों ग्रामवासी होंगे।

अतः विनम्र अनुरोध है कि सरकार को निर्देशित करें कि इस बजट से उक्त पुलिया का जनहित में निर्माण कराना अवश्यक सुनिश्चित करें। मैं आपका हृदय से आभारी होऊंगा।

डा० आर०ए० उस्मानी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, 1980 के दशक मे लखीमपुर एवं बहराइच बाढ़ विभिषिका से बचने के लिए सरयू नहर परियोजना के साथ राप्ती नहर परियोजना चलायी गयी थीं जिसमें लगभग आधी नहर जनपद बहराइच के नानपारा से आज भी खोदी हुई पड़ी है। इन खोदाइयों के लिये विदेश से आयातित मंहगी मशीने विभागीय भ्रष्टाचार के कारण स्क्रैप में बेच दी गयी। वहां नहर की खुदाई के लिये जो धन व्यय दिखाया गया वह वास्तव में खर्च नहीं किया गया और सुनियोजित भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सरकारें आती रहीं और परियोजना वहीं की वहीं पड़ी रह गई जिसका परिणाम यह है कि प्रति वर्ष नेपाल राष्ट्र से आने वाला पानी कतर्निया घाट से निकल कर घाघरा एवं सरयू नदी का पानी बहराइच व लखीमपुर के गांवों को चार माह तक डुबोये रहती है तथा उसका दबाव गोण्डा, गोरखपुर, बस्ती के बलिया तक बना रहता है। और कृषि क्षेत्र में करोड़ों का नुकसान होता है तथा दैवी आपदा राहत में कई करोड़ो की भरपाई राज्य को करनी पड़ती है। यदि राप्ती परियोजना चल रही होती तो बाढ़ का चालीस प्रतिशत पानी उस नहर से निकल कर एस्क्रेप के रूप में राजस्थान चला जाता जहां अनवरत सूखा रहता है किन्तु विभागीय भ्रष्टाचार के कारण वह परियोजना अधूरी रही और आज भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है जिससे प्रति वर्ष जनपद बहराइच, लखीमपुर, गोण्डा,

बस्ती, गोरखपुर, गोण्डा, बस्ती गोरखपुर एवं बलिया जनपद में अपूर्णनीय जनधन की हानि होती है।

1– इस परियोजना के लागू करने में हुई वित्तीय अनियमितता तथा उसकी सम्पत्ति मशीनें आदि की चोरी कर बेचने की जांच सी०बी०आई० से कराने की संस्तुति करने की मांग करता हूँ।

2– जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम जोधपुर के दक्षिण में नहर पर पुलिया बनवा दे ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी हैं।

3– ग्राम मालपुर से सिसौरा तक बन्धा पर जनपद खीरी में सड़क निर्माण करा दें।

दिनांक 22.07.2008 को महोदय की अध्यक्षता में हुयी बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में बहुखण्डी मंत्री आवास परिसर में माननीय विधायकों एवं अनय विशिष्ट महानुभावों को सामुहिक सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से भोजनालय, पराग बूथ, ए०टी०एम०, रेलवे रिर्जवेशन केन्द्र, पी०सी०ओ० केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निगम का डिपो आदि का प्रस्ताव राजकीय निर्माण निगम ने प्रस्तुत किया था जिसकी लागत लगभग रू० 108.54 लाख थी आपके निर्देशो पर पुर्नविचार करते हुए उक्त आगणन को मितव्ययी/ आवश्यकता के अनुरूप संशोधित किया गया जिसमें मुख्यताः डोरमेटरी का वर्तमान में प्रविधान समाप्त करके उसके स्थान पर एक कामनहाल/कान्फ्रेस कक्ष बनाये जाने का प्रस्ताव पर निर्माण कार्य की लगभग 108.54 लाख के सापेक्ष रु० 81.19 लाख हो जायेगी। जिससे रु० 27.35 लाख की बचत होगी। कामनहाल माननीय मंत्रीगणों/मा० विधायक गण की छोटी मोटी मीटिंग, समारोह आदि के उपयोग में लाया जा सकता है, इसके साथ ही कामनहाल में एकत्र होने वाले अगन्तुकों एवं परिसर में आने वाले माननीय मंत्री गणों की सुरक्षा मे लगे पुलिस बल इत्यादि के लिए दो शौचालय, दो बाथरूम तथा बाथबेसिन एवं दो यरिनल का प्राविधान पूर्व की भांति ही रहेगा। इस कामनहाल के बनाने से शासन को प्रतिदिन किराये के रूप में राजस्व को भी प्राप्ति होगी तथा माननीय अध्यासियों के उपयोग मे लगातार आता रहेगा इसमें प्रथम तल पर डारमेटरी बनाये जाने का भविष्य में प्रस्ताव किया जा सकता है :–

क्रमांक	पूर्व आगणन का विवरण	वर्तमान आगणन का विवरण
1	लागत 108.54 लाख	लागत 81.19 लाख
2	डारमेटरी, दो तलों पर 40 शैय्याओं तथा दो शौचालय, दो स्नानघर तीन यूरिनल दो बासवेसिन	एक कान्फ्रेन्स हाल/ कामनहाल भूतल पर नीचे दो तलों के लायक जिससे भविष्य में डारमेटरी का प्रस्ताव रखते हुये कामनहाल में एक साइड मे डायस का प्लेटफार्म (15 से 18 इंच का संबोधित करने के लिए) शेष बाथरूम शौचालय, बासवेसिन शौचालय, बाशवेसिन, यूरिनल पूर्व की भांति।
03	रहने योग्य परन्तु बिना राजस्व प्राप्ति के।	मीटिंग समारोह के हेतु साथ में राजस्व की प्राप्ति भी होगी।
04	कुल बचत 27.35 लाख तथा प्रतिदिन राजस्व की प्राप्ति एवं एक कामनहाल की परिसर में ही उपलब्धता।	

कुल बचत रु0 27.35 लाख एवं यदि कामनहाल का आवंटन न्यूनतम रुपये 500.00 प्रतिदिन के अनुसार भी किया जाता है। तो प्रतिमाह रु0 15,000.00 तक प्रतिवर्ष 1.80 लाख तक के राजस्व की प्राप्ति भी होगी साथ ही कैम्पस में माननीय अध्यासियों की मीटिंग इत्यादि के लिए बेहतर विकल्प उपलब्ध रहेगा और उनको अन्य स्थानों पर हाल नहीं बुक कराने पड़ेंगे।

डॉ0 राम प्रकाश कुशवाहा–

मान्यवर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब को श्रद्धाजंलि अर्पित करते हुए। देश के सबसे बड़े सूबे की यशस्वी मुख्य मंत्री सुश्री मायावती बहन को नमन करता हूँ और सहकारिता के विषय में इस वर्ष 2010–11 में प्रस्तुत किए गए बजट के विषय में कुछ ध्यानाकर्षण करना चाहता हूँ।

भारत वर्ष में सहकारी आंदोलन का प्रादुर्भाव 1904 में हुआ था कनाडा और रसिया की पद्धति का अनुसरण करते हुए भारत में सहकारी आंदोलन की शुरूआत हुई। सहकारिता का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के कृषकों के बीच सामंजस्य बिठाकर उनके उत्पादन को बिचौलियों तथा जमाखोरों से बचाकर किसानों को उत्पाद की असल कीमत दिलाना है। इस महत्वपूर्ण कर्म में गत वर्ष प्रदेश सरकार पूर्ण सफल रही है।

प्रदेश सरकार ने कृषि ऋण सहकारी समितियां (पैक्स) जिनकी संख्या 7479 है। को बहुउद्देशीय स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रत्येक स्थल पर एक गोदाम/दुकान और कार्यालय की समुचित व्यवस्था की है। वर्ष 2009–10 में 80 हजार नए सदस्य बने। वित्तीय वर्ष 2010–में 7.70 लाख नये सहकारी सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस वर्ष 26.35 करोड़ अल्पकालीन ऋण वितरित करने की योजना सराहनीय है। उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक 1100 करोड़ का दीर्घ कालीन ऋण वितरित किया जायेगा। 40.93 लाख टन खाद् वितरण की व्यवस्था है तथा 7.79 लाख कुंतल प्रमाणित बीज वितरण किया जायेगा। बसपा सरकार की गत वर्षो सहकारिता विभाग को सुचारू रूप से चलाने व आम कृषकों व सदस्यों को लाभ पहुँचाने का परिणाम हाल में ही हुए सहकारी चुनावों से परिलक्षित हुआ। प्रदेश की सभी संस्थाओं में कार्य करने वाले मेहनती लोग सदस्य व अध्यक्ष चुने गए। इससे कृषकों व अन्य सदस्यों को न्याय मिलेगा तथा निम्न स्तर पर गरीब लोगों को सहकारी व्यवस्था का लाभ मिलेगा। 1965 में स्थापित सहकारी नया सहकारी अधिनियम आज भी सफलता पूर्वक कार्य कर रहा है। बसपा सरकार ने सहकारिता का असल मतलब समझ व जानकर उसके मूल उद्देश्यों को जमीनी स्तर पर संचालित करने का सराहनीय कार्य किया है।

सहकारी संस्थाओं को बजट में इस वर्ष 5100 लाख का अंतिम व्यय निर्धारित है, जिसमें सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता, सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना उ0प्र0 ग्राम विकास बैंक के ऋण पत्रों में विनियोजना, सबसे महत्वपूर्ण योजना में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेट प्लान के अन्तर्गत अंश क्रय हेतु ब्याज रहित ऋण/अनुदान 80 लाख का बजट में प्रस्तावित है इससे सिद्ध होता है कि बसपा सरकार असल में अनुसूचितों की हितार्थ है। प्रत्येक कृषक को प्रमाणित बीज मिले और फसलों के लिए खाद उपलब्ध हो सहकारिता का सबसे अहम उद्देश्य यही है। इस उद्देश्य में सरकार सौ

प्रतिशत सफल रही है। इस योजना में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को सरकार ने कठोरतापूर्वक दण्डित करके आम आदमी को लाभ पहुँचाया है। बसपा सरकार से पूर्व मृतप्राय स्थिति में पहुंच चुका सहकारिता विभाग अब जीवंत स्थिति में है। इसका श्रेय विभाग के माननीय मंत्री जी और बहन प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन जी को जाता है। बसपा के अलावा जो भी सरकारें रही है। उन्होंने इस विभाग की महत्ता को ही नहीं समझा। आम आदमी गरीब व्यक्तियों और कृषकों के बजाय धनाड्य जन सहकारी समितियों के सदस्य बने। इससे सहकारी आंदोलन का पतन हुआ लेकिन बसपा सरकार अब ऐसा नहीं होने देगी। क्योंकि 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय नीति का पालन करने वाली यह बसपा सरकार असल में में जरूरत मन्दों तक शासन की नीतियाँ पहुचांए यही उसकी मंशा है। और जिस प्रकार सरकार कठोरता से सरकारी नियमों का सही अनुसरण करा रही है। उससे निश्चित रूप से सहकारी विभाग व अन्य विभाग अपने उद्देश्य की शत प्रतिशत पूर्ति करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि सन् 1860 में कानपुर काटन कमेटी का गठन हुआ था और उसके बाद सूती–एल्गिन नं0–1 (1862), लाल इमली फौज के कंबल बनाने हेतु (1876), कानपुर काटन मिल (1883), विक्टोरिया मिल (1886), एल्गिन मिल (1886), बी०आई०पी० ग्रुप की मशीनों के पुर्जे साफ करनें वाली बुश वेयर कम्पनी (1894), भारत की सबसे बड़ी काटन मिल (1911), आर्थटन काटन बेस्ट मिल (1917), जे०के० काटन (1920), कानपुर टेक्सटाइल्स (1920), कानपुर बूलेन मिल्स, कूपर ऐलन एण्ड वेस्ट कानपुर काटन मिल, न्यू इगर्टन, वूलेन मिल धारीवाल (1920 में बी०आई०पी० के तहत इन मिलों की स्थापना), जे०के० जूट मिल (1929), जे०के० रेयान (1930), जे०के० काटन मैन्यूफैक्चर्स (1933), लक्ष्मी रतन काटन मिल (1934), जे०के० रेयान, जाजमऊ (1957) आदि कानपुर की कई मिलें बंद हो चुकी है।उस समय केन्द्र तथा प्रदेश में सत्ता कांग्रेस की थी। इसी प्रकार गणेश फ्लोर मिल एवं वनस्पति घी निर्माण कं० का अधिग्रहण 1971 में भारत सरकार ने कर लिया। मान्यवर, वर्ष 1974 तक केन्द्र में कांग्रेसी सरकार थी और तब तक निजी क्षेत्रों की कानपुर की सभी मिलें जर्जर अवस्था में पहुँच गई थी। मिल मालिक पूंजीपति तथा नेताओं कें काकस (सिंडिकेट) से मिल मालिकों के पैसों पर सरकार की गिद्ध दृष्टि लग चुकी थी और हजारों मजदूर वेतन को तसने लगे थे। मान्यवर, मेरी समक्ष मे नही आता कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आजादी के पहले और उसके दो दशकों उपरान्त विश्व का दूसरा मैनचेस्टर कहलाने वाला कानपुर की कपड़ा मिलों पर केन्द्र तथा प्रदेश की सरकारों ने ध्यान नही दिया । लगभग सभी निजी समूहों की मिलें बन्द होने की कगार पर क्यों आ गई? केन्द्र की कांग्रसी सरकार ने शायद पूंजीपति मिल घरानों को अपने निजी स्वार्थ की भरपाई का साधन बनाया । इस लड़ाई और प्रतिस्पर्धा में मरा कौन? गरीब मजदूर जो अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग से था। मान्यवर, यह भी उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय कपड़ा मंत्रालय ने राष्ट्रीयकरण अभियान के तहत कानपुर की कपड़ा मिलों को अपने अधीन कर कुछ पूंजी लगाकर इन्हें चलाने की कोशिश कर मदूरों बरगलायालेकिन परिणाम शून्य रहा। जे०के० समूह की इकाई जे०के० इलेक्ट्रानिक्स बन्द हो गई । 1975 में जे०के० रेयान, जे०के० कैलाश मैन्यूफैक्चर्स में तालाबन्दी हो गयी और उसका कारण यह रहा कि केन्द्र की सरकार ने इन्हें पुनर्जीवित करने

के लिए कोई भी उपाय नही किए। सन् 1977 में भारत सरकार ने कानपुर की रूग्ण कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण किया और एन०टी०सी०, बी०आई०सी० से सम्बद्ध करके लाखों मजदूरों को बेरोजगारी से बचाने का नाटक किया और इसी वर्ष 1977 में इस नाटक का पर्दाफाश हो गया। वर्ष 1977 में ही 6 दिसम्बर को स्वदेशी मिल गोली काण्ड हुआ जिसमें तन माह का वेतन मांग रहे मजदूरों पर पुलिस ने गोली चलाई और इस काण्ड में मनैजर व 13 श्रमिक मारे गये। वर्ष 1981 में 11 जून को भारत सरकार के आदेश पर बी०आई०सी० की मिले सीधें सरकारी नियंत्रण में आ गई । वर्ष 1984 में कानपुर की सूती मिलों की पुरानी पर वर्क लोड बढ़ाने के उद्देश्य से मिल प्रबन्धकों के चाटुकार श्रम संघों के सहयोग से अपर श्रमायुक्त के०के०पाण्डेय एक एवार्ड तैयार कराया गया, जिसे के०के० पाण्डेय नाम दिया गया । इस आवार्ड में श्रमिकों पर वर्क लोड बढ़ाकर डबल कर दिया और 14,000 मजदूरों की छटनी का प्रस्ताव भी इसमें थां मान्यवर, आपको यह भी अवगत कराना है कि वर्ष 1989 में जे०के० ग्रुप की महत्वपूर्ण इकाई जे०के० काटन मिल, जे०के० प्लास्टिक, जे०के० आयरन एण्ड स्टील में तालाबंदी हो गई। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में यह भी लाना चाहता हूं कि आज सूती मिलों की खरबों रुपये की सम्पति कानपुर के हृदय स्थल में हज़ारों एकड़ भूमि पड़ी है जिसे कपड़ा मंत्रालय बेच रहा है। आखिर इन मिलों को पुनर्जीवित व विकसित करने के बजाय बेचा क्यों जा रहा है? अभी दो वर्ष पहले केन्द्रीय कपड़ा मंत्रालय ने कानपुर के माफियाओं, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय तस्कर भी शमिल थे, उन्हें केन्द्रीय कपड़ा मंत्रालय का चेयरमैन सिर्फ इसलिए बना दिया ताकि स्थानीय सीधे–साधे मजदूर संघ और उनके कार्यकर्ता इन गुण्डों से डरकर जमीन और सम्पत्ति बेचने में अड़ंगा न बनें। आखिर बायफर, बी०आई०सी० और कपड़ा मंत्रालय के गठजोड़ से मिलों की सम्पत्ति बेची क्यों जा रही है? और सारा अरबों रूपया कहां जा रहा है ? मान्यवर, मै इस सदन के समक्ष यह तथ्य भी रखना चाहूंगा कि कानपुर काटन कमेटी का गठन 1860 में हुआ था। वर्ष 1910 में प्रदेश स्तर पर उद्योग निदेशालय की स्थापना हुई । वर्ष 1888 में औद्योगिक विकास को तीव्र गति देने हेतु अपर इण्डिया चैम्बर आफॅ कॉमर्स की स्थापना हुई और और वर्ष 1919 में पहली बार मिल मजदूरों ने अपने सेवायोजकों के विरूद्ध आन्दोलन का बिगुल फूंका। इस आंदोलन के अलावा अन्य 12 सूती मिलों में तत्काल ही आंदोलन शुरू हो गया। इस आंदोलन के पश्चात् वेतन में बढ़ोत्तरी रु० 1.25, काम के घण्टे 10, बोनस 2 रुपये किया गया। इसके पश्चात् पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अधीन 1000 करोड़ रुपये से 5 टाउनशिप का निर्माण और विकास किया गया। प्रदेश के 9 जिलों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेण्ट परियोजना शुरू हुई जिसमें लगभग 100 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश हुआ।

मान्यवर, यह भी उल्लेखनीय है कि कानपुर नगर के औद्यौगिक विकास के अन्तर्गत दादा नगर इंडस्ट्रियल एरिया है जिसमें 5000 श्रमिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगारत हैं। मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जाजमऊ इंडस्ट्रियल एरिया विश्व में चर्म उद्योग के लिए प्रथम स्थान पर है जिसमे लगभग दो लाख श्रमिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं। जिसमें अलग से विद्युत फीडर की स्थापना तथा अग्नि शमन केन्द्र की स्थापना आवश्यक हैं। इसके आलावा मान्यवर, सॉलिड वेस्ट एवं जल प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए प्राथमिक ट्रीटमेंट

प्लाण्ट की क्षमता को तीन गुना करने की भी आवश्यकता है। मान्यवर, यह भी आवश्यक है कि इन्स्पेक्टर राज खत्म किया जाए, क्योंकि मान्यवर, जब यहां के उद्योग फलेंगे और फूलेंगे तब ही निर्यात के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा का अर्जन भी हो सकेगा। मान्यवर, मै आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से यह अपील करना चाहूंगा कि अब कोई भी इन्डस्ट्री बन्द न की जाये। मान्यवर मुझे आशा है कि जब केन्द्र में सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में ब०स०पा० की सरकार होगी तो उद्योगों का जन आकांक्षाओं के अनुरूप विकास होगा।

मान्यवर, मै आपके माध्यम से इस सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि ब०स०पा० की सरकार में उद्योग विकास में सार्वजनिक निजी सहभागिता पी०पी०पी० के तहत ऊर्जा क्षेत्र में 23000 करोड़, तथा 32000 करोड़ तथा लगभग 8000 (अधिष्ठान, पारेषण एवं सुदृढ़ीकरण), परिवहन क्षेत्र और औद्योगिक विकास में यमुना एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस–वे, अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेस वे, जैसे राजकीय मार्गो का 49 करोड़ रुपये का निवेश और जनपद कुशीनगर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एवं बौद्ध परिपथ के लिए 750 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0–एल0 24 विधान सभा (36)-3-5-2010-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।